शेखुल हदीस मौलाना
मुहम्मद युनुस कुरैशी देहलवी रहिम०

अनुवादक
सै० शौकत सलीम सहसवानी

एस० एन० पब्लिशर्स
366/1 मुरादी रोड, बटला हाउस जामिया नगर ओखला
नई दिल्ली-25

दस्तूरुल मुत्तक़ी

फ़ी

अहकामिन्नबिय्यि

शेखुल हदीस मौलाना

मुहम्मद यूनुस कुरैशी देहलवी रहिम०

अनुवादक

सै. शौकत सलीम सहसवानी

एस० एन० पब्लिशर्स

366/1 मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर ओखला

नयी दिल्ली-25

प्रकाशक
एस० एन० पब्लिशर्स
मुरादी रोड, बटला हाउस,
जामिया नगर, ओखला,
नई दिल्ली-25

लेखक
शैख़ुल हदीस मौलना मुहम्मद यूनुस क़ुरैशी देहलवी

अनुवादक
सै० शौकत सलीस

मार्च 1997

मूल्य : 50

विषय सूची

क्या ? कहां ?

क्या ?	कहां ?

क्या ? | कहां ?

क्या ?	कहां ?

क्या ?	कहां ?

क्या ?	कहां ?

नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

दैनिक जीवन में कामों व मामलों में मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह और उसके रसूल की शिक्षाओं के अनुसार काम करें। मगर ऐसी कोई किताब उपलब्ध नहीं थी कि जिसमें अहकाम व मसाइल पूरी तरह अल्लाह की किताब व रसूल की सुन्नत की रोशनी में दर्ज किए गए हों। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न फ़िक़ही मकतबों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ बुज़ुर्गों ने इस ज़रूरत को पूरा किया है लेकिन उनके काम को देखकर अन्दाज़ा होता है कि उन्हें अल्लाह की किताब और रसूल की शिक्षाओं का प्रचार व प्रसार करने की बजाए अपने फ़िक़ही मसलक के प्रचार व प्रसार की अधिक चिन्ता है और यही वह मुसीबत है जिसने इस्लामी समुदाय की सामूहिकता को अल्लाह व उसके रसूल का रंग कुबूल करने की बजाए कुछ दूसरे रंग अपनाने पर मजबूर कर दिया है और इसके नतीजे में मुस्लिम क़ौम की एकता बिखराव व फूट का शिकार होकर रह गयी है।

इस किताब में कोशिश की गयी है कि जो बात भी कही जाए अल्लाह और उसके रसूल की सनद के साथ कही जाए। दूसरे शब्दों में क़ुरआन व हदीस के अनुसार कही जाए फिर यदि अल्लाह की किताब या रसूल की सुन्नत की व्याख्या ही किसी मामले में मतभेद का शिक़ार हो जाए तो इस किताब में वह व्याख्या अपनायी गयी है

जो सलफ़ी व्याख्या हो जिसपर सहाबा और ताबअीन अमल करते हों। कहने का मक़सद यह है कि हम अपने पाठकों की सेवा में दीन और उनकी शिक्षाओं के नाम से जो कुछ पेश कर रहे हैं वह केवल अल्लाह और उसके रसूल के इरशादों पर आधारित है किसी और का कथन नहीं और हमारी निगाह में केवल अल्लाह और उसके रसूल का रंग ही वह बेहतरीन रंग है जिसको अपने पूरे जीवन के लिए अपनाना चाहिए।

व मन अहसना मिनल्लाहि सिबग़तन

दस्तूरुल मुत्तक़ी के नाम से काफ़ी समय पहले मौलाना अब्दुल हकीम नसीरआबादी ने एक किताब तैयार की थी जिसे लोगों ने बड़ा पसन्द किया था फिर भी उसमें कहीं-कहीं कुछ कमी महसूस होती थी अतएव इस किताब में बड़े अहम इज़ाफ़े करके मौलाना मुहम्मद यूनुस देहलवी ने इसे कुछ महत्ता प्रदान कर दी और आसान और आम सरल भी बना दिया। मौलाना जो एक लम्बे समय तक शेख मियां नज़ीर हुसैन के मदरसा देहली में पढ़ाने का काम अंजाम देते रहे। आप बेहतरीन उस्ताद और कामयाब मुक़र्रिर थे इसी के साथ-साथ दिली हमदर्दी नेक नीयती और दर्दमन्दी से भी अल्लाह ने आपको नवाजा था इस बात की गवाही हर वह आदमी देगा जो इस किताब का अध्ययन करेगा। बेशक किताब की ज़बान इतनी अच्छी नहीं है मगर विषय के लिहाज़ से बड़ी मालामाल है और यही चीज़ होनी भी चाहिए।

अल्लाह से दुआ है कि वह इस किताब का अध्ययन करने वालों की दिल व दिमाग़ की दुनिया को बदल दे और उनके अन्दर रसूल के तरीक़े की मुहब्बत भर दे यहां तक कि उनका जीवन अल्लाह व उसके रसूल के रंग में हक़ीक़त में रंग जाए। आमीन

-प्रकाशक

बिस्मिल्लाहिर्रहमानर्रिहीम

अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन॰ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीना व ख़ातमी-न्नबिय्यीना व अला आलिहि व असहाबिहि व अतबाईहि अजमईना॰ इला यवमिददीना॰

अल्लाह की प्रशंसा के बाद मालूम हो कि कलिमा तय्यबा के दो हिस्से हैं एक हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह है इन दोनों हिस्सों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। पहले हिस्से में तौहीद का बयान है और दूसरे हिस्से में नबी सल्ल॰ की रिसालत का। तौहीद के हिस्से में बहुत सी बातें शामिल हैं जिन्हें हम अक़ीदों के बयान में पेश करेंगे। यहां केवल इतना बताते हैं कि हर मुसलमान के लिए तौहीद पर रहना अहम व ज़रूरी है। जब तक मुसलमान तौहीद पर न होगा उसका इस्लाम किसी काम का न होगा। तौहीद परस्त अल्लाह की नेमतों के बड़े-बड़े दर्जे हासिल करेंगे। उनपर दुनियां में भी अल्लाह की रहमत होगी और आखिरत में भी। वे हमेशा अल्लाह की रहमतों व बरकतों व जन्नत के बाग़ों में दाखिल होकर ऐश करेंगे और जो लोग मुश्रिक होंगे वे अल्लाह की नेमतों से हमेशा महरूम रहेंगे और जहन्नुम के दर्दनाक अज़ाब का शिकार होकर तरह-तरह की मुसीबतों व यातनाओं का शिकार रहेंगे। मौत की दुआ भी करेंगे तो वह भी न आएगी बल्कि दिन ब दिन और हर घड़ी मुसीबत व तकलीफ़ बढ़ती रहेगी।

अत: हर मुसलमान को हर समय चिंता करनी चाहिए कि हमें सांसारिक जीवन में दो तरह के काम करने हैं जिनके लिए हम पैदा किए गए हैं। वह काम जिनसे अल्लाह व उसका रसूल नाखुश न हो और ये काम इन्सान से उसी समय बन आते हैं जब वह अल्लाह को अपने सामने मौजूद समझे और मौत व क़ब्र व क़ियामत के हिसाब-किताब से ग़ाफ़िल न रहे और जो

काम अल्लाह व रसूल की रज़ामन्दी के हैं उनको अपनी मंज़िल व नजात का ज़रिया समझे और उनके उल्लंघन को शैतानी धोखा समझे भले ही यह उल्लंघन कितना ही अच्छा व उचित मालूम हो। मुसलमान शैतानी धोखे में नहीं आते। इसके बर ख़िलाफ़ उनका उद्देश्य हमेशा अल्लाह और रसूल को राज़ी रखना, जन्नत में जाना, अल्लाह का दीदार करना और जहन्नुम की मुसीबतों से बचना क़रार पाता है।

स्पष्ट रहे कि जन्नत में जाना अल्लाह को राज़ी रखने पर निर्भर है और अल्लाह को राज़ी रखना पैग़म्बर सल्ल० की सच्ची मुहब्बत पर और आपकी मुहब्बत आपकी करनी व कथनी के अनुसार जीवन बसर करने पर निर्भर है तो साबित हुआ कि जो मुसलमान अल्लाह के कलाम और नबी सल्ल० की सुन्नत को मानने वाला होगा वही दीन व दुनिया की कामयाबी हासिल कर सकेगा।

इस्लाम का दूसरा बड़ा सतम्भ नमाज़ है जो सारी इबादतों और नेकियों की जड़ व असल बुनियाद है। तौहीद व नमाज़ ही दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी बरकत से इन्सान नजात पा सकता है और उसकी सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं लेकिन नजात केवल उसी नमाज़ से होगी जो पैग़म्बर सल्ल० के तरीक़े के अनुसार पढ़ी गयी हो क्योंकि जो नमाज़ आपके तरीक़े के अनुसार न पढ़ी गयी हो वह नजात का ज़रिया तो कम उल्टी मुंह पर मारी जाएगी। नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया है-

"सल्लू कमा र अयतुमूनी उसल्ली"

तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो।

अतएव इस किताब में और मसाइल के अलावा वही नमाज़ का तरीक़ा सही हदीसों की रोशनी में बताया गया है जिस पर नबी करीम सल्ल० का अमल रहा है।

नमाज़ के बाद इस्लाम के शेष सारे अहकाम जैसे ज़कात, रोज़ा, हज और निकाह आदि पर भी मुसलमानों को अमल करना ज़रूरी है और जब तक इन सारे अहकाम की पाबन्दी अमली तौर पर और अक़ीदे के तौर पर न होगी, दुनिया में कामयाबी व आख़िरत में सम्मान मिलना मुश्किल है। इसलिए ज़रूरत थी कि एक ऐसी मुकम्मल किताब तैयार की जाए जिसे पढ़कर हर आदमी अल्लाह के सभी अहकाम से जानकारी हासिल कर सके।

अल्लाह का शुक्र है कि इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यह किताब दस्तूरुल मुत्तक़ी फिल अहकामिन्नबिय्यि हाज़िर है अल्लाह से दुआ है कि वह तमाम मुसलमान मर्दों व औरतों को यह किताब पढ़ने और उसके अनुसार अमल करने की तौफ़ीक़ बख़्शे। आमीन

मुहम्मद यूनुस क़ुरैशी देहलवी
13 शाअबान 1380

किताबुल अक़ाइद

कुछ अहम अक़ीदे

चूंकि अक़ीदे का ठीक होना सारी बातों से बढ़कर है इसी लिए एहले सुन्नत वल जमाअत के कुछ अक़ीदे सार के साथ पेश किए जाते हैं। इन्सान को इस बात का दिल से यक़ीन करना चाहिए कि इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है जिसने इसे रचाया और हिकमत के क़ानून पर तैयार किया जैसा कि फ़रमाया-

"इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़-ल-क़स्समावाति वल अर्ज़ा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्शि॰ और फ़रमाया-

"इन्नल्लाहा ख़ालिक़ु कुल्ली शयइन"

और फ़रमाया-

"अफ़िल्लाहिशक्कुन फ़ातिरिस्समावाति वल अर्ज़ा"

इस दुनिया की रचना के सबूत व गुणों पर क़ुरआन में लगभग पांच सौ आयतें मौजूद हैं।

अक़ीदा- (1) जितनी मखलूक़ हैं चाहे इस लोक में हों या परलोक में सबको उसी ने पैदा किया है।

अक़ीदा- (2) वह समस्त विशेषताओं व गुणों के साथ मौजूद है जैसे इल्म, क़ुदरत, ज़िन्दगी, सुनने व देखने की शक्ति, इरादा, सोच, बातचीत करना आदि और इसी के साथ उसके सारे गुण दोष व खात्मे से पाक हैं जैसे जिहालत, विनती, झूठ और मौत

आदि।

अक़ीदा (3) वे समस्त मामूली से मामूली और आंशिक व पूर्णांक, सम्भावित व स्थायी व अस्थायी हक़ीक़तों को जानता है ज़मीन की तह से आसमानों की चोटी तक जो कुछ होता है सब उसे मालूम है आसमानों व ज़मीनों में एक कण भी उससे छुपा नहीं। यदि अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चींटी चलती है तो वह उसे भी जानता है एक कण यदि हवा में हरकत करता है तो वह उससे भी परिचित है दिल की छिपी बातों से लेकर सीने के खतरों तक को जानता है।

अक़ीदा -(4) सारी संभावनाओं पर उसका बस चलता है कोई चीज़ उसके बस से बाहर नहीं।

अक़ीदा- (5) सारी कायनात उसके इरादों से जुड़ी है अर्थात् दुनिया में जो कुछ होता है या हो रहा है थोड़ा बहुत, नेक या बुरा, लाभ या हानि, मीठा या कड़वा, ईमान या कुफ्र, कामयाबी या नाकामी, हुक्म या अवज्ञा सब अल्लाह के इरादे से है उसकी हिकमत व तक़्दीर के अनुसार

"मा शा अल्लाहु काना वमा लम यशाऊ लम यकुन॰"

यद्यपि सारी कायनात जमा होकर एक कण को हिला दे या ठहरादे तो क्या सम्भावना?

"व मा तशाऊना इल्ला अय्यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीना॰"

अक़ीदा-(6) उसका कोई हमशक्ल, साथी व मिसाल नहीं। जिसने किसी मख़्लूक़ के साथ समान समझा वह काफ़िर हुआ। सल्फ़ उसकी विशेषताओं को ज़ाहिर में समझते और उसे किसी के समान

न समझते थे और तावील व हुज्जत से बचते थे।

अक़ीदा-(7) वजूहात व दलील, इबादत और खल्क़ व तदबीर में उसका कोई साझी नहीं। उसी की हस्ती है बाक़ी सब खत्म होने वाले हैं माबूद वही है सब बातिल हैं खालिक़ वही है बाक़ी सब मख़लूक़ हैं।

अक़ीदा- (8) वह अपने ग़ैर में नहीं शामिल होता न ग़ैर उसमें शामिल होते हैं। वह सबसे अलग अर्श पर मौजूद है वह किसी ग़ैर के साथ नहीं मिलता बल्कि वह अपने आप में अनोखा है।

अक़ीदा- (9) अल्लाह अर्श पर है मगर उस अर्श की हक़ीक़त उसके सिवा किसी को मालूम नहीं।। हम उसी पर ईमान लाते हैं।

अक़ीदा-(10) ईमानदार क़ियामत के दिन अल्लाह को आंख से देखेंगे। जन्नत में जाने के बाद भी और उसमें जाने से पहले भी। जैसे लोग चौदहवीं रात के चांद को आसानी से देख लेते हैं।

अक़ीदा-(11) सारे छोटे-बड़े गुनाह उसी के इरादे से हैं यद्यपि वह कुफ्र व गुनाह से नाराज़ और आज्ञा पालन व ईमान से राज़ी होता है क्योंकि इरादा और चीज़ है और रज़ा दूसरी चीज़। वह अपनी ज़ात व गुणों में सारे जहान से बे नियाज़ है उसपर कोई हाकिम नहीं बल्कि सब पर उसका हुक्म चलता है।

अक़ीदा-(12) अक़्ल को चीज़ों से अच्छा या बुरा होने में कोई दख़ल नहीं न इस बात में कि फ़लां काम सवाब वाला है और फ़लां अज़ाब का बल्कि हर चीज़ की बुराई भलाई अल्लाह की क़ुदरत में है उसी ने लोगों को इसके साथ पाबन्द किया है यद्यपि कुछ चीज़ों की वजह और मुनासिब सवाब व अज़ाब अक़्ल से मालूम हो जाए वर्ना बातों का मालूम होना नबी करीम सल्ल० के बताए

बिना कभी भी मालूम नहीं हो सकता।

अक़ीदा-(13) अल्लाह का हर व्यक्तिगत व अमली गुण अपने आप में अकेला है न कम न अधिक। वह एक ही काम से कई प्रकार के काम कर लेता है देखने में हमें जो कुछ समझ में आता है वह तासीर व चीज़ों के गुणों में है न कि उसकी अपनी ज़ात में।

अक़ीदा-(14) क़ुरआन अल्लाह का कलाम है जो कि अन्तिम पैग़म्बर जनाब मुहम्मद मुस्तुफ़ा सल्ल० पर उतरा।

अक़ीदा-(15) शारीरिक हैसियत बरहक़ है शरीरों का हश्र होगा। रूह बदन में डाली जाएगी। यही शरीर जो शरअी तौर पर बदन कहलाते है। वहां होंगे।

अक़ीदा-(16) जज़ा (इनाम) का मिलना, हिंसाब-किताब का होना, पुल सिरात को पार करना, कर्म पत्र का मिलना, कर्मों का तराज़ू में तुलना बरहक़ है। जन्नत और दोज़ख़ इस समय मौजूद हैं और अपने लोगों सहित हमेशा-हमेशा बाक़ी रहेंगे। उनमें किसी को अन्त नहीं। किसी आयत से खुलकर भी यह बात साबित नहीं होती कि जन्नत व जहन्नुम कहां हैं यद्यपि जन्नत को आसमान पर और जहन्नुम को ज़मीन के नीचे बताया गया है जन्न्त व जहन्नुम का मामला और शरीर की हैसियत का सबूत तौरात व इंजील से भी मिलता है।

अक़ीदा-(17) जिस मुसलमान से कबीरा गुनाह हुए हैं वह हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेगा बशर्ते कि छिपे व खुले शिर्क से बच गया हो।

अक़ीदा-(18) शिफ़ाअत बरहक़ है मगर तौहीद परस्त की होगी न कि मुश्रिक की।

अक़ीदा-(19) नबी करीम सबसे पहले शिफ़ाअत करने वाले हैं। शिफ़ाअत

का अधिकारी वही गुनाहगार होगा जिसने सच्चे दिल और सच्ची ज़बान से "ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" की गवाही दी हो और शिर्क व कुफ्र से अलग रहा हो।

अक़ीदा-(20) क़ब्र का अज़ाब व सवाब और मुन्किर नकीर के सवाल व जवाब और क़ब्र में शरीर का रूह के साथ मौजूद होना बरहक़ है। क़ब्र में रूह की मौजूदगी भी बरहक़ है मौत के बाद हर रूह को अपने शरीर से एक तरह का ताल्लुक़ होता है जिसकी वजह से रूह शरीर सहित राहत में रहती है या अज़ाब में। तौहीद परस्त की रूह अिल्लीय्यीन में रहती है और काफ़िरों की रूह व कप्टा चारियों की सिज्जीन में रहती है। शहीदों की रूह अर्श के नीचे और जन्नत में फिरती है।

अक़ीदा-(21) अल्लाह का अपने रसूलों को लोगों की ओर भेजना और बन्दों को भलाई फैलाने व बुराई मिटाने का हुक्म देना हक़ है अल्लाह के रसूल शेष सभी लोगों से चमत्कार और ग़ैर आदतों और कमाल व आचरण में अलग होते हैं।

अक़ीदा-(22) समस्त नबी कुफ्र से मासूम बल्कि गुनाहगारों से नफ़रत करने वाले होते हैं।

अक़ीदा-(23) हमारे रसूल मुहम्मद सल्ल० अन्तिम नबी हैं आपके बाद कोई नबी न होगा। आप अल्लाह के बन्दे और उसके बरगज़ीदा रसूल हैं आपने कभी न बुत पूजा न शिर्क किया। नुबुवत से पहले न बाद में। न आप किसी छोटे या बड़े गुनाह में फंसे। आपकी दावत जिन्न व इन्सान के लिए थी आप सारे नबियों से श्रेष्ठ हैं।

अक़ीदा-(24) वलियों की करामत हक़ है। अल्लाह जिस नेक बन्दे को चाहता है उसका आदर सम्मान करता है और अपनी रहमत के साथ मुख्य कर लेता है। वली क़ी करामत असल में नबी का चमत्कार है।

अक़ीदा-(25) हम अशरे मुबशशरह[1] और हज़रत फ़ातिमा रज़ि०, खदीजा रज़ि०, आयशा रज़ि०, हसन व हुसैन रज़ि० के जन्नती होने की गवाही देते हैं और सहाबा व अहले बैत की इज़्ज़त व सम्मान करते हैं इसी तरह बद्र वालों और अहले बैते रिज़वान को जन्नती कहते हैं।

अक़ीदा-(26) इस बात को हम मानते हैं कि चारों खलीफ़ा सारे सहाबा से श्रेष्ठ हैं फिर अहले बैत, फिर बद्र वाले, फिर बाक़ी अहले बैत रिज़वान फिर बाक़ी सहाबा।

अक़ीदा-(27) हज़रत अबू बक्र रज़ि० नबी करीम सल्ल० के बाद इमाम बरहक़ हैं फिर हज़रत उमर रज़ि० फिर हज़रत उसमान रज़ि०, फिर हज़रत अली रज़ि०। हज़रत अबू बक्र रज़ि० ने दो साल तीन महीने ख़िलाफ़त की और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० ने साढ़े दस बरस और हज़रत उसमान रज़ि० ने बारह साल और हज़रत अली रज़ि० ने चार साल नौ महीने। ये सब नुबुवत के नक़्शे क़दम पर चलने वाले थे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ु अन्हु" इनकी खिफ़लाफ़त को ख़िलाफ़ते राशिद कहते हैं

1- अशरे मुबशशरह के नाम ये हैं- 1. हज़रत अबू बक्र रज़ि० 2. हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० 3. हज़रत उसमान रज़ि० 4. हज़रत अली रज़ि० 5. हज़रत साअद रज़ि० 6. हज़रत सईद रज़ि० 7. हज़रत अबू उबैदा रज़ि० हज़रत तलहा रज़ि० 9. हज़रत ज़ुबैर रज़ि० 10. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० -सालिक धामपुरी

ईमान

हर बच्चा फ़ितरत अर्थात इस्लाम पर पैदा होता है जैसा कि हदीस अबू हुरैरह में आता है।

मा मिम्मवलूदी इल्ला यूलद् अलल फ़ितरति फ़बवाहु युवहव्वि दानिहि अव यनस्सिरा निहि अव युह जिस्सानिहि०

हर बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है बाद में उसके माँ-बाप उसे यहूदी या ईसाई या मजूसी बना देते हैं लेकिन इस्लाम की दावत उस पर उसी समय फ़र्ज़ होती है जब वह बालिग़ हो जाता है।

जब मर्द औरत बालिग़ हो जाते हैं तो उन्हें ईमान लाना फ़र्ज़ हो जाता है। इस्लाम का सबसे बड़ा व पहला स्तम्भ ईमान है आख़िरत की कामयाबी यही ईमान है। जो आदमी ईमानी दौलत से महरूम रहा वह हमेशा की नजात से महरूम रहा। इसलिए हर मुसलमान पर वाजिब है कि ईमान व इस्लाम के मायने अच्छी तरह ज़ेहन में रखे क्योंकि जो लोग ईमान व इस्लाम की हक़ीक़त से ग़ाफ़िल व जाहिल हैं वे केवल नाम ही के मुसलमान होते हैं न काम के और उनका ईमान खराब होता न कि ठीक। तो मालूम करना चाहिए कि अल्लाह का यक़ीन करना, उसके फ़रिश्तों और किताबों और पैग़म्बरों और क़ियामत के दिन को मानना, भाग्य की बुराई व भलाई को मानना ईमान है। खुदा के अकेले और एक होने, जनाब मुहम्मद सल्ल० के बरहक़ होने की गवाही देना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना, यदि ताक़त हो तो हज करना इस्लाम है (सहीहीन मिश्कात)

ईमान व इस्लाम के बीच में एक एहसान भी है जो इन दोनों में एक ख़ास प्रकार का ताल्लुक़ रखता है अर्थात् अल्लाह की तरह इबादत करना ऐसे क़ि हम उसे देख रहे हैं और यदि यह सम्भव न हो तो यह कल्पना करो कि

वह तुम्हें देख रहा है। नबी करीम सल्ल० ने यद्यपि इन तीनों शब्दों की परिभाषा अलग-अलग बतायी है लेकिन इन तीनों मामलों में एक ऐसा आपसी ताल्लुक़ व सम्पर्क है जो एक दूसरे के बिना पूरा नहीं होता।

इस संक्षिप्त बयान से स्पष्ट हो गया कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है और ईमान की छः बुनियादों पर और एहसान की एक चीज़ पर। ये सब 12 चीज़ें हैं जिनके साथ हर आदमी का सम्पर्क है इनमें से यदि कोई आदमी एक चीज़ को भी समर्थ होते हुए अक़ीदे या अमल के हिसाब से छोड़ देगा तो उसे न मुसलमान ही कहेंगे न मोमिन। फिर ईमान के बहुत से हिस्से और दर्जे हैं जिन्हें हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने अपनी उम्मत को तालीम फ़रमायी। नबी करीम सल्ल० फ़रमाते हैं कि ईमान के सत्तर से अधिक हिस्से हैं। सबसे श्रेष्ठ हिस्सा "ला इलाहा इल्लल्लाह" है और सबसे कमतर हिस्सा खतरनाक जानवर का रास्ते से दूर करना है। इस हदीस से साबित हुआ कि ईमान करनी व कथनी दोनों का नाम है ईमान की बहुत सी ऐसी शाखें हैं कि जब कोई शाख़ उनमें से खत्म हो जाती है तो ईमान सलामत नहीं रहता।

एक बात यह कि नबी करीम सल्ल० को दुनिया जाहं के लोगों से अधिक प्रिय रखना। इस मुहब्बत का निशान यह है कि मोमिन नबी सल्ल० की करनी व कथनी के मुक़ाबले में किसी आदमी की करनी कथनी का भरोसा न करे चाहे वह आदमी दीनी व दुनियावी लिहाज़ से बड़ा दर्जा क्यों न रखता हो। तो जिस आदमी में यह गुण पाया जाए उसका ईमान पूर्ण और सालिम समझा जाएगा वर्ना नहीं। मानों यह मुहब्बत उसके ईमान की सच्ची कसौटी है नबी सल्ल० फ़रमाते हैं-

ला यूमिनु अ-ह-दुकुम हत्ता अक्ना अहब्बा इलयहि मिव्वालिदिहि व-व-लदिहि वन्नासि अजमओन०

मतलब यह कि मोमिन अल्लाह के रब होने, इस्लााम के दीन होने,

नबी करीम सल्ल० के रसूल होने पर दिल से राज़ी हो जाए।

दूसरे यह कि खुदा व रसूल को सबसे अधिक दोस्त रखे और जिससे वह दोस्ती रखे खुदा ही के लिए दोस्ती रखे और काफ़िर होने से ऐसा नाखुश हो जैसा कि आग में गिरने से घबराता है।

तीसरे यह कि दोस्ती व दुश्मनी, देना न देना, सब अल्लाह की मर्ज़ी के अनुसार हो और शरई मुहब्बत को भौतिक मुहब्बत पर प्रमुखता हासिल हो। हदीस में आया है कि

अलमुस्लिमु मन सालिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिहि व यदिहि०

अर्थात् मुसलमान वह है कि जिसकी ज़बान व हाथ से मुसलमान महफ़ूज़ रहें और मोमिन वह जिससे लोग अपने जान व माल में शान्ति से रहें अर्थात् न तो किसी को वे नाहक़ क़त्ल करे न ज़बरदस्ती किसी का माल छीने। न किसी की इज़्ज़त आबरू को पामाल करे। तो यदि किसी से ये गुनाह नहीं हुए तो वह कामिल मोमिन है वर्ना नहीं। अनुचित हरकतें करने वालों से ईमान अलग हो जाता है जैसा कि हदीस में आया है कि मुसलमान से ज़िना करते समय, शराब पीते समय, चोरी करते समय ईमान अलग हो जाता है।

इस हदीस से पता चला कि जिस प्रकार अच्छे व उचित काम ईमान की शोभा हैं इसी प्रकार अनुचित व बुरे करतूत ईमानी हालत के विपरीत हैं। ईमान बे अमल बहुत ही कम लाभदायक है। वहब बिन मुनबह से किसी ने पूछा कि क्या "ला इलाहा इल्लल्लाहु जन्नत की कुन्जी नहीं है?" कहा हां, लेकिन हर कुन्जी के दन्दाने होते हैं यदि तू ऐसी कुन्जी लाएगा जो दन्दाने रखती होगी तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा वर्ना नहीं। जिस आदमी को गुनाह बुरा नहीं लगता। उसके ईमान में खराबी होती है।

अबू अमामा रज़ि० कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत से पूछा था कि ईमान क्या है? फ़रमाया जब तुझे तेरी नेकी अच्छी लगे और बदी बुरी लगे तो तू उस समय मोमिन है। पूछा गुनाह किसे कहते हैं? फ़रमाया "जब तेरे दिल में कोई चीज़ खटके और उलझन पैदा करे तो तू उसे छोड़ दे। अच्छा अख़्लाक़ सबसे ऊंचा ईमान है। उमर बिन उत्बा रज़ि० ने हुज़ूर सल्ल० से पूछा था कि ईमान क्या है? फ़रमाया-गुनाह को छोड़ना और अल्लाह के पालन पर दृढ़ता के साथ जम जाना। पूछा अफ़ज़ल ईमान क्या है? फ़रमाया, अच्छा अख़्लाक़। अच्छा अख़्लाक़ समस्त ज़ाहिर व बातिन के अख़्लाक़ पर आधारित है। जन्नत में दाखिल होने के लिए नेक अमल की सख़्त ज़रूरत है यद्यपि जन्नत का मिलना केवल अल्लाह की कृपा पर निर्भर है न कि अमल पर लेकिन अमल उसकी एक स्पष्ट अलामत है। एक बद्दू ने हुज़ूर सल्ल० से पूछा था कि मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिसके करने से जन्नत में चला जाऊं? फ़रमाया अल्लाह की इबादत कर और किसी को उसका साझी न ठहरा, फ़र्ज़ नमाज़ कायम रख, ज़कात अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख। बद्दू ने कहा खुदा की क़सम, मैं इससे कण भर भी कमी बेशी न करूंगा। जब वह वापस चला तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि जिसे जन्नती को देखना हो तो इस आदमी को देखे।

गुनाह कबीरा करना मग़फ़िरत में रुकावट नहीं है। तौबा से हर गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। चुनांचे हदीस में आया है कि जो बन्दा ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे फिर उसी पर मर जाए तो वह जन्नत में दाखिल होगा चाहे उसने ज़िना किया हो चोरी की हो। नेक अमल की कमी से ईमान में खराबी आ जाती है नबी करीम सल्ल० ने औरतों को नाक़िसुल अक़्ल व नाक़िसुद्दीन फ़रमाया है फिर आपने उनके दीन के नुक़्सान का विवरण बताया कि हैज़ की हालत में नमाज़ रोज़ा नहीं रख सकती और अक़्ल का यह नुक़्सान बताया कि उनकी गवाही मर्दों के मुक़ाबले आधा हिस्सा होती है। यही वजह है अक़ीदों की किताबों में लिखा है कि ईमान बढ़ता रहता है। ईमान की अधिकता आज्ञा

पालन की अधिकता से होती है और उसमें नुक़्सान, आज्ञा-पालन के नुक़्सान या गुनाह से पैदा होता है। इसलिए अल्लाह ने क़ुरआन में फ़रमाया है कि नेक व बद बराबर नहीं क्योंकि नेक आदमी मोमिन होता है और अवज्ञाकारी आदमी नाक़िस मोमिन।

शहादतीन का उच्चारण जन्नत व जहन्नुम का इक़रार हज़रत मसीह अलैहि० के बारे में अल्लाह के बन्दे और रसूल होने का एतराफ़ आख़िरकार जन्नत में ले जाएगा। यद्यपि अमल में ग़लती हो। नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया जिसने इस बात की गवाही दी कि हज़रत ईसा अल्लाह के बन्दे, उसके रसूल, उसकी लौंडी के बेटे और उसका वह कलिमा हैं जिसे ख़ुदा ने मरयम की ओर भेजा था और उसकी ओर से रूह हैं और जन्नत व जहन्नुम हक़ हैं अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल करेगा चाहे उसका अमल कैसा ही हो अर्थात् अच्छा हो या बुरा, थोड़ा हो या अधिक।

कपट की निशानियां और गुनाह कबीरा

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया-

आयातुल मुनाफ़िक़ि सलासुन व इन सामा व सल्ला व ज़-अ-मा अन्नहु मुस्लिमुन इज़ा हददसा क-ज़-बा व इज़ा व अदा अख़लफ़ा व इज़ा ऊतुमिना ख़ाना०

(सहीहीन मिश्कात)

कपटा चारी की तीन निशानियां हैं यद्यपि रोज़ा रखता है नमाज़ पढ़ता है और अपने आपको मुसलमान समझता है

1- जब बात कहे तो झूठ बोले

2- जब वायद करे ख़िलाफ़ करे

3- जब उसके पास अमानत रखी जाए तो बेइमानी करे। और फ़रमाया-

अल कबाइरुल इशराकु बिल्लाहि व हुक़ूकुल वालि दयनि व क़-त-त लुन्न फ़सि वल यमीनुल गुमूस० (बुखारी)

बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक करना, माँ-बाप की अवज्ञा करना और किसी को अकारण क़त्ल करना और झूठी क़सम खाना है।

कपट की दो क़िस्में हैं-

एक वह जो ईमान की उलट है और दिखावे के तौर पर मुसलमान और छिपे में काफ़िर हो इसे अरफ़ी कपट कहते हैं। कपट की इस क़िस्म को कुछ उलेमा ने नबी सल्ल० के पाक युग के साथ खास किया है कि इस्लाम के बाद ऐसे कपटाचारी नहीं रहे लेकिन अधिकांश मुसलमानों का अनुभव साफ़ बता रहा है कि आज भी इस प्रकार के सैंकड़ों कपटाचारी मौजूद हैं जो अपने आपको मुसलमान कहते हैं लेकिन ढके छिपे इस्लाम के खिलाफ़ काम करते हैं।

कपट की दूसरी क़िस्म अमली कपट है। इसका चलन इस ज़माने में यहां तक प्रचलित है कि सच्चे और ईमानदार मुसलमान भी इसका शिकार हैं। इस अमली कपट की कुछ निशानियां हैं.

हदीस इब्ने उमर में आया है कि जिस व्यक्ति में चार बातें पायी जाएंगी वह पूरा कपटाचारी होगा और जिसमें इनके साथ एक आदत होगी उसमें कपट की एक आदत पायी जाएंगी। वे चार बातें ये हैं-

1- अमानत में बेईमानी करना। 2- बात-बात पर झूठ बोलना। 3- वायदा करके तोड़ डालना 4- लड़ाई झगड़े के समय अश्लीलता पर उतर

आना और गाली बकना।

हदीस अबी हुरैरह रज़ि० में यों आया है कि कपटाचार की तीन निशानियां हैं यद्यपि वह नमाज़ पढ़ता है रोज़े रखता है और मुसलमान होने का दावा करता हो। 1- जब बात करे तो झूठ बोले 2- जब वायदे दे तो उसे तोड़ डाले। 3- जब अमानतदार ठहराया जाए तो बेइमानी करे।

रहे कबीरा गुनाह उनके बारे में एक हदीस में तो यों बयान किया गया है कि खुदा की इबादत में किसी को शरीक ठहराना, माँ-बाप की अवज्ञा करना, किसी को जान बूझकर क़त्ल करना और झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है।

हदीस इब्ने मसऊद में आया है कि किसी ने नबी सल्ल० से पूछा था कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फ़रमाया-"किसी को खुदा के बराबर ठहराकर उसकी इबादत करना कबीरा गुनाह है, कहा फिर कौन सा? फ़रमाया कि अपनी सन्तान को इस डर से मारना कि कहीं बड़े होकर तेरे साथ न खाएं पिएं। कहा फिर कौन सा? फ़रमाया कि पड़ौसी औरत से ज़िना करना।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० में फ़रमाया गया है कि उन सात चीज़ों से बचो जो आदमी को तबाह व बर्बाद कर डालने वाली हैं। 1-शिर्क 2-जादू 3-सूद खाना 4-यतीम का माल खा जाना 5-लड़ाई के समय पीठ फेर जाना 6-पाक दामन औरतों पर ज़िना का आरोप लगाना 7-किसी जान को अकारण क़त्ल करना।

ये सब 12 कबीरा गुनाह हैं जिनपर पकड़ की गयी है इनके अलावा जितने भी गुनाह ऐसे हैं जिनपर धर्मशास्त्रियों ने जहन्नुम का वायदा किया है या उनके करने पर लानत की है या उनसे अल्लाह ने नाराज़गी फ़रमायी है वे सब कबीरा गुनाह हैं चाहे उनका सम्बन्ध दिल से हो या बदन से कपट और कबीरा गुनाह पर धर्मशास्त्रियों ने सख्त से सख्त सज़ा व चेतावनी फ़रमायी है।

तौहीद और शिर्क

तौहीद अर्थात् खुदा को एक व अकेला जानना, सच्चे व ईमानदार मुसलमानों के लिए बड़ी नेमत है जिसकी बरकत से आदमी दोनों जहानों में शान्ति पाता है और कामयाबी हासिल करता है। असल में ईमान कामिल तौहीद कामिल का नाम है। जब किसी आदमी की तौहीद कामिल हो जाती है तो वह खुदा के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करता। न किसी से भले की आशा ही रखता है न किसी के नुक़्सान से डरता है हर समय उसकी आंखों के सामने यह हदीस मौजूद रहती है-

या.गुलामु इहफ़ज़िल्लाहा यहफ़ज़ुका इहफ़ज़िल्लाहा तजिदहु तुजाहका (सही मिश्कात)

अर्थात् नबी सल्ल० ने इब्ने अब्बास रज़ि० से फ़रमाया- ऐ लड़के तू अल्लाह की ओर निगाह रख वह तुझ पर निगाह रखेगा यदि तू उस पर निगाह रखेगा तो उसे अपने सामने पाएगा और जब तू कुछ मांगे तो अल्लाह ही से मांग और जब मदद चाहे तो अल्लाह ही से चाह और यक़ीन कर ले कि यदि सब लोग जमा होकर तुझे कुछ नुक़्सान या लाभ पहुंचाना चाहें तो कभी नहीं पहुंचा सकते मगर जो खुदा ने तेरे लिए लिख छोड़ा है वह पहुंच कर रहेगा।

रुफ़िअतिल अकलामु व जफ़्फ़तिस्सुहुफु

"क़लम उठ गए और कागज़ खुश्क हो गए।"

इस हदीस से दो बातें साबित हुई अल्लाह की खुशी व तौहीद को अपनाना। गुनाह कितना ही बड़ा क्यों न हो तौहीद परस्त माफ़ी से कभी निराश नहीं होता। तौहीद की बरकत से अल्लाह जिसे चाहे बिना सज़ा के जन्नत

में दाखिल करेगा और जिसे चाहेगा सज़ा देकर नबी करीम सल्ल० की सिफ़ारिश से अपने फ़ज़्ल से जन्नत में दाखिल करेगा। क़ियामत के दिन सबसे पहले उन गुनाहगारों की सिफ़ारिश होगी जो मुश्रिक न थे फिर उन कलिमा पढ़ने वालों की जिन्होंने शिर्क न किया था यद्यपि उन्होंने सारे ही बड़े गुनाह किए। नबी करीम सल्ल० फ़रमाते हैं। तौहीद परस्त गुनाहगारों को यहां तक जहन्नुम से निकालूंगा कि आग में केवल वही रहेगा जिसपर जहन्नुम वाजिब कर दी गयी होगी। नबी करीम सल्ल० ने यह भी फ़रमाया कि जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान होगा मैं उसे आग से निकाल लूंगा फिर दूसरी बार उसे जिसके दिल में कण भर या राई बराबर ईमान होगा, तीसरी बार उसे निकालूंगा जिसके दिल में राई के दाने के आधे भाग की बराबर ईमान होगा। इसके बाद कलिमा को मानने वालों की सिफ़ारिश करूंगा और अल्लाह अपने फ़ज़्ल से उन्हें भी जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा।

अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालक जब सच्चे दिल से यह विश्वास रखे और इसी विश्वास पर मरे कि खुदा के सिवा कोई पूज्यनीय नहीं तो वह जन्नत में जाएगा। अबू ज़र सहाबी (रज़ि०) ने नबी सल्ल० से कहा- ऐ रसूले खुदा! यदि उसने चोरी की हो ज़िना की हो तब भी? फ़रमाया 'यद्यपि उसने ज़िना की हो चोरी की हो। जिस आदमी का ईमान शिर्क व बिद्अत की गन्दगी से पाक व सुथरा रहता है उसकी थोड़ी सी इबादत भी बहुत बड़ी होती है उसके मुक़ाबले में कि मुश्रिक की इबादत कभी लाभदायक नहीं होती और तौहीद परस्त के सो जाने में भी लाभ व सवाब हासिल होता है इसलिए कि मुश्रिक की इबादत सारी अकारत हो जाती है। मुश्रिक यद्यपि इबादत करे या नजात व कामयाबी की उम्मीद रखे तो उसका गन्दा ख्याल ही मनगढ़त योजना है। शिर्क एक ऐसी ज़हरीली बूटी है जो आदमी को बहुत जल्द आख़िरत में हलाक कर देगी इसलिए हर आदमी को इससे बचना ज़रूरी है।

शिर्क के 70 दरवाज़े हैं जिस प्रकार कि बिद्अत के 72 दरवाज़े हैं

तो जिसे अपनी नजात प्यारी हो उसे चाहिए कि शिर्क व बिद्अत से बचने की बराबर कोशिश करता रहे क्योंकि यदि किसी ने सारे जहान की इबादत की है मगर उसके अक़ीदे और अमल में किसी तरह का शिर्क छिपा है तो सिफ़ारिश से महरूम रहेगा और नजात का कभी मुंह न देखेगा और किसी ने उम्र भर कोई नेक अमल नहीं किया और दुनिया भर के गुनाह करके खुदा के दरबार में हाज़िर हुआ मगर शिर्क से बचा रहा तो वह एक न एक दिन अवश्य जहन्नुम से निकल कर जन्नत में जाएगा।

हदीस (सहीहीन मिश्कात) में आया है कि जब पैग़म्बर और बुजुर्ग और फ़रिश्ते गुनाहगारों की सिफ़ारिश कर चुकेंगे तो अल्लाह अपनी कुदरत का क़दम जहन्नुम में डालेगा और एक ऐसी कौम को उसमें से बाहर निकालेगा जिसने कभी कोई नेक अमल किया ही न होगा। ये लोग जहन्नुम में जल भुन कर कोयला हो गए होंगे। खुदा इन्हें एक नहर में जो जन्नत के किनारों पर बह रही होंगी जिसे "नहरे हयात" कहते हैं, डाल देगा। ये लोग उसमें से ऐसे निकलेंगे जैसे सीलाब के बाद दाना उग खड़ा होता है उनके बदन चमकने लगेंगे उनकी गर्दनों पर मुहर लगी होंगी जिन्हें देखकर जन्नती लोग कहेंगे ये लोग रहमान के आज़ाद किए हुए हैं रहमान ने इन्हें बिना किसी अमल व भलाई के जन्नत में दाखिल किया है। इसके बाद इन लोगों से फ़रमाएगा-

"लकुम क़ा ज़ा अयतुम व मिसलहुमअहु'

कहने का मतलब यह कि अल्लाह मुश्रिकों के अलावा सारे गुनहगारों को बख्श देगा।

क़ुरआन मजीद में एक जगह फ़रमाया है कि खुदा मुश्रिकों को कभी भी नहीं बख्शेगा हां मुश्रिकों के अलावा जिसे चाहेगा बख्श देगा लेकिन बन्दों के हक़ों से उसी समय छुट्टी मिल सकेगी कि स्वयं हक़दार या उसका वारिस या कोई और हक़दार का हक़ अदा कर दे।

एक हदीस (मुस्लिम) में आया है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्ल० के पास जाकर कहा कि ऐ रसूले खुदा वे दो बातें कौन सी हैं जो जन्नत व जहन्नुम को वाजिब करती हैं? फ़रमाया 'जो आदमी मर जाए और उसने कभी शिर्क न किया हो वह जन्नत में जाएगा और जो शिर्क की हालत में मरेगा वह जहन्नुम में हमेशा के लिए दाखिल होगा।

हज़रत मआज़ कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्ल० ने दस बातों की वसीयत की। इनमें से एक यह है-

"ला तुशरिक बिल्लाहि शयअव व इन क़ुतिलता व हुर्रिक्ता"

"यदि तुझे कोई क़त्ल करे या आग में जलाए तब भी तू खुदा के साथ किसी को शरीक न ठहरा।"

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया, तीन चीज़ें ईमान की जड़ हैं (1) ला इलाहा इल्लल्लाह से बाज़ रहना अर्थात् न तू किसी गुनाह की वजह से उसे काफ़िर कहना न किसी अमल की वजह से उसे इस्लाम से अलग करना (2) जिहाद चला आता है जब से कि अल्लाह ने मुझे भेजा है यहां तक कि उम्मत का पिछला आदमी दज्जाल से लड़ेगा। किसी आदिल का न्याय और ज़ालिम का ज़ुल्म उसे असत्य नहीं करेगा। (3) तक़दीर के हक़ होने पर यक़ीन रखना।

तक़दीर पर ईमान लाना

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया-

'क-त-बल्लाहु मक़ादीरल ख़लाइक़ि क़ब्ला अय्यख़लु-क़स्समावाति वल अर्ज़ा बिख़मसीना अल्फ़ा स-न-तिन क़ाला व काना अरशुहु अलल माई।'

अर्थात् अल्लाह ने समस्त मानव जाति की तक़दीरों को लिख दिया

है पचास हज़ार बरस पहले ज़मीन व आसमान के पैदा करने से और उसका अर्श पानी पर था।

तक़दीर पर ईमान लाना इस्लाम का एक बड़ा रुकन है इस हंगामी दौर में यह ईमान कम रह गया है यद्यपि हदीस में आया है कि जब तक कोई आदमी इन चार चीज़ों पर ईमान न लाएगा उसे ईमानदार न कहेंगे। एक यह कि दिल व ज़बान से इस बात का इक़रार करे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं और मैं खुदा का रसूल हूं उसने मुझे वास्तव में अपनी ओर से भेजा है। दूसरी यह कि मरने का इक़रार करे। तीसरी यह कि मरने के बाद जी उठने पर ईमान लाए। चौथी यह कि तक़दीर पर ईमान लाए। तक़दीर का सबूत बहुत सी हदीसों में आया है अर्थात् हर आदमी की तक़दीर उसके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी है और लोहे महफ़ूज़ में लिखा जा चुका है कि फ़लां आदमी फ़लां ज़माने में ऐसा-ऐसा करेगा। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ि० ने फ़रमाया है-

"अल्लाह ने जन्नत के लिए लोग पैदा किए और अब भी अपने बापों की पुश्त में हैं इसी तरह जहन्नुम के लिए लोग बनाए और वे भी अपने बापों की पुश्त में हैं।

इससे साबित हुआ कि हर आदमी की तक़दीर उसके पैदा होने से पहले ही मुक़र्रर हो चुकी है। उसी के अनुसार दुनिया में हर किसी का खात्मा होता है।

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि 'अल्लाह ने लोगों की तक़दीर आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से पचास हज़ार बरस पहले लिख रखी है जबकि उसका अर्श पानी पर ठहरा हुआ था।

नबी सल्ल० ने यह भी फ़रमाया कि तुम में से कोई जन्नतियों जैसा अमल करता है यहां तक कि उसके और जन्नत के बीच केवल एक गज़ का

फ़ासला रह जाता है फिर उस पर उसका लिखा हुआ ज़ोर करता है और व जहन्नमियों के से अमल करके जहन्नुम में दाखिल हो जाता है। इसी तरह तुम में से कोई जहन्नमियों जैसा अमल करता है यहां तक कि उसके व जहन्नुम के बीच केवल एक गज़ का फ़ासला रह जाता है फिर उसपर उसका लिखा हुआ जोर करता है और वह जन्नतियों का सा अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाता है।

इससे पता चला कि हर आदमी का जन्नती और जहन्नुमी होना पहले ही से लिखा जा चुका है लेकिन दुनियां में उसकी पहचान आखिर उम्र में अमल करने से होती है इसलिए हज़रत अली की हदीस में आया है कि जब सहाबा ने कहा- ऐ रसूले खुदा! क्या हम अपनी तक़दीर पर भरोसा न करें और अमल करना छोड़ दें? फ़रमाया-

"इअमलू फ़कुल्लु मुयस्सरुल्लिम्मा खुलिक़ा लहु"

अर्थात् अमल किए जाओ क्योंकि आज्ञा पालक का आज्ञा पालन का काम बजा लाना और बदबख़्त को गुनाह का काम करना आसान हो जाता है। कहने का मतलब यह कि दुनिया के अमल तक़दीर के तहत होते रहते हैं और जब ऐसा है तो फिर अमल छोड़ने से क्या लाभ? बल्कि आदमी को हमेशा अमल में लगा रहना चाहिए क्योंकि यही आखिर एक सच्चा नमूना है और इससे जन्नती और जहन्नुमी पहचाना जाता है।

तक़दीर का इन्कारी काफ़िर हो जाता है। हज़रत मुहम्मद सल्ल० फ़रमाते हैं मेरी उम्मत के दो गिरोह इस्लाम में कुछ हिस्सा नहीं रखते। एक मरजियह दूसरे कुदरियह। मरजियह का विश्वास यह है कि सारे नेक व बदकाम खुदा की तक़दीर से हैं इनमें बन्दों को ज़रा सा भी अधिकार हासिल नहीं और जिस तरह कुफ्र के होते कोई पालन ठीक नहीं इसी तरह ईमान के होते कोई मुसीबत नुक़्सानदेह नहीं होती।

क़ुदरियह कहते हैं कि सारे कामों का ख़ालिक़ अल्लाह नहीं है बल्कि नेक़ व भले काम उससे पैदा होते हैं और बुरे काम शैतान से। नबी करीम सल्ल० ने इन दोनों को इस्लाम से बे नसीब ठहराया क्योंकि हक इन दोनों के बीच ही है न उनके कथन के अनुसार अर्थात् बन्दा न तो पूरी तरह अधिकारी ही है न बेबस व मजबूर बल्कि इन दोनों हालतों के बीच में है। ज़िना, चोरी, शराबख़ोरी और सभी गुनाह बेशक अल्लाह ही के इरादे व तक़दीर से पैदा होते हैं मगर आदमी को चाहिए कि ऐसे अमल में तक़दीर को दलील न बनाए। गुनाह को अपनी ही ओर से समझे इसलिए कि भले ही बुरे कामों का ख़ालिक़ ख़ुदा ही है मगर बन्दा तो उसे करता है अर्थात् आदर सम्मान का तक़ाज़ा यह है कि बुराई की निसबत ख़ुदा की ओर न करे और यों न कहे कि यह बला मुझ पर मेरी तक़दीर से टूटी बल्कि यों कहे कि मेरे कर्मों की निसबत व नहूसत से है यद्यपि सब कुछ अल्लाह ही की तक़दीर व इरादा से होता है।

हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि तुम क़ुदरियों के पास न बैठो न उनसे किसी प्रकार की बातचीत ही रखो और फ़रमाया कि तक़दीर को झुठलाने वाले तबाही से दोचार होंगे और फ़रमाया कि क़ुदरियह इस उम्मत के मजूस हैं जब बीमार पड़ें तो उन्हें देखने न जाओ मर जाएं तो उनके जनाज़े की नमाज़ न पढ़ो और फ़रमाया कि तक़दीर को झुठलाने वालों पर अल्लाह व नबियों की लानत है। ये हदीसें क़ुदरियों के कुफ्र पर ठोस दलील हैं।

एहसान और नीयत

"क़ालल्लाहु तआला व अहसिन् इन्नल्लाहा युहिब्बुल मोहसिनीन" (सूरः बकरा)

तुम एहसान करो क्योंकि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है।

एहसान कहते हैं अमल को दिखावे से महफ़ूज़ रखने और उसे ख़ालिस

करने को। क़ुरआन में जगह-जगह इसका ज़िक्र आया है और हदीसें भी इसके बारे में अधिकता से हैं। नबी करीम सल्ल० ने दिखावे को शिर्क कहा है और जितनी इसकी निंदा की है उतनी किसी और बड़े से बड़े गुनाह की नहीं की है। जो अमल दिखावे से खाली होता है और सुन्नत के अनुसार किया जाता है उसे इख़्लास कहते हैं और इसी पर सवाब मिलता है।

हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया है कि जिसने दुनिया को तौहीद इख़्लास पर छोड़ा, नमाज़ पढ़ी, ज़कात दी अल्लाह उससे राज़ी होता है। मुसलमान के लिए यह अति दर्जे की इज़्ज़त व करामत है क्योंकि अल्लाह की रज़ामन्दी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है नबी करीम सल्ल० ने जब हज़रत मआज़ को यमन की ओर भेजा तो उन्होंने चलते समय कहा कि मुझे कुछ वसीयत कीजिए। आपने फ़रमाया- "दीन ख़ालिस करना थोड़ा सा अमल भी काफ़ी होगा।" मालूम हुआ कि इख़्लास की विशेषता किसी खास अमल के साथ नहीं है बल्कि जितने भी अमल व कथन ईमान से ताल्लुक़ रखते हैं सब में इख़्लास ही दरकार है।

हदीस में आया है कि अल्लाह उसी अमल को कुबूल करता है जो पूरी तरह उसी के लिए किया जाता है। एक रिवायत में आया है कि अल्लाह के निकट वही अमल कुबूल होता है जो शिर्क व दिखावे की गन्दगी से बिल्कुल पाक व ख़ालिस हो और उससे तात्पर्य केवल खुदा की रज़ा से हो। यही बात क़ुरआन मजीद की एक आयत से साबित है। अल्लाह ने फ़रमाया है-

फ़मन काना यरजू लिका आ रब्बीही फ़ल यामल अ-म-लन साहिलहन युशरिक बिइबादति रब्बिहि अ-ह-दा० (सूरः कहफ़)

जो आदमी अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता हो उसे नेक अमल करने चाहिए और अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक न ठहराना चाहिए।

आदमी को चाहिए कि जहां तक बन पड़े अच्छी नीयत करे और बुरी

नीयत से बचे क्योंकि बुरी नीयत का अंजाम बुरा और अच्छी नीयत का अंजाम अच्छा होता है अमल का आधार नीयत ही पर है। हर आदमी को वही मिलेगा जो उसकी नीयत में है। हदीस में आया है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल की ओर हुई और जिसने दुनिया या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की उसकी हिजरत उसी काम के लिए ठहरी।

यह हदीस इस्लाम की असलल उसूल है और सारे कर्मों का आधार इसी पर है आदमी अपनी नीयत मालूम करके पता कर सकता है कि उसका कौन सा काम खालिस अल्लाह के लिए है और कौन सा काम दुनिया के लिए जो काम अल्लाह के लिए किया गया है वह कुबूल होगा और जो दुनिया के वास्ते किया गया है वह मरदूद ठहरेगा। उसका सवाब कुछ न मिलेगा बल्कि उल्टी पकड़ होगी। नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया कि लोगो! अल्लाह तुम्हारे शरीर और तुम्हारी सूरतें नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों की ओर देखता है अर्थात् अल्लाह तुम्हारी नीयत परखता है कि कैसी है? यह नहीं देखता कि तुम मोटे हो या दुबले, सुन्दर हो बद सूरत। नीयत अच्छी व सच्ची होनी चाहिए चाहे शरीर कैसा ही हो सूरत कैसी ही रही हो।

किताब व सुन्नत और बिदअत

नबी करीम सल्ल॰ ने फ़रमाया-

मन तमस्सका बिसुन्नति इन्दा फ़सादी उ-मति फ़-ल-हु अजरु मआति शहीदिन (मिश्कात)

जिस आदमी ने फ़ित्ना व फ़साद के समय मेरी सुन्नत पर अमल किया उसे सौ शहीदों का सवाब मिलेगा और फ़रमाया-

कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़ला-लतिन

फ़िन्नार (अहमद तिर्मिज़ी)

हर बिदअत गुमराही है और गुमराही दोज़ख में है। मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि जो काम रात दिन में सामने आए उसमें थोड़ा सोच विचार करे कि इस काम का करना क़ुरआन व हदीस में आया है या नहीं यदि आया है तो उसे उसी तरह अंजाम दे जिस तरह उसके करने का हुक्म अल्लाह और रसूल ने दिया है और यदि क़ुरआन व हदीस में उस काम को करने का हुक्म नहीं है या उसको करने से मना किया गया है तो हमेशा दूर रहे और दिल से नफ़रत रखे क्योंकि इस तरह का काम हराम होगा या बिदअत।

जो आदमी सुन्नत व बिदअत में अन्तर न करे और इस्लाम के हुक्म और अज्ञानता की रस्म में अन्तर ही न समझे उसके ईमान व इस्लाम में खराबी होगी और उसका कोई भी अमल स्वीकार न होगा।

नबी करीम सल्ल० फ़रमाते हैं कि सबसे बेहतर बात खुदा की किताब अर्थात् कुरआन मजीद और सबसे बेहतर चाल रसूले खुदा की चाल है और सबसे बुरी वे हरकतें व काम हैं जो अपनी ओर से निकाल खड़े किये हों इसमें तीनों प्रकार की बिदअतें हैं अर्थात् आस्था, कथन और व्यावहारिक सब दाखिल हैं और हर बिदअत गुमराही है अर्थात् किसी बिदअत में कोई विशेषता नहीं।

हज़रत आयशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी नयी बात निकाल खड़ी की जो इस दीन में न थी तो वह मरदूद है।

(सही मिश्कात)

हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने फ़रमाया- "मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर जिसने इन्कार किया। किसी ने अर्ज़ किया कि भला हज़रत वह कौन है जिसने इन्कार किया?" फ़रमाया- "जिसने मेरा पालन किया जन्नत में दाखिल हुआ और जिसने अवज्ञा की उसने इन्कार किया अर्थात् वह आदमी जन्नत में दाखिल होने के योग्य नहीं। यह बात हर आदमी बड़ी आसानी से मालूम कर सकता है कि आज मैंने जितने काम किए हैं वे नबी करीम सल्ल०

के इर्शाद के अनुसार है या नहीं? यदि हैं और उनका आज्ञा पालक है तो इसके लिए क्षमा व मग़फिरत है वर्ना नहीं। जब तक इन्सान किताब व सुन्नत का पालन न करता हो उसका ईमान कामिल न होगा। इसलिए हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि हमेशा किताब व सुन्नत के तहत हो और बिदअत से बचता रहे। (बुखारी मिश्कात)

हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ि॰ कहते हैं कि हमें नबी सल्ल॰ ने ऐसा प्रभावशाली उपदेश दिया जिससे हमारे दिल कांप उठे और बे साख़्ता आंखों से आंसू बहने लगे हमने कहा- 'ऐ अल्लाह के रसूल! यह उपदेश तो ऐसा है जैसे कोई किसी को विदा करता हो अत: हमें कुछ वसीयत कीजिए' फ़रमाया, मैं तुम्हें इस बात की वसीयत करता हूं कि अल्लाह से डरो और सुनो और मानो तो तुम पर कोई गुलाम ही हुकूमत क्यों न करे तुम में से जो आदमी ज़िन्दा रहेगा वह निकट ही सख्त मतभेद देखेगा। उस समय तुम्हें मेरी सुन्नत और मेरे खलीफ़ों की सुन्नत पर चलना अनिवार्य है इसे तुम दांतों से अच्छी तरह मज़बूत पकड़ लेना और नए-नए कामों से बचते रहना क्योंकि हर बिदअत और हर नया काम गुमराही है। (अहमद, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी)

इस हदीस से नबी सल्ल॰ का एक बड़ा चमत्कार साबित हुआ कि जो बात इस उम्मत में होने वाली थी उसकी खबर आपको पहले से ही दे दी और साफ़-साफ़ फ़रमा दिया कि मेरे बाद मतभेद होगा चुनांचे यह मतभेद तबअ ताबईन के ज़माने के बाद सामने आया। नए-नए मज़हब निकले और तक़लीद शख्सी ने जन्म लिया और नए-नए काम होने लगे। ऐसे नाजुक व टेढ़े समय में हमें नबी करीम सल्ल॰ की वसीयत पर चलना चाहिए कि सुन्नत को अपनाएं और बिदअत से दूर रहें।

यह हदीस पहले गुजर चुकी है कि हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया है कि जिसने मेरी सुन्नत पर अमल उस समय किया जब कि फ़साद पड़ गया तो उसे सौ शहीदों का सवाब मिलेगा। सल्फ़ उम्मत को सुन्नत पर चलने का

यहां तक ख्याल था कि वे ज़रा-ज़रा से काम में नबी करीम सल्ल० की चाल बड़े शौक से अपनाया करते थे।

किताबुत्तहारत

1- पानी

हदीस में आया है कि नबी करीम सल्ल०. ने फ़रमाया-

'इन्नल मा आ तुहूरुन ला युनज्जिसुहु शयउन रवाहु अहमद वत्तिर मिज़िय्यु व अबूदाऊदा वन्नसाइय्यु'

(अहमद, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, नसई)

पानी पाक है (इससे वह पानी मुराद है जिसका ज़िक्र दूसरी हदीस में आया है) उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।

और फ़रमाया-

इज़ा काना अलमाउ कुल्लतयनि लम यहमलिल ग़-ब-सा

जब पानी दो कुल्ले हो तो नापाकी मिलने से नापाक नहीं होता। पानी कुएं का हो या नाले नदी का या दरिया का केवल तीन तरह से नापाक होता है। रंग और बू और स्वाद के बदलने से अर्थात जब कोई चीज़ नापाक और पलीद चीज़ पानी में मिल जाए और तीनों गुणों में से किसी गुण को बदल दे तो पानी नापाक हो जाता है।

मतलब यह कि यदि पानी में किसी नापाकी के गिरने की वजह से उसका रंग बिगड़ जाए या उसमें बू आने लगे या उसका मज़ा ख़राब हो जाए तो ऐसा पानी नापाक हो जाता है यदि बू या रंग या स्वाद पाक चीज़ के गिरने

से बदलेगा तो पानी नापाक न होगा बल्कि पाक रहेगा।

अधिक पानी की सीमा सही हदीसों में दो कुल्ले हैं। कुल्ला उस बड़े मटके को कहते हैं जो यमन के गांव हिज्र में बनाया जाता है तो दो कुल्ला अर्थात् अरब की पांच बड़ी-बड़ी मश्कों की मात्रा में यदि इतनी सी नापाकी की चीज़ गिर पड़े जो पानी का स्वाद, रंग या बू बदल दे तो पानी गन्दा और नापाक हो जाएगा और यदि कोई पलीद चीज़ किसी कुंए या कुल्लतीन की मात्रा या इससे अधिक मात्रा पानी में गिर पड़े और पानी का रंग, बू व स्वाद न बदले तो वह पलीद नहीं है। जब पानी कुल्लतीन से कम होगा तो वह नापाकी की एक बूंद पड़ने से भी पलीद हो जाएगा।

ठहरे हुए पानी में जान बूझकर पेशाब करना या नापाक कर डालना मना है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में पेशाब न करे। इसी तरह ठहरे हुए पानी में नापाक आदमी को गुस्ल करना जायज़ नहीं, हां यदि पानी के किनारे बैठकर पानी उठा उठाकर नहा ले तो जायज़ है। कुल्लतीन के हौज़ में यदि वुज़ू का पानी पड़ जाए तो हौज़ का पानी पलीद नहीं होता। (सहीहीन मिश्कात)

बिल्ली का झूठा पानी पाक है इससे वुज़ू करना जायज़ है सारे दरिंदो के झूठे पानी से वुज़ू जायज़ है। सिवाए कुत्ते के। (मुस्लिम मिश्कात)

2- बदन, कपड़े और मकान की पाकी

हज़रत सल्ल० ने फ़रमाया कि-

अत्तुहुरु निसफुल ईमानि

और फ़रमाया **अत्तुहरु शतरुल ईमानि**

(सहीहीन मुस्लिम व मिश्कात)

आदमी का पाक साफ़ रहना आधा ईमान है।

क़ुरआन शरीफ़ में पाक साफ़ और सुथरे लोगों की ख़ूबीयों बयान की गयी है-

इन्नल्लाहा युहिब्बुत्तव्वाबीना व युहिब्बुल मुत-तहहिरीना

खुदा बार-बार तौबा करने वालों और तहारत कामिला करने वालों को दोस्त रखता है

मालूम हुआ कि जो आदमी पाक नहीं रहता उसका ईमान कामिल नहीं होता और अल्लाह उसे दोस्त नहीं रखता।

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज़ है और नमाज़ की कुंजी पाकी है। (सहीहीन मिश्कात)

3- पाख़ाने व पेशाब के आदाब

प्राय: गन्दे पाख़ानों में जिन्न व शैतान रहते हैं। अत: जो आदमी पाख़ाने जाए उसे यह दुआ पढ़नी चाहिए।

"अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल ख़ुबुसि वल ख़बाइसि"

अर्थात्- खुदा मैं तेरे साथ नापाक जिन्नों और जिन्नियों से पनाह मांगता हूं।

पाखाने से निकलते समय यह दुआ पढ़े-

'अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नील अज़ा व आफ़ानी।'

सब प्रशंसा अल्लाह को है जिसने मुझसे यातना दूर की और सेहत प्रदान की।

पाख़ाने से निकलते समय यह दुआ भी आयी है-

'ग़ुफ़रानका' अर्थात्- ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूं।

पाखाना फिरते या पेशाब करते समय जंगल व रेगिस्तान में क़िब्ले की ओर मुंह करके या पीठ करके बैठना मना है मगर घर में या किसी चीज़ की आड़ में जायज़ है। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि कुछ काम के लिए मैं हज़रत हफ़सा रज़ि० के कोठे पर चढ़ा। मैंने देखा कि हज़रत क़िब्ला की ओर पीठ करके और शाम की ओर मुंह करके पाखाना कर रहे थे। दाएं हाथ से इस्तंजा करना और तीन ढेलों से कम के साथ इस्तंजा करना मना है लेकिन जब तीन ढेले न मिलें तो दो ही काफ़ी हैं। जहां तक हो सके ढेले ले लें या ढेले न लें तो कोई गुनाह नहीं।

गोबर, हड्डी, कोयला से इस्तंजा करना मना है क्योंकि ये तीनों चीज़ें जिन्नों की खूराक हैं यदि कोई आदमी इन तीनों चीज़ों का इस्तंजा करेगा तो पाकी हासिल न होगी। (अबूदाऊद)

आम रास्ते में और उस साए में जहां लोग आराम पाते हैं और नहाने की जगह पाख़ाना पेशाब करना हराम और लानत पड़ने का कारण है। (इब्ने माजा)

पानी के घाट पर गुस्ल करने के स्थान पर और किसी बिल व सूराख़ में पेशाब करना मना है (तिर्मिज़ी)

पेशाब करते समय दाएं हाथ से कपड़े को पकड़ना और बाएं हाथ से ढेले को लेना ठीक नहीं है। (बुखारी, मुस्लिम)

पाखाना करने के समय ज़मीन के निकट होने से पहले बदन को नंगा करना मना है। (तिर्मिज़ी)

नबी करीम सल्ल० जब पाखाना करने का इरादा करते तो जब तक

ज़मीन के निकट न होते कपड़ा न उठाते (अबूदाऊद, इब्ने माजा)

दो मर्द इसी तरह दो औरतें सतर खोलकर एक जगह पेशाब पाखाना करने के लिए न बैठें, न कोई किसी का सतर देखे न आपस में बातें करे क्योंकि इससे अल्लाह का प्रकोप टूटता है (मुस्लिम)

पाखाना करने के बाद यों तो केवल ढेले ही से तहारत हो जाती है मगर इसके बाद पानी से भी तहारत करना बेहतर है। (मिश्कात)

औरतों को छोटा इस्तंजा भी पानी से करना चाहिए ढेले लेते समय यदि हाथ गन्दगी में सन जाए तो हाथों को मिट्टी से मलकर धोना ज़रूरी है वर्ना मिट्टी से धोने की ज़रूरत नहीं। (अबूदाऊद)

क्योंकि नबी करीम सल्ल० ने एक बार पाखाने से निमट कर दोबारा हाथ धोए बिना खाना खा लिया। खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है। (मिश्कात)

नबी करीम सल्ल० ने एक कौम की कूड़ी पर खड़े होकर पेशाब किया था। ज़रूरत के समय किसी बर्तन आदि में पेशाब करना जायज़ है पाख़ाने के लिए दूर जाना चाहिए जहां कोई न देख सके। पेशाब व इस्तंजा करते हुए सलाम का जवाब देना या स्वयं सलाम करना मना है हां इस्तंजे से निमट कर वुज़ू या तयम्मुम करके जवाब दिया जाए। बेहतर बात यही है। लेकिन यदि वुज़ू व तयम्मुम के बिना भी कोई जवाब देदे तो जायज़ है। बिना ज़रूरत के खड़े होकर पेशाब करने की आदत न डालें। यदि किसी ऐसे अवसर पर पेशाब करने की ज़रूरत पड़े जहां छींटे आने का डर हो तो वहां खड़े होकर पेशाब कर लेना चाहिए।

जिस अंगूठी पर अल्लाह का नाम खुदा हो उसे पाखाने में ले जाना मना है। (अबूदाऊद)

जिस आदमी को पेशाब पाख़ाना की ज़रूरत हो वह पहले इनसे निमट

ले फिर नमाज़ पढ़े। (तिर्मिज़ी)

पेशाब के लिए नर्म जगह तलाश करना मसनून है तहारत में इतना पानी खर्च करें जिससे बेहतर तौर से तहारत हो सके। वसवसे से अधिक पानी खर्च करना मना है। जिसे बूंद-बूंद पेशाब आता हो उसे पानी से इस्तंजा करना ज़रूरी है इससे बूंद आना बन्द हो जाएगी। (अबूदाऊद मिश्कात)

पेशाब की बूंदों से बचने की बड़ी सावधानी बरतना चाहिए।
(मिश्कात)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० का दो क़ब्रों पर गुज़र हुआ जिनके मुरदे अज़ाब दिए जा रहे थे। नबी सल्ल० ने फ़रमाया ये दोनों किसी बड़े गुनाह के अपराधी नहीं है बल्कि इनमें एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा गुस्ल का चोर था। (बुख़ारी मिश्कात)

4- गन्दगी का पाक होना

मस्जिद में जब कोई पेशाब करदे तो एक डोल पानी बहा देने से वह जगह पाक हो जाती है। जैसा कि हज़रत अबूहुरैरह रज़ि० की एक रिवायत में है-

"क़ाला क़ामा आरा बिय्यु फ़बाला फ़िल मस्जिदी फ़-तना वलहुन्नासा फ़क़ाला लहुमुन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा दाअवु व हरीकु अला बवलिहि सिज-लम्मिम्मा इन अब ज़नूबन मिम्माइन० (अबू दाऊद, इब्ने माजा)

एक बद्दू ने मस्जिद में खड़े होकर पेशाब कर दिया। लोग उसकी ओर झपटे तो नबी सल्ल० ने फ़रमाया, इसे छोड़ दो और पेशाब पर एक डोल पानी बहा दो।

जूतों में यदि गन्दगी लग जाए तो पाक ज़मीन पर रगड़ने से पाक

हो जाते हैं। (अहमद, तिर्मिज़ी)

नापाक और गन्दे स्थान पर चलने से यदि औरत का दामन नापाक हो जाए तो पाक मिट्टी पर चलने से पाक हो जाता है। (तिर्मिज़ी)

नंगे पांव मस्जिद में चले जाना गुनाह नहीं है जबकि पांव गन्दगी से पाक हों। दूध पीता बच्चा जो अभी तक खाना न खाता हो यदि कपड़ों पर पेशाब कर दे तो धर्मशास्त्रियों ने उस कपड़े को धोने का कष्ट नहीं दिया है बल्कि केवल पानी छिड़क देने से कपड़ा पाक हो जाएगा मगर लड़की का पेशाब बिना धोए पाक नहीं होता। कपड़े पर यदि गन्दगी लग जाए और धोने से निशान न जाए तो कोई बात नहीं बच्चे या उसकी मां को बीमारी का डर हो तो बच्चे के पेशाब लग जाने से बदन का धोना ज़रूरी नहीं (मिश्कात)

जो कपड़ा मासिक धर्म के खून से सना हो, पहले उसे खुरचे फिर पानी से मलकर धोएं मज़ी के निकलने से वुज़ू टूट जाता है इस समय कपड़ा भी धोना होगा और वुज़ू भी करना होगा। (मिश्कात)

शराब का सिरका बनाना और सोने चांदी के बरतनों में खाना हराम है क्योंकि यह बर्तन दुनिया में काफ़िरों और आखिरत में मुसलमानों के लिए हैं। (बुखारी मुस्लिम)

जो आदमी सोने व चांदी के बर्तन में खाता पीता है वह अपने पेट में जहन्नुम की आग भरता है हां टूटे हुए बरतन को चांदी के तार से जोड़ना ठीक है। यदि किसी बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो उसे मिट्टी से पहली बार मांजना और छः बार पानी से धोना चाहिए। पाक जूता पहन कर नमाज़ पढ़ना जायज़ है मुरदार जानवरों का चमड़ा साफ़ होने के बाद पाक हो जाता है आदमी के शरीर या कपड़े को कुत्ते की राल लग जाए या इन्सान के पेशाब व पाख़ाने या शराब या कुत्ते के पाख़ाने से शरीर कपड़ा सन जाए या कपड़े पर मनी या मज़ी लग जाए तो वह जगह और कपड़ा धोकर पाक करना होगा।

(बुखारी मुस्लिम)

सुअर की चर्बी और उसके समस्त अंश नापाक हैं उसकी किसी भी चीज़ से लाभ उठाना हराम है। जो लोग गाय, भैंस, बकरी आदि जानवर रखते हैं प्राय: उनके कपड़े गोबर व उनके पेशाब की छींटों से बच नहीं पाते और वे इस कारण नमाज़ छोड़ देते हैं उन्हें चाहिए जहां तक हो सके इन जानवरों के गोबर व पेशाब से बचें और इस कारण नमाज़ न छोड़े क्योंकि यदि इन छीटों को बिना धोए भी नमाज़ पढ़ लेंगे तो उनकी नमाज़ हो जाएगी। इसलिए कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके पेशाब में कोई हरज नहीं। (बुखारी शरीफ़)

5- गुस्ले जनाबत

"क़ालल्लाहु तआला व इन कुन्तुम जुनुबन फ़त्तहहरु"

मुसलमानों! यदि तुम जनबी (नापाक) हो तो गुस्ल करके पाक हो जाओ। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जब मर्द औरत से सम्भोग करता है तो दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है चाहे खारिज हो न हो

हदीस के शब्द हैं-

क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम इज़ा ज-ल-सा अ-ह-दुकुम बयना शुइबहा अल अर्ब आ सुम्मा ज-ह-दहा फ़कद व-जबल गुस्लु व इल्लम युन्ज़िलु मुत्तफ़कुन अलयहि। (तिर्मिज़ी, अबूदाऊद)

जो आदमी सो कर उठे और कपड़े पर मनी पाए उसपर गुस्ल वाजिब हो जाता है सपना याद हो या न हो। जो आदमी सपने में देखे कि मैंने सम्भोग किया है और गीलेपन को न पाए उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। इसमें मर्द औरत का एक ही हुक्म है।

जनबी औरत के बचे हुए पानी से यद्यपि मर्द को गुस्ल करना वाजिब

है लेकिन बेहतर यही है कि उस पानी से गुस्ल न करे (अबूदाऊद)

जनाबत की हालत में मर्द व औरत को एक ही बर्तन से पानी लेकर नहाना सही है। मर्द को गुस्ल करने के बाद जनबी औरत के साथ सोना और उसके बदन से बदन लगाना जायज़ है क्योंकि जनबी औरत का बदन साफ़ सुथरा है। जनबी यदि कुछ खाए या सोने का इरादा करे तो सतर धोए फिर नमाज़ जैसा वुज़ू करे लेकिन यदि खाने के लिए केवल हाथ धोए तो काफ़ी होगा।

(इब्ने माजा, तिर्मिज़ी अबूदाऊद)

नबी करीम सल्ल० फ़रमाते हैं कि जिस घर में तस्वीर या जनबी या कुत्ता हो वहां रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। मुश्रिक के दफ़्न करने से गुस्ल वाजिब है। (नसई)

गुस्ल का हाल हज़रत मैमूना की हदीस से अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। आपने नबी सल्ल० के गुस्ल के लिए पानी रखा और कपड़े से पर्दा किया। आपने पहले दोनों हाथ तीन बार धोए फिर दाएं हाथ से बाएं पर पानी डाल कर सतर व रानों को धोया फिर दोनों हाथों को ज़मीन पर रगड़ कर धोया और नमाज़ जैसा वुजु करके तीन बार पानी बहाया। इसके बाद सारे शरीर पर पानी डाला और अलग होकर दोनों पांव मुबारक धोए। बीबी साहिबा बदन साफ़ करने के लिए क़पड़ा देने लगीं तो आपने नहीं लिया।

(बुखारी, मिश्कात)

इस हदीस से गुस्ल का तरीक़ा व हाल मालूम हो गया। गुस्ल के दौरान यद्रि पूरा गुस्ल कर लिया है तो गुस्ल के बाद फ़िर नए वुज़ू की ज़रूरत नहीं रहती हां यदी सतर को हाथ लग गया है तो नया वुज़ू कर लें।

जब किसी ने एक ही समय में कई औरतों से या एक ही औरत से कई बार सम्भोग किया हो तो उसे एक ही गुस्ल काफ़ी है लेकिन हर सोहबत

के बीच में वुज़ू कर लेना बेहतर है। (अबू दाऊद, मिश्कात)

जनबी ने यदि गुस्ल से पहले सर धोया और फिर सर पर पानी डाला तो कोई बात नहीं। सर को अच्छी तरह धोना सुन्नत है। गुस्ल करते समय यदि जनबी का एक बाल भी सूखा रह जाएगा तो यह गुस्ल काफ़ी न होगा और इस कारण आग में डाला जाएगा। इसी वजह से हज़रत अली अपने बाल मुंडवाया करते थे। गुस्ल करते समय यदि जनबी का कुछ बदन सूखा रह जाए और नमाज़ से पहले अपना भीगा हाथ उसपर फेर दे तो काफ़ी है। जनबी औरत को गुस्ल के समय बालों को खोलना ज़रूरी नहीं बल्कि बालों की जड़ों को तर कर लेना और तीन बार पानी सर पर डाल लेना काफ़ी है। जनबी को अल्लाह का ज़िक्र करना सही है लेकिन क़ुरआन शरीफ़ का पढ़ना या उसे हाथ लगाना, मस्जिद में जाना, काबे का तवाफ़ करना, किसी को क़ुरआन मजीद का सबक़ पढ़ाना नाजायज़ है मगर क़ुरआन को हाथ न लगे, हां क़ुरआन शरीफ़ के जुज़दान का फ़ीता पकड़ कर उठाने में कोई बात नहीं। जब गुस्ल के लिए पर्याप्त पानी हो तो गन्दगी की जगह को धो डाले फिर पानी बचे तो वुज़ू भी कर ले वर्ना वुज़ू व गुस्ल के बदले तयम्मुम काफ़ी है। (इब्ने माजा, मुस्लिम, मिश्कात)

जनबी से मुसाफ़ह करना सही है। औरत को हैज़ व निफ़ास से निमटने के बाद और किसी आदमी का इस्लाम लाते समय और जुमा व ईदैन की नमाज़ के लिए, हज व उमरे का एहराम बांधते और काबा शरीफ़ में दाखिल होते समय और सोहबत के बाद मर्द व औरत को गुस्ल करना क़ुरआन व हदीस से साबित है। मैदान में बिना लुंगी के नंगे नहाना हराम है अलबत्ता गुस्लखाने में या आड़ में नंगा नहाने में कोई बात नहीं। गुस्ल करते समय कुछ पढ़ना नबी करीम सल्ल० से साबित नहीं। यदि कोई बीमारी की हालत में जनबी हो और पानी से नुक़्सान पहुंचने का डर हो तो तयम्मुम से नमाज़ पढ़े और किसी तरह का वसवसा न करे। (तिर्मिज़ी, मिश्कात, बुखारी)

यदि सर में फ़ोड़ा हो और सारा शरीर ठीक हो तो सर का मसह कर ले और सारे शरीर को पानी से धो डाले। यदि पांव में फोड़ा या घाव हो तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े'। ऐसे अवसरों पर हीले बहाने करके नमाज़ छोड़ देना बुरा है। अल्लाह के रसूल ने दीन में बड़ी आसानी रखी है इसपर भी किसी प्रकार का बहाना करके नमाज़ छोड़ देना बड़ी बद नसीबी की बात है। एक ही नीयत से वुज़ू व गुस्ल करना और दोनों के लिए तयम्मुम करना ठीक है गुस्ल में लगभग चार या पांच सेर पानी से अधिक खर्च न करें, बेहतर यही है।

6- मासिक धर्म के मसाइल

मासिक धर्म के लिए कम या ज्यादा दिनों की अवधि शरीअत में स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है लेकिन आम तौर पर इसकी अवधि अधिक से अधिक दस दिन और कम से कम एक या दो दिन है। मासिक धर्म की असल अवधि हर औरत के लिए उसकी मामूली आदत है और जब ऐसा है तो हर औरत को हर हालत में अपनी आदत के अनुसार काम करना चाहिए। यदि आदत से ज़्यादा खून आए तो वे दिन मासिक धर्म में नहीं बल्कि बीमारी में गिने जाएंगे और ऐसी औरत को 'मुस्तहाज़ा' कहेंगे।

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि महीने वाली औरत को नमाज़ रोज़ा मना है अर्थात् जब तक खून आता रहेगा तो नमाज़ नहीं पढ़ेंगी और जब खून बन्द हो जाए तो उसी समय गुस्ल करके नमाज़ पढ़े यदि रमज़ान है तो रोज़ा रखे। (तिर्मिज़ी)

मासिक धर्म में जितने रोज़े छोड़े वह बाद में उनकी क़ज़ा रखें लेकिन नमाज़ की क़ज़ा नहीं। पाक होकर जब औरत गुस्ल करने लगे तो पानी में थोड़ा नमक डाल ले। ऐसी औरत के साथ सम्भोग के अलावा और सब काम

जायज़ हैं।

हज़रत मुहम्मद सल्ल० फ़रमाते हैं- **'इसनऊ कुल्ला शयइन इल्लन्निकाहा'** जो आदमी हलाल जानकर मासिक धर्म की हालत में सम्भोग करेगा काफ़िर हो जाएगा। हां यदि हराम जानकर ऐसा करेगा तो कबीरा गुनाह करेगा और उसपर कुछ ख़ैरात करना वाजिब होगा (मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

यदि इस हालत में सम्भोग किया है कि सुर्ख खून आ रहा है तो एक दीनार का सदक़ा देना पड़ेगा और यदि खून ज़र्द आने की हालत में सोहबत की है तो आधा दीनार। एक दीनार का वज़न साढ़े तीन माशा सोना होता है।

हैज़ वाली औरत को मामूली आदत के बाद यदि ज़र्द या खाकी रंग का पानी आए तो वह मासिक धर्म नहीं है। मासिक धर्म जिसे आए उसे क़ुरआन पढ़ना और हाथ लगाना भी मना है मगर यह हदीस कमज़ोर है। हज़रत इमाम बुख़ारी रहिम० ने मासिक धर्म वाली औरत को क़ुरआन पढ़ने की इजाज़त दी है बशर्ते कि वह ज़बानी पढ़े। सही बुख़ारी में इस मसले पर इमाम बुख़ारी ने बड़ी बहस की है। मर्द को अपनी बीवी के बदन से बदन लगाना जायज़ है। मासिक धर्म वाली औरत की गोद में सर रख कर क़ुरआन पढ़ना भी ठीक है मर्द को आधी चादर अपनी बीवी को उढ़ाकर और आधी स्वयं ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना भी ठीक है। ऐसी औरत का मस्जिद में जाना, काबा का तवाफ़ करना मना है हां यदि मस्ज़िद के बाहर से हाथ बढ़ाकर मस्जिद से कोई चीज़ उठा ले तो जायज़ है। (तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, मुस्लिम, मिश्कात)

ऐसी औरत जिस जगह अपना मुंह रखकर कोई चीज़ खाए पिए उस जगह मुंह लगाकर उसके पति को खाना पीना जायज़ है। ऐसी औरत के कपड़े को यदि खून लग जाए तो पहले पानी डालकर लकड़ी से खुरचे फिर बेरी के पत्तों और पानी से धो डाले। ऐसी औरत ईद के दिन मुसलमानों के साथ दुआ

में शरीक हो सकती है लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ सकती है। (मुस्लिम, मिश्कात, तिर्मिज़ी, बुख़ारी)

7- निफ़ास के मसाइल

निफ़ास की ज़्यादा से ज़्यादा अवधि 40 दिन है और कम का कोई अन्दाज़ा नहीं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० फ़रमाती हैं-

कानतिन्नु फ़-साऊ यजलिसना अला अहदि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा अर-ब ओना यवमन०

"इसमें भी नमाज़ पढ़नी, रोज़ा रखना, क़ुरआन पढ़ना, पढ़ाना उसे हाथ लगाना, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, मस्जिद में जाना मना है और मर्द को इस हालत में सोहबत करना भी हराम है। (अबूदाऊद मिश्कात)

निफ़ास में भी नमाज़ की क़ज़ा नहीं मगर रोज़ों की क़ज़ा है। बच्चा पैदा होने के बाद जब औरतें पाक साफ़ हो जाएं गुस्ल करके नमाज़ पढ़ें। जिन औरतों को उनके मामूली दिनों से ख़ून अधिक आ जाए तो वे हर दिन में एक बार गुस्ल कर लिया करें और हर समय की नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू करें। यह गुस्ल केवल सावधानी के लिए है फ़र्ज़ नहीं है। (अबूदाऊद)

8- इस्तिहाज़ा

जब औरत मासिक धर्म के अलावा कोई और ख़ून देखे तो वह मुस्तहाज़ा है। मुस्तहाज़ा पाक औरत की तरह है। मुस्तहाज़ा औरतें हर महीने में छः या सात दिन या अपने लगे बंधे दिनों मासिक धर्म तक नमाज़ रोज़ा आदि समस्त कामों से बाज़ रहें जो हैज़ वाली को मना है इसके बाद गुस्ल करके नमाज़ पढ़े और नमाज़ के लिए नया वुज़ू कर लिया करें। (तिर्मिज़ी)

कुछ रिवायतों में यों भी आया है कि मुस्तहाज़ा हर दिन तीन बार गुस्ल करके एक गुस्ल से ज़ुहर व अस्र को जमा करके पढ़े और एक गुस्ल से मग़रिब व इशा की नमाज़ें जमा करके पढ़े और एक से फ़ज्र की नमाज़। मुस्तहाज़ा से सम्भोग करना जायज़ है। मुस्तहाज़ा की हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का उल्लेख भी मिलता है (तिर्मिज़ी)

हदीसे आयशा में आया है कि-

अन्ना उम्मा हबीबता बिन्ता जहशिल्लती कानत तहता अबदिर्रहमानि बिन अवफ़ि शकत इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा अद्दमा फ़क़ाला लहा उमकुसी क़दरा मा कानत तजीउकी हयज़तुकि सुम्मग़ तसिली फ़कानत तग़तसिलु इन्दा कुल्ली सलाति रवाहु मुस्लिमुन॰ (बुखारी मुस्लिम)

उम्मे हबीबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की बीवी ने इस्तिहाज़ा की शिकायत की। इस पर हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया ठहर जाओ इतने दिन जितने कि मासिक धर्म का खून आता है फिर गुस्ल करके नमाज़ शुरु कर दो।

9- मासिक धर्म व निफ़ास वाली औरतों का गुस्ल

जब औरत मासिक धर्म व निफ़ास से निमट जाए तो उसपर तुरन्त गुस्ल वाजिब हो जाता है यदि शरीर बाल बराबर भी सूखा रहेगा तो गुस्ल सही न होगा और वही हिस्सा जहन्नुम में जलेगा। मासिक धर्म व निफ़ास के गुस्ल की वही कैफ़ियत है जो गुस्ल जनाबत में बयान की गयी है। मासिक धर्म व निफ़ास वाली औरतें यदि बीमारी या किसी अन्य कारण से गुस्ल न कर सकें और नहाने से नुक़्सान पहुंचने का ख़तरा हो तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें और जब तक वह मजबूरी बाक़ी रहे गुस्ल न करें। बच्चों को दूध पिलाने वालियां यदि उन्हें मालूम है कि सर्दी में ठंडे या गर्म पानी से भी गुस्ल करेंगी

तो भी बच्चा बीमार पड़ जाएगा और इस बात का उन्हें पहले भी वास्ता पड़ चुका है तो वे भी तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें और दिन में गर्म पानी से गुस्ल कर लें।

10- वुज़ू और गुस्ल में कितना पानी होना चाहिए?

गुस्ल के लिए एक साअ (लगभग एक घड़ा) और वुज़ू के वास्ते एक लोटा पानी काफ़ी है लेकिन उलेमा की इस बात पर सहमति है कि वुज़ू और गुस्ल के लिए पानी की कोई मात्रा मुक़र्रर नहीं। पानी चाहे थोड़ हो या बहुत जिसमें वुज़ू और गुस्ल हो जाए वही काफ़ी है। वुज़ू और गुस्ल में शरीर के सभी अंगों पर पानी बहना काफ़ी है। (बुखारी मिश्कात-40)

11- मसनून गुस्ल

जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है। सींगी लगवाने और मुर्दे के नहलाने से गुस्ल करना मुस्तहब है। जो आदमी इस्लाम लाया हो उसे गुस्ल करना और बेरी के पत्ते डाल लेना मसनून है। ईदुल फ़ितर व ईदुल अज़हा के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। हज और उमरा का एहराम बांधते समय और बैतुल्लाह में दाखिल होते समय गुस्ल करना अफ़ज़ल है। हर हफ़्ते में एक दिन मुसलमान को चाहिए कि अपना सर और सारा बदन गुस्ल करके साफ़ कर ले। (बुखारी मुस्लिम मोता इमाम मालिक)

12- मा.ज़ूरों का गुस्ल

क़ालल्लाहु तआला युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा

"मुसलमानों! अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है मुश्किल

में डालना नहीं चाहता।" स्वस्थ लोगों को जब रात के समय सर्दी में गुस्ल की ज़रूरत हो और उन्हें निश्चय ही इस बात का डर हो कि ठंडे पानी से यदि गुस्ल करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, उन्हें गर्म पानी से नहाना चाहिए। यदि उस समय गर्म पानी न मिले तो सुबह की नमाज़ तयम्मुम से पढ़ें और दिन चढ़े धूप में गुस्ल करें।

यदि बीमार आदमी को डर हो कि रात का नहाना नुक़्सान देगा या मौजूदा बीमारी बढ़ जाएगी तो दिन को नहा ले। यदि दिन को भी गुस्ल करने से रोग के बढ़ जाने का डर हो तो दिन रात में तयम्मुम से नमाज़ पढ़ लिया करे और जब बीमारी और जान का डर जाता रहे तो गुस्ल करके नमाज़ पढ़े। यदि इस हालत में वुज़ू से बीमारी के बढ़ने का खतरा न हो तो हर वक़्त वुज़ू किया करे। यदि मुसाफ़िर सफ़र में गर्म पानी न पाए और ठंडे पानी से नुक़्सान का डर हो तो भी वह तयम्मुम करके मसले पर अमल करे। स्वस्थ आदमी को जब बीमारी का डर न हो और वह केवल ठंडक से जी चुराता हो उसके लिए तय्यमुम करना जायज़ नहीं। बिना गुस्ल व वुज़ू उसकी नमाज़ नहीं होगी उसे चाहिए कि अल्लाह से डरकर वुज़ू व गुस्ल करके नमाज़ पढ़े।

(अबूदाऊद-65)

जिस आदमी के कुछ अंगों को पानी नुक़्सान दे तो वह उन पर मसह करे और शेष बदन को पानी से धो डाले और नमाज़ पढ़े। जुकाम की हालत में यदि पानी की वजह से रोग के बढ़ जाने का खतरा हो तो सर पर मसह करें और शेष हिस्से को धो डालें। अल्लाह का फ़र्ज़ सर से उतर जाएगा। यदि घाव पर पट्टी बंधी हो और खोलने से किसी तरह का खतरा हो तो पट्टी खोलने की ज़रूरत नहीं केवल उसपर मसह करना और शेष हिस्से को धो डालना काफ़ी है।

जिस आदमी की हवा आप से आप निकल जाती हो या पेशाब की

बूंदे हर समय टपकती रहती हों और नमाज़ के एक समय में कई बार उसे यह परेशानी होती हो तो इस प्रकार के रोगियों को हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू कर लेना काफ़ी होगा और एक समय की नमाज़ तक उनका वही वुज़ू सही समझा जाएगा। जब तक उन्हें यह मजबूरी रहेगी उस समय तक उनका कपड़ा भी पाक साफ़ ही समझा जाएगा।

जो लोग इन मामूली से कारणों से नमाज़ छोड़ देते हैं और अल्लाह के अज़ाब से नहीं डरते वे बहुत बुरा करते हैं।

एक औरत ने नबी सल्ल० से अपने पति की शिकायत की कि वह सुबह की नमाज़ सूरज निकलने पर पढ़ता है आपने उसके पति से पूछा। उसने कहा, 'हज़रत लोगों का कायदा है कि रात को खेतों में पानी देते हैं और काफ़ी रात तक मेहनत में लगे रहते हैं सुबह को कभी-कभी आंख नहीं खुलती और नमाज़ में देर हो जाती है। फ़रमाया 'जब भी तेरी आंख खुले तुरन्त नमाज़ पढ़ लिया कर।'

(अबूदाऊद इब्ने माजा)

किताबुस्सलात

1- नमाज़ और नमाज़ियों का ऊंचा दर्जा

क़ालल्लाहु तआला इन्नस्सलाता तनहा अनिल फ़हशाई वल मुन्करि॰ (पारा-21 रु-1)

नमाज़ बेहयाई और बुरी बात से मनां करती है और फ़रमाया-

"अकिमिस्सलाता लिज़िकरी"

मेरी याद के लिए नमाज़ क़ायम रख।

नमाज़ इस्लाम का दूसरा रुक्न है अतएव नबी करीम सल्ल॰ फ़रमाते हैं कि इस्लाम पांच चीज़ों पर बनाया गया है अर्थात् उसके पांच रुक्न हैं। एक गवाहियों का इक़रार, दूसरे नमाज़ कायम करना, तीसरे ज़कात देना, चौथे रमज़ान के रोज़े रखना और पांचवा बैतुल्लाह का हज करना।

हदीस अबू हुरैरह में आया है कि नबी करीम सल्ल॰ ने फ़रमाया "भला देखो तो यदि किसी के दरवाज़े पर एक नहर हर समय जारी हो और वह आदमी रोज़ाना पांचों समय नहर में नहाता हो तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया "नहीं। फ़रमाया "पांचों समय की नमाज़ों की यह मिसाल है कि इन नमाज़ों की बरकत से नमाज़ियों को अल्लाह तआला गुनाहों के मैल से साफ़ और सुथरा कर देता है।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 4)

एक और रिवायत में यों आया है कि पांचों नमाज़ें और एक दूसरे जुमे की नमाज़ तक उन गुनाहों का प्रायश्चित है जो इस बीच में आदमी से होते हैं जब तक कि बड़े गुनाहों का शिकार न हो। (बुखारी मुस्लिम)

मालूम हुआ कि कबीरा गुनाहों की तौबा ज़रूरी है छोटे गुनाह तो पांच समय की नमाज़ और जुमे की नमाज़ से मिटते रहते हैं चाहे तौबा करे या न करे। मतलब यह कि तौबा करना बेहतर है मगर बड़े गुनाहों के लिए तौबा करना वाजिब है।

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि एक फ़रिश्ता हर नमाज़ के समय पुकारता है कि लोगों! उठो जो आग तुमने जहन्नुम में जलायी है उसे बुझाओ। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात-49)

एक और रिवायत में आया है कि जब नमाज़ का समय आता है तो एक फ़रिश्ता ऊंची आवाज़ से कहता है ऐ बनी आदम! उठो और अपने नफ़्सों से गुनाहों को हटाओ तो उठो और पाक हो जाओ और नमाज़ जुहर पढ़ो। तुम्हारे वे गुनाह बख्शे जाएंगे जो नमाज़ जुहर और सुबह के बीच तुम से हुए हैं फिर जब नमाज़ अस्र का समय आता है तो फ़रिश्ता उसी प्रकार पुकारता है और जब मग़रिब व इशा का समय आता है तब भी फ़रिश्ता उसी प्रकार पुकारता है। तो नमाज़ी भलाई में दाखिल होता है अर्थात् जन्नत में जाने के योग्य हो जाता है और जहन्नुम के अज़ाब से दूर हो जाता है। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात-49)

एक आदमी ने नबी करीम सल्ल० की सेवा में हाज़िर होकर कहा कि हज़रत मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं और आप अल्लाह के सच्चे पैग़म्बर हैं मैं पांचों समय नमाज़ अदा करता हूं ज़कात देता हूं रमज़ान के रोज़े रखता हूं और रमज़ान की रातों में नमाज़ के लिए जागता हूं फ़रमाइए कि मैं किन लोगों में गिना जाऊंगा फ़रमाया सिद्दीक़ों व शहीदों में। (तर्गीब-72)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि जिस समय मुसलमान नमाज़ पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके सर पर उठाए जाते हैं लेकिन जब सजदा

करता है तो सर से गुनाह गिर जाते हैं और जब नमाज़ पढ़ चुकता है तो उसके सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं (तर्ग़ीब-77)

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि० ने नबी करीम सल्ल० से पूछा था कि कौन सा अमल जन्नत से अधिक निकट कर देता है फ़रमाया कि समय पर नमाज़ पढ़ना और फ़रमाया कि जिसने पांच समय की नमाज़ों की पाबन्दी की और अपने पैग़म्बर के तरीक़े पर चला और नमाज़ के समय को अपनी निगाह में रखा और जाना कि ये सारे काम हक़ हैं वह जन्नत में दाखिल होगा। (तर्ग़ीब-77)

नबी करीम सल्ल० ने पेड़ की एक टहनी हाथ में लेकर हिलायी जिसके पत्ते हाथ की हरकत से हिलने लगे आपने हज़रत सलमान रज़ि० की ओर देखकर फ़रमाया 'तुम जानते हो यह काम मैंने किस लिए किया? सलमान रज़ि० ने कहा 'अल्लाह के रूसल आप ही फ़रमाइए- फ़रमाया इन्सान जिस समस अच्छी तरह वुज़ू करता है अर्थात् सुन्नत के अनुसार वुज़ू करके पांचों नमाज़ें अदा करता है तो उसके गुनाह इसी प्रकार झड़ जाते हैं जिस प्रकार इस टहनी के पत्ते झड़े हैं। (मुस्लिम-193)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने चला फिर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी तो उसके वे सारे गुनाह बख्शे जाते हैं जो उससे इन नमाज़ों के बीच हुए हैं।

(मुसनद अहमद तर्गीब 50)

जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह की हदीस में आया है कि जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी वह अल्लाह के ज़िम्मे है कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह अपने ज़िम्मे की बाबत तुम्हें तलब कर ले कि तुम्हें मुंह के बल जहन्नुम में डाले।

(नसई तर्ग़ीब-77)

हज़रत ने फ़रमाया, "पांच चीज़ें ऐसी हैं कि जो कोई उन्हें ईमान

की रूह से बजा लाएगा जन्नत में दाखिल होगा एक वह आदमी जिसने पांचों समय की नमाज़ों पर वुज़ू, रुकू व सज्दों के साथ रक्षा की। दूसरा वह जिसने रमज़ान के रोज़े रखे।'तीसरा वह आदमी जिसने हज अदा किया यदि उसका बोझ सहार सका। चौथा वह जिसने खुशी खुशी ज़कात दी। पांचवा वह जिसने अमानत अदा की। पूछा अमानत का अदा करना क्या? फ़रमाया नापाकी से नहाना अल्लाह ने इसके सिवा बनी आदम पर किसी चीज़ की अमानत नहीं रखी अर्थात् अल्लाह के हक़ों में बड़ी अमानत यही है कि जब स्वप्नदोष हो या मर्द औरत से सम्भोग करे तो दोनों गुस्ल करें नापाक न रहें वर्ना अल्लाह की अमानत के बेईमान ठहरेंगे। (इब्ने खज़ीमा तर्ग़ीब 65)

क़बीला कुजाअ के दो आदमी इस्लाम में दाखिल हुए। उनमें एक तो नबी करीम सल्ल० के सामने शहीद हो गया। दूसरा साल भर जिन्दा रहा। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं मैंने सपने में देखा कि पिछला शहीद से पहले जन्नत में गया। मुझे बड़ी हैरत हुई मैंने हज़रत से ज़िक्र किया फ़रमाया क़्या उसने शहीद के बाद रमज़ान के रोज़े नहीं रखे? साल भर की छ: हज़ार रकअत नमाज़ नहीं पढ़ी? दूसरी रिवायत में है कि इन दोनों में ज़मीन व आसमान जैसा अन्तर है।

मालूम हुआ कि जिसकी इबादत अधिक होती है उसका सवाब भी अधिक होता है। बड़ी उम्र का होने का एक यही फ़ायदा है कि इबादंत ज़्यादा हो। उस पर अफ़सोस है जिसकी उम्र घटती और गुनाह बढ़ते हैं। नबी सल्ल० ने फ़रमाया, नमाज़ जन्नत की कुन्जी है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल बन्दे से क़ियामंत के दिन होगा वह नमाज़ है। यदि यह ठीक निकली तो सारे आमाल ठीक रहेंगे वर्ना नहीं। सच है।

(मुसनद इमाम अहमद मिश्कात 31)

2- बे नमाज़ी, मुश्रिक और जहन्नुम का अज़ाब

क़ालल्लाहु तआला व अक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुश्रिकीन० (पारा 21)

"मुसलमानो! नमाज़ क़ायम रखो और मुश्रिक न बनो"

नमाज़ दीन का स्तम्भ है जिसने इसे क़ायम रखा उसने दीन को क़ायम रखा और जिसने इसे ढा दिया उसने दीन को ढा दिया। जो लोग जानबूझकर काम काज में यहां तक व्यस्त रहते हैं कि नमाज़ का समय निकल जाता है और नमाज़ नहीं पढ़ते। वे हदीस के अनुसार काफ़िर हो जाते हैं। यदि तौबा न करेंगे तो क़त्ल के अधिकारी होंगे। जब एक समय की नमाज़ का छोड़ना कुफ़्र करने जैसा है तो फिर जो लोग कभी-कभी नमाज़ पढ़ते हैं और अधिकांश नमाज़ें चट कर जाते हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ते वे तो हदीस के अनुसार निश्चय ही काफ़िर ठहरेंगे। (बुख़ारी मुस्लिम-34)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि मुसलमान और शिर्क व कुफ़्र के बीच केवल नमाज़ का फ़र्क़ है। यहां इससे साफ़ हो गया कि जिसने नमाज़ अदा की वह मुसलमान है नहीं तो मुश्रिक व काफ़िर है। एक हदीस में आया है कि जिसने नमाज़ छोड़ दी काफ़िर हो गया। (तिर्मिज़ी, अबूदाऊद)

हदीस इब्ने उमर में आया है कि जिसने नमाज़ की रक्षा की क़ियामत के दिन उसके लिए नूर और दलील और नजात और जन्नत में दाखिले का ज़रिया होगा और जिसने नमाज़ की रक्षा न की उसके लिए न नूर होगा न वह दलील नजात होगी और न माफ़ी व बख़्शिश। वह आदमी क़ियामत के दिन क़ारून, फ़िरऔन, हामान और उबी बिन ख़ल्फ़ के साथ होगा। स्पष्ट है कि ये लोग हक़ीक़ी काफ़िर थे इनके साथ वही होगा जो काफ़िर होगा।

(अहमद दारमी बहैक़ी मिश्कात-50)

इससे मालूम होता है कि नमाज़ की रक्षा न करने वाला काफ़िर है।

रक्षा का शब्द इस बात को चाहता है कि अच्छी तरह वुज़ू करके हमेशा नमाज़ पर क़ायम रहे। यदि कभी पढ़ी कभी न पढ़ी या समय टाल कर पढ़ी जैसे कप्टाच ी पढ़ते हैं या दिखाने सुनाने के लिए पढ़ी तो नमाज़ की रक्षा न होगी और जब रक्षा ही न हुई तो (अल्लाह माफ़ करे) वही कुफ़्र का हुक्म बाक़ी रहा। प्राय: मर्द औरतें इस बात में कोताही करते हैं और जो लोग पांच समय की नमाज़ें गिर पड़कर पढ़ते हैं तो उनकी नमाज़ में सैकड़ों प्रकार की ख़राबी रहती है मुसलमान को चाहिए कि जिस प्रकार नबी करीम सल्ल० ने नमाज़ पढ़ी है उसी तरह दिल की लगन व शौक़ के साथ हमेशा पढ़ा करें कभी नमाज़ न छोड़े।

नमाज़ छोड़ने वालों के लिए कितने बड़े खतरे की बात है कि उनका हश्र क़ारून, फ़िरऔन व हामान के साथ होगा। ये तीनों काफ़िर हज़रत मूसा अलैहि० के जानी दुश्मन थे और उबी बिन ख़ल्फ़ हमारे पैग़म्बर सल्ल० से दुश्मनी रखता था। जंगे उहद में खास नबी करीम सल्ल० के हाथ से यह मारा गया।

लोगों! यह बड़ी ही खतरनाक बात है ग़फ़लत की नींद से जागो, देखो दुनिया का जीवन अस्थायी है एक दिन अवश्य मरना है और अल्लाह के दरबार में हाज़िर होना है वहां जब अपने करतूत की सज़ा देखोगे तो सख़्त लज्जित होगे सर पीटोगे और दहाड़े मार-मार कर रोओगे। वहां अपने नेक आमाल के सिवा और कोई नजात का सहारा न पाओगे। यदि नमाज़ में खलल निकला तो सारी नेकियां अकारत और गयी गुज़री हो जाएंगी। कितने दुख की बात है कि इन्सान कलिमे को अदा करके भी शेख़, मुग़ल पठान, सय्यद कहलाकर काफ़िरों के साथ जहन्नुम में अज़ाब भुंगते और तरह-तरह की ज़िल्लत व रुसवाई देखे। अभी समय बाक़ी है उसकी क़द्र करो यह गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आएगा।

अल्लाह से डरो और अपने मालिक की इबादत करो अपने पैग़म्बर के हुक्म पर चलने के लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह के रसूल की आज्ञा पर गर्दन झुका दो।

नबी सल्ल० के सहाबा नमाज़ के सिवा किसी अमल के छोड़ देने को कुफ़्र न समझते थे। नमाज़ छोड़ देने से सख़्त मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जहन्नुम का दर्दनाक अज़ाब और जान का अज़ाब सहना पड़ेगा। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से सत्तर गुना अधिक तेज़ है जिसे अल्लाह ने तीन हज़ार साल तक दहकाया है यदि जहन्नुम की आग की एक चिन्गारी दुनिया में आ जाए तो सातों ज़मीनों को और जो इनके बीच है सबको जलाकर भस्म कर डाले।

(तिर्मिज़ी, बुख़ारी मुस्लिम मिश्कात 494-495)

जहन्नुम की सख़्ती व तेज़ी का हाल क़ुरआन में इस प्रकार बयान किया गया है-

या अय्युहल्लज़ीना आमनू .क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारवं वक़ूदुहन्नासु वलहिजारतु अलयहा मलाइकतुन ग़िलाजुन शिदादुल ला या असूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यूमरूना० (सूर: तहरीम रुकू-1)

मुसलमानो! अपने आपको व अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी व पत्थर हैं उसके पहरेदार फ़रिश्ते बड़े बेरहम और संग दिल हैं कि सज़ा देते समय किसी का लिहाज़ नहीं करते। कितना ही रोओ, गिड़गिड़ाओ माफ़ी चाहो मगर वे जलाने व तकलीफ़ पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। रहम तो उनके पास नाम तक को नहीं जैसा अल्लाह का हुक्म पाते हैं वही करते हैं ये फ़रिश्ते बे नमाज़ियों को आग की ज़ंजीरों में जकड़ेंगे।

जहन्नुम की आग ज़ंजीरें होंगी। सत्तर-सत्तर गज़ लम्बी। फ़रिश्ते

जहन्नुमियों की मुंह की राह से ये ज़ंजीरें डालेंगे और पाखाने की राह से निकाल कर अच्छी तरह जकड़ देंगे। जहन्नुम में आग की गदाएं होंगी जिनसे फ़रिश्ते जहन्नुमियों को मारते हांकते हुए जहन्नुम में ला डालेंगे।

(सूरः हाक़्क़ा रुकू 1)

जहन्नुम में ऐसे खतरनाक सांप बिच्छू होंगे कि एक बार काटने से हज़ारों साल तक रोना पड़ेगा वह चिल्लाएगा तड़पेगा लेकिन ज़हर कम न होगा। मौत मांगेगा वह भी न आएगी। जहन्नुम में खरासानी जैसे ऊंट के बराबर सांप और गधे के बराबर बिच्छू होंगे जो हमेशा जहन्नुम वालों को काटते रहेंगे कभी चैन न लेने देंगे। (मुस्लिम मिश्कात 494)

क़ियामत के दिन फ़रिश्ते जहन्नुम को 70 हज़ार ज़ंजीरों में जकड़कर हश्र के मैदान में खींचते हुए लाएंगे। एक एक ज़ंजीर को सत्तर-सत्तर हज़ार फ़रिश्ते पकड़ कर घसीटेंगे। जहन्नुम उसमें डाले गए लोगों का नाम लेकर पुकारेगी वे डर के मारे भागेंगे कि आग की एक लम्बी गर्दन जहन्नुम से निकलेगी और अवज्ञाकारियों, बे नमाज़ियों को मीलों दूर से इस तरह घसीट कर जहन्नुम में डाल देगी जैसे मुर्ग दाने को चुग लेता है। जहन्नुमियों का शरीर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि एक मूंढे से दूसरे तक तेज़ रफ़्तार सवार तीन दिन में पहुंच सके। उनकी दाढ़ अहद पहाड़ के बराबर और रान बैजा पहाड़ के बराबर हो जाएगी। जहन्नुमियों के जूते भी आग के होंगे। जहन्नुम की चिंगारी बड़े महल के बराबर होगी।

(मुस्लिम, मिश्कात, तिर्मिज़ी पृष्ठ-494-498)

जहन्नुम की गहराई इतनी अधिक है कि यदि एक भारी पत्थर उसमें छोड़ा जाए तो 70 बरस की अवधि में धरातल तक पहुंचेगा। जहन्नुम में एक आग के पहाड़ का नाम सऊद है जिसकी ऊंचाई सैंकड़ों बरस का सफ़र है। उस पर जहन्नुमियों को चढ़ाकर नीचे धकेल दिया जाएगा इसी तरह हमेशा

अज़ाब होता रहेगा। जहन्नुम में जक़्क़ूम के अलावा खाने के लिए और कुछ न मिलेगा। ज़हरीले कांटों का एक पेड़ है जिसे ज़क़्क़ूम कहते हैं। यह पेड़ आग में पैदा होगा।

इसी प्रकार जहन्नुमियों को पीने के लिए कुछ न मिलेगा मगर कभी गर्म झुलसता हुआ पानी और कभी गर्म खौलती हुई सड़ी पीप जिसे मुंह के पास ले जाते ही सारे मुंह का गोश्त गल कर गिर पड़ेगा। जहन्नुमी प्यास की सख़्ती से वही पी जाएंगे। यह पेट में पहुंचते ही आंतों को गला कर पाखाने के रास्ते बाहर निकाल देगा। हज़ारों बरस 'प्यास-प्यास' कहकर वे थक जाएंगे लेकिन उनकी फ़रियाद न सुनी जाएगी। (सूर: दुखान पारा 25)

जब ज़हन्नुमी जहन्नुम के दरवाज़े पर पहुंचेंगे तो जहन्नुम का दरोग़ा पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह के पैग़म्बर अल्लाह की किताब सुनाने और जहन्नुम से डराने और क़ियामत की मुसीबतें याद दिलाने के लिए नहीं आए थे? जहन्नुमी जवाब देंगे कि आए तो थे और उन्होंने हमें अल्लाह के प्रकोप और क़ियामत की खौफ़नाकी से डराया भी था। (तिर्मिज़ी मिश्कात 496)

लेकिन हमने उसे न सुना न उनका कहना माना बल्कि झुठलाया और झगड़ा किया। यदि हम उनकी बातें सुनते समझते और मानते तो आज जहन्नुम में अज़ाब का शिकार क्यों होते? (सूर: मुल्क पारा 29)

कहने का मतलब यह है कि जहन्नुमियों को बहुत अधिक मुसीबतें उठाना पड़ेंगी ऐसी मुसीबतें जो न किसी ने आंखों से देखी होंगी न कानों से सुनी होंगी।

"स-द-क़ल्लाहु तआला सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला याहया"
जहन्नुमी न तो जहन्नुम में मर ही जाएगा कि झगड़ा खत्म हो न चैन से ज़िन्दा रहेगा बल्कि उसकी जान हमेशा मुसीबत में रहेगी।

(सूर: आला पारा 30)

3- वुज़ू की फ़ज़ीलत

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया है कि...

मिफ़ताहुल जन्नतिस्सलातु मिफ़ताहुस्सला-तित्तुहूरु०

(अहमद मिश्कात-31)

"जन्नत की कुन्जी नमाज़ है और नमाज़ की कुन्जी पाकी है।

अर्थात किसी की नमाज़ बिना वुज़ू क़ुबूल नहीं। जो आदमी अच्छे तरह सुन्नत के अनुसार वुज़ू करके नमाज़ पढ़ता है उसके वे सारे गुनाह बख्शे जाते हैं जो एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ तक होते हैं जैसे यदि सुबह की नमाज़ के वास्ते सुन्नत के अनुसार वुज़ू किया तो ज़हर के वुज़ू करने तक जितने गुनाह उससे होते हैं सब माफ़ हो जाएंगे। फिर मस्जिद में जाने और नमाज़ पढ़ने का सवाब अलग रहा।

(मुस्लिम मिश्कात-30)

जब ईमानदार बन्दा वुज़ू करते समय मुंह धोता है तो उसके मुंह की वे सारी खताएं जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखा था पानी के बहाव के साथ निकल जाती हैं और जब वह दोनों हाथ धोता है तो उसके हाथों से वे सारे गुनाह जो उसके दोनों हाथों ने किए थे निकल जाते हैं और जब दोनों पांव धोता है तो उसके पांव के वे सारे गुनाह जिनकी ओर पांव चले थे पानी के साथ बह जाते हैं बल्कि नाखुनों के नीचे के सभी सारे गुनाह निकल जाते हैं यहां तक कि ईमानदार बन्दा वुज़ू करके सारे गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है। (मुस्लिम मिश्कात-30)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया 'वुज़ू आधा ईमान है और वुज़ू करने से दस नेकियां मिलती हैं जिस जगह तक वुज़ू का पानी पहुंचेगा वहां तक उसे क़ियामत तक नूर से सजाया जाएगा। इससे अधिक इज़्ज़त व सम्मान की बात

और क्या होगी कि पानी के बदले वहां नूर के ज़ेवर पहनने को मिलेंगे।
(मुस्लिम मिश्कात 30)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया "मेरी उम्मत के लोग क़ियामत के दिन इस हाल में बुलाए जाएंगे कि उनके अंग वुज़ू के असर से चमकते होंगे और फ़रमाया जन्नत की कुंजी नमाज़ और नमाज़ की कुंजी वुज़ू है और फ़रमाया मैं कियामत के दिन अपने उम्मतियों को इस वजह से पहचान लूंगा कि वुज़ू के कारण उनके हाथ,पांव मुंह आदि चमक रहे होंगे और फ़रमाया कि वे मेरे भाई हैं मैं उन्हें देखने की तमन्ना रखता हूं। सहाबा ने अर्ज़ किया हज़रत! क्या हम आपके भाई नहीं? फ़रमाया, क्यों नहीं तुम तो मेरे यार हो।
(मुस्लिम मिश्कात-31)

उक़बा बिन आमिर की हदीस में आया है कि जो आदमी अच्छी तरह पूरा-पूरा वुज़ू करके नमाज़ पढ़ता है और जो कुछ नमाज़ में कहता है उसे समझता जाता है तो नमाज़ से इस हालत में अलग होता है कि मानो आज ही वह पैदा हुआ है एक हदीस में यों आया है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की राह न बताऊं जिससे खुदा तुम्हारी ग़लतियां दूर न कर दे तुम्हारे दर्जे ऊंचे करे। सहाबा ने कहा हां ऐ रसूले खुदा फ़रमाया "पानी के नागवार मालूम होते हुए वुज़ू पूरा करना, मस्जिद की ओर अधिक चलना एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तज़ार करना।

हदीसे उसमान में आया है कि वुज़ू पिछले सारे गुनाहों का प्रायश्चित है जब तक कि कोई कबीरा गुनाह न हुआ हो। (मुस्लिम मिश्कात 5-7)

फ़ायदा- जो आदमी अच्छी तरह वुज़ू नहीं करता वह नमाज़ में भूलता भटकता है उसे तरह-तरह के वसवसे आते हैं और दिल ही दिल में बातें करता है उसकी नमाज़ खराब हो जाती है कभी आधी कभी पाव कभी तिहाई कभी कम कभी अधिक कुबूल होती है ऐसा आदमी नमाज़ का चोर कहलाता है नबी

करीम सल्ल० ने फ़रमाया नमाज़ के चोर सब चोरों से बुरे हैं।
(अहमद तिर्मिज़ी, अबूदाऊद नसई 33)

4-तयम्मुम

क़ालल्लाहु तआला फ़लम तजिदु माअन फ़तयम्मम् सईदिन तय्यिबन फ़अमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम (सूरः निसा रुकू-7)

"जब पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो।"

यदि नमाज़ी बीमार हो या वुज़ू के लिए पानी न मिलता हो चाहे दस बरस तक न मिले तो तयम्मुम किए जाएं जिस समय पानी मिलेगा या ठीक हो जाएगा उसी समय वुज़ू फ़र्ज़ हो जाएगा। जिसे पानी मिट्टी दोनों न मिलें उसे बिना वुज़ू या बिना तयम्मुम नमाज़ पढ़नी जायज़ है।
(मुस्लिम मिश्कात 5 बुखारी मिश्कात 46)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि हमारे लिए सारी ज़मीन की मिट्टी हमारे लिए पाक ठहरायी गयी है तो जहां नमाज़ का समय आ जाए और पानी न मिले या बीमार हो या बीमारी बढ़ जाने का खतरा हो तो तयम्मुम करके नमाज़ अदा करे। तयम्मुम के लिए पहले दिल में नियत करें फिर बिस्मिल्लाह करके दोनों हाथ एक बार पाक मिट्टी या ढेले या कच्ची दीवार पर मारें फिर फूंक से मिट्टी उड़ा दें फिर दोनों हाथों को मुंह पर फेर कर दोनों कोहनियां तक मले। यह तरीक़ा अधिक सही और भरोसेमन्द है। बुखारी शरीफ़ में नबी सल्ल० की तयम्मुम की यही कैफ़ियत लिखी है। (बुखारी 46)

कपड़े पत्थर लोहे लकड़ी आदि पर तयम्मूम करना जायज़ नहीं क्योंकि अल्लाह ने फ़रमाया है-

फ़लम तजिदू माअन फ़त-यम्ममू सईदन तय्यिबन"

"जब पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो।"

हां यदि कपड़े आदि पर धूल हो तो जायज़ है यदि हाथ में अंगूठी हो तो उसे हिला लें। आदमी तयम्मुम से वैसा ही पाक हो जाता है जैसा वुज़ू और गुस्ल से। गुस्ल व वुज़ू के तयम्मुम का एक ही तरीक़ा है जिस आदमी को पानी न मिले उसे तयम्मुम से नमाज़ पढ़ना चाहिए। जिस पानी के गन्दा होने का यक़ीन हो तब भी तयम्मुम से नमाज़ पढ़े। तयम्मुम से नमाज़ पढ़ चुकने के बाद यदि पानी मिल जाए और अभी तक नमाज़ का समय बाक़ी हो तो नमाज़ का दोहराना ज़रूरी नहीं लेकिन यदि कोई वुज़ू करके नमाज़ दोहरा लेगा तो दुगना सवाब पाएगा। यदि नमाज़ पढ़ना शुरु कर दी और इसी बीच पानी आने की खबर सुनी तो नमाज़ तोड़ दे और वुज़ू करके दोबारा नमाज़ शुरु करे। जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है उन्हीं से तयम्मुम भी टूट जाता है। गुस्ले जनाबत करने वाले को यदि पानी न मिले तो वह भी तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। यदि घायल को नहाने की ज़रूरत हो तो घाव पर पट्टी बांधकर मसह कर ले और सारा बदन धो डाले। एक तयम्मुम से कई नमाज़ें पढ़ना ठीक है। (बुखारी, अबूदाऊद, बुखारी मुस्लिम)

5- वुज़ू का तरीक़ा

वुज़ू करते समय पहले दिल में नीयत करे फिर बिस्मिल्लाह कह कर तीन बार दोनों हाथ गट्टों तक धोएं। फिर तीन बार कुल्ली करें मिसवाक भी करना सुन्नत है इससे मुंह साफ़ होता है और अल्लाह राज़ी होता है फिर सीधे हाथ से तीन बार नाक में पानी दें और बाएं हाथ से नाक साफ़ करें फिर तीन बार दोनों हाथों से मुंह धोएं। माथे के बालों से थोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लो तक एक चुल्लू पानी लेकर थोड़ी के नीचे झपका दें और दाढ़ी का ख़िलाल करें फिर दोनों हाथ कोहनियों तक तीन बार धोएं फिर नया पानी लेकर सर का मसह करे। मसह करने की तरकीब यह है कि पानी से दोनों

हाथ भिगोकर और उंगलियां मिलाकर सर के बालों से शुरु करके आगे से गुद्दी तक पीछे ले जाएं और पीछे से फिर उसी जगह ले आएं जहां से शुरु किया था इसी तरह पगड़ी पर भी मसह करना जायज़ है फिर कानों के मसह करने के लिए भी नया पानी ले और कानों के सूराखों में शहादत की उंगलियां डालकर अंगूठों से कानों की पुश्त पर मसह करें। इसके बाद दायां पांव टखने तक तीन बार धोएं फिर इसी तरह बायां पांव। पांव की उंगलियों का ख़िलाल करना, दाढ़ी का ख़िलाल करना और हाथों की उंगलियों का ख़िलाल करना मसनून है।

बदन के अंगों को तीन-तीन बार धोना अफ़ज़ल है लेकिन यदि दो-दो बार या एक-एक बार भी धो लेंगे तब भी वुज़ू हो जाएगा अंगों को तीन बार से अधिक धोना हराम है। नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि जिसने वुज़ू करते समय अंगों को तीन बार से अधिक धोया उसने बुरा किया और सीमा का उल्लंघन किया।

(बुखारी मुस्लिम, तिर्मिज़ी मिश्कात, नसई, इब्ने माजा)

तर्तीब के साथ वुज़ू करना बेहतर है और बीच में देर लगाना अच्छा नहीं है। वुज़ू करते समय यदि नाखुन बराबर भी कोई अंग सूखा रह जाएगा तो दोबारा वुज़ू करना वाजिब होगा वुज़ू करके हाथ पांव मुंह को चादर या किसी कपड़े से साफ़ करना बेहतर नहीं है क्योंकि इस बारे में कोई हदीस नहीं है। वुज़ू करने के बाद शर्मगाह की जगह या पाजामे या तहबन्द पर पानी का छींटा मारना सुन्नत है। एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ना जायज़ है। वुजू के लिए सेर सवा सेर पानी लें। पानी जितना कम खर्च करें बेहतर है चाहे पानी की मात्रा कितनी ही अधिक क्यों न हो और वुजू करने वाला बहती नहर पर ही क्यों न हो।

(बुखारी, अबूदाऊद, नसई मिश्कात)

वुज़ू करके पहले आसमान की ओर निगाह उठाकर यह दुआ पढ़ें-

अश्हदु अन्लाइलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबदुहु व रसूलुहू

"मैं इस बात का गवाह हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं।। वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं और मैं इस बात का भी गवाह हूं कि मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। (मुस्लिम-456) तिर्मिज़ी ने इस दुआ के बाद ये शब्द भी बढ़ाए हैं-

अल्ला हुम्मज अलनी मिनत्तव्वाबीना वज अलनी मिनल मुत-तहहिरीन०

"ऐ खुदा मुझे तौबा करने वालों और पाक होनें वालों में कर दे।" (मुस्लिम-40)

जो आदमी वुज़ू के बाद यह दुआ पढ़ेगा उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खुल जाएंगे जिस दरवाज़े से चाहेगा दाखिल हो जाएगा। वुज़ू करके जो आदमी सच्चे दिल से दो रक्अत नफ़्ल पढ़ेगा उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे मानो वह आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। वुज़ू करते समय दूसरे आदमी से भी अपने अंगों पर पानी डलवाना सही है फिर वुज़ू व गुस्ल के बाद कम से कम दो रक्अत नफ़्ल नमाज़ पढ़ना और हमेशा वुज़ू से रहना जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया है (मुस्लिम व बुखारी 31-416)

नबी करीम सल्ल० ने हज़रत बिलाल रज़ि० से फ़रमाया कि ऐ बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज़ अपने आगे सुनी बताओ तुमने इस्लाम में कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी उम्मीद तुम्हें ज़्यादा है? कहा कि मैं रात दिन में जिस समय भी वुज़ू करता हूं उसके बाद कुछ न कुछ नमाज़ भी पढ़ लेता हूं। (मिश्कात-31)

एक रिवायत में यों आया है कि नबी सल्ल० ने सुबह उठकर बिलाल रज़ि० को बुलाया और फ़रमाया "तुम मुझसे आगे जन्नत में किस अमल की

वजह से गए? क्योंकि जब कभी मैं जन्नत में गया अपने आगे तुम्हारे चलने की आवाज़ सुनी कहा कि हज़रत! जब मैं अज़ान देता हूं दो रक्अत नमाज़ पढ़ लेता हूं और जब वुज़ू करता हूं तो दो रक्अत नमाज़ पढ़ना अपने लिए ज़रूरी समझता हूं। फ़रमाया बेशक इन्हीं दो रक्अत की वजह से तुम पहले जन्नत में गए।"

6- मिसवाक की फ़ज़ीलत

मिसवाक करना अल्लाह व रसूल की खुशनूदी का सबब और मुंह के साफ़ रहने का ज़रिया है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि-

"अस्सिवाकु मितहरतुल लिलफ़िमा मरज़ातुल लिर्रब्बि०"

"मिसवाक मुंह साफ़ करती है और अल्लाह को राज़ी रखती है।"

रसूलों की सुन्नत चार चीज़ें हैं एक शर्म करना, दूसरे इत्र लगाना, तीसरे मिसवाक और चौथे निकाह करना।

(बहैक़ी)

नबी करीम सल्ल० जब बाहर से घर में आया करते थे तो मिसवाक किया करते। आपने फ़रमाया कि जब जिबरील मेरे पास आते हैं तो मुझे मिसवाक की वसीयत करते हैं यहां तक कि मुझे डर हुआ कि मुझ पर या मेरी उम्मत पर मिसवाक फ़र्ज़ न कर दें। (मिश्कात 34)

मिसवाक वाली नमाज़ बे मिसवाक वाली नमाज़ से सत्तर दर्जे बढ़कर है चुनांचे हदीस में आया है कि मिसवाक के साथ दो रक्अत नमाज़ पढ़ना बे मिसवाक की 70 रक्अतों से बढ़कर है। (मिश्कात-37)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि यदि मैं अपनी उम्मत पर मुश्किल न जानता तो इशा की नमाज़ देर करके पढ़ने और हर नमाज़ के समय मिसवाक

करने का हुक्म देता। किसी की मिसवाक उसकी मर्ज़ी से करना जायज़ है मिसवाक क़लम के बराबर मोटी होनी चाहिए और नमाज़ पढ़ते समय क़लम की तरह कान में लगाना ठीक है। उंगली से मिसवाक करना जायज़ है (अबू दाऊद. मिश्कात, तिर्मिज़ी मिश्कात)

7- वुज़ू का टूट जाना

बे वुज़ू नमाज़ पढ़ना सख़्त गुनाह है ऐसी नमाज़ कभी क़ुबूल नहीं होती बल्कि उलटी मुंह पर मार दी जाती है। चुनांचे हदीस अबू हुरैरह रज़ि० में आया है-

क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा ला तुक़बलु सलातु मन अहद-स हत्ता य-त-वज़्ज़आ

रीह (हवा) निकलने से वुज़ू टूट जाता है यदि आवाज़ सुने या बदबू फैले। केवल फूंक निकलने के संदेह में वुज़ू नहीं टूटता। इस तरह का संदेह शैतानी वसवसा है।

(मुस्लिम मिश्कात)

जिसे नमाज़ में इस बात का संदेह हो कि मेरी हवा निकली या नहीं तो उसे जब तक आवाज़ न सुनायी दे या बदबू न आए तब तक वुज़ू करना ज़रूरी नहीं। पाखाना, पेशाब या मज़ी के निकलने से भी वुज़ू टूट जाता है। क़ै के आने, नक्सीर फूटने से भी वुज़ू टूट जाता है लेट कर सो जाने या किसी चीज़ का सहारा लेकर सो जाने से भी वुज़ू टूट जाता है हां यदि बैठे या खड़े-खड़े सो जाए और किसी प्रकार की टेक न हो तो नहीं टूटता। नमाज़ में खिलखिलाकर हंसने से नमाज़ खत्म हो जाती है लेकिन सही हदीसों के अनुसार वुज़ू नहीं टूटता।

(अबूदाऊद, अहमद, तिर्मिज़ी)

ज़कर (लिंग) और शर्मगाह को हाथ लगाने या ऊंट का गोश्त खाने

से वुज़ू टूट जाता है फ़रज (शर्मगाह) का शब्द मर्द औरत के अगले व पिछले मक़ाम पर लागू है मर्द का हाथ चाहे ज़कर को लग जाए या पिछले हिस्से को इसी तरह औरत का हाथ अगले हिस्से को लगे या पिछले हिस्से को, दोनों हालतों में वुज़ू जाता रहेगा। बदन से खून निकलने से वुज़ू नहीं टूटता जितनी रिवायतें इस बारे में आयी हैं कि खून निकलने से वुज़ू टूट जाता है सब कमज़ोर व बे सनद हैं।

(मुस्लिम मिश्कात, मालिक अहमद)

नमाज़ की हालत में यदि हवा निकले या मनी या मज़ी निकले या नक्सीर फूट जाए तो नमाज़ तोड़कर बाहर आ जाएं और वुज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़ें। यदि इमाम है तो नमाज़ियों में से किसी को अपना कार्यवाहक बनाकर बाहर आ जाए। औरत को छूने या बोसा और आग की पकी हुई चीज़ों के खाने से वुज़ू नहीं टूटता। यदि नमाज़ की हालत में किसी का वुज़ू टूट जाए तो नाक पकड़ कर मस्जिद से बाहर वुज़ू करने चला जाए। बा वुज़ू आदमी को दूध पीने के बाद कुल्ली करना मसनून है। जनाज़ा उठाने वालों को वुज़ू करना मुस्तहब है यदि वुज़ू न करेंगे नमाज़ सही हो जाएगी। टख़नों से नीचे पाजामा पहनने वालों को दोबारा वुज़ू करना चाहिए। ऐसा आदमी एक दिन नबी सल्ल० के सामने नमाज़ पढ़ रहा था आपने उसकी नमाज़ तुड़वाकर दोबारा वुज़ू करने का हुक्म दिया। (मुस्लिम मिश्कात)

8- मोज़ों पर मसह

नबी करीम सल्ल० से मोज़ों पर मसह करना साबित है। मोज़ों पर मसह करने की अवधि मुक़ीम के लिए एक रात दिन और मुसाफ़िर के वास्ते तीन रात दिन है।

जनाबत के कारण मसह की अवधि खत्म हो जाती है हां पेशाब पाखाना

और सो जाने से मसह की अवधि पूरी नहीं होती। इस अवधि की शुरुआत उलेमा की एक बड़ी जमाअत के निकट वुज़ू के टूट जाने से है जैसे एक आदमी ने दोपहर को वुज़ू करके मोज़े पहने और वुज़ू टूटा शाम को तो शाम से एक रात दिन गिना जाएगा। मोज़ों पर मसह करने तरीक़ा यह है कि हाथों की पांचों उंगलियां पानी में तर करके पांव की उंगलियों के सिरों से शुरु करके पिंडलियों तक खींचे। (बलूग़ुलमराम)

जिस चीज़ से वुज़ू टूटता है उसी से मसह भी टूटता है। हदस होने के बाद जब मोज़ा उतारा जाएगा तो उसी समय वुज़ू जाता रहेगा। मसह की अवधि गुज़रने से तुरन्त वुज़ू टूट जाता है। जुराबों पर मसह करना ठीक है जबकि वे मोटी हों मामूली जुराबों और पतली जुराबों पर मसह करना नाजायज़ है। मसह जुराब की अधिकांश हदीसें कमज़ोर हैं। इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब में कमज़ोर ही कहा है।

(तिर्मिज़ी, मिश्कात, मुस्लिम)

9- नमाज़ के समय

सूरज ढलते ही जुहर की नमाज़ का समय हो जाता है और यह इस नमाज़ का अव्वल समय है। जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो जाए तो यह ज़ुहर का आखिरी समय है और असर का प्रथम है। असर का अन्तिम समय उस समय तक जब तक सूरज साफ़ चमकता हो ज़र्द न पड़ गया हो क्योंकि ज़र्दी के समय नमाज़ पढ़ना कप्टाचारियों का काम है। मग़रिब का प्रथम समय सूरज का डूब जाना और अन्तिम आसमान की सुर्खी का गायब हो जाना है। इशा का प्रथम समय सूरज ग़ायब होने पर और अन्तिम आधी रात गुज़र जाने पर। फ़ज्र का प्रथम समय सूरज ग़ायब होने पर। फ़ज्र का प्रथम समय सुबह की पौ फटना और अन्तिम समय सूरज निकलने से पहले।

(अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, मिश्कात मुस्लिम, इमाम मालिक)

एक दिन नबी सल्ल॰ की सेवा में एक आदमी ने हाज़िर होकर नमाज़ के समय मालूम किए। आपने उस समय तो इसका कोई जवाब नहीं दिया और फ़रमाया कि दो दिन हमारे साथ नमाज़ पढ़ ले। सुबह की नमाज़ का समय हुआ तो आपने सुबह होते ही हज़रत बिलाल रज़ि॰ को हुक्म फ़रमाया। उन्होंने अज़ान दी और आपने नमाज़ अदा की। उस समय लोग आपस में एक दूसरे को पहचान न सकते थे। फिर जब सूरज ढल गया तो ज़ुहर की नमाज़ अदा की। इस समय कुछ लोगों का ख्याल था कि अभी दोपहर है यद्यपि नबी करीम सल्ल॰ नमाज़ का समय सबसे बेहतर पहचानते थे। इसके बाद असर की नमाज़ अदा की इस हाल में कि सूरज काफ़ी ऊंचा था हर चीज़ का साया एक तरह का हो चुका था फिर जिस समय सूरज डूब गया तो आपने मग़रिब की नमाज़ अदा की और जब आसमान की सुर्खी ग़ायब हो गयी तो इशा की नमाज़ अदा की। (मुस्लिम मिश्कात)

फिर दूसरा दिन हुआ तो आपने फ़ज्र की नमाज़ ऐसे समय अदा की कि नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद किसी ने कहा सूरज निकल आया या निकलने वाला है फिर आपने ज़ुहर की नमाज़ में इतनी देर की कि अस्र की नमाज़ पढ़ने का समय आ गया। फिर असर की नमाज़ में इतनी देर की कि असर की नमाज़ के बाद कोई कहता था कि सूरज ज़र्द पड़ गया और मग़रिब में यहां तक देर की आसमान की सुर्खी डूबने को हो गयी और इशा की नमाज़ में यहां तक देर की रात का अव्वल हिस्सा गुज़र गया। जब सुबह हुई तो आपने उस आदमी को बुलाया जिसने नमाज़ के समय के बारे में मालूम किया था उससे आपने फ़रमाया कि नमाज़ के औक़ात इन समयों के बीच में हैं। (मुस्लिम मिश्कात)

फ़ायदा– सुबहानल्लाह क्या बेहतर कलाम है कि एक ही हदीस में आपने नमाज़ के पांचों समय और उनकी शुरुआत व अन्त और बीच का समय उम्मत के सामने पेश फ़रमा दिया। यह भी फ़रमा दिया कि दोनों समयों के शुरु व अन्त में भी नमाज़ हो सकती है।

लेकिन कुछ हदीसों से फ़ज्र, ज़ुहर अस्त्र व मग़रिब की नमाज़ अव्वल समय में पढ़ने की ताकीद साबित है और इशा की नमाज़ आखिर से कुछ पहले तक पढ़ने की श्रेष्ठता साबित है। सख्त गर्मी में जुहर की नमाज़ थोड़ी देरी करके पढ़ने का भी हुक्म है जो आदमी अस्त्र की नमाज़ आखिरी समय में पढ़ता है उसकी नमाज़ कपटाचारी की सी है और अस्त्र की नमाज़ न पढ़ने से पहली नमाज़ें भी खत्म हो जाती हैं। फज्र की नमाज़ अंधेरे में पढ़ना बेहतर है और इसमें इतनी लम्बी क़िरअत करनी चाहिए जितनी पीछे पढ़ने वालों की ताक़त हो अर्थात् उन्हें परेशानी में न डालना चाहिए।

(मुस्लिम मिश्कात, बुखारी मिश्कात)

फ़ायदा– जो आदमी सो गया या नमाज़ पढ़नी भूल गया और नमाज़ का समय निकल गया तो जिस समय जागे या याद आ जाए तुरन्त नमाज़ पढ़ ले उसकी नमाज़ का समय यही है यह नमाज़ होगी न अदा न क़ज़ा। यदि उचित मजबूरी रखने वाले ने सुबह या अस्त्र की एक रक्अत भी पाली तो उसकी नमाज़ हो गयी।

(मुस्लिम मिश्कात, तर्ग़ीब)

नमाज़ निर्धारित समय पर पढ़ना वाजिब है इतनी देर करके पढ़ना कि समय खत्म होने को हो कपट की निशानी है जो आदमी अस्त्र की नमाज़ अव्वल समय में पढ़ता है वह जहन्नुम में न जाएगा। सुबह की नमाज़ में यदि एक रक्अत पढ़ चुके फिर सूरज निकल आए तो दूसरी रक्अत सूरज निकलते हुए पढ़ ले नमाज़ सही हो जाएगी लेकिन जब सूरज की कोर निकल चुकी हो या ग़ायब हो चुकी हो उस समय नमाज़ शुरु न करे उस समय न मय्यत को दफ़न करे न जनाज़े की नमाज़ पढ़ें। नबी करीम सल्ल० ज़्यादातर अस्त्र की नमाज़ उस समय अदा करते जबकि जाने वाला चार कोस चला जाता और सूरज उस समय तक मौजूद रहता है। (सही मिश्कात, तिर्मिज़ी)

10- अज़ान की फ़ज़ीलत और अहकाम

नमाज़ के समय अज़ान देना सुन्नतें मोअक्किदा है। हर मुसलमान अज़ान दे सकता है चाहे वुज़ू से हो मगर बेहतर यही है कि वुज़ू करके अज़ान दे। अज़ान देने की फ़ज़ीलत में बहुत सी हदीसें आयी हैं नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि यदि लोग मालूम कर लें कि अज़ान और पहली पंक्ति में बैठने का कितना बड़ा सवाब है तो इन दोनों कामों के लिए वे पर्चियां डालकर अपने को पेश करेंगे। जो इन्सान व जिन्न मोअज़्ज़न की आवाज़ सुनते हैं वे क़ियामत के दिन उसकी गवाही देंगे। उसकी अज़ान की आवाज़ जहां तक पहुंचती है वहां तक की हर चीज़ उसकी गवाही देती है और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। मोअज़्ज़न को उन लोगों के बराबर सवाब मिलता है जो उसके साथ नमाज़ पढ़ते हैं। उनकी (मुअज़्ज़नों की) गर्दनें क़ियामत के दिन सबसे अधिक ऊंची होंगी।

तीन प्रकार के आदमी क़ियामत के दिन मुश्क के टीलों पर होंगे जिनपर दूसरे हसद करेंगे। एक वे जिन्होंने अल्लाह का भी हक़ अदा किया और बन्दों का भी। दूसरे वे जिन्होंने एक क़ौम की इमामत की और वह उनसे खुश थी तीसरे वे जो पांचों समय की नमाज़ के लिए रात दिन अज़ान कहते।

जिसने 12 साल तक अज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गयी। मोअज़्ज़न के वे सारे गुनाह दूर कर दिए जाते हैं जो उससे एक अज़ान से दूसरी अज़ान तक होते हैं। मोअज़्ज़न को हर दिन में हर अज़ान पर साठ नेकियां मिलती हैं और मुकब्बिर को हर तकबीर पर तीस नेकियां मिलती हैं।

जब तीन आदमी हों और उनमें अज़ान व तकबीर न कही जाए और बिना अज़ान व तकबीर के नमाज़ अदा की जाए तो उनपर शैतान ग़ालिब हो जाता है। यदि किसी मस्जिद में एक समय में कई जमाअतें हों तो अज़ान एक

ही काफ़ी होगी मगर तकबीर हर जमाअत के लिए अलग से कहना पड़ेगी। सफ़र में भी अज़ान व तकबीर कहकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। एक मस्जिद में दो मोअज़्ज़न रखना मुस्तहब है एक सुबह से पहले तहज्जुद की नमाज़ के लिए अज़ान दे और दूसरा सुबह के बाद अज़ान दे।

नमाज़ियों को बुलाने के लिए मोअज़्ज़न ऐसे आदमी को रखें जो अच्छी व ऊंची आवाज़ वाला हो। अज़ान देने की तन्खाह न लेता हो। नमाज़ के समयों की अच्छी तरह पहचान रखता हो मोअज़्ज़न को किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर अज़ान देना चाहिए। (अहमद, अबूदाऊद, नसई)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि शैतान अज़ान की आवाज़ सुनकर 36 कोस भाग जाता है लेकिन अज़ान हो चुकने के बाद फिर चला आता है और तकबीर होते ही भाग जाता है और तकबीर होने के बाद फिर नमाज़ में आकर वसवसा डालता है और फ़रमाया-अज़ान कहना इस्लाम की बहुत बड़ी निशानी है और फरमाया- मोअज़्ज़न अमानतदार है जो नमाज़ भूल से छूट जाए या सोने के कारण क़ज़ा हो जाए उसके लिए अज़ाने कहने की ज़रूरत नहीं। केवल तकबीर काफ़ी है-

अज़ान यह है-

"अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इला हा इल्लल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलात हय्या अलस्सलात, हय्या अलल फ़लाह हय्या अलल फ़लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु०

ऊंची नीची आवाज़ के साथ भी अज़ान कहना मसनून है। उसका तरीका यह है कि ऊंची आवाज़ से कहे **अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर,**

अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फिर हल्की आवाज़ से कहे **अशहदु अन्लाइलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह** फिर ऊंची आवाज से यही कलिमात कहे यदि सुबह का समय हो तो **हय्या अलल फ़लाह** के बाद **अस्सलातु खयरुम मिनन्नोम** कहे मोअज़्ज़न शहादत् की दोनों उंगलियां कानों में दे और **हय्या अलस्सलात हय्या अलल फ़लाह्** कहते समय गर्दन फेरे। (मुस्लिम मिश्कात)

11- अज़ान का जवाब, तकबीर और दुआ

नबी करीम सल्ल० ने फरमाया कि जब तुम अज़ान सुनो तो जो शब्द मोअज़्ज़न कहता जाए वही तुम भी कहते जाओ फिर मुझ पर दुरूद भेजो जो मेरे ऊपर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर दस बार रहमत भेजता है। अज़ान के बाद अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगो। वसीला जन्नत में एक दर्जा है जिसके योग्य अल्लाह के बन्दों में से केवल एक बन्दा है और मुझे आशा है कि वह बन्दा मैं ही हूं तो जिसने मेरे लिए वसीला मांगा उसके लिए मेरी सिफ़ारिश वाजिब हो गयी।

(इब्ने माजा-56)

अज़ान सुनने वाले को चाहिए कि **हय्या अलस्सलात** और **हय्या अलल फ़लाह** की जगह **ला हवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि** कहे और बाक़ी वही करे जो मोअज़्ज़न कहता है जो दिल में इस तरह कहेगा जन्नत में जाएगा। जब मोअज़्ज़न अज़ान दे चुके तो सुनने वाला यह दुआ पढ़े-

अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहिद दावतित्तामति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदा निलवसीलता वलफ़ज़ीलता वल बाअसु मक़ामम महमूदा निल्लज़ी व अदतहु

जो आदमी यह दुआ पढ़ेगा नबी करीम सल्ल० को कियामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करना अनिवार्य होगा।

अज़ान सुनने के बाद यह दुआ पढ़ना भी मसनून है।

अशहदु अन्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबदुह व रसूलुहू रज़ीतु बिल्लाहि रब्बव व बिमुहम्मदिर्रसूलव व बिल इस्लामि दीना०

जो आदमी यह दुआ पढ़ेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे।

एक आदमी ने नबी सल्ल० की सेवा में आकर अर्ज़ की कि हज़रत मोअज़्ज़न हम से सवाब में आगे बढ़ गए फ़रमाया तू भी वही कह जो मोअज़्ज़न कहता है फिर जब तू कह चुके तो मांग तुझे मिलेगा। मालूम हुआ कि जो आदमी अज़ान न कहता हो मगर अज़ान के शब्द सुनकर मोअज़्ज़न की तरह कहता जाए तो उसे मोअज़्ज़न की तरह बराबर सवाब मिलता है और यह भी मालूम हुआ कि अजान के बाद दुआ कुबूल होती है।

तकबीर के शब्द ये हैं-**अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ला इला इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलात हय्या अलल फ़लाह क़द क़ामतिस्सलात क़द क़ामतिस्सलात अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु (सही बुखारी)**

अज़ान सुनने वाला जैसे मोअज़्ज़न के साथ-साथ अज़ान कहता है तकबीर सुनते समय भी वैसे ही साथ-साथ तकबीर भी कहता जाए लेकिन जब मुकब्बिर क़द कामतिस्सलात कहे तो सुनने वाला अक़ामहा अल्लाहु व अदामहा कहे। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है दो घड़ियां ऐसी हैं जिनमें दुआ करने वाले की दुआ रद्द नहीं होती। एक इक़ामत के समय दूसरी जिहाद में पंक्तियों को बनाते समय जब तकबीर कही जाती है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दुआ कुबूल होती है।

अज़ान के शब्द थोड़ा धीरे-धीरे व अलग-अलग कहे और इक़ामत के शब्दों में थोड़ी जल्दी करे। अज़ान व इक़ामत के बीच इतना समय रखे कि खाने से और पीने वाला पीने से निमट ले और जिसे पेशाब पाखाना जाना हो वह हो आए। अज़ान व इक़ामत में इतना समय हो कि चार रक्अत सुन्नतें आराम से पढ़ ली जाएं। (तिर्मिज़ी मिश्कात-55)

12- मस्जिद

ज़रूरत की जगह मस्जिद बनाना बहुत बड़ा सवाब है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया- **मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बयतन फ़िलजन्नति**

"जिसने केवल अल्लाह की खुशी के लिए मस्जिद बनायी अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा।"

यह सवाब मस्जिद बनाने पर मिलता है छोटी बड़ी मस्जिद का कोई सवाल नहीं क्योंकि हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार मस्जिद के बनाने में कोशिश करता है। मस्जिद बसाने का सवाब मौत के बाद भी मिलता है यह काम हमेशा वाले नेक कामों में शामिल है। (सहीहीन मिश्कात-60)

मस्जिद को साफ़ सुथरा रखने का भी बहुत बड़ा सवाब है नबी करीम सल्ल० के ज़माने में एक काली औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। जब वह मर गयी तो आप उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और नमाज़ पढ़कर फ़रमाया कि ऐ औरत! तूने किस अमल को बेहतर पाया? लोगों ने पूछा कि क्या यह सुनती है? आपने फ़रमाया तुम इससे अधिक नहीं सुन सकते। यह भी आया है कि औरत ने जवाब दिया कि मैंने सब कामों से बेहतर मस्जिद के झाड़ने को पाया। (अबूदाऊद मिश्कात 60)

हज़रत आयशा रज़ि० कहती हैं कि हमें घर में मस्जिद बनाने और उसे पाक साफ़ रखने का हुक्म किया गया। मस्जिदों को लड़कों, पागलों, खरीद

फ़रोख्त करने और झगड़े की बातों और आवाज़ ऊंची करने, सीमा निर्धारित करने तलवार खींचने से बचाना चाहिए (अबूदाऊद मिश्कात)

मस्जिद की ओर नमाज़ के लिए हर क़दम उठाना नमाज़ है जो जितना मस्जिद से दूर होता है उसका उतना ही अधिक सवाब होता है और खुदा के दफ़्तर में उसके पांव के निशान लिखे जाते हैं। दुनिया में सबसे बेहतर जगह मस्जिदें और सबसे बुरी जगह बाज़ार है। (मुस्लिम मिश्कात-60)
मस्जिद में दाखिल होते समय यह दुआ पढ़नी चाहिए-

"अल्लाहुम्मफ़तहली अबवाबा रहमतिका"

(ऐ अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे)

और मस्जिद से निकलते समय यह दुआ पढ़ें-

"अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका"

(ऐ अल्लाह मैं तेरे फ़ज़्ल का तलबगार हूं)

जो मस्जिद में दाखिल हो वह बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ ले। सफ़र से आने वाला भी पहले मस्जिद में दो रकअत नमाज़ पढ़े फिर अपने मकान पर जाए। मस्जिद में ज़रूरत के समय सोना जायज है जो आदमी पूरा वुज़ू करके नमाज़ जमाअत के लिए मस्जिद में जाएगा चाहे उसके पहुंचने से पहले नमाज़ हो चुकी हो तब भी उसे जमाअत का सवाब अवश्य मिलेगा।
(मिश्कात, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, सहीहीन मिश्कात)

जो नमाज़ मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ी जाती है वह घर की नमाज़ से 25 दर्जा अधिक होती है। जामा मस्जिद की एक नमाज़ पांच सौ नमाज़ों की बराबर और बैतुलमक़दिस और मस्जिदे नबवी की एक नमाज़ पचास हजार नमाज़ों के बराबर और बैतुल्लाह शरीफ़ की एक नमाज़ एक लाख नमाज़ों के बराबर होती है। (सहीहीन मिश्कात-60)

गन्दगी पड़ने की जगह और जानवरों के ज़िब्ह होने की जगह और रास्ते में व हमाम में, ऊंटों के बैठने की जगह, ख़ाना काबा की छत पर नमाज़ पढ़ना मना है। मस्जिद के अन्दर नमाज़ में क़िब्ले की ओर थूकना गुनाह है हां यदि कोई बिना थूके न रह सके तो बायीं ओर या पांव के नीचे थूक ले लेकिन बेहतर यह है कि कपड़े पर थूक कर उसे मल डाले। मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका प्रायश्चित मिट्टी में उसे दफ़्न करना है सबसे बुरा काम मस्जिद में थूकना फिर उसे दफ़्न करना है।

(इब्ने माजा, तिर्मिज़ी बुखारी व मुस्लिम)

जो आदमी वुज़ू करके मस्जिद में जाए और फ़र्ज़ नमाज़ अदा करे तो उसके एक क़दम से बुराईयां घटेंगी और दूसरे से दर्जे बढ़ेंगे जो आदमी मस्जिद में दाखिल होकर यह दुआ पढ़ेगा-

अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम० व बिवजहिहिल करीम० व सुलतानिहिल क़दीम० मिनश्शयतानिर्रजीम० तो वह शैतान की शरारतों से बचा रहेगा। (अबूदाऊद मिश्कात)

सबसे पहले ज़मीन पर जो मस्जिद बनायी गयी वह अल्लाह का घर है इसके 40 साल बाद बैतुल मक़दिस की मस्जिद बनायी गयी। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि सारी ज़मीन हमारे लिए मस्जिद है जहां नमाज़ का समय हो जाए वहीं नमाज़ पढ़ ले जो आदमी मस्जिद में जाकर सुबहानल्लाहि वलहम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहता है वह जन्नत के फल खाता है जो आदमी वुज़ू करके मस्जिद में जाता है उसे हज व एहराम बांधने का सवाब मिलता है जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है वह क़ियामत के दिन जिस दिन कहीं छाया का नाम तक न होगा अर्शे इलाही के नीचे छाया पाएगा। मस्जिद में चराग जलाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, लोटों व चटाई का इन्तज़ाम करने वाले क़ियामत के दिन बड़े-बड़े दर्जे पाएंगे। कच्ची प्याज़,

लहसुन खाकर मस्जिद में जाना मना है मस्जिद में खरीदना व बेचना और वे अशआर पढ़ना जो शरीअत के खिलाफ़ हो मना है। जब मस्जिद में कोई आदमी कोई चीज़ बेचे तो यह कहना मसनून है कि ख़ुदा तुझे इस तिजारत में लाभ न दे जो आदमी अपनी गुम हुई चीज़ मस्जिद में ढूंढ़ने लगे तो यों कहना सुन्नत है कि अल्लाह करे तुझे न मिले। (सहीहीन मिश्कात-64, तिर्मिज़ी मिश्कात 56, अहमद अबूदाऊद मिश्कात 62)

मस्जिद में दुनिया की बेकार बातें न करें हां यदि कोई दूसरी ज़रूरी बात हो तो कर ले कब्रिस्तान में या किसी कब्र वाले के सम्मान की नीयत से मस्जिद बनाना हराम है नबी सल्ल० ने केवल इस डर से कि कहीं लोग मेरी क़ब्र को मस्जिद न ठहरा ले अपनी क़ब्र हुजरे के अन्दर बनाने की बात कही थी। (तिर्मिजी 61)

मस्जिद में मुसाफिरों को रहना व सोना सही है। नबी सल्ल० ने मोहल्लों में मस्जिदें बनाने और उन्हें पाक व साफ रखने और खुश्बू से सुगंधित रखने का हुक्म फ़रमाया। मस्जिद में चराग़ जलाने और तेल भेजने का बहुत बड़ा सवाब है इसी तरह झाड़ू देने व सफाई करने का भी सवाब है। (अबूदाऊद तिर्मिज़ी)

जो मस्जिद में नमाज़ पढ़कर मुसल्ले पर बैठा रहता है तो जब तक वुजू नहीं टूटता या अपनी जगह से नहीं उठता तब तक फरिश्ते उसके लिए यों दुआ करते रहते हैं कि ऐ अल्लाह इसे बख़्श दे ऐ अल्लाह इस पर रहम कर। (सहीहीन मिश्कात-60)

जो आदमी अज़ान सुनकर मस्जिद से चला जाए वह नबी सल्ल० का अवज्ञाकारी ठहरा लेकिन जिस मस्जिद में बिदअत होती है वहां से इस बिदअत के सबब अज़ान सुनकर चला जाना गुनाह नहीं (अबूदाऊद)

जो लोग मस्जिद की ओर अंधेरे में चलेंगे क़ियामत के दिन उन्हें पूरा

नूर मिलेगा। कुरआन में एक अवसर पर फ़रमाया गया है कि मस्जिदों का आबाद करना मुसलमानों का हक है जो सही अक़ीदों के साथ ज़ाहिरी व बातिनी नापाकियों से अलग रहकर नमाज़ पढ़ते हैं। यहां से पता चला कि मुश्रिकों व बिदअतियों के नमाज़ पढ़ने से मस्जिदों की आबादकारी नहीं होती। असल में मस्जिदों की आबादी उस नमाज़ से होती है जो सही अक़ीदे पर नापाकी से नापाक होकर अदा की जाए और यह भी मालूम हुआ कि यदि किसी काफ़िर ने मस्जिद बनायी तो उसका हुक्म ज़मीन का है न कि मस्जिद का।

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि ख़ुदा ने मुझे मस्जिदों के ऊंचा करने और उन्हें सजाने का हुक्म नहीं फ़रमाया।

(तिर्मिज़ी अबूदाऊद मिश्कात, अबूदाऊद)

नबी करीम सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि ख़ुदा तीन चीज़ों का ज़मानती है कि यदि जिएंगे तो रिज़्क़ मिलेगा, मर जाएंगे तो अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। एक वह आदमी जो बाहर से सलाम करता है दूसरा वह जो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर निकलता है तीसरा वह जो ख़ुदा की राह में जिहाद करता है जो आदमी अच्छी तरह वुज़ू करके मस्जिद में आता है वह ख़ुदा का मेहमान होता है और मेज़बान पर हक़ है कि अपने मेज़बान का सम्मान करे। यहां से मालूम हुआ कि यद्यपि मस्जिद में जाकर वुज़ू करना उचित है लेकिन घर से वुज़ू करके चलने में बहुत बड़ा सवाब है। (अबूदाऊद-62)

मस्जिदें फ़रिश्तों की क़यामगाह और बाज़ार शैतानों बदमाशों और झूठों के अड्डे हैं। (इब्ने हिब्बान मिश्कात-63)

औरतों का घर में नमाज़ पढ़ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। अबू हमीद साअदी की बीवी ने नबी सल्ल० की सेवा में अर्ज़ किया कि हज़रत मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ना चाहती हूं। फ़रमाया मुझे मालूम है मगर तेरा घर के अन्दर नमाज़ पढ़ना हुजरे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है और अपने

कमरे में नमाज़ पढ़ना मौहल्ले की मस्जिद में पढ़ने से बेहतर है और मौहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मेरी मस्जिद में पढ़ने से बेहतर है।

(अबूदाऊद-88)

यहां से पता चला कि औरत को परदे में रहना, घर के अन्दर बैठना वाजिब है। बाहर निकलना या इधर-उधर फिरना न चाहिए क्योंकि इसमें बे सतरी होती है। लफंगे और ओबाश व बदमाश लोग बुरी नज़र से घूरते हैं हां यदि औरत मस्जिद में जमाअत के सवाब के लिए जाए तो जायज़ है और उसको रोकना सख़्त गुनाह है।

13-सतर की हिफ़ाज़त

क़ालाश्शयखु अब्दुल हक़्क़ फ़िल लमहाति सतरुल उर्वीति शर्तुल लिसिहहातिस्सलाति व इन काना फ़ी मकानिन ख़ालिन व फ़ी ग़ैरि हालिस्सलाति यजिब सतरुहा अन आअयुनिन्नसि म्मिय यहरिमु न-ज़-रुहु०

"सतर ढांकना नमाज़ की सेहत के लिए शर्त है चाहे आदमी खाली मकान में क्यों न हो और नमाज़ के अलावा नामहरमों की नज़रों से सतरे औरत करना वाजिब

मर्दों को कंधों से घुटनों तक और औरतों को हाथ के गट्टों और चेहरे के अलावा सारा बदन ढांकना फ़र्ज़ है (यह पर्दा घर का है और जब औरत मकान से बाहर निकले तो मुंह का ढांकना फ़र्ज़ है)

(मज़ाहिरे हक़-365)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया जिस नमाज़ी के कंधे खुले हों उसकी नमाज़ नहीं होती। दूसरे कपड़े के होते केवल एक चादर से भी नमाज़ हो जाती है कि चाहिए कि चादर को कंधों पर मज़बूत बांधकर नमाज़ पढ़ें। यदि कपड़ा

खुला हुआ हो तो अच्छी तरह ओढ़ लें ताकि सर ढक जाए।

(सहीहीन मिश्कात-64)

और जिस कपड़े पर फूल बूटे हों उससे नमाज़ पढ़ी जा सकती है यदि नमाज़ी के आगे सजावट वाला पर्दा हो या मुसल्ला ऐसा सजा हो तो उसे हटा देना चाहिए क्योंकि इनसे ख्याल बंटता है रेशमी कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ना मना है नबी सल्ल० ने फ़रमाया तौहीद परस्त मुसलमान को शोभा नहीं देता कि वह रेशमी कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़े।

(सहीहीन मिश्कात-64 बुखारी मिश्कात-64)

यदि कोई केवल मोटा कुरता पहनकर नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ भी सही हो जाती है जबकि घुंडी लगी हो नबी करीम सल्ल० ने मर्दों को मना फ़रमाया कि मुंह ढांक कर या कपड़ा लटका कर नमाज़ पढ़ें।

(अबूदाऊद नसई मिश्कात-65)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि जब किसी के पास केवल एक कपड़ा हो, यदि बड़ा है तो सारे शरीर पर लपेट ले और यदि छोटा है तो तहबन्द करके नमाज़ पढ़े। जब इतना बड़ा कपड़ा हो कि उसे कांधे भी ढक सकते हों तो यदि कांधे खोलकर नमाज़ पढ़ेगा सही न होगी। जिसके पास कोई भी कपड़ा न हो वह अपनी पत्नी से कपड़ा मांग कर नमाज़ पढ़े यदि किसी को इतना कपड़ा भी न मिले तो वह घर की कोठरी में बैठकर नमाज़ पढ़े। नमाज़ माफ़ नहीं हो सकती। हां इन हालतों में जमाअत की हाज़िरी माफ़ है।

(सहीहीन बलोग़ 12, बुखारी 124)

नशे की हालत में नमाज़ न पढ़े जब तक होश न आए। बीमारी की सख़्ती से जब तक ग़फ़लत रहे नमाज़ माफ़ है। होश में आने के बाद बैठे या लेटे या इशारों से जिस तरह बन पड़े नमाज़ अदा करे और जब खड़ा होने की अल्लाह ताक़त दे तो खड़े होकर नमाज़ पढ़े। (सूर: निसा रुकू-5)

14- सुतरा

नबी करीम सल्ल० जब ईइगाह में तशरीफ़ ले जाते तो आपके आगे बरछी गाड़ी जाती और उसकी ओर नमाज़ पढ़ते जैसा कि बुख़ारी में इब्ने उमर रज़ि० की रिवायत में है-

कानन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा यग़दू इललमुसल्ला। वल अन्ज़तु बयना यदयहि तुहमलु व तुनसबु बिल मुसल्ला बयना यदयहि फ़युसल्ली इलयहा

(अबूदाऊद इब्ने माजा मिश्कात)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि जब कोई आदमी नमाज़ पढ़े तो अपने सामने कोई चीज़ रखले। और कुछ चीज़ नहीं तो केवल लकड़ी ही रख ले यदि यह भी न हो तो एक लकीर खींच ले फिर यदि कोई आगे से गुज़रेगा तो कुछ आपत्ति न होगी। आपने फ़रमाया कि अपने आगे सुतरा रखो चाहे तीर ही हो। (हाकिम बलोग़-15)

नबी करीम सल्ल० से जब सुतरे के बारे में मालूम किया गया तो फ़रमाया सुतरा ऊंट के कजावे की पिछली लकड़ी के बराबर होना चाहिए जो एक हाथ के बराबर लम्बी होती है। केवल इमाम के सामने सुतरा होना काफी है। जब नमाजी के आगे दीवार या पेड़ या ऊंट हो तो वही सुतरा है। नमाज़ी के आगे से गुज़रना सख़्त गुनाह है यदि कोई इसकी बुराई जान ले तो 100 साल तक रुका रहेगा यदि नमाज़ी के आगे सुतरा न हो तो औरत, कुत्ते और गधे के गुज़रने से उसकी नमाज़ टूटने के क़रीब हो जाएगी। नमाज़ी के सामने से गुजरने वाले को पहले मना किया जाए यदि न माने तो उसको धक्का दिया जाए क्योंकि वह शैतान है यदि नमाज़ी के आगे औरत सोई हो या पीठ किए बैठी हो तो नमाज़ी की नमाज़ में कुछ नुक़्सान नहीं आता।

(मुस्लिम, सहीहीन मिश्कात, इब्ने माजा)

15- नमाज़ की शर्तें

नमाज़ के सही होने की शर्तें और उनके ज़रूरी रुकन 15 हैं जिनके अदा न होने से नमाज़ नहीं होती।

1- कपड़े का पाक होना। 2- शरीर का पाक होना। 3-नमाज़ की जगह का पाक होना 4-काबे की ओर मुंह करना। 5- नमाज़ों का समय पहचानना 6-जो नमाज़ पढ़े उसकी नीयत दिल में करना 7-तकबीर तहरीमा कहना 8-क़याम करना (लेकिन यदि कोई बीमार) हो तो खड़े होकर नमाज़ अदा की जा सकती है। 9-इमाम और मुक़तदी के लिए सूर: फातिहा का पढ़ना क्योंकि इसके बिना नमाज़ नहीं होती। 10-रुकू पूरा करना 11-रुकू के बाद सीधे खड़ा होना। 13-दोनों सज्दों के बीच नबी सल्ल० के हुक्म के मुताबिक बैठना 14-अत्तहियात व दरूद शरीफ़ पढ़ने के लिए बैठना 15-दाएं-बाएं सलाम फेरना।

इनमें से एक शर्त भी पूरी न की तो नमाज़ न होगी।

(सहीहीन मिश्कात, तिर्मिज़ी, नसई, अबूदाऊद, दारमी)

पांच नमाज़ें

1-सुन्नत के अनुसार नमाज़ अदा करना

जब नमाज़ पढ़ने खड़े हो तो दिल में ख्याल करें कि हम यहां किस के सामने कौनसा काम करने खड़े हैं और अच्छी तरह जान लें कि हम जिसके सामने खड़े हैं वह हमारा अकेला माबूद है अल्लाह उसका पाक नाम है उसका कोई शरीक नहीं हम उसके मजबूर बन्दे हैं और उसके हुक्म से उसका सम्मान करने और नज़र व नियाज़ देने के लिए हाज़िर हैं। इसके बाद उस बरहक़ माबूद को अर्श अज़ीम पर बिराजमान समझकर उसकी ओर ध्यान दें और दिल

में यकीन कर ले कि हम उसे आसमान की ओर से अपनी ओर देखता हुआ महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने दरबार की हुज़ूरी के लिए दिन रात में पांच समय ठहराए हैं जिनमें उसने हमें अपने सामने हाज़िर होने का हुक्म देकर हमारी हिम्मत बढ़ायी है।

जब बन्दे उस हक़ीकी बादशाह के खास दीवान अर्थात् मस्जिद में हाज़िर हों तो दिल में सोचें कि यह कौन से दरबार का समय है? और यह भी मालूम करें कि हम फर्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं या नफ़ल? इसी सोचने को नमाज़ की नीयत कहते हैं। ज़बान से समय का नाम लेना नीयत नहीं है बल्कि बिदअत है क्योंकि यह किसी हदीस से साबित नहीं।

जब बन्दे यहां तक पहुंच जाएं तो क़िब्ले की ओर मुंह करके दोनों हाथ कानों या कंधों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कह कर दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ के गट्टे पर रखकर सीने पर हाथ बांधे। इसी को तकबीरे तहरीमा और तकबीरे ओला कहते हैं। तकबीरे तहरीमा के बाद धीरे से यह दुआ पढ़ें जो सबसे अधिक सही है। (इब्ने माजा-21, बुखारी-102)

अल्लाहुम्मा बाअिद बयनि व बयना ख़ताया कमा बा अत्ता बयनल मश्रिक़ी वल मग़रिबी० अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स्सवबुल अबयज़ु मिनद दनिसु०अल्लाहुम्मा अग़्सिल ख़ताया या बिलमाइन वस्सल जी वल बरदी०

"ऐ अल्लाह! मुझमें और मेरे गुनाहों में इतनी दूरी डाल दे जितनी दूरी पूरब पश्चिम में डाली है। ऐ अल्लाह! तू मुझे गुनाहों से ऐसा पाक कर जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक किया जाता है। ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाहों को पानी और बर्फ़ और ओलों से धो डाल।

फिर धीरे-धीरे यह आयत पढ़ें जो सबसे सही है -

अऊज़ बिल्लाहिस्समीअिल अलीमि मिनश्शतानिर्रजीमि मिन

हमज़िहि व न-फ-ख़िहि व न-फ़-शिहि०

"मैं सुनने वाले जानने वाले खुदा की पनाह मांगता हूं। शैतान के खतरे और वसवसे और फूंक से। (अबू दाऊद इब्ने माजा)

इसके बाद खुफ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। बिस्मिल्लाह सही हदीस की रू से कुरआन की एक आयत है जहरी (ऊंची क़िरअत) नमाज़ में पुकार कर और सिर्री (खामोश) नमाज़ में धीरे से पढ़ना बेहतर है। लेकिन बहुत सी सही हदीसें बिस्मिल्लाह के खामोशी से पढ़ने के बारे में आयी हैं और ज़ोर से पढ़ने की रिवायतों से खामोश पढ़ने की रिवायतें स्पष्ट हैं

(मुस्लिम मिश्कात 292, बलोगुलमराम बाब सलात)

इसके बावजूद जब कोई आदमी बिस्मिल्लाह पुकार कर पढ़े तो इस पर इन्कार न किया जाए। फिर इमाम मुक़तदी और अकेला नमाजी सूर: फ़ातिहा पढ़े और जब सूर: फ़ातिहा पढ़ चुके तो सब आमीन कहें। आमीन के बारे में जो जहर की रिवायते आयी हैं वे सही और विश्वसनीय हैं। इमाम और अकेला नमाज़ी फज्र व मग़रिब और इशा की नमाज़ों की पहली दो रकअतों में सूर: फ़ातिहा और कुरआन की कुछ आयतें या कोई सूर: पुकार कर पढ़े। यदि अकेला नमाज़ी इन नमाज़ों में खामोश क़िरअत करेगा तो कोई हरज नहीं लेकिन मुक़तदी किसी भी हाल में ज़ोर से न पढ़े बल्कि धीरे-धीरे ही पढ़े कि या तो स्वयं सुने या पास वाला नमाजी सुने। (मुस्लिम मिश्कात, तिर्मिज़ी अबू दाऊद)

जुहर व असर की नमाज़ें खामोश रहकर पढ़ें। जहरी (ज़ोर की) नमाज़ की पहली दो रकअतों में मुक़तदी अल्हम्दु शरीफ़ के सिवा और कुछ न पढ़े केवल इमाम क़िरअत कान लगाकर सुनें चाहे इमाम से इतनी दूरी पर हो कि उसकी क़िरअत सुनने में न आती हो, जहरी नमाज़ की पिछली दो एक रकअत में और जुहर और असर की चारों रकअतों में मुक़तदी अलहम्दु शरीफ़ के अलावा कुरआन शरीफ़ में से कुछ और भी पढ़ सकते हैं सूर: फ़ातिहा की

हर आयत को अलग-अलग ठहर-ठहर कर पढ़ें और आयत के अन्तिम अक्षरों को थोड़े लम्बा खींचे। इस तरह से पढ़ने वालों पर अल्लाह की ओर से शाबासी उतरती है।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात, अब्दाऊद मिश्कात)

मुक़तदी को चाहिए कि जिस हालत पर इमाम को पाए तुरन्त जमाअत में शरीक हो जाए और नमाज़ का जितना हिस्सा बाक़ी रह जाए इमाम के सलाम फेरने के बाद पूरा करें। (मोता इमाम मालिक 127)

मतलब यह कि जब क़िरअत पूरी कर चुकें तो अल्लाहु अकबर कह कर रूकू में जाएं और दोनों हाथ कांधों तक या कानों तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियां खुली रखीं जाएं। सर को ऊंचा न करें बल्कि समतल रखें और घुटनों को मज़बूती से पकड़े रखें और रूकू में जाने के बाद.............

"सुबहाना रब्बियल अज़ीम

तीन बार या ज्यादा से ज्यादा 7 या 9 बार कहें। हज़रत आयशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि नबी सल्ल० रूकू में प्राय: यह दुआ पढ़ा करते थे ..

सुबहानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहमदिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली।

रुकू में कुरआन पढ़ना मना है। फिर जब रुकू से सर उठाएं तो अपने दोनों हाथ कांधों चाहे कानों तक उठाएं और सीधे खड़े हो जाएं। यदि इमाम है तो ....

समिअल्लाहु लिमन हमिदहु या समि अल्लाहु लिमन हमिदहु रब्बना लकलहम्दु मिलास्समावाति व मिलअल अर्ज़ि वमिल अमा शिअता मिन शयइन बाअदु।

"अल्लाह ने उसकी बात सुनी जिसने उसकी प्रशंसा की ऐ अल्लाह!

तेरे ही लिए प्रशंसा है आसमानों और ज़मीनों भर और भरने उस चीज़ के कि चाहे तू बाद उसको

(बलोगुलमराम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

मुक़तदी को रुकू से उठने के बाद **अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु या रब्बना व लक्ल हम्दु हमदन कसीरन ताय्यिबन मुबारकन फ़ीहि०** कहना चाहिए। इन दुआओं का मतलब यह है --

ऐ हमारे रब तेरे ही लिए प्रशंसा है, ऐ हमारे रब तेरे ही लिए प्रशंसा है बहुत पाक प्रशंसा। (सहीहीन मिश्कात 72, बुखारी मिश्कात 74)

इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सज्दे में जाएं और तीन बार या ज्यादा से ज्यादा 7, 9 बार **सुबहाना रब्बियल आला या सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहमदिका अल्लाहुम्मग़फ़िरली** कहें --

"पाक है मेरा रब बहुत ऊंचा है ऐ खुदा तू पाक है ऐ हमारे रब और हम पाकी बयान करते हैं तेरी प्रशंसा के साथ ऐ इलाही मुझे बख्श दे।

(अबू दाऊद, दारमी, मिश्कात 68)

सज्दे में कपड़ों को समेटें और पेशानी व नाक और दोनों हाथों और घुटनों और क़दमों के दोनों पंजो पर सज्दा करें, सज्दे में कुरआन की कोई आयत न पढ़ें और हाथों की उंगलियों को खुला रखें। पांव की उंगलियों के सिरों का मुंह क़िब्ले की ओर करें और दोनों हाथ कानों के सामने ज़मीन पर रखें और कोहनियां ऊंची रखें इस प्रकार कि यदि बकरी का बच्चा नीचे से गुज़रना चाहे तो आसानी से गुज़र जाए और बग़लों की सफेदी साफ़ नज़र आए। (हदीस से इस तरह नमाज़ मर्दो व औरतों की साबित है दोनों की नमाज़ में कोई फ़र्क नहीं) कुत्ते की तरह दोनों हाथ बिछाने मना हैं।

(सही हीन मिश्कात 74, बुखारी 912, मुस्लिम मिश्कात)

जब पहले सज्दे से सर उठाएं तो बायां पांव बिछाकर उस पर इत्मीनान से बैठे इस तरह कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाए। इसे जलसा कहते है इस जलसे में यह दुआ पढ़नी मसनून है।

अल्लाहुम्मग़ फ़िरली वरहमनी वहदिनी व आफ़िनी वरज़ुक़नी

"ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर और मेरे नुक़सान को पूरा कर और मुझे हिदायत दे और रिज्क़ प्रदान कर।

(अबू दाऊद तिर्मिजी, सहीहीन मिश्कात, 75)

इसके बाद दूसरा सज्दा करें और उसमें वही तसबीह पढ़े जो पहले सज्दे में पढ़ी थी। फिर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दे से सर उठाएं और बायां पांव मोड़कर उसपर इतनी देर आराम से बैठे कि हर हड्डी अपने ठिकानें पर आ जाए। फिर ज़मीन पर दोनों हाथ टेक कर दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएं और जिस तरह पहली रकअत पढ़ी थी उसी तरह दूसरी पढ़ें मगर इसमें वह दुआ नहीं है। जब दूसरी रकअत के दोनों सज्दे कर लें तो बायां पांव बिछाकर उसपर बैठें और दायां पांव खड़ा करके दायां हाथ दाएं घुटने पर और बायां पावं बाएं घुटने पर रखकर पढ़े--

6- अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलयका अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व ब-र-कातुहु अस्सलामु अलयना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीना अशहदु अन्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू॰

"मुंह से कहने की बन्दगी अल्लाह के लिए है और बदन की बन्दगी और पाक माल की बन्दगी अल्लाह ही के लिए है सलाम तुम पर ऐ नबी और रहमत अल्लाह की और बरकतें उसकी सलाम हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर है। गवाही देता हूं कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूं कि मुहम्मद उसके बन्दे हैं और उसके रसूल हैं।

(तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, मिश्कात 75, बुखारी 14)

जब अहत्तहिय्यात पढ़ना शुरु करें तो शहादत की उंगली उस समय उठाएं जब अशहदु अन्ला इलाहा पर पहुंचे। जब तीसरी रक्अत के लिए उठने लगें तो ज़मीन पर दोनों हाथ टेक कर उठें और खड़े होकर दोनों हाथ कानों तक उठाएं फिर तीसरी चौथी रक्अत भी इसी तरह पढ़ें जैसे पहली दो रक्अतें पढ़ी हैं (बुखारी 104 बुखारी 104 अबूदाऊद तिर्मिज़ी)

लेकिन अन्तिम रक्अत में बैठे तो बायां पांव निकाल कर बायीं ओर कूल्हे पर बैठें फिर अत्तहिय्यात पढ़कर यह दरूद पढ़े- **अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिव वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लयता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद०**

अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिव व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद०

"ऐ अल्लाह रहमत भेज मुहम्मद पर और आले मुहम्मद पर जैसे कि रहमत भेजी है तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर बेशक तू प्रशंसा किया गया है बुजुर्गी वाला अल्लाह बरकत भेज मुहम्मद पर और आले मुहम्मद पर जैसी बरकत भेजी तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर बेशक तू प्रशंसा किया गया है बुजुर्गी वाला।

(अबूदाऊद, तिर्मिज़ी मिश्कात 69, सहीहीन मिश्कात)

दरूद के बाद यह दुआ पढ़ें-

अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़सी जुलमन कसीरव वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इन्दिका वरहमनी इन्नका अन्तल ग़फ़ूरुर्रहीम० अल्लाहुम्मा इन्नी आऊजुबिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जालि व आऊजुबिका मिन फ़ितनतिल महयाई व फ़ितनतिल ममाति० अल्लाहुम्मा इन्नी आऊजुबिका मिनल

मासमि वल मग़रमि। **(सहीहीन मिश्कात-78)**

"ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत ही बड़ा ज़ुल्म किया और तेरे अलावा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता तो तू मुझे बख़्श दे। बख़्शना खास अपने पास से और मेरे ऊपर रहम कर बेशक तू बख़्शने वाला मेहरबान है। ऐ अल्लाह मैं क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूं। और दज्जाल के फ़ित्ने से दूरी चाहता हूं और जिन्दगी व मौत के फ़ित्ने से पनाह मांगता हूं। ऐ अल्लाह मैं गुनाह और क़र्ज़ से पनाह मांगता हूं।

फिर दायीं ओर गर्दन फेर कर अस्सलामु अलयकुम व रहमतुल्लाही और इसी तरह बायीं ओर और रहमतुल्लाहि के साथ व बराकातुहु कहना भी जायज़ है। (सहीहीन मिश्कात)

नोट:- काने दज्जाल का फ़ित्ना इतना अधिक होगा कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि ऐसा फ़ित्ना कभी उम्मत पर नहीं आएगा इस ज़माने में कुछ लोगों ने दज्जाल वाली हदीस का इन्कार किया है मुसलमानों को इनसे बचना चाहिए।

2- फ़ज्र की नमाज़

फ़ज्र की नमाज़ में पहले दो रक्अत सुन्नते मोअक्किदा हैं फिर दो रक्अत फ़र्ज़ हैं। सुन्नतों की पहली रक्अत में सूर: काफ़िरून और दूसरी में सूर: इख़्लास पढ़ना चाहिए। या पहली रक्अत में आयत कूलू आमन्ना बिल्लाहि और दूसरी रक्अत में आयत कुल या अय्युहल किताबी तआलव पढ़ना सही हदीसों में आया है कि सुबह के फ़र्ज़ों में सूर: क़ाफ़ या सूर: मोमिनून और कभी सूर: वल्लयल और सूर: कुव्विरत पढ़ना मसनून है यदि समय कम हो तो सूर: फ़लक़ व सूर: नास ही पढ़ना भी सही है जुमे के दिन सुबह की पहली रक्अत में सूर: सज्दा और दूसरी रक्अत में सूर: दहर पढ़ना नबी सल्ल० से साबित है। (सहीहीन मिश्कात 72, मज़ाहिरे हक़ 300, मुस्लिम मिश्कात)

कभी-कभी आपने सुबह की दो रकअतों में सूर: ज़िलज़ाल भी पढ़ी है। फज्र की सुन्नतें पढ़कर दायीं करवट पर लेटना सुन्नत है यदि ये सुन्नते जमाअत में शरीक होने के कारण रह गयी हों तो फ़र्ज़ों के बाद पढ़ लें। फ़ज्र की सुन्नतों के अलावा और कोई नमाज़ फ़ज़ों के बाद सूरज निकलने तक पढ़ना सही नहीं है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि फ़ज्र की दो सुन्नतें सारी दुनिया से बेहतर है और फ़रमाया कि जो आदमी नमाज़ में अपनी क़िरअत सूर: इख़्लास पर खत्म करता है अल्लाह उसे बेहद दोस्त रखता है। सूर: इख़्लास तिहाई क़ुरआन के बराबर है सूर: फ़ातिहा क़ुरआन की मां है अयातुल कुर्सी क़ुरआन की सारी आयतों से अफ़ज़ल है।

(बुख़ारी 72, मुसनद इमाम अहमद तिर्मिज़ी मिश्कात 87)

सुबह की नमाज़ के फ़ज़ों में इमाम और अकेला नमाज़ी भी पुकार कर क़िरअत करे। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि जिसने सुबह व इशा की नमाज़ जमाअत से पढ़ी मानो उसने डेढ़ रात के बराबर नमाज़ पढ़ी और फ़रमाया कि सुबह की नमाज़ में रात दिन के फ़रिश्ते जमा होते हैं और फ़रमाया कि जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ ली वह अल्लाह की अमान में आ गया जो उसे कष्ट देगा जहन्नुम में डाला जाएगा। सुबह के फ़र्ज़ों में दूसरी रक्अत में किसी घटना के घट जाने पर या विरोधियों की बुराई से बचे रहने के लिए रुकू से खड़े होकर दुआए क़ुनूत पढ़ना हदीस से साबित है।

(मुस्लिम 710, मुस्लिम 714, अबूदाऊद नसई)

नबी करीम सल्ल० फ़ज्र की नमाज़ ऐसे समय अदा फ़रमाते कि जब औरतें नमाज़ से फ़ारिग़ होकर जाती तो अंधेरे के कारण पहचानी न जाती।

(सहीहीन मिश्कता 52)

आप फज्र की दो सुन्नतों की बड़ी हिफ़ाज़त करते और सारी नफ़ली नमाज़ों से बढ़कर आपको ख्याल रहता। आप सुबह की नमाज़ अदा करके

मुसल्ले पर तशरीफ़ रखते। सहाबा अज्ञानता के दिनों के हालात सुनाते और आप मुस्कुराया करते। आप फ़रमाते फज्र की दो सुन्नते सारी दुनिया से बेहतर हैं (सहीहीन मिश्कात 96)

ज़ुहर की नमाज़

ज़ुहर के समय फर्ज़ों से पहले चार सुन्नतें पढ़ना आवश्यक है और कुछ हदीसों से दो रकअत भी है। हदीस शरीफ़ के शब्द इस प्रकार हैं-

अनिब्नि उम-रा क़ाला सल्लयतु मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैयहि व सल्लमा रकातयनि क़ुबल ज़्ज़ुहरी व र कातयनि बा अदहा०

इसके बाद चार रकअत फ़र्ज़ और दो रकअत सुन्नत। नमाज़ी मालिक है कि सुन्नतों में जो चाहे आयतें पढ़े लेकिन फ़र्ज़ों में सूर: फ़ातिहा के बाद सूर: लयल या सूर: आला और कभी सूर: तारिक़ या सूर: लुक़मान या सूर: ज़ारिआत की कोई आयत पढ़ना भी मसनून है।

(मुस्लिम मिश्कात 71, सहीहीन मिश्कात 71)

जुहर के फ़र्ज़ों में नबी सल्ल० कभी किरअत बड़ी करते कभी छोटी आपकी पहली रकअत से दूसरी रकअत हल्की होती। जुहर के चारों फ़र्ज़ रकअतों में इमाम और मुक़्तदी के लिए सूर: फ़ातिहा के अलावा कोई और सूर: भी चुपके से पढ़ना मसनून है लेकिन यदि बाद की दो रकअतों में केवल सूर: फ़ातिहा ही पढ़े तब भी काफ़ी है।

(नसई मिश्कात 72 सहीहीन मिश्कात 71 मुस्लिम 54)

फ़र्ज़ों से पहले की चार सुन्नतें चाहे एक सलाम के साथ पढ़े या दो सलाम के साथ दोनों बातें जायज़ हैं। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जो आदमी जुहर की इन छ: या आठ सुन्नतों को हमेशा पढ़ता रहेगा अल्लाह उस पर

जहन्नुम को हराम कर देगा। ज़कात के समय नमाज़ पढ़ना, मय्यत को दफ़न करना और नमाज़े जनाज़ा अदा करना हराम है। जुहर के फ़र्ज़ों के बाद केवल दो रकअत सुन्नतें हैं जो लोग इन सुन्नतों के बाद दो रकअत नफ़ल बैठकर पढ़ते हैं उनकी नबी सल्ल० से कोई सबूत नहीं अत: वह बिदअत है।

(अहमद तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, नसई इब्ने माजा)

4-असर की नमाज़

असर की चार रकअतें फ़र्ज़ हैं। इस नमाज़ में सूर: फ़ातिहा के बाद छोटी सूरतें धीरे-धीरे पढ़े जैसे जुहर के फ़र्ज़ों में पढ़ी थी बल्कि बेहतर है कि इनसे भी छोटी हों। इस नमाज़ में भी इमाम और मुक़्तदीं सूर: फ़ातिहा के साथ जो सूरत चाहे पढ़ सकता है।

(मुस्लिम मिश्कात-7 नसई मिश्कात 73)

क़ुरआन में असर की नमाज़ को सलातुल वुसता कहा गया है और खास तौर से इस नमाज़ की ताकीद की गयी है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जो आदमी असर की नमाज़ पर हमेशगी करेगा वह जहन्नुम में न जाएगा और जो आदमी असर की नमाज़ छोड़ देता है उसके सारे अमल बेकार गए वह आदमी ऐसा मुफ़लिस हो जाता है कि जैसे उसकी सारी माल दौलत लूट ली गयी हो (सूर: बक़रा, मुस्लिम मिश्कात 54, सहीहीन मिश्कात 52)

असर के फ़र्ज़ों के बाद सूरज छिपने तक कोई नमाज़ ठीक नहीं लेकिन हां, इसी दिन की फ़र्ज़ नमाज़ क़ज़ा पढ़ सकते हैं। काबा शरीफ़ में हर समय नमाज़ पढ़ना सही है। जब सूरज छिपने लगे तो न तो जनाज़े की नमाज़ पढ़नी चाहिए न मय्यत को दफ़न करना चाहिए। जिस तरह जुहर की दूसरी रकअत पहली रकअत से छोटी होनी चाहिए इसी तरह असर की दूसरी रकअत भी पहली रकअत से हल्की होनी चाहिए।

(मुस्लिम मिश्कात 86-87, नसई मिश्कात 73)

असर व मग़रिब के बीच खाया पिया जा सकता है नबी सल्ल॰ प्राय: अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ि के यहां शरबत पीते थे। यह केवल बिदअतियों की बनावट है कि असर के बाद मग़रिब तक कुछ खाया पिया न जाए। जुहर व असर की नमाज़ में जब नबी सल्ल॰ किरअत करते तो सहाबा को कुछ आयतें सुनायी देतीं। असर के फ़र्ज़ों से पहले चार रकअतें और दो रकअतें सुन्नत भी हदीस से साबित हैं। नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया जो आदमी असर के फ़र्ज़ों से पहले चार रकअत सुन्नत पढ़े ख़ुदा उस पर रहम फ़रमाए।

(सहीहीन मिश्कात, मुस्लिम मिश्कात, नसई मिश्कात)

5–मग़रिब की नमाज़

मग़रिब के समय तीन रकअत नमाज़ फ़र्ज़ हैं फिर दो रकअत सुन्नत मग़रिब के फ़र्ज़ों से पहले सूरज डूबने के बाद भी दो रकअतें सुन्नतें हैं मगर मोअक्किदा नहीं। फ़र्ज़ों के बाद की सुन्नतों में नबी सल्ल॰नबी प्राय: सूर: काफ़िरून व सूर: इख़्लास पढ़ा करते थे और ये सुन्नते घर पर ही पढ़ा करते थे मगर कभी कभी मस्जिद में भी पढ़ लिया करते थे मग़रिब के फ़र्ज़ों में कभी आप सूर: नूर कभी सूर: मुरसलात पढ़ते।

(सहीहीन मिश्कात 96, इब्ने माजा 72, नसई मिश्कात)

मग़रिब की पहली दो रकअत फ़र्ज़ों में इमाम को पुकार कर किरअत करनी चाहिए लेकिन मुक़्तदी अलहम्दु के सिवा कुछ न पढ़े हां तीसरी रकअत में इमाम व मुक़्तदी चाहें तो केवल सूर: फ़ातिहा ही पढ़ें या उसके साथ कुछ और भी मिला लें। फ़र्ज़ों के बाद की दो रकअतें सुन्नते मोअक्किदा हैं इन्हें जल्दी से पढ़ लेना चाहिए इनके बाद जो दो रकअत नफ़ल बैठकर पढ़ते हैं वह केवल बिदअत हैं (सहीहीन मिश्कात 96, मुस्लिम मिश्कात, 71)

6–इशां की नमाज़

इशा में चार फ़र्ज़ हैं इसके बाद दो सुन्नत मोअक्किदा फ़र्ज़ों की पहली दो रकअतों में क़िरअत पुकार कर करनी चाहिए और बाद की दो रकअतों में धीरे से। नबी करीम सल्ल० इशा के फ़र्ज़ों में सूर: फ़ातिहा के बाद प्राय: सूर: शम्स और सूर: जुहा पढ़ा करते थे लेकिन कभी–कभी वल्लयल और सूर: आला और कभी अन्य सूरतें भी पढ़ा करते थे।

(मुस्लिम मिश्कात 71 सहीहीन मिश्कात)

आप कुरआन बड़ी अच्छी आवाज़ से पढ़ा करते थे आप से अच्छा पढ़ने वाला कोई न था। हर रकअत में पूरी एक सूर: पढ़ना या दोनों रकअतों में एक ही सूर: आधी आधी पढ़ना जायज़ है। नमाज़ी को अधिकार है कि नमाज़ में इन सूरतों के अलावा जहां से चाहे कुरआन पढ़े। पांचों नमाज़ों में 12 रकअतें सुन्नतें मोअक्किदा हैं। नमाज़ फ़ज्र के पहले दो, जुहर से पहले चार और बाद को दो मग़रिब के बाद दो, इशा के बाद दो। नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि जो आदमी ये 12 रकअतें पढ़ेगा उसके लिए हर दिन जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। बेहतर तो यह है कि नमाज़ में कुरआन शरीफ़ की सूरतें क्रम से पढ़ें लेकिन यदि कोई जानबूझ कर सूरतों का क्रम नहीं रखेगा तब भी नमाज़ तो हो ही जाएगी। (अबूदाऊद मिश्कात 403, मुस्लिम मिश्कात)

7–इमाम के पीछे सूर: फ़ातिहा

हदीस की किताबों में आया है कि बिना सूर: फ़ातिहा के नमाज़ नहीं होती। अत्तएव एक जगह नबी सल्ल० ने यों फ़रमाया–

ला सलाता लिमल्लम यक़रअ बिउम्मिलकुरआन

"जो व्यक्ति सूर: फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ नहीं होती"

एक जगह यों फ़रमाया-

मन सल्ल सलात लम यक़रअ फ़ीहा बिउम्मिलकुरआनि फ़हिया खिदाजुन सलासन ग़ैरु तमामिन॰

"जो आदमी कोई भी नमाज़ पढ़े और उसमें सूर: फ़ातिहा न पढ़े तो वह नमाज़ अधूरी है आपने तीन बार ऐसी नमाज़ को अधूरी फ़रमाया।
(मुस्लिम मिश्कात 70।

सहाबा रजि॰ फज्र की नमाज़ में नबी सल्ल॰ के पीछे कुरआन पुकार कर पढ़ा करते थे आपने फ़रमाया कि जब मैं नमाज़ में पुकार कर किरअत किया करूं तो तुम सूर: फ़ातिहा के अलावा और कुछ न पढ़ा करो क्योंकि जो आदमी नमाज़ में सूर: फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ नहीं होती। इसी आधार पर एक बार नबी सल्ल॰ ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ को हुक्म फ़रमाया कि मदीने की गलियों में मुनादी करा दो कि बिना सूर: फ़ातिहा के नमाज़ नहीं होती।
(अबूदाऊद, नसई, तिर्मिज़ी मिश्कात 73)

मुक़्तदी इमाम के पीछे सूर: फ़ातिहा धीरे से पढ़े और इमाम की किरअत पर ध्यान लगाए रखे यदि इमाम सूर: फ़ातिहा सुन्नत के खिलाफ़ जल्दी जल्दी पढ़े और हर आयत पर वक़्फ़ा न करे या सूर: फ़ातिहा के अन्त पर न ठहरे तो मुक़्तदी बिना किसी लिहाज़ इमाम के साथ-साथ या आगे पीछे जहां भी अवसर मिले सूर: फ़ातिहा पढ़े। किसी हालात में इसे न छोड़े।

मसला- मुक़्तदी ने इमाम के पीछे सूर: फ़ातिहा पढ़नी शुरु की अभी पढ़नी बाक़ी थी इमाम ने रुकू कर दिया तो मुक़्तदी को चाहिए कि सूर: फ़ातिहा जल्दी से खत्म करके रुकू में चला जाए। यदि सूर: फ़ातिहा अधिक पढ़नी बाकी हो तो रुकू में जा मिले और यह रकअत बाद में पढ़ ले।

मसला- यदि इमाम रुकू में हो और कोई आदमी पीछे से आकर

शामिल हो और रकअत हाथ न लगी हो तो उसे बाद को यह रकअत अदा करनी चाहिए क्योंकि नबी सल्ल० ने फ़रमाया है जिस क़दर नमाज़ इमाम के साथ पाए उसे अदा करे और जो न पाए उसे पूरा करो।

मसला– रकअत मिलने की उम्मीद में दौड़कर जमाअत में शामिल होना मना है।

मसला– जिस रकअत में नमाज़ की शर्तों में से कोई भी रुक्न छूट जाए वह रकअत दोबारा पढ़नी होगी क्योंकि ऐसी हालत में वह न सूरः फ़ातिहा पढ़ पाता है न क़याम ही करता है।

8– आमीन कहने की ताकीद

मग़रिब, इशा व सुबह की नमाज़ में जब इमाम व मुक़्तदी सूरः फ़ातिहा की पिछली आयत को खत्म कर चुके तो पहले इमाम फिर मुक़्तदी पुकार कर आमीन कहें लेकिन ज़्यादा शोर न मचाएं। नबी सल्ल० केवल इतनी आवाज़ से आमीन कहते कि पहली पंक्ति के लोग सुन लेते मगर तमाम सहाबा की आवाज़ से मस्जिदे नबवी गूंज उठती थी। आमीन कहने की फ़ज़ीलत में बहुत सी हदीसें मौजूद हैं। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि जब इमाम आमीन कहे तो उसके साथ तुम भी आमीन कहो क्योंकि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के अनुसार होगी उसके सारे पिछले गुनाह बख़्श दिए जाएंगे।

(इब्ने माजा 130-131, बुखारी मिश्कात 71)

फ़ायदा– कुछ कमज़ोर हदीसों में आमीन का धीरे से कहना आया है मगर उनके असल अर्थ समझने में लोगों ने बड़ी ग़लती की है इसलिए वे ज़ोर से आमीन कहने वाली हदीसों का विरोध करके आमीन को धीरे से कहना ही जायज़ बताते हैं। धीरे से आमीन कहने का सही अर्थ इस मिसाल से अच्छी तरह ज़ेहन में बैठ सकता है कि जब मदरसे के बच्चे बहुत शोर करके पढ़ने

लग ज़ाते हैं तो उस्ताद उन्हें कहता है कि बच्चो धीरे से पढ़ो तो वे धीरे से पढ़ने लग जाते हैं तो धीरे से आमीन कहने का अर्थ है कि बहुत ज़ोर से न कही जाए न कि वह अर्थ है जो उन लोगों ने लिए हैं इसकी पुष्टि इस आयत से भी होती है।

वला तजहर बिसलातिका वला तुख़ाफ़ित बिहा वबतग़ि बयना ज़ालिका सबीला। **(पारा 15 सूरः बनी इस्राईल)**

"नमाज़ में न तो बहुत चिल्लाओ न चुपके ही से पढ़ो बल्कि बीच की आवाज़ अर्थात् धीरे पढ़ो।"

तो धीरे से आमीन कहने का यह मतलब है जो इस कुरआनी आयत ने समझा दिया है और यही मतलब कुछ हनफ़िया शोधकर्ताओं ने भी समझा है। अतएव अल्लामा इब्ने हमाम जो एक बड़े हनफ़ी आलिम गुज़रे हैं अपनी किताब फ़तहुल क़दीर हिदाया की व्याख्या में फ़रमाते हैं कि आमीन धीरे से कहने का यह मतलब है कि अधिक शोर करके आमीन न कही जाए। सार यह कि जब नबी करीम सल्ल० की सही हदीसों में आमीन का ज़ोर से कहना मौजूद है तो हमें चाहिए कि उनके आगे सर झुका दें और तास्सुब व हठधर्मी को छोड़ दें। मौलाना अब्दुल हई हनफ़ी लखनवी विक़ाया की व्याख्या के हाशिए पर लिखते हैं कि आमीन ज़ोर से कहने की हदीसें सही हैं और आमीन धीरे से कहने की हदीसें कमज़ोर हैं।

जब इमाम आमीन कह चुके तो थोड़ा ठहर कर क़िरअत शुरु करे। इस वक़्फ़े को 'सकता' कहते हैं। (फ़तहुल क़दीर)

9- रफ़अ यदैन

रफ़अ यदैन कहते हैं दोनों हाथ कांधों या कानों तक उठाने को। नबी सल्ल० जब नमाज़ शुरु करते और जब रुकू में जाते और जब रुकू से उठते

तो रफ़अ यदैन किया करते थे।

हदीस शरीफ़ की किताबों को देखने से मालूम होता है कि रफ़अ यदैन सुन्नत मोअक्किदा है इसलिए कि इस बारे में बहुत सी सही और भरोसेमन्द हदीसे आयी हुई हैं। इमाम बुखारी ने इस बयान में एक पूरा रिसाला लिखा है और रफ़अ यदैन की हदीस के विश्वसनीय होने का दावा किया है। इमाम बुखारी के अलावा बहुत से उलेमा ने इसके सुन्नत होने पर सहमति प्रकट की है। नबी सल्ल० का अन्तिम समय तक रफ़अ यदैन करना साबित किया है।

बड़े-बड़े उलेमाए अहनाफ़ भी रफ़अ यदैन के सुन्नत होने और इसके रद्द न होने के क़ायल हैं मगर बाद के कुछ अहनाफ़ उलेमा इसे सुन्नत कहते हैं। न्याय प्रिय यदि हदीस की किताबों को ध्यान से देखेंगे तो साफ़ पता चल जाएगा कि रुकू में जाते समय रफ़अ यदैन करना और रुकू से उठते और तीसरी रकअत के लिए खड़े होते समय रफ़अ यदैन करना नबी सल्ल० की सुन्नते मोअक्किदा है। नमाज़ चाहे फ़र्ज़ हो या सुन्नत या नफ़्ल सब में रफ़अ यदैन करना मसनून है। इमाम बहीक़ी अपनी सुनन में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से नक़ल करते हैं-

फ़मा ज़ालता तिलका सलातुहि हत्ता लक़ियल्लाहु

"नबी सल्ल० वफ़ात के दिन तक बराबर रफ़अ यदैन करते रहे।"

अली बिन मदीनी इमाम बुखारी के उस्ताद कहते हैं कि यह हदीस अल्लाह के बन्दों पर दलील है। सर्दी की वजह से कपड़े के अन्दर से हाथ निकालकर रफ़अ यदैन करना और हाथ ढांक लेना हदीस से साबित है।

10- नमाज़ के बाद मसनून वज़ीफ़े व दुआ

इमाम जब नमाज़ पढ़कर सलाम फेरे तो कभी दायीं तरफ़ के

मुक़्तदियों और कभी बायीं तरफ़ के मुक़्तदियों की ओर मुंह करके बैठ जाए। इमाम और मुक़्तदी सलाम फेरते ही पहले तीन बार ऊंची आवाज़ से अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाहु कहें। फिर यह दुआ पढ़े-

1- अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु व मिक्कस्सलामु तबारकता या ज़लजलालि वल इक्रामि० (बुखारी 117)

"ऐ अल्लाह तू सलामती वाला है और तुझी से सलामती मिलती है ऐ बुजुर्गी व बख़्शिश वाले तू बड़ी बरकत वाला है।"

2- ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर० अल्ला हुम्मा ला मानिआ लिमाआतयता वला मोअतिया लिमा मनअता वला यनफ़ऊ ज़लजददी मिन्कल जदुदु० (मुस्लिम मिश्कात-80).

"अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं वह अकेला है उसका शरीक नहीं उसके लिए सत्ता और उसी के लिए प्रशंसा है और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है ऐ अल्लाह जो चीज़ तू प्रदान करे उसे कोई टालने वाला नहीं और जिस चीज़ को तू मना कर दे उसे कोई देने वाला नहीं और तेरे सामने दौलत मन्द की दौलत कभी फ़ायदा नहीं देती।"

3- अल्लाहुम्मा इन्नी आऊजुबिका मिनल जुबनि व आऊजुबिका मिनल बुखुलि व आऊजुबिका मिन अन उरददा इला अरज़लिल उमुरी व आऊजुबिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़बरि० (सहीहीन मिश्कात 81)

"ऐ अल्लाह मैं तुझसे ना मुरादी से पनाह मांगता हूं और निकम्मी उम्र की ओर फेरे जाने से पनाह मांगता हूं और दुनिया के फ़ित्ने और क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूं।"

4- अल्लाहुम्मा अइन्नि अला ज़िकरिका व शुकरिका व हुसनि इबादतिका०

"ऐ अल्लाह अपने ज़िक्र व शुक्र और अपनी अच्छी इबादत करने पर मेरी मदद फ़रमा।"

नबी सल्ल० ने मआज़ बिन जबल रज़ि० को वसीयत की थी कि मआज़ तुम हर फ़र्ज़ नमाज़ के पीछे इस दुआ को ज़रूर पढ़ना।

5- अल्लाहुम्मा इन्नी आऊजुबिका मिन ज़वालि नेमतिका व त-हव्वलि आफ़ियतिका व फुजाअति फ़िक़मतिका व जमीअि स-ख़-तिका०

"ऐ अल्लाह! मैं तेरी नेमत के पतन से तुझसे पनाह मांगता हूं और तेरी आफ़ियत के फिरने और तेरे अज़ाब के अचानक आने और तेरी तमाम नाखुशियों से पनाह मांगता हूं।"

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया है जो आदमी हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई और चीज़ न रोकेगी अर्थात मरते ही सीधा जन्नत में चला जाएगा। यही फ़ज़ीलत सूर: इख़्लास पढ़ने वालों की है। (बहीक़ी मिश्कात 81)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया जो आदमी हर नमाज़ के बाद 33 बार सुबहानल्लाहि और इतना ही अलहम्दुल्लिाहि और 34 बार अल्लाहु अकबर कहे फिर एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुलमुल्कु वलहुलहम्दु वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर० पढ़े तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे यद्यपि समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों न हों।

(मुस्लिम मिश्कात 81)

और फ़रमाया जो आदमी हर दिन सौ बार सुबहानल्लाहि कहेगा उसके

कर्मपत्र में हर दिन 100 नेकियां लिखी जाएंगी और फ़रमाया जो आदमी सुबह की नमाज़ के बाद तीन बार यह दुआ पढ़े- सुब्हानल्लाहि व बिहमदिहि अ-द-द ख़लक़िहि व रज़िया नफ़सिहि व ज़िनता अरशिहि व मिदादा कलिमातिहि॰ तो क़ियामत के दिन सबसे अधिक दर्जे पाएगा। (सहीहीन मिश्कात 193)

नबी सल्ल॰ प्राय: यह दुआ पढ़ा करते थे- **रब्बना आतिना फ़िद दुनिया ह-स-न-तव वफ़िल आखिरति ह-स-न-तव वक़िना अज़ाबन्नार॰**

"ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी नेकी दे और आखिरत में भी और हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा।"

नबी सल्ल॰ ने यह भी फ़रमाया कि जो आदमी सुबह की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक और असर की नमाज़ के बाद से सूरज छिपने तक नमाज़ की जगह बैठ कर अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहेगा उसे हर दिन हज़रत इसमाईल अलैहि॰ की औलाद में से चार गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।

(अबूदाऊद मिश्कात 81)

आपने यह भी फ़रमाया कि जो आदमी सुबह की नमाज़ जमाअत से पढ़े फिर वहीं बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करता रहे इसके बाद इशराक़ की नमाज़ पढ़े तो उसे पूरे हज व उमरे का सवाब मिलेगा। तीन बार आपने यही फ़रमाया। (तिर्मिज़ी मिश्कात 81)

कहने का मतलब यह है कि नमाज़ों के बाद आप जो कुछ चाहे अल्लाह से मांगे। नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया है कि फ़र्ज़ों के बाद दुआ बहुत ही क़ुबूल होती है आपने यह भी फ़रमाया है कि जब तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अपने हाथों के अन्दर वाले रुख़ से दुआ मांगो और उन्हें मुंह पर फेरो और फ़रमाया कि जब अल्लाह का बन्दा दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह को इस बात से शर्म आती है कि उन हाथों को खाली हाथ वापस कर दे।

(अबूदाऊद मिश्कात 187)

दुआ मांगते समय हाथ उठाने और अपने दोनों हाथों की हथेलियां मुंह के सामने करने और दुआ मांग कर हाथ मुंह पर मलने के काम मसनून हैं। हदीस में आया है कि दुआ मांगते समय हाथों का अन्दर वाला रुख़ मुंह के सामने रहे ऊपर की ओर न रहे अर्थात उल्टे हाथ करके दुआ न मांगनी चाहिए। हां इस्तस्क़ा की दुआ में उल्टे हाथ करके दुआ मांगनी चाहिए और फ़र्ज़ नमाज़ के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज़ है।

(अबूदाऊद मिश्कात 187 तिर्मिज़ी)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया नमाज़ दो रकअत है और दो रकअत के पीछे अत्तहिय्यात है और बेबसी व बेचारगी का ज़ाहिर करना है फिर दोनों हाथों का हथेलियों की ओर से उठाना है तो उस समय बन्दे को कहना चाहिए कि ऐ मेरे रब! ऐ मेरे रब! जिसने ऐसा न किया उसकी नमाज़ अधूरी और खराब है चूंकि ये दलीलें आम हैं इसलिए हर नमाज़ के पीछे हाथ उठाकर जो चाहें अल्लाह से मांगे बिल्कुल जायज़ व सही है।

(मज़ाहिर हक़ जिल्द 2-245)

नबी करीम सल्ल० दुआ के समय अपने हाथ यहां तक ऊंचा करते थे कि आपकी बग़लों की सफेदी पीछे से नज़र आती थी। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि जो आदमी दुआ नहीं मांगता अल्लाह उस पर नाराज़ होता है। और फ़रमाया दुआ करना इबादत है। फ़र्ज़ों के सलाम फेरने के बाद इमाम और मुक़्तदी का हाथ उठाकर एक साथ दुआ मांगना ज़रूरी नहीं है।

(बहीक़ी मिश्कात 88 तिर्मिज़ी)

11- नमाज़ में जायज़ व नाजायज़ काम

यदि नमाज़ी मकान के अन्दर नमाज़ पढ़ता हो और कोई आदमी अनजाने में उसे पुकारे तो मर्द उसे सुबहानल्लाहि कहकर और औरत दस्तक देकर खबर दे सकती है।

नमाज़ में सज्दे की जगह से एक बार कंकर आदि हटा देना जायज़ है यदि इनसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे वर्ना ऐसा करना मना है।

(सहीहीन मिश्कात 84 तिर्मिज़ी मिश्कात)

फ़र्ज़ नमाज़ में इधर-उधर देखना मना है हां नफ़ली नमाज़ों में जमाही आए तो जहां तक हो सके मुंह न खोले और जैसे भी हो सके जमाही को रोके मुंह से शब्द हाय न निकाले क्योंकि नमाज़ में जमाही लेने से शैतान मुंह में दाखिल होता और हंसता है। नमाज़ में मुंह पर हाथ रखकर जमाही बन्द करना जायज़ है यदि छींकने वाला नमाज़ में अलहम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलयहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरज़ा कहे तो कोई हरज नहीं बल्कि सवाब मिलता है छींकने वाला जब यह दुआ पढ़े तो नमाज़ी को उसके जवाब में यरहमुकल्लाहु कहना मना है।

(सहीहीन मिश्कात 82, इब्ने माजा मिश्कात 83 मिश्कात 82)

नमाज़ के दौरान यदि सांप बिच्छू को मार डाले या बच्चे को गोद में लेकर नमाज़ पढ़े तो इससे नमाज़ खराब नहीं होती। नबी सल्ल० एक बार मस्जिद में सहाबा को नमाज़ पढ़ा रहे थे और ज़ैनब रज़ि० की बेटी अमामा रज़ि० आपके कंधे पर सवार थी। जब आप रुकू करते तो बच्ची को बैठा देते और सज्दे से खड़े होते समय कंधे पर चढ़ा लेते। आपने फ़रमाया कि नमाज़ की हालत में सांप-बिच्छू को मारना चाहिए।

(मज़ाहिरे हक़ 365, मुसनद अहमद तिर्मिज़ी नसई 84)

नमाज़ में सज्दे की जगह फूंकना मना है। दुआ के समय नमाज़ में आसमान की ओर निगाह उठाकर देखना मना है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि अल्लाह हमेशा बन्दे की ओर मुंह किए रहता है मगर जब बन्दा फ़र्ज़ नमाज़ में इधर-उधर देखता है तो अल्लाह भी उसकी ओर से मुंह फेर लेता है।

(तिर्मिज़ी मिश्कात 82 अबूदाऊद)

हज़रत जाबिर रज़ि॰ नबी सल्ल॰ के साथ जुहर की नमाज़ पढ़ा करते थे जब ज़मीन गर्म होती तो रेत मुट्ठी में ठंडी करके सज्दे की जगह डालते और उसपर सज्दे किया करते। नमाज़ी को यदि कोई सलाम करे तो उसे हाथ के पंजों से ज़मीन की ओर इशारा कर देना जायज़ है सलाम का जवाब मुंह से देना मना है क्योंकि वह एक प्रकार का शुग्ल है और शुग्ल नमाज़ में जायज़ नहीं। नमाज़ी को चाहिए कि अपनी निगाह सज्दे की जगह गाड़े रखे।

(सहीहीन मिश्कात 82, बहीक़ी मिश्कात 82)

यदि किसी को पेशाब पाखाना आ रहा हो तो पहले उससे निमट ले वर्ना नमाज़ नहीं होगी। नमाज़ में यदि हवा निकल जाए तो नीयत तोड़कर फिर वुज़ू कर ले और दोबारा नमाज़ पढ़े यदि नमाज़ की हालत में मालूम हो जाए कि मोज़े या जूते गन्दे हैं तो नमाज़ की हालत में उन्हें उतार डाले।

(अबूदाऊद दारमी 168, अबूदाऊद मिश्कात 84)

नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुम यहूदियों का विरोध करो वे जूतों व मोज़ों के होते नमाज़ नहीं पढ़ते तुम पढ़ा करो। जो पायजामा या तहबन्द टख़नों तक लटका कर नमाज़ पढ़ता है उसकी नमाज़ नहीं होती। अल्लाह के भय से नमाज़ में रोना जायज़ है अंधेरे मकान में नमाज़ पढ़ना सही है। नफ़ली नमाज़ पढ़ते समय सामने का दरवाज़ा खोल देना चाहिए।

(अबूदाऊद मिश्कात 68, मुसनद इमाम अहमद मिश्कात 53 मज़ाहिरे हक़ 267, मुसनद इमाम अहमद तिर्मिज़ी)

12- सज्दा सहू (भूल का सज्दा)

अन अबी हुरयरता क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा इन्ना अ-ह-द-कुम इज़ा क़ामा युसल्ली जा अश्शयतानु फ़लबिसा अलयहि हत्ता ला यदरी कम सल्ला फ़इज़ा व-ज-द ज़ालिका

अ-ह दुकुम फ़लयस्जुद तयनि व हुवा जालिसुन॰

"तुममें से जब कोई आदमी नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है तो उसके पास शैतान आकर वसवसा डाल देता है यहां तक कि वह नहीं जानता कि मैंने कितनी रकअतें पढ़ी हैं तो जब कोई आदमी यह बात पाए तो बैठे-बैठे दो सज्दा कर ले।

जिसे नमाज़ में शक पड़ जाए कि मैंने तीन रकअतें पढ़ी हैं या चार तो वह शक दूर करे और उसे जितनी रकअतों का यक़ीन हो उसी पर सलाम फेरने से पहले दो सज्दे करे। नबी करीम सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जब कोई नमाज़ पढ़ता है तो शैतान आता है और नमाज़ी को बहलाता फुसलाता है तो वह तरह-तरह के ख्यालों में डूब जाता है और नहीं जानता कि कितनी रकअतें पढ़ी हैं? तो तुम्हें चाहिए कि कमी का निर्धारण करो। यद्यपि दो तीन में शक हो तो दो ही समझो यदि तीन चार में शक हो तो तीन ही पर यक़ीन करो और एक रकअत पढ़कर शक दूर करो। फिर आखिर की अत्तहिय्यात और दरूद शरीफ़ पढ़कर सहू (भूल) के दो सज्दे करके उसी तरह सलाम फेर दो। (मुस्लिम जिल्द 1-211, मुस्लिम मिश्कात 84 तिर्मिज़ी मिश्कात)

सलाम फेरने के बाद भी सज्दा सहू की बहुत सी सही हदीसें आयीं सलाम फेरने और सज्दा सहू करने के बाद अत्तहिय्यात पढ़ने की बाबत जो हदीस आयी है वह मज़बूत नहीं है यदि कोई इसपर अमल करे तो हरज नहीं। नमाज़ में चाहे अकेला हो या इमाम, यदि कोई चीज़ भूल गया है तो सहू करे। यदि इमाम नमाज़ में भूल जाए तो सहू के दो सज्दे करे और और मुक़्तदी भी इमाम के साथ दो सज्दे करे। यदि मुक़्तदी नमाज़ में सहू करेंगे तो उनपर सज्दा सहू के सज्दे वाजिब न होंगे। जब इमाम नमाज़ में भूल जाए तो कोई मुक़्तदी उसे सुबहानल्लाह कह कर याद दिला दे। यदि इमाम पहले काअदे में न बैठे और खड़ा हो जाए तो मुक़्तदियों को भी उसके साथ खड़ा हो जाना

चाहिए फिर आखिरी रकअत में सलाम फेरने से पहले इमाम बैठे-बैठे दो सज्दे करे और मुक़्तदी भी उसके साथ ऐसा ही अमल में लाएं।

(मुस्लिम मिश्कात 84, तिर्मिज़ी मिश्कात 75 सहीहीन मिश्कात 85)

नबी सल्ल॰ को कई बार नमाज़ में सहू हुआ है। एक बार जुहर या असर की नमाज़ में आपने दो रकअत पढ़कर सलाम फेर दिया था फिर एक सहाबी की याद दहानी पर आपने सलाम फेरने के बाद सहू के दो सज्दे अदा किए और फ़रमाया मैं भी तुम जैसा ही आदमी हूं जैसे तुम भूलते हो वैसे ही मैं भूल जाता हूं जब मुझे सहू हुआ करे तो तुम याद दिला दिया करो।

(सहीहीन मिश्कात 85, 58)

एक बार आप जुहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे बीच में क़ाअदे में न बैठे आखिर के क़ाअदे में अत्तहिय्यात और दरूद शरीफ़ पढ़कर सलाम फेरा और फ़रमाया कि जब कोई आदमी दो रकअतें पढ़ चुके और बीच का क़ाअदा भूल जाए और खड़ा हो जाए यदि सीधा खड़ा होने से पहले याद आ जाए तो तुरन्त बैठ जाए नहीं तो न बैठे और अन्त में सहू के दो सज्दे कर ले।

(सहीहीन मिश्कात 85)

एक बार आपने असर की नमाज़ पढ़ाई और तीन रकअतें पढ़कर सलाम फेर दिया इसके बाद हुजरे में तशरीफ़ ले गए। एक सहाबी ने मकान पर जाकर आपको याद दिलाया आप उसी समय मस्जिद में तशरीफ़ लाए और दूसरे लोगों से तसदीक़ फ़रमाकर एक रकअत पढ़कर सलाम फेरा और दो सज्दे करके उसी समय नमाज़ से बाहर आ गए।

(मुस्लिम मिश्कात 72)

ये तीन तरीक़े हैं सज्दा सहू के जो बिल्कुल सही हैं। नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया कि यदि किसी ने भूल से पांच रकअतें पढ़ी हैं तो इन दोनों सज्दों की एक रकअत बनकर छः रकअतें हो जाएंगी अर्थात चार रकअत फ़र्ज़ और

दो नफ़्ल। और यदि उसने पूरी रकअतें पढ़ी होंगी तो ये सज्दे शैतान की ज़िल्लत का सबब होंगे। जब नमाज़ में किसी तरह का शक पड़ जाए तो आखिर में सहू के दो सज्दे कर लेने से नमाज़ सही हो जाती है।

इमाम और मुक्तदी यदि नमाज़ की भूल की बाबत कुछ बात कर लें तो भी नमाज़ में कोई खराबी नहीं आती। मुक्तदी से यदि नमाज़ का कोई रुक्न छूट जाएगा तो इमाम के सलाम फेरने के बाद वह रकअत उसे दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सहू के सज्दे नुक्सान का प्रायश्चित नहीं कर सकते। (मुस्लिम मिश्कात-84)

नमाज़ी एक या दोनों सज्दे भूल कर खड़ा हो जाए जब याद आ जाए तो तुरन्त सज्दा कर ले और बाद में नमाज़ के अन्त में सहू के दो सज्दे अदा कर ले। नमाज़ चाहे फ़र्ज़ हो या नफ़ल या सुन्नत सब में रुकू की हालत में दो ही सज्दे करने चाहिए। कई बार की भूल चूक के वास्ते केवल एक ही बार नमाज़ के अन्त में सहू के दो सज्दे कर लेने काफ़ी हैं।

(मुस्लिम मिश्कात 85)

13-तिलावते कुरआन के सज्दे

नमाज़ के अन्दर या बाहर जब तिलावत के सज्दे की कोई आयत पढ़ें या सुनें तो एक सज्दा करना सुन्नत है। यह सज्दा वुज़ू के साथ करना बेहतर है लेकिन बे वुज़ू भी जायज़ है। (मज़ाहिरे हक़ 358)

तिलावते कुरआन का सज्दा पन्द्रह जगह सुन्नत है।

1-आराफ़ में सूर: के अन्त में 2-राअद में शब्द आसाल के बाद

3-नहल में यूमरूना के बाद 4- बनी इस्राईल में खुशूअन के बाद 5-मरयम में बुकिय्यन के बाद 6-हज में एक सज्दा यशाऊ के बाद और दूसरा 7-तुफ़लिहूना के बाद 8-फुरक़ान में नुफ़ूरन के बाद 9- नमल में अलअजीम के बाद 10-अलिफ़ लाम मीम तनज़ील में तकबिरूना के पीछे

11- साद में मआब के पीछे 12-सूर: फुस्सिलत में यसअमूना के बाद और कुछ के निकट ताअबुदूना के बाद 13- वन्नजम में सूर: के अन्त में और 14- इज़स्समा उन शक़्क़त में ला यसजुदूना के बाद 15- सूर: अलक़ में सूर: के अन्त में। (अबूदाऊद, इब्ने माजा, मिश्कात 58)

नमाज़ के अन्दर या बाहर जबकि इन आयतों में से कोई आयत पढ़े या सुने तकबीर कहकर सज्दा करे। सवारी की हालत में यदि कोई सज्दे की आयत पढ़े या सुने तो ज़ीन पर हाथ रखकर सज्दा करे और जो लोग पैदल हों ज़मीन पर सज्दा करें। (अबूदाऊद मिश्कात 86)

नबी करीम सल्ल० जब सज्दे की कोई आयत रात को पढ़ते तो सज्दे में यह दुआ पढ़ा करते-

स-ज-द वजहिया लिल्लज़ी ख-ल-क हु व सव्वरहु व शक़्क़ा समअहु व बस-र-हु बिहवलिहि व कुव्वतिहि०

"मेरे मुंह ने उसके लिए सज्दा किया जिसने उसे बनाया और अपनी कुव्वत व ताक़त के साथ उसके कान व आंखे पैदा कीं

(सहीहीन मिश्कात 85)

नबी करीम सल्ल० ने सज्दों की आयतों पर प्राय: तो सज्दा किया है मगर कभी नहीं भी किया इससे पता चला कि कुरआन के कुल सज्दे मसनून तो कहे जाएंगे फ़र्ज़ व वाजिब नहीं और हुक्म समस्त सज्दों का समान है। (बलोगुल मराम बाबुस्सहू आदि)

14- शुक्र का सज्दा

यदि किसी को कोई खुशी हासिल हो जाए तो उसे शुक्र का सज्दा करना व सज्दे में देर तक पड़े रहना चाहिए। नबी करीम सल्ल० को जब कोई खुशी की बात पेश आती तो आप अल्लाह के सामने सज्दे में गिर पड़ते।

एक दिन आपने अत्यन्त लम्बा सज्दा किया और सर मुबारक उठाकर फ़रमाया कि जिब्रील ने आकर मुझे खुशखबरी दी और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सज्दा किया। (बलोगुल मराम)

नबी करीम सल्ल० ने एक बार हज़रत अली रज़ि० को यमन की ओर भेजा। जब हज़रत अली रज़ि० ने यमन वालों के इस्लाम लाने का हाल आपको लिखा तो आपने यह खुश ख़बरी सुनकर शुक्र का सज्दा किया। (मज़ाहिरे हक़ 715)

एक बार आपने मक्का से मदीना की ओर सफ़र किया सहाबा साथ थे। आप एक स्थान पर सवारी से उतरे और दोनों हाथ मुबारक उठाकर उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की और शुक्र का सज्दा किया और फ़रमाया- "मैंने अल्लाह की जनाब में अपनी उम्मत के गुनाहों की माफ़ी की दुआ मांगी। अल्लाह ने मुझे एक तिहाई उम्मत प्रदान की इसलिए मैंने शुक्र का सज्दा किया। इसके बाद फिर आपने दुआ मांगी और सज्दा करके इर्शाद फ़रमाया कि मैंने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की रज़ामन्दी व मग़फ़िरत चाही और उसने मुझे दूसरी तिहाई उम्मत प्रदान फ़रमाई इसलिए मैंने शुक्र का सज्दा किया। इसके बाद आपने फ़िर दुआ मांगी और सज्दा करके फ़रमाया मैंने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से माफ़ी चाही और अल्लाह ने मुझे बाक़ी तिहाई उम्मत प्रदान फ़रमाई इसलिए मैंने शुक्र का सज्दा किया। (मज़ाहिरे हक़ 715)

फ़ायदा- हज़रत (सल्ल०) की यह मग़फ़िरत की दुआ उन उम्मतियों के लिए ही हुई है जो कि सचमुच आपके उम्मती हैं अर्थात् शिर्क व कुफ्र और बिदअत की बुराईयों से बचकर तौहीद पर जमे हुए हैं और इन्सान होने की हैसियत से दुनिया में उनसे जो ग़लतियां व बुराईयां हो गयी हैं अतः आपने ऐसे लोगों को अपना सच्चा उम्मती समझते हुए उनके हक़ में दुआ फ़रमायी है और मग़फ़िरत की खुशखबरी पाकर अल्लाह के सामने शुक्र का

सज्दा अदा किया।

मुश्रिक व बिदअती न तो उम्मते मुहम्मदी होने का हक़ रखते हैं नबी सल्ल० को उनके लिए दुआ करने का ही हक़ हासिल है न अल्लाह ने ऐसे झूठे इन्कारियों की मग़फ़िरत का वायदा किया है बल्कि अपने मुक़द्दस कलाम में ऐसे लोगों को जोकि जबान से केवल उम्मती होने का दावा करते हैं स्पष्ट रूप से ज़ालिम व काफ़िर फ़रमाया है चुनांचे इर्शाद होता है-

कयफ़ा यहदिल्लाहु क़ौमन क-..-रू बाअदा ईमानिहिम व शहिदू अन्नर्रसूला हक़्क़ुन व जाआहुमुल-बय्यिनातु वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन०

"अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों हिदायत करे जो मुसलमान होने के पीछे इन्कारी हो गए और गवाही दी कि पैग़म्बर (मुहम्मद) सच्चा रसूल है और आयी उनके पास रोशन दलीलें और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं करता।" (सूर: आले इमरान रुकू 8)

तो जब अल्लाह ऐसे लोगों को काफ़िर व ज़ालिम फ़रमाए तो फिर भला उनके लिए कैसे मग़फ़िरत होने लगी।

15- नमाज़ में इमामत

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया है कि-

इज़ाकानू सलासतन फ़-ल-यऊतुहुम अहदुहुम व अहक़्क़ुहुम बिलइमामति अक़राऊहुम (मुस्लिम)

"तीन आदमी हों तो उनमें से एक आदमी इमाम बने और इमामत के क़ाबिल और हक़दार वह आदमी है जो सबसे अच्छा क़ुरआन शरीफ़ पढ़ता हो।"

मुस्लिम की दूसरी रिवायत में है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि क़ौम का इमाम वह आदमी हो जो सब में कुरआन अच्छा पढ़ता हो और यदि कुरआन के पढ़ने में सब बराबर हों तो वह आदमी इमाम बने जो सुन्नत से अधिक परिचित हो और यदि कुरआन व सुन्नत में सब बराबर हों तो वह आदमी इमाम बनने का अधिक हक़ रखता है जिसने सबसे पहले हिजरत की हो। यदि इन सारी बातों में सब बराबर हों तो वह आदमी इमाम बने जो उम्र में सबसे बड़ा हो। (मुस्लिम)

जमाअत के लिए दो आदमियों का होना काफ़ी है अर्थात यदि एक इमाम और दूसरा मुक़्तदी होगा तब भी जमाअत हो जाएगी। अंधे को इमाम बनाना और उसके पीछे नमाज़ पढ़ना सही है। नबी सल्ल० ने अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को स्वयं अपने पीछे इमाम मुक़र्रर किया था यद्यपि वे अंधे थे। दूसरी मस्जिद में वहां के इमाम की अनुमति के बिना इमामत नहीं करनी चाहिए। (इब्ने माजा 153, अबूदाऊद, मुस्लिम 239)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि तीन आदमियों की नमाज़ नहीं होती एक वह आदमी जो किसी क़ौम का इमाम हो और वह (क़ौम) उससे नाराज़ हो। दूसरी वह औरत जिससे उसका पति नाराज़ हो और तीसरे वे दो मुसलमान जो आपस में रंजिश रखते हों और तीन दिन से ज़्यादा सलाम व कलाम छोड़ रखा हो। इमाम जिस जगह फ़र्ज़ पढ़ा चुका हो वहां सुन्नतें न पढ़ें। (इब्ने माजा 156, अबूदाऊद)

जवान व बड़ी उम्र के लोगों के होते नाबालिग़ लड़का इमाम बने तो जायज़ है शर्त यह है कि सबसे बेहतर कुरआन पढ़ता हो। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि लोगो! तुम अपने से बेहतर आदमी को इमाम बनाओ क्योंकि इमाम तुम्हारे और अल्लाह के बीच वकील होता है। जो आदमी क़िब्ले की ओर थूक दे उसे इमाम न बनाया जाए। हरेक नेक व बुरे के पीछे नमाज़

पढ़ने के बारे में जो हदीस आयी है वह कमज़ोर है और दलील नहीं है।
(बुखारी मिश्कात 92, इब्ने माजा 152 अबूदाऊद)

यदि नमाज़ का समय बाक़ी है तो मुक़्तदियों को इमाम का इन्तज़ार करना चाहिए । सलाम फेरने के बाद इमाम को कभी दायीं और कभी बायीं ओर मुंह फेर कर बैठना चाहिए एक ही ओर मुंह करके हमेशा बैठने में शैतान का दख़ल होता है। (सहीहीन मिश्कात 54 तिर्मिज़ी 70)

बिदअती और हदीस के इन्कारी और इमामिया सम्प्रदाय के पीछे नमाज़ नहीं होती हां, जिस मुसलमान का अक़ीदा व तरीक़ा मालूम न हो उसके पीछे ठीक हो जाती है। केवल बुरी भावना से किसी मुसलमान की इमामत से इन्कार नहीं करना चाहिए। इमाम को चाहिए कि क़िरअत आदि में सावधानी बरते- थोड़ा पढ़े और हल्की नमाज़ पढ़े क्योंकि जमाअत में छोटे-बड़े, कमज़ोर-बीमार जरूरतमन्द हर प्रकार के लोग होते हैं अलबत्ता यदि अपनी अलग नमाज़ पढ़े तो जितना चाहे अधिक पढ़े। (सहीहीन मिश्कात 54)

जब इमाम के कान में उस बच्चे के रोने की आवाज़ पहुंचे जिसकी मां जमाअत में शरीक है तो उसे क़िरअत में कमी कर देनी चाहिए। मर्द केवल औरतों की इमामत कर सकता है और औरत, औरतों की इमामत कर सकती है। हज़रत आयशा रज़ि० ने औरतों की इमामत की और पंक्ति के बीच में खड़ी हुईं। इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० ने भी औरतों की इमामत की और उनके बीच में खड़े होकर नमाज़ पढ़ायी।
(सहीहीन मिश्कात 93 अबूददाऊद)

उच्चकोटि के इमाम के होते हुए कम दर्जे वाले को इमाम बनाना बेहतर नहीं मगर ऐसी सूरत में नमाज़ ठीक हो जाती है और किसी तरह का खलल नहीं पड़ता। कम इल्म आदमी यदि इमामत कर रहा हो और कोई बड़े दर्जे का आलिम आ जाए तो उसे जायज़ है कि स्वयं हट जाए और उसे इमाम

बना दे। (बुख़ारी 94)

नमाज़ में इमाम को बताना जायज़ है एक सहाबी ने नबी सल्ल० के पीछे नमाज़ पढ़ी आप क़िरअत करते समय कुछ भूल गए और नमाज़ पूरी कर दी। नमाज़ के बाद कहा गया कि हज़रत क़िरअत के दौरान आप फ़लां-फलां आयत छोड़ गए। आपने फ़रमाया तूने मुझे याद दिलायी होती। कहा गया कि मैं समझा था कि शायद इनका पढ़ना मन्सूख़ हो गया हो। (बुख़ारी 94)

नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना ठीक है। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे नफ़ल नमाज़ पढ़ना जायज़ है। इमाम का ऊंची जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना और मुक़्तदियों का नीचे खड़े होना अच्छा नहीं है यद्यपि नबी सल्ल० से ऐसा काम हो चुका है मगर फिर भी छोड़ना सही है क्योंकि नबी सल्ल० ने अधिकांश अवसरों पर इससे मना फ़रमाया है।
(बुखारी मिश्कात 93)

यदि इमाम जल्द बाज़ हो और सुन्नत के अनुसार नमाज़ न पढ़ता हो तो पहले उसे चेतावनी दी जाए इस अवसर पर यदि बाज़ न आए तो उसे हटा देना चाहिए। यदि इमाम किसी शरओ कारण बैठकर नमाज़ पढ़े तो मुक़्तदियों को खड़े होकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। जब इमाम देर करके आए तो दूसरे को इमाम बना देना चाहिए। (बुखारी 94)

रुकू, सज्दे, क़याम आदि में इमाम से आगे बढ़ जाना नाजायज़ व बहुत बुरा है। जो आदमी इमाम से पहले सर उठाता है क़ियामत के दिन उसका सर गधे का सा होगा यदि इमाम मुक़्तदियों की रियायत न करे और नमाज़ में कोई बड़ी सूर: शुरु कर दे तो ज़रूरी काम करने वालों तथा थके मांदों को जायज़ है कि नीयत तोड़कर अपनी अलग नमाज पढ़ ले। यदि इमाम नमाज़ में कोई रुक्न अदा करना भूल जाए तो मुक़्तदी को सुबहानल्लाहि कह कर और औरत को ताली बजाकर इमाम को सूचित कर देना चाहिए।
(बुखारी 94 मुस्लिम अन्सारी 100, मोता इमाम मालिक 32)

यदि कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा हो और एक आदमी पीछे से आकर नमाज़ में शरीक होना चाहता हो तो उसके दाएं बाजू के बराबर खड़ा हो जाए और यदि कोई और भी आ जाए तो दोनों आदमी इमाम के पीछे हटकर खड़े हों। यदि स्वयं न हटें तो इमाम को चाहिए कि उन्हें पीछे हटा दे लेकिन जब पीछे जगह न हो तो इमाम स्वयं आगे बढ़ जाए और यदि आगे पीछे कहीं भी जगह न हो तो सब बराबर खड़े होकर नमाज़ पढ़ें।

(मज़ाहिरे हक़ 383)

जमाअत बनाते हुए मर्दों की पंक्ति आगे और औरतों की पंक्ति पीछे होना चाहिए। जमाअत में कंधे से कंधा और क़दम से क़दम मिलाकर खड़ा होना चाहिए यह सुन्नत है। इमाम को ठीक बीच में रखना और पंक्ति की खाली जगहों को बन्द करना सुन्नत है। (मिश्कात बुखारी 100)

जब कोई आदमी जहरी (ज़ोर से) नमाज़ को धीरे से पढ़ रहा हो और कोई मुक्तदी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाए तो वहीं से पुकार कर पढ़ना शुरु कर दे और जो पढ़ चुका है उसका दोहराना ज़रूरी नहीं। औरत यदि घर के लोगों से कुरआन अच्छा पढ़ना जानती हो तो वह इमाम बन कर औरतों की इमामत कर सकती है नबी सल्ल० ने हुजरे के अन्दर नमाज़ पढ़ी थी और सहाबा किराम रज़ि० हुजरे के बाहर मुक्तदी बन कर खड़े हुए थे।

(अबूदाऊद 195 अबूदाऊद 218)

16–जमाअत का महत्व व सम्मान

क़ालल्लाहु तआला व अरकऊ मअर्राकिओन०

"मुसलमानों जमाअत से नमाज़ पढ़ो" (सूर: बक़रा)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है- कि

सलातुल जमाअति तफ़ज़ुलू सलातल फ़ज़्ज़ि बि सबइव व

इशरीना द-र-जतन।

"जमाअत की नमाज़ अकेले की नमाज़ पर 27 दर्जे बढ़ी होती है।"

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि नमाज़ी जिस समय जमाअत की नमाज़ का इरादा कर लेता है और जमाअत के इन्तजार में बैठता है तो वह नमाज़ ही में रहता है। (सहीहीन मिश्कात 87)

जब तकबीर हो जाए तो जमाअत में शरीक होने के लिए दौड़कर न आना चाहिए बल्कि इत्मीनान से आना चाहिए फिर जितनी नमाज़ पाए जमाअत के साथ अदा करे और जो बाक़ी बचे इमाम के सलाम फेरने के बाद पूरी कर ले। (मुस्लिम 721)

जो आदमी पाक साफ़ होकर और अच्छी तरह वुज़ू करके मस्जिद के इरादे से निकलता है अल्लाह उसके हर हर क़दम रखने व उठाने के बदले एक-एक नेकी लिखता है और एक-एक बुराई दूर करता है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है कि जिसे क़ियामत के दिन अल्लाह से इस्लाम की हालत में मुलाक़ात करना भला मालूम होता है उसे हमेशा जमाअत से नमाज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे नबी सल्ल० के लिए हिदायत के तरीक़े मुक़र्रर किए हैं और जमाअत भी उन तरीक़ों में से एक तरीक़ा है। यदि तुम नमाज़ें घर में अकेले पढ़ो जैसा कि फलां नमाज़ छोड़ देने वाला पढ़ता है तो इसमें शक नहीं कि तुमने अपने नबी सल्ल० का तरीक़ा छोड़ दिया तो तुम निश्चय ही गुमराह हो गएं। फिर अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फ़रमाया कि हम सब लोग जमाअत में शरीक होते थे लेकिन रोगी और जो खुला कपटाचारी कहलाता था वह जमाअत से ग़ैर हाज़िर रहता था। रोगी और विवश आदमी यथा संभव दो आदमियों के कंधे पर हाथ रखकर चलता और जमाअत में खड़ा किया जाता था। (मुस्लिम मिश्कात 88)

नबी सल्ल० जमाअत का बड़ा ख्याल रखते थे यहां तक कि अब्दुल्लाह

बिन उम्मे मकतूम जो अंधे सहाबी थे और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रखते थे आपने उन्हें भी जमाअत में हाज़िर होने का हुक्म दिया और फ़रमाया कि कपटाचारियों पर इशा व सुबह की नमाज़ बहुत भारी होती है। लेकिन यदि उन्हें इन नमाज़ों की विशेषता मालूम हो जाती तो वे घुटनों के बल चलकर जमाअत में शरीक होते। नबी सल्ल० ने यह भी फ़रमाया कि स्वस्थ और खाली आदमी यदि बिना शरअी कारण के जमाअत में शरीक न हो तो उसकी नमाज़ नहीं होती। (मुस्लिम मिश्कात 87, अबूदाऊद नसई)

जिस रात अधिक ठंड होती या वर्षा होती तो नबी सल्ल० मोअज़्ज़न से कहलवा देते कि अपने-अपने घरों में नमाज़ें पढ़ लो। यदि दुश्मन या विरोधी का डर हो या बीमार हो या और कोई शरअी वजह रखता हो तो जमाअत छोड़ने में कोई हरज नहीं। यदि पेशाब पाखाने की ज़रूरत हो या खाना सामने रख दिया गया हो और भूख के कारण बेचैन हो तो उसके लिए जायज़ है इन सब कामों से निबट कर इत्मीनान से नमाज़ अदा करे।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 87 सहीहीन मिश्कात)

फ़र्ज़ों की तकबीर हो जाने के बाद कोई नमाज़ ठीक नहीं यदि आदमी फ़र्ज़ नमाज़ या नफ़ल आदि पढ़ रहा हो और जमाअत की तकबीर हो जाए तो नमाज़ की नीयत तोड़कर जमाअत में शरीक हो जाए वर्ना गुनाहगार होगा। अज़ान होने के बाद मस्जिद से निकलना ठीक नहीं। हां यदि वह आदमी दूसरी मस्जिद का इमाम हो या उस मस्जिद का इमाम बिदअती या हदीस का इन्कारी हो या उस मस्जिद में कोई बिदअत का काम हो रहा हो तो इस कारण के होते मस्जिद से चला जाना चाहिए। यह जायज़ होगा।

(मुस्लिम मिश्कात 87)

नबी सल्ल० ने अबूज़र सहाबी की रान पर हाथ मारकर फ़रमाया, तू ऐसे लोगों में रहेगा जो नमाज़ें समय में देर करके पढ़ेंगे यदि ऐसा हो तो

तू क्या करेगा? कहा 'आप ही कुछ फ़रमाइए कि मैं उस समय क्या करूं? फ़रमाया "तुम समय पर नमाज़ें पढ़ना और अपने काम में लगे रहना यदि नमाज़ की तकबीर हो जाए और तुम मस्जिद में मौजूद हो तो लोगों के साथ भी पढ़ लेना यह नमाज़ नफ़ल हो जाएगी और तुम्हें जमाअत का सवाब मिलेगा। (मुस्लिम)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि जिसने इशा की नमाज़ जमाअत से पढ़ी तो उसने आधी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी और जिसने सुबह की नमाज़ जमाअत से पढ़ी तो उसने सारी रात अल्लाह की इबादत में गुज़ारी। (मुस्लिम)

फ़ायदा– सुब्हानल्लाह सोए भी आराम भी पाया और डेढ़ रात की इबादत कर सवाब भी हासिल किया।

एक सहाबी थे जिनका मकान मस्जिदे नबवी से बहुत दूर था और इसके बावजूद कोई जमाअत की नमाज़ उनसे न छूटती थी बल्कि हमेशा नबी सल्ल० के साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ा करते थे। दूसरे सहाबा को उनपर तरस आया और इस आधार पर उनसे कहा कि 'तुम एक गधा खरीद लो जो तुम्हें गर्मी और रास्ते के कीड़े मकोड़ों से बचाए' इस पर उन्होंने कहा "सुनो भाई खुदा की क़सम मैं नहीं चाहता कि मेरा घर जनाब हुजूर सल्ल० के घर से मिला हुआ हो। "उनका यह यह कहना सहाबा को बड़ा बुरा लगा और नबी सल्ल० को खबर दी गयी। आपने उनको बुलाकर मालूम किया उन्होंने नबी सल्ल० के सामने भी वही बात बयान की और कहा क्या हज़रत मैं आपके मकान के पास रहूंगा? हुजूर मैं अपने क़दमों का सवाब खुदा से चाहता हूं।"

नबी सल्ल० ने फ़रमाया- बेशक तुम्हें वह सवाब मिलेगा जिसकी तुम उम्मीद रखते हो।' (मुस्लिम)

उत्बान बिन मालिक रज़ि० एक सहाबी ने नबी सल्ल० की सेवा में

अर्ज़ की कि ऐ रसूले खुदा! मेरी आंखे जाती रही हैं और एक क़ौम की इमामत मेरे सुपुर्द है जब बारिश होती है तो मेरे और मस्जिद के बीच एक नाला बहता है ऐसी सूरत में इमामत कराने नहीं जा सकता। ऐ रसूले खुदा! मेरी आरजू है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं और मेरे लिए नमाज़ की जगह तै कर दें। आपने फ़रमाया "इन्शा अल्लाह ऐसा ही करूंगा।" आप सुबह को उत्बान रज़ि॰ के घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू बक्र रज़ि॰ भी आपके साथ थे उत्बान के मकान पर पहुंच कर फ़रमाया कि तुम किस जगह नमाज़ पढ़ना चाहते हो? उन्होंने मकान का एक कोना बता दिया। आपने तकबीर कह कर दो रकअत नमाज़ जमाअत से अदा फ़रमायी। सारे घर वालों ने आपके पीछे जमाअत से नमाज़ पढ़ी और इस खुशी में नबी सल्ल॰ के लिए खाना तैयार किया गया। इस हदीस से पता चला कि विवश आदमी को जमाअत से ग़ैर हाज़िर रहना माफ़ है।

17- पंक्तियों का सीधा करने की ताकीद करना

जमाअत की पंक्तियों को सीधा करने की ताकीद में बहुत सी हदीसें आयी हैं। नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया कि लोगों! अपनी पंक्तियां सीधी करो और सब मिलजुल कर खड़े हो जाओ मैं तुम्हें पीठ के पीछे से ऐसे ही देखता हूं जैसा आगे से। और फ़रमाया अल्लाह के बन्दो! पंक्तियां सीधी करो वर्ना खुदा तुम्हारे दिलों में मतभेद पैदा कर देगा और फ़रमाया नमाज़ उसी समय पूरी होगी जब तुम पंक्तियां सीधी करोगे। अल्लाह की शान आजकल मस्जिदों में हज़ारों नमाज़ी नज़र आएंगे लेकिन न पंक्तियों को सीधा करने का किसी को ख्याल न मिलकर खड़े होने का सलीक़ा। (मुस्लिम मिश्कात 90, बुखारी मिश्कात 90)

इमाम के पास समझदार लोगों को खड़े होना चाहिए पहली पंक्ति वालों को चाहिए कि इमाम को देखकर नमाज़ पढ़ें और दूसरी पंक्ति वाले पहली पंक्ति वालों का अनुसरण करें। जो लोग हमेशा पिछली पंक्ति में रहते हैं और

अगली पंक्ति में शामिल होने की कोशिश नहीं करते वे अल्लाह की रहमत से पीछे रहेंगे। (बुखारी मिश्कात 40 मुस्लिम मिश्कात)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया मर्दों की पहली पंक्ति बेहतर पंक्ति और बुरी पंक्ति पिछली है और औरतों की बेहतर पिछली पंक्ति और बुरी अगली पंक्ति है क्योंकि औरतें जितना मर्दो से दूर रहेंगी उतना ही उनके हक़ में बेहतर होगा। यह भी फ़रमाया कि पंक्तियों को पास-पास क़ायम करो और सब बराबर खड़े रहो। बीच में थोड़ा सा भी फ़ासला न छोड़ो अल्लाह की क़सम मैं देखता हूं कि शैतान पंक्ति की दराड़ों में बकरी के सियाह बच्चे की तरह दाखिल होता है। (मुस्लिम मिश्कात 90)

मुक़्तदियों को चाहिए कि पहले पहली पंक्ति पूरी करें फिर दूसरी और तीसरी, इसी प्रकार बढ़ाते रहें। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते पहली पंक्ति वालों पर रहमत भेजते हैं और अल्लाह उस आदमी को प्रिय रखता है जो कि पंक्ति में पांव मिलाकर खड़ा होता है इसी तरह पहली पंक्ति में पहले उन लोगों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है जो दायीं ओर खड़े होते हैं। (अबूदाऊद मिश्कात 90)

जब पंक्तियां ठीक हो जातीं तो नबी सल्ल० अल्लाहु अकबर कहते आप पहले दायीं ओर मुड़ कर फ़रमाते कि पंक्तियां सीधी करो फिर बायीं ओर मुड़कर यों ही फ़रमाते। (अहमद मिश्कात 91, अबूदाऊद मिश्कात 90)

पंक्ति से अलग होकर नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं। नबी सल्ल० ने एक आदमी को जो पंक्ति से अलग होकर नमाज़ पढ़ रहा था फ़रमाया कि फिर से नमाज़ पढ़। पंक्तियों में क्रम यों होना चाहिए कि पहले मर्दों की पंक्तियां हों इसके बाद लड़कों की, फिर मुखन्नसों की और फिर उनके पीछे औरतों की। (तिर्मिज़ी, अबूदाऊद मिश्कात 91)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि यदि लोगों को मालूम होता कि

पहली पंक्ति में कितना सवाब होता है तो इस काम के लिए पर्चियां डालते और फ़रमाया कि जो आदमी पहली पंक्ति में खड़ा होने की कोशिश और परवाह न करे और हमेशा पीछे रहा करे उसे जहन्नुम का अज़ाब भुगतना पड़ेगा। जब नमाज़ी थोड़े हों तो लड़कों को मर्दों की पंक्ति में खड़ा होना ठीक है।
(मुस्लिम 582, तिर्मिज़ी अबूदाऊद अहमद)

18- क़ुरआनी आयतों का जवाब देना

जब कोई आदमी- **फ़बि अय्यि आ लाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान०** पढ़े तो सुनने वाले को पुकार कर यों जवाब देना चाहिए **ला बिश यइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु व लका अलहम्दु०**
(तिर्मिज़ी मिश्कात 304)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जो आदमी सूर: कियामत की आखिरी आयत चाहे नमाज़ के अन्दर या नमाज़ के बाहर पढ़े तो उसे शब्द बला कहना चाहिए और जो सूर: मुरसलात की आखिरी आयत पढ़े। नमाज़ के अन्दर या बाहर आमन्ना बिल्लाहि कहना चाहिए। (सुनन तिर्मिज़ी मिश्कात 303)

इसी तरह जो आदमी सब्बि हिस्मा रब्बिकल आला पढ़े उसे सुब्हाना रब्बियल आला० कहना चाहिए। सूर: वत्तीन की आखिरी आयत पढ़ने वाले को चाहिए कि बला व अना अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीना कहे।
(सुनन तिर्मिज़ी मिश्कात 303)

बेहतर तो यह है कि इन आयतों का जवाब पुकार कर दे क्योंकि सुन्नत से ऐसा ही साबित हुआ है लेकिन यदि कोई आदमी धीरे से भी जवाब देगा तब भी जायज़ हो जाएगा।। मुक़्तदी भी आयतों का जवाब दे।
(सुनन तिर्मिज़ी मिश्कात 303)

19– नमाज़ तहज्जुद और तरावीह

नबी सल्ल० ने फ़रमाया-

इन्ना फ़िल्लयलि ल सा अतन ला युवा फ़िकुहा अब्दुम मुस्लिमुन यसालुल्लाहु फ़ीहा ख़यरम मिन अमरिद दुनिया वल आख़िरति इल्ला आताहु इय्याहु व ज़ालिका कल्ला लयलतिन०

(मुस्लिम मिश्कात 105)

"रात में एक ऐसी घड़ी है कि यदि किसी मुसलमान के हक़ में पड़ जाए तो उस दिन दीन व दुनिया की जो भलाई भी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसे प्रदान करेगा और यह घड़ी हर रात में होती है।

हक़ीक़त में तहज्जुद और तरावीह एक ही नमाज़ को कहते हैं लेकिन फ़र्क़ एतबारी लिहाज़ से "तहज्जुद" रात की उस नमाज़ को कहते हैं जो सोकर उठने के पीछे पढ़ी जाती है और रमज़ान शरीफ़ में इशा की नमाज़ के बाद और सोने से पहले जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसे तरावीह कहते हैं रात की नमाज़ को हदीस में वितर भी कहा है और इसी को क़याम रमज़ान और क़यामे लैल भी कहा गया है।

हज़रत अबू सलमा रज़ि० ने हज़रत आयशा रज़ि० से नबी सल्ल० की नमाज़ का हाल पूछा कि आप रमज़ान शरीफ़ में रात को कितनी रकअतें पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा रज़ि० ने जवाब दिया कि नबी सल्ल० ग्यारह रकअतों से अधिक नहीं पढ़ा करते थे रमज़ान शरीफ़ में हो या ग़ैर रमज़ान में, पहले आठ रकअतें लम्बी पढ़ते फिर तीन रकअतें वितर अदा करते।

(बुख़ारी मिश्कात 98)

ज़ैद बिन साबित रज़ि० से मन्क़ूल है कि हज़रत ने रमज़ान में मस्जिद में बोरिए का हुजरा बनाया और कुछ रातें इसी में नमाज़ पढ़ी यहां तक कि

बहुत से सहाबा आप के पास जमा हो गए। लोगों की यह भीड़ और अधिक संख्या देखकर आप रात को मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाए। सहाबा को ख्याल हुआ कि शायद हज़रत सो गए हैं यह ख्याल करके हज़रत को पुकारना शुरु किया। आपने फ़रमाया कि अल्लाह तुम्हारी रुचि व शौक़ बरक़रार रखे। मैं इस भय के कारण आज नमाज़ पढ़ने नहीं निकला कि कहीं तुम पर तरावीह की नमाज़ फ़र्ज़ न हो जाए और यदि फ़र्ज़ हो जाएगी तो तुम उसे अदा न कर सकोगे। अब तुम अपने-अपने घरों में नमाज़ पढ़ो क्योंकि आदमी की बेहतर नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा वही है जो घर में अदा की जाती है।

(सहीहीन मिश्कात 106)

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि अल्लाह हर रात को आसमानी दुनिया पर आता है जबकि तिहाई रात बाक़ी रहती है और फ़रमाता है कि कोई मुझे पुकारने वाला है कि मैं उसकी पुकार सुनं उसे कुबूल करूं। कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं? कोई बख्शवाने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं? हुजूर सल्ल० ने यह भी फ़रमाया कि दुआ की मक़बूलियत का समय रात का आखिरी हिस्सा है। (सहीहीन मिश्कात 106)

नबी करीम सल्ल० रमज़ान शरीफ़ में सहाबा को तरावीह पढ़ने की रग़बत दिलाते और फ़रमाते कि जो आदमी ईमान को सही करने और सवाब हासिल करने की नीयत से नमाज़ पढ़ता है उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।

जब (आप) नबी सल्ल० का अन्तिम समय आ गया तो आपके बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि० की शुरु शुरु खिलाफ़त में भी सहाबा का इसी पर अमल रहा मगर बाद को नमाज़ तरावीह जमाअत से पढ़ने लगे और यह यों हुआ कि हज़रत उमर रज़ि० अपनी खिलाफ़्त के ज़माने में एक रात मस्जिद नबवी की ओर आ निकले। लोगों को देखा कि नमाज़ तरावीह अलग-अलग

पढ़ रहे हैं। (मुस्लिम मिश्कात 106)

आपने फ़रमाया कि यदि सब लोग मिल कर एक साथ जमाअत से तरावीह पढ़ें तो बहुत मुनासिब है चुनांचे आपने तमाम लोगों को जमा किया और उबी बिन काअब को सबका इमाम मुक़र्रर किया। इसके बाद आप फ़िर दूसरी रात गश्त लगाने लगे। देखते हैं कि सब लोग जमाअत से नमाज़ पढ़ रहे हैं यह देखकर फ़रमाया कि यह तरीक़ा बहुत हीं अच्छा है। हज़रत उमर रज़ि० ने उबी बिन काअब और तमीम दारमी रज़ि० को हुक्म दिया कि रमज़ान में लोगों को ग्यारह रकअतें पढ़ाया करें।

(बुखारी मिश्कात 107 मोता इमाम मालिक)

नबी करीम सल्ल० से नमाज़ तहज्जुद की तरह पढ़ना साबित हुआ है कभी तो आप छ: रकअतें तहज्जुद और एक या तीन रकअत और कभी पांच रकअत वितर पढ़ा करते कभी तहज्जुद की दस रकअतें पांच सलामों से पढ़ते और उनके साथ एक रकअत वितर या तीन रकअत अदा करते। कभी 12 रकअत तहज्जुद और एक रकअत वितर पढ़ते कभी नौ रकअतें एक नीयत से पढ़ते। इस तरह की आठवीं रकअत में बैठकर अत्तहियात पढ़ते फिर खड़े होकर एक रकअत पढ़ते और सलाम फेर देते। कभी आप रात को दस रकअतें पांच सलामों से अदा करते हर रकअत में दो-दो सूरतें पढ़ते और एक वितर अदा करते इसके बाद दो रकअतें फजर की सुन्नतों के साथ मिलाकर 13 रकअतें पूरी करते। नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि रात की नमाज़ दो दो रकअतें हैं जब सुबह होने लगे तो एक रकअत पढ़ लें सारी नमाज़ वितर हो जाएगी तहज्जुद और तरावीह की नमाज आखिरी रात में अपने अपने घरों में पढ़ना बड़ा अफ़ज़ल है। (सहीहीन मिश्कात 107)

तरावीह में जितना कुरआन पढ़ा जाए बेहतर है लेकिन एक रात में सारा कुरआन खत्म करना बिदअत है और गुनाह है। नबी सल्ल० ने फरमाया

है कि जो आदमी तीन दिन से कम अवधि में कुरआन खत्म करता है वह कुछ नहीं समझता। हुजूर सल्ल० ने फ़रमाया कि सात दिन में कुरआन खत्म किया करो (मुस्लिम मिश्कात 103)

जिसे कुरआन अच्छी तरह याद होगा वह लोहे महफूज़ बुजुर्ग फ़रिश्तों के साथ दर्जा पाएगा और जो आदमी कुरआन को अटक-अटक कर पढ़ता है उसे औरों से दो गुना सवाब मिलता है। तरावीह में यदि कुरआन अधिक पढ़ना चाहें और खड़े रहने से तकलीफ़ हो तो इमाम बैठकर कुरआन पढ़े और खत्म होने के क़रीब खड़े होकर रुकू करे। नबी सल्ल० ने फ़रमाया जब तक तबियत ठीक हो नमाज़ पढ़ता रहे और जब सुस्ती व कमज़ोरी आ जाए तो बैठ जाए। मुक़्तदी भी यदि बैठकर कुरआन सुनें तो कोई हरज नहीं। फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तहज्जुद से बेहतर व अफ़ज़ल कोई नमाज़ नहीं है यदि खुदा तौफ़ीक़ दे तो यह नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए

(मुस्लिम 441 मुस्लिम मिश्कात 103 अबूदाऊद 424)

हज़रत आयशा रज़ि० ने फ़रमाया है कि जनाब नबी करीम सल्ल० ने सात रकअत से कम और तेरह रकअत से अधिक कभी नमाज़ तहज्जुद नहीं पढ़ी। सुन्नत फ़ज्र व वितर भी इनमें शामिल हैं। तरावीह की बीस ही रकअतें खास हैसियत के साथ सही और विश्वसनीय रिवायतों में नहीं आयीं जो रिवायतें बीस तरावीह की इब्न अबी शीबा के हवाले से हनफ़ी उलेमा पेश करते हैं वे सब कमज़ोर हैं अल्लामा ज़ेलई हनफ़ी और इब्ने इलहाम हिदाया के व्याख्याकार आदि ने इसको सख़्त ज़ईफ़ कहा है अत: ये रिवायतें कि विश्वसनीय नहीं है हां इस बात का ज़रूर पता चलता है कि खुलफ़ाए राशिदीन के बाद कुछ सहाबा और ताबईन से तेरह रकअत से अधिक पढ़ने का सबूत मिलता है इसलिए यदि कोई आदमी कभी तेरह रकअत से अधिक 40 रकअत के करीब तक पढ़ ले तो भी कोई हरज नहीं अलबत्ता 20 या 30 रकअत की तादाद निर्धारित करना सही नहीं क्योंकि इस अमल के बिदअत हो जाने का

डर है नमाज़ तहज्जुद में कुरआन चाहे पुकार कर पढ़ें या धीरे से दोनों तरह जायज़ है।

20- वितर नमाज़ व कुनूत

मुहदिदसीन के निकट वितर सुन्नत है वाजिब नहीं। चुनांचे हज़रत अली रज़ि॰ फ़रमाते हैं-

लयसल वितरु बिहतमिन कहयअतिल मकतूबति वलाकिन सुन्नतुन सन्नहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा रवाहुन्नसाई व तिर्मिज़ी व हस्स-न-हु वल हाकिमु व सह हहु॰

"वितर फ़र्ज़ की तरह वाजिब नहीं किया गया बल्कि पैग़म्बरे खुदा सल्ल॰ की सुन्नत है।

जिन हदीसों से लोगों ने वितर को वाजिब साबित किया है वे असल में कमज़ोर हैं और कुछ तो इतनी कमज़ोर हैं कि उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस आदमी को डर हो कि पिछली रात को वह न उठ सकेगा वह सोने से पहले वितर पढ़ ले।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ कहते हैं कि मुझे नबी सल्ल॰ ने तीन बातों की वसीयत फ़रमायी उनमें एक यह है कि मैं सोने से पहले वितर पढ़ लिया करूं। रात के अन्तिम हिस्से में वितर पढ़ना अफ़ज़ल है प्रायः ऐसा ही साबित है यह अलग बात है कि कभी आप रात के पहले हिस्से में और कभी आधे हिस्से में नमाज़ पढ़ लिया करते थे।

नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अल्लाह वितर है और वितर को दोस्त रखता है तो ऐ कुरआन वालो! तुम वितर पढ़ा करो। यह भी फ़रमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी एक ऐसी नमाज़ के साथ मदद की है जो सुर्ख ऊंटों से बेहतर है और वह नमाज वितर है इसका समय इशा से सुबह तक है और फ़रमाया

कि जो सो जाए या वितर पढ़ना भूल जाए तो जब याद आए या जब सुबह हो पढ़ ले। (अबूदाऊद नसई 104)

वितर की तायदाद रकअत में नबी सल्ल० से कोई मात्रा निर्धारित नहीं साबित होती। प्राय: तो आपने एक रकअत भी पढ़ी है और कभी तीन रकअतें कभी पांच रकअतें पढ़ी हैं इसलिए नमाज़ी की मर्जी है चाहे एक रकअत पढ़े या चाहे तीन या पांच।

इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया रात की नमाज़ दो-दो रकअतें हैं और जब कोई आदमी सुबह हो जाने से डरे तो वह केवल एक रकअत पढ़ ले यह उसके लिए वितर हो जाएगी।

(सहीहीन 104)

इब्ने अब्बास रज़ि० की रिवायत है कि नबी सल्ल० ने रात की नमाज़ का हुक्म फ़रमाया और उसके बारे में बड़ी ही रग़बत दिलायी यहां तक कि आपने फ़रमाया लोगो! तुम्हें रात की नमाज़ पढ़नी चाहिए यद्यपि एक ही रकअत हो। हज़रत अली रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० वितर की तीन रकअतें पढ़ते थे और उनमें नौ सूरतें पढ़ते अर्थात हर रकअत में तीन-तीन सूरतें इस प्रकार पढ़ते कि अन्त में सूर: इख़्लास होती। (मोता बाबुल वितर)

मतलब यह है कि नमाज़ वितर चाहे एक रकअत पढ़ें चाहे तीन, पांच, सात बीच में कोई काअदा न करें बल्कि आखिरी रकअत में बैठे और केवल एक तशहहुद से वितर पढ़कर सलाम फेरे क्योंकि नबी सल्ल० से वितर में बीच का तशहहुद साबित नहीं है बल्कि बीच का तशहहुद करने में मग़रिब की नमाज़ से समानता हो जाती है इस लिए जनाब नबी सल्ल० ने तीन रकअत वितर पढ़ने से मना फ़रमाया है अतएव सही इब्ने हिब्बान में एक रिवायत इस विषय की यह है-

ला तूतिरु बिसलासिंन अवतिरु बिख़म सिन अव बिसबइन वला

तुशब्बिहू बिसलातिल मग़रिब॰

"नमाज़ वितर तीन रकअतें न पढ़ो बल्कि पांच या सात रकअतें पढ़ो और उसे मग़रिब की नमाज़ के साथ न मिलाओ।"

नबी सल्ल॰ प्रायः वितर की पहली रकअत में सूरः आला और दूसरी में सूरः काफ़िरून और तीसरी में सूरः इख़्लास पढ़ते थे और कभी सूरः इख़्लास के साथ सूरः फ़लक़ और सूरः नास भी मिला लिया करते थे।

(तिर्मिज़ी, अबूदाऊद नसई)

यदि किसी ने सुबह हो जाने के डर से वितर पढ़ लिया फिर पता चला कि अभी रात बाकी है या किसी ने रात के शुरु में वितर पढ़ लिए थे फिर रात को नमाज़ तरावीह या तहज्जुद पढ़ना चाहिए तो पढ़ ले वितर को दोबारा न पढ़े क्योंकि एक रात में दो बार वितर ठीक नहीं।

वितर की नमाज़ में तीन बार यह तस्बीह पढ़ना सुन्नत है "सुब्हानल मलिकिल कुदूदसि" लेकिन तीसरी बार अलकुददूसि के शब्द को खींच कर कहे। नबी सल्ल॰ वितरों के बाद कभी कभी दो रकअत बैठ कर पढ़ा करते थे।

नबी सल्ल॰ ने फरमाया आदमी का बैठकर नमाज़ पढ़ना आधी नमाज़ के बराबर है इसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने नबी सल्ल॰ को देखा कि आप बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया है कि आदमी का बैठ कर नमाज़ पढ़ना आधी नमाज़ है फ़रमाया कि "मसला तो उसी तरह है लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं।"

फ़ायदा– यह नबी सल्ल॰ की एक विशेषता है कि आप बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं फिर भी पूरा सवाब मिलता था उम्मतियों को बैठकर पढ़ने में आधा सवाब मिलता है लेकिन यदि कोई मजबूरी है तब उन्हें पूरा सवाब मिलेगा।

नबी करीम सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जो आदमी रात के शुरु के हिस्से

में नमाज़े वितर के बाद दो रकअत पढ़े और रात के आखिरी हिस्से को तहज्जुद के लिए उठे और नमाज़ पढ़े तो बेहतर है वर्ना यदि आखिरी रात को नहीं भी उठेगा तो यही दो रकअत नमाज़ तहज्जुद की नमाज के बदले काफ़ी हो जाएंगी।

(दारमी मिश्कात 105)

वितर में दुआए कुनूत के बारे में कई हदीसें आयी हैं एक हदीस में तो यूं आया है -हसन बिन अली रज़ि० कहते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्ल० ने वितर में पढ़ने के लिए यह दुआ फ़रमायी

(अहमद, अबूदाऊद तिर्मिज़ी नसई)

अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदयता० व आफ़िनी फ़मन आफ़यता० फ़तवल्लनी फ़ीमन तवल्लयता० व बारिक ली फ़ीमा आनयता० वक़िनी शर्रा मा क़ज़यता० फ़इन्नका तुक़ज़ा अलयका० इन्नहु ला युज़िल्लु मव्व अलयता० वला यहिज़्ज़ु मन आदयता० तबारकता रब्बना व तआलयता०

"ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के साथ दाखिल कर जिन्हें तूने हिदायत दी और मुझे दुनिया व आखिरत की आफ़तों से बचा रख उन लोगों की तरह जिन्हें तूने बचाया और उन लोगों में मुझे दाखिल कर जिनकी तूने मदद की और जो तूने मुझे प्रदान किया है उसमें बरकत दे और मुझे उस चीज़ की बुराई से बचा ले जो तूने मेरे भाग्य में लिखी है क्योंकि तेरा हुक्म सब पर चलता है और तुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता जिसका तू रखवाला हो वह कभी ज़लील नहीं होता और जिसे तूने दुश्मन रखा वह कभी इज़्ज़त नहीं पा सकता।"

दूसरी हदीस में यह दुआ आयी है-

अल्लाहुम्मग़फ़िर लना वलमोमिनीना वल मोमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति व अल्लिफ़ बयना कुलूबिहिम व असलिह ज़ाता बयनीहुम वन्सुर हुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम० अल्लाहुम्मा

अल अनिल क-फ़-रतल्लज़ीना यसुदद्ना अन सबीलिका व युकज़्ज़िबूना रुसुलका व युक़ातिलूना अवलिआका अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बयना कलिमतिहिम वज़ल-ज़िल अक़दामहुम व अन्ज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़वमिल मुजरिमीना॰ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम॰ अल्लाहुम्मा इन्ना नसतअीनुका व नसतग़फ़िरुका व नुसनी अलयकल ख़ैर॰ वला नकफ़ुरुका व नखलऊ व नतरुकू मय्यफ़जुरुका॰ बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम॰ अल्लाहुम्मा इय्याका नाबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलयका नसआ व नहफ़िदु व नख़शा अज़ाबका अलजिददा व नरजू रहमतका इन्ना अज़ाबकल जिददा बिलकुफ़्फ़ारि मुलहिक़॰

"ऐ अल्लाह हमें और तमाम मुसलमानों (मर्द व औरत) को बख्श दे और उनके दिलों में मुहब्बत डाल दे और उनके दीनी मामलों और दुनिया के हाल ठीक कर दे और उन्हें अपने और उनके दुश्मनों पर मदद दे। ऐ अल्लाह! उन काफ़िरों को अपनी रहमत से दूर कर दे जो लोगों को तेरी राह से रोकते और तेरे पैग़म्बरों को झुठलाते और तेरे दोस्तों से लड़ते हैं। ऐ अल्लाह उनकी बातों में फूट व मतभेद डाल दे कि उनकी एकता टूट जाए और उनके क़दमों को डगमगा दे। उनपर अपना वह अज़ाब नाज़िल कर जिसे तू काफ़िरों से नहीं रोका करता। मैं बख़्शिश करने वाले खुदा और मेहरबान कारसाज़ के नाम से शुरु करता हूं। ऐ अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं और माफ़ी की प्रार्थना करते हैं तेरी भलाई के साथ प्रशंसा करते और नेमत की नाशुक्री नहीं करते। हम उससे बेज़ार और अलग हैं जो तेरी अवज्ञा करता है। हम खुदा रहमान व रहीम के नाम से शुरु करते हैं। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए ही नमाज़ पढ़ते हैं और सज्दा करते हैं हम तेरी इबादत की ओर कोशिश करते और तेरी सेवा में दौड़ते हैं और हम तेरे यक़ीनी व बरहक़ अज़ाब से डरते हैं हम तेरी रहमत के उम्मीदवार और अज़ाब से भयभीत हैं। बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को पहुंचने वाला है।"

इस हदीस को यद्यपि अबूदाऊद ने भी अपनी किताब में दर्ज किया है लेकिन हज़रत नबी सल्ल० के किसी कथन व करनी से इसकी सनद साबित नहीं होती।

तीसरी दुआ यह है-

अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तओनुका व नसतग़फ़िरुका व नूमिनु बिका व नत-वककलु अलयका व नुसनी अलयकल ख़यरा व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलऊ व नतरुकु मय्यफ़जुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नाबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलयका नसआ व नहफ़िदु व नरजु रहमतका व नख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका अलजिददा बिल कुफ़्फ़ारि मुलहिक़०"

इस दुआ का सबूत भी नबी सल्ल० से नहीं पाया गया अत: वितर में वही क़ुनूत पढ़नी सही और साबित है जो हज़रत हसन रज़ि० की रिवायत पहले गुज़र चुकी है अर्थात अल्लाहुम्महदिनी फ़ीमन हदयता वितरों में तीसरी रकअत में अधिकांश लोग रफ़अ यदैन करते हैं फिर हाथ बांध कर वितर पढ़ते हैं वह बे-सनद बिदअत है।

21- फ़ज्र व मग़रिब की नमाज़ में क़ुनूत

अन अन-सिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु सुइला हल क़-न-तन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा फ़ी सलातिस्सुबहि फ़क़ाला नअम फ़क़ीला लहु क़बलर्रुकूऊ अव बाअदर्रुकूई क़ाला बाअदर्रुकूई०

"हज़रत अनस रज़ि० से किसी ने पूछा कि क्या नबी सल्ल० ने सुबह की नमाज़ में क़ुनूत पढ़ा? कहा हां, पूछा क्या रुकू से पहले या बाद? कहा-रुकू के बाद।

बराअ बिन आज़िब की रिवायत से साबित होता है कि नबी सल्ल० मग़रिब और सुबह दोनों नमाज़ों में क़ुनूत पढ़ते थे। जब मुसलमानों पर कोई घटना आती है तो तमाम नमाज़ों में क़ुनूत पढ़ना मुस्तहब है और सुबह की नमाज़ में प्राय: क़ुनूत पढ़ना मुस्तहब है क़ुनूत पढ़ने का तरीक़ा है आखिरी रकअत में रुकू से सर उठाने के बाद दुआए क़ुनूत ज़ोर से पढ़ना मुस्तहब है। हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि रसूले खुदा सल्ल० ने एक महीने तक क़ुनूत पढ़ा। आप रुकू के बाद दुआए क़ुनूत पढ़ा करते और अरब के क़बीलों में से कुछ कबीलों के हक़ में बद दुआ करते। बाद में आपने इसे छोड़ दिया।

(सहीहीन मिश्कात 106)

22- क़ज़ा व छूट गयी नमाज़ें

यदि कोई आदमी जानबूझकर नमाज़ें छोड़ दे और फिर उनकी कज़ा करना चाहे तो इस तरह की नमाज़ों की कज़ा हदीस से साबित नहीं है बल्कि ऐसे आदमी के लिए तोबा इस्तग़फ़ार है पिछले गुनाहों पर तोबा करे और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे आगे नमाज़ न छोड़ने का वचन दे। हां जो नमाज़ें किसी उचित कारण से छुट गयी है उन्हें क्रमवार अदा करना चाहिए जैसे पहले सुबह की, फिर जुहर की कज़ा नमाज़ अदा करे।

(तिर्मिज़ी अबूदाऊद नसई 53)

खन्दक की लड़ाई में जब नबी करीम सल्ल० काफ़िरों के हमले से चार नमाज़ें नहीं पढ़ सके तो आपने रात को चारों नमाज़ें क्रमवार जमाअत से अदा कीं। यदि किसी मस्जिद या अन्य स्थान पर जमाअत हो रही हो तो जमाअत में शरीक होकर पहले ताज़ा अदा कर लेनी चाहिए छुटी हुई नमाज़ बाद में क्रम के साथ पढ़ें यदि कोई आदमी जान के डर से या कोई सख्त सदमे के कारण परेशान हो और तयम्मुम व इशारों से भी नमाज़ पढ़ सकता हो और नमाज़ का समय जाता रहा हो तो सही हालात आने पर वह नमाज़ पढ़ ले अल्लाह

से उम्मीद है कि इस पर उसकी पकड़ न होगी।

23- भूलने व सो जाने वालों की नमाज़

जो आदमी किसी नमाज़ को इत्तिफ़ाक़न भूल गया या ग़ाफ़िल होकर सो गया तो जब नमाज़ याद आए या नींद से जागे तुरन्त पढ़ ले। इस नमाज़ का वही समय है जो कज़ा का है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि सो जाने से आदमी का कोई दोष नहीं। दोष तो जागने की हालत में नमाज़ का कज़ा कर देना है तो जब कोई आदमी नमाज़ भूल जाए या सो जाए तो जिस समय याद आ जाए या सोकर उठे नमाज़ पढ़ ले क्योंकि अल्लाह का इर्शाद है- 'अक़िमिस्सलाता लिज़िकरी' अर्थात मेरे याद करने के समय नमाज़ पढ़ो। (नसई तिर्मिज़ी)

नबी करीम सल्ल० ने हज़रत अली रज़ि से फ़रमाया कि अली तीन कामों में देर न करना एक नमाज़ जब उसका समय हो जाए। दूसरे जनाज़ा जिस समय तैयार हो जाए तुरन्त उसकी नमाज़ पढ़नी चाहिए। तीसरे जब कोई औरत निकाह के क़ाबिल हो तो जिस समय उसका जोड़ मिले तुरन्त निकाह कर देना चाहिए। (तिर्मिज़ी मिश्कात 53)

एक बार नबी करीम सल्ल० की नमाज़ भी सो जाने की वजह से छूट गयी थी और यह उस समय की घटना है जब आप ख़ैबर से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। जब आप जागे तो जमाअत से नमाज़ अदा की। जो नमाज़ें इस तरह से छूट जाएं उनके लिए अज़ान देने की ज़रूरत नहीं बल्कि केवल तकबीर कहना काफ़ी है इस तरह की नमाज़ को छूट गयी नमाज़ की नीयत से अदा न करना चाहिए बल्कि अदा की नीयत से पढ़ना चाहिए।

24- औरतों की नमाज़

इस्लामी शरीअत में मर्द व औरत की नमाज़ में कोई अन्तर नहीं

बल्कि मर्द जिस तरह से नमाज़ पढ़ता है उसी तरह औरत को भी पढ़ना चाहिए, हां बालिग़ औरतों को अपना सारा शरीर ढांपना ज़रूरी है। मुंह और हाथों के गट्टों के अलावा सारा शरीर कपड़े से ढांका जाए। यदि इनके अलावा कोई और जगह खुली रहेगी तो नमाज़ न होगी। सर के बाल खुलने से भी नमाज़ खराब हो जाएगी। यदि ऐसा बारीक कपड़ा पहन कर नमाज़ पढ़े जिससे शरीर नज़र आए तो भी नमाज़ न होगी। औरतों की नमाज़ केवल कुर्ते और ओढ़नी से भी हो सकती है जबकि सर व टखने छिपे हुए हैं।

(मुस्लिम, बुखारी, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी)

नमाज़ी औरतें भी कियामत के दिन जन्नत की नेमतों से लाभान्वित होंगी और उन्हें भी अल्लाह बड़े दर्जे प्रदान करेगा बल्कि कुछ नेक औरतें कुछ नेक मर्दों से बढ़कर जन्नत की नेमतों का हिस्सा लेंगी। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि जो औरत पांच समय की नमाज़ अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करे, पति की आज्ञा का पालन करे वह जन्नत में जिस दरवाज़े से चाहेगी दाखिल होगी। (तिबरानी 75)

औरतें यदि मस्जिद में जमाअत में शरीक होकर नमाज़ पढ़ने की अनुमति अपने पतियों से मांगे तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए क्योंकि नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया है कि यदि औरतें मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की प्रार्थना करें तो उन्हें रोकना न चाहिए। एक हदीस में यों आया है कि औरतों को रात के समय मस्जिदों में जाने से न रोको नबी करीम सल्ल० के ज़माने में औरतें सुबह की नमाज़ पढ़कर ऐसे समय अपने घरों को वापस चली जाती थीं कि पहचानी न जाती थी। (मुस्लिम मिश्कात 95 फ़तहुल बारी पारा 4)

नबी करीम सल्ल० ने उन औरतों के हक़ में चेतावनी दी है कि जो खुश्बू लगाकर मस्जिदों में जाती हैं लेकिन इसी के साथ अल्लाह ने औरतों को परदे का अत्यन्त ताकीदी हुक्म दिया है। अतएव नबी करीम सल्ल० को

सम्बोधित करके इर्शाद फ़रमाया-

या अय्युहन्नबिय्यु.कुल लिअज़्वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलयहिन्ना मिन जलाबी बिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्योरफ़ना फ़ला योज़यनि० (सूर: अहज़ाब)

" ऐ नबी! आप अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि अपने बदन पर बुरक़े व चादरें डाल लें इससे उनकी पहचान होगी कि बीवी हैं या लौंडी"

और फ़रमाया-कि- व क़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना' (सूर: अहज़ाब)

"ऐ नबी की बीवियो! तुम अपने घरों में टिकी रहो।"

अबू हमीद साअदी जो एक चोटी के सहाबी थे उनकी बीवी ने नबी सल्ल० की सेवा में अर्ज़ किया कि मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ना चाहती हूं। नबी सल्ल० ने फ़रमाया यह तो मैं जानता हूं। घर पर तेरा कोठरी में नमाज़ पढ़ना दालान में पढ़ने से बेहतर है और घर के दालान में नमाज़ पढ़ना घर के सेहन में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है और मौहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से घर के सेहन में बेहतर है और मेरी मस्जिद में पढ़ने से मौहल्ले की मस्जिद में पढ़ना बेह्तर है इसके बाद हुजूर के इशारे से उनके घर के एक कोने में मस्जिद बनायी गयी और वे इन्तक़ाल के समय तक वहीं नमाज़ पढ़ती रहीं।

एक हदीस में यों भी आया है कि अल्लाह को उस औरत की नमाज़ बहुत पसन्द है जो अपने घर की उस कोठरी में पढ़ती है जो सबसे ज्यादा अंधेरी है यह भी नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि खुदा की रज़ामन्दी इसी में है कि औरत अपने घर की अंधेरी कोठरी में नमाज़ पढ़े हां इशा और सुबह की नमाज़ के लिए यदि अंधेरे अंधेरे में जाएं तो उन्हें मस्जिद में जाने से मना नहीं करना चाहिए। औरतों को अपने पतियों की अनुमति के बिना नफ़्ली रोजे रखना

मना है क्योंकि नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि बिना इजाज़त अपने पतियों के नफ़ली रोज़े न रखें। (तर्ग़ीब 75, अबूदाऊद)

25- औरतों के साथ अच्छा सुलूक

क़ालल्लाहु तआला व आशिरुहुन्ना बिल माअरुफ़०

"औरतों के साथ अच्छे तौर पर गुज़रान करो"

(सूरः निसा)

"व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा खयरुकुम लि अहलिहि व अना खयरुकुम लि अहली।"

(तिर्मिज़ी, दारमी, इब्ने माजा)

"नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि तुममें सबसे ज्यादा बेहतर वह आदमी है जो अपनी औरत के साथ भला है और मैं तुम से ज़्यादा अपने घर वालों के साथ भलाई करने वाला हूं।"

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि लोगो! औरतों के बारे में मेरी वसीयत कुबूल करो। वह यह कि औरतों के साथ अच्छा सुलूक करो और बढ़िया बरताव रखो क्योंकि औरतें उस पसली से पैदा हुई हैं जो बहुत टेढ़ी है यदि तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो सीधे की बजाए तोड़ डालोगे और यों ही छोड़ दोगे तो वह हमेशा टेढ़ी रहेगी कभी सीधी न होगी तो यदि तुम उससे लाभ उठाना चाहते हो तो यों ही लाभ उठा सकते हो।

(सहीहीन मिश्कात 273)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि यदि बनी इस्राईल की कौम न होती तो गोश्त कभी न सड़ता और यदि हव्वा न होती तो कोई औरत अपने पति की बेईमानी न करती और फ़रमाया कि कामिल मुसलमान वह है जिसका आचरण अच्छा हो और बेहतर ईमानदार वह जो अपनी बीवियों के हक़ में

अच्छा बरताव करे। और फ़रमाया कि पति के ज़िम्मे पत्नि का हक़ यह है कि जैसा स्वयं खाए पहने वैसा ही उसे भी खिलाए पहनाए और उसके मुंह पर न मारे न कोसे न उससे अलग होवे।

हज़रत आयशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं अपने पड़ौस की लड़कियों के साथ गुड़िया खेला करती थी जब हुजूर घर में तशरीफ़ लाते तो लड़कियां शर्म से छिप जाती मगर हुजूर सल्ल० उन्हें मेरे पास खेलने के लिए भेज देते और वह मेरे साथ प्राय: खेला करती। हज़रत आयशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि एक बार हब्शी मस्जिद के सेहन में बरछियों से खेल रहे थे और नबी सल्ल० मुझे परदा किए तमाशा दिखा रहे थे जब बहुत देर हो गयी और मेरा जी उकता गया तो मैं स्वयं वहां से हट गयी। (सहीहीन मिश्कात 272)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि कोई मुसलमान अपनी बीवी से ना खुश न हो क्योंकि यदि उसकी बुरी आदत से नाराज़ होगा तो दूसरी नेक आदत से राज़ी हो जाएगा। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जो आदमी मियां-बीवी में फूट डलवाए वह हमारी जमाअत से नहीं। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जब पति अपनी पत्नी को बिछौने पर बुलाए और वह इन्कार कर दे और पति गुस्से में रात बसर करे तो फ़रिश्ते उस औरत पर रात भर लानत करते रहते हैं और यह भी फ़रमाया कि जब पति अपनी पत्नी को बुलाए तो उसे तुरन्त हाज़िर होना चाहिए यद्यपि चूल्हे चक्की या किसी अन्य ज़रूरी काम में ही क्यों न लगी हो। (सहीहीन मिश्कात 274, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जब औरत दुनिया में अपने पति को कष्ट देती है तो जन्नत की हूर जो आखिर में उसकी पत्नी होगी कहती है कि अल्लाह तुझे ग़ारत करे इस आदमी को कष्ट मत दे ये थोड़े दिन के लिए तेरे पास मेहमान है जल्द ही तुझसे विदा होकर हमारे पास आने वाला है। और फ़रमाया कि जो औरत इस हाल में मरे कि उसका पति उससे राज़ी हो

तो वह जन्नत में दाख़िल होगी। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि मैं यदि किसी ग़ैर को सज्दा करने का हुक्म करता तो औरत को हुक्म करता कि वह अपने पति को सज्दा किया करे। (तिर्मिज़ी इब्ने माजा, मिश्कात 273)

1- जुमे के दिन की फ़ज़ीलत

अन अबी हुरैयरता क़ाला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा ख़यरु यवमिन त-ल-अ-तु अलयहिश्शमसु यवमुलजुमअति फ़ीहि खुलिक़ा आदमु व फ़ीही उदख़िलल जन्नन्ता व फ़ीही उख़रिजा मिनहा वला नकूमुस्साअतु इल्ला फ़ी यवमिल जुमुअति० (मुस्लिम मिश्कात 111)

"हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० रिवायत करते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि सब में बेहतर व अफ़ज़ल दिन जुमे का है इसी दिन हज़रत आदम अलै० पैदा हुएं और इसी दिन जन्नत के अन्दर दाखिल हुए इसी दिन वहां से निकाले गए और इसी दिन क़ियामत होगी।"

और फ़रमाया-

"लोगों! जुमे के दिन मुझ पर ज्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ा करो तुम्हारे दरूद (फ़रिश्तों द्वारा) मुझ तक पहुंचते हैं (इब्ने माजा 113)

और फ़रमाया-

"यद्यपि हम पैदाइश में सबसे पीछे हैं. लेकिन दर्जे में क़ियामत के दिन सबसे आगे होंगे और हम ही सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे और लोगों को हम से पहले किताब मिली है उन्होंने एक सच्ची बात अर्थात जुमे के दिन में मतभेद किया फिर अल्लाह ने हमें उसकी ओर राह दे दी हमारी ईद अर्थात जुमा पहले है और यहूद व ईसाईयों की ईद उसके बाद है अर्थात हफ़्ता व इतवार।

और फ़रमाया-जुमे के दिन एक ऐसी मक़बूल घड़ी है कि उसमें मुसलमान जो दुआ भी करता है वह कुबूल होती है।"

(सहीहीन मिश्कात 111)

फ़ायदा- इस मक़बूल घड़ी में उलेमा का मतभेद है प्राय: उलेमा इस ओर गए हैं कि इससे जुमे के दिन की आखिरी घड़ी मुराद है अर्थात असर से मग़रिब तक। कुछ हदीसों से स्पष्ट होता है कि वह घड़ी इमाम के मिम्बर पर बैठने से लेकर नमाज़ के खत्म होने तक है तमाम हदीसों के देखने से मालूम होता है कि यह घड़ी सुबह सादिक़ से लेकर सूरज के अस्त होने तक किसी समय भी हो सकती है हां, इमाम के खुत्बे से खत्म नमाज़ तक और असर की नमाज़ से सूरज के अस्त होने तक अक्सर होती है।

नबी सल्ल० ने यह भी फ़रमाया कि चूंकि जुमे के दिन क़ियामत होगी इसलिए हर जुमे के दिन सुबह से लेकर शाम तक मुक़र्रब फ़रिश्ते और आसमान व ज़मीन, हवा, पहाड़, दरिया और सारे जानवर कांपते थरति रहते हैं कि कहीं आज ही क़ियामत न टूट पड़े और फरमाया कि जो मुसलमान जुमे की रात या दिन को मर जाएगा अल्लाह उसे क़ब्र के फ़ित्ने से बचा लेगा।

(इब्ने माजा मिश्कात 112 अहमद तिर्मिज़ी 113)

2- जुमे का गुस्ल करना वाजिब है

जुमे के दिन जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए गुस्ल करना वाजिब है नबी सल्ल० ने फ़रमाया-

हक़्कुल्लाहि अला कुल्ली मुस्लिमिन अय यग़तसिला फ़ा कुल्ली सबअतय यामिन यग़सिलु रासहु व ज-स-दहु (मुस्लिम)

"हर मुसलमान पर अल्लाह का हक़ है कि हर सात दिन में अपना सर और बदन धोए।"

नबी सल्ल० ने मिम्बर पर खड़े होकर फ़रमाया कि जो तुम में जुमे के दिन जुमे के लिए आए पहले नहा ले। (मुस्लिम 280)

एक बार का ज़िक्र है कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ि० जुमे का खुत्बा पढ़ रहे थे इतने उसमान रज़ि० तशरीफ़ लाए ज़रा देर करके हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया कि यह क्या आने का समय है? अर्थात पहले आना चाहिए था। हज़रत उसमान रज़ि० ने फ़रमाया कि मैं एक ज़रूरी काम से गया हुआ था घर में नहीं गया अज़ान सुनी तो कुछ भी न हो सका केवल वुज़ू करके चला आया। फ़ारूक़ आज़म ने फ़रमाया "और क्या केवल वुज़ू ही? यद्यपि तुम्हें मालूम है कि नबी सल्ल० ने गुस्ल का हुक्म फ़रमाया है। नबी सल्ल० ने यह भी फ़रमाया कि जुमे के दिन मुसलमानों को गुस्ल करना और खुश्बू लगाना चाहिए। यदि खुश्बू न मिल सके तो उन्हें गुस्ल को पानी ही काफ़ी है। यदि हैसियत हो तो जुमे के कपड़े अलग से बनाए रखे। गुस्ल करते समय ज़रूरत से कोई बात करना जायज़ है।

(मुस्लिम 280, अहमद तिर्मिज़ी मिश्कात 115)

3- जुमे की नमाज़ का समय

जुमे की नमाज़ का समय ज़वाल से शुरु हो जाता है ज़वाल के बाद जब थोड़ा साया ढल चुके तो नमाज़ जुमा अदा रकें और जुमे की नमाज़ का प्रथम समय है। नबी सल्ल० के सहाबा फ़रमाते हैं कि जुमे के दिन जब तक जुमे की नमाज़ अदा न कर लेते न तो दोपहर को सोते न खाना खाते। जब सर्दी अधिक बढ़ने लगती तो नबी सल्ल० जल्दी नमाज़ पढ़ा करते और जब गर्मी ज्यादा होती तो थोड़ी आप देरी करते और ठहर कर नमाज़ पढ़ाते। सहाबा किराम रज़ि० जब नबी सल्ल० के पाक ज़माने में जुमे की नमाज़ पढ़कर घरों को वापस जाते तो दीवारों का साया इतना न होता था कि उसमें चल सकें। (मुस्लिम 283, बुखारी मिश्कात 484)

4– जुमे के पढ़ने का सवाब

नबी सल्ल० ने फ़रमाया–

मन काना योमिनु बिल्लाहि वल यवमिल अख़िरि फ़–अलय हिल जुम अतु इल्ला मरीज़ुन अव मुसाफ़िरुन अव इमरातुन अव सय्युन अव ममलूकुन **(दारकुतनी मिश्कात 114)**

"जो आदमी अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है उस पर जुमे के दिन जुमा फ़र्ज़ है मगर रोगी, मुसाफ़िर और औरत और नाबालिग लड़के व गुलाम पर फ़र्ज़ नहीं।

जुमे की नमाज़ शहर व गांव वालों पर फ़र्ज़ है जो लोग गांव वालों पर जुमा फ़र्ज़ नहीं समझते वे अल्लाह के फ़र्ज़ से लोगों को रोक रहे हैं इसका खुमियाज़ा उन्हें आखिरत में भुगतना होगा इमाम के अलावा यदि दो आदमी भी कहीं हों तो उनको जुमा क़ायम करना चाहिए। (बुखारी, तिर्मिज़ी 101)

जुमे के दिन नमाज़ से पहले इमाम मिम्बर पर खड़े होकर दो खुत्बे पढ़े इसके बाद दो रकअत ऊंची क़िरअत से अदा करे। फ़र्ज़ों के बाद वहां से थोड़ा हट कर दो रकअत या चार रकअत सुन्नत अदा करे। कुछ सहाबा से फ़र्ज़ों के बाद छः रकअतें भी साबित हैं (सहीहीन मिश्कात 614)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया जब जुमे का दिन आता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर आ खड़े होते हैं और आने वालों को लिखने लगते हैं जो आदमी सबसे पहले आता है उसे इतना सवाब मिलता है मानो उसने एक ऊंट मक्का में क़ुरबान किया और जो उसके बाद आते हैं उन्हें गाय की कुरबानी का सवाब मिलता है और उनके बाद आने वालों को दुम्बे की कुरबानी का सवाब मिलता है और जो उनके पीछे आते हैं उन्हें मुर्गी और अण्डों के खैरात करने का सवाब मिलता है और जब इमाम खुत्बा पढ़ने के लिए मिम्बर पर बैठता है तो फ़रिश्ते

आमालनामे के दफ़्तर लपेट लेते हैं और खुत्बा सुनने के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। जुमा उन लोगों पर वाजिब होता है जिनके कानों में अज़ान के शब्द पहुंचते हैं। (अबूदाऊद मिश्कात 12-14)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जो आदमी पाक साफ़ होकर जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है और लोगों को उनकी जगह से नहीं हटाता नमाज़ियों की गर्दनें नहीं फ़लांगता फिर जितना हो सकता है नफ़्ल नमाज़ पढ़ता और इमाम के खुत्बे पढ़ने के समय खामोश बैठा रहता है उसके वे सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जो पिछले जुमे से इस जुमे तक हुए हैं बल्कि तीन दिन ज़्यादा के गुनाह बख्शे जाते हैं।

(तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, नसई, इब्ने माजा)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जो आदमी पैदल सवेरे सबसे पहले मस्जिद में जाए और इमाम के पास बैठकर खुत्बा सुने और कोई बात न करे उसे हर क़दम के बदले साल भर के रोज़ों का सवाब मिलता है और साल भर की पूरी रात इबादत करने का। (सहीहीन मिश्कात 116)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जिस आदमी ने जुमे की एक रकअत भी पा ली उसने जुमा पा लिया और जिसने एक रकअत भी न पायी बल्कि आखिर तशह्हुद में मिला उसे जुहर के फ़र्ज़ों की चार रकअतों को पढ़ना चाहिए। यदि कुछ आदमी इमाम के साथ सलाम फेर देने के बाद आएं तो जुहर की नमाज़ अलग अलग पढ़ें। दोबारा जुमे की नमाज़ पढ़ना हदीस से साबित नहीं। हां, यदि किसी दूसरी मस्जिद में जुमा मिल जाए तो तुरन्त वहां जाकर जुमा अदा कर लेना चाहिए। (दारक़ुतनी मिश्कात 114)

5- जुमा छोड़ने की निन्दा

"क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा

लय-नतहियन्न अक़वामुन अव व दाअिहिमुल जुमआति अव लयख़-तिमन्नल्लाहु अला कुलूबिहिम सुम्मा ल-यकूनन्ना मिनल ग़ाफ़िलीन० **(दारकुतनी मिश्कात 114)**

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि लोग जुमों को छोड़ने से बाज़ रहें वर्ना अल्लाह उनके दिलों पर मुहर लगा देगा और फिर वे गफ़लत में पड़ जाएंगे।" यह भी फ़रमाया कि जो आदमी बे परवाई से जुमा छोड़ देता है अल्लाह उससे बे परवाई करेगा जुमा की नमाज़ में हाज़िर न होने वालों के हक़ में नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि मेरा जी चाहता है कि उनके घर जला दूं यह भी फ़रमाया कि जो आदमी बिना किसी शरअी कारण के एक जुमा छोड़ दे तो एक दीनार खैरात करे यदि एक दीनार न हो तो आधा ज़रूर करे।

(मुस्लिम मिश्कात 123-113)

जिस दिन बारिश हो और जुमे में न जा सके तो जुहर की नमाज़ अपने-अपने घरों में पढ़ लें।

(अहमद, अबूदाऊद, इब्ने माजा मिश्कात मुस्लिम)

6- खुत्बे की अज़ान और जुमे में क़िरअत

अन जाबिरिब्नि समुर-ता क़ाला कानत लिनबिय्यि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा खुतबतानि यजलिसु बयनहु मा व युज़क्किरुन्नासा फ़कानत सलातुहु क़सदव व खुतबतुहु क़सदन०

(अबूदाऊद)

नबी सल्ल० जुमे के दिन दो खुत्बे खड़े होकर पढ़ते और दोनों के बीच में थोड़ी देर बैठ जाते जैसा कि आजकल होता है। आप दोनों खुत्बों में आम तौर से कुरआन मजीद की आयतें पढ़ा करते और प्राय: ऐसा होता कि सूर: क़ाफ़ पढ़ते और लोगों को प्रभावशाली ढंग से नसीहत करते। बैठकर खुत्बा पढ़ना नबी सल्ल० से साबित नहीं। एक सहाबी ने एक आदमी

अब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकभ को बैठ कर खुत्बा पढ़ते देखा। फ़रमाया देखो यह खबीस बैठकर खुत्बा पढ़ता है। (मुस्लिम मिश्कात 151-115)

खुत्बा पढ़ते समय नबी सल्ल० की आंखे सुर्ख हो जातीं आवाज़ भारी पड़ जाती, गुस्सा बढ़ जाता मानो आप एक ऐसे खतरनाक लश्कर से भय दिला रहे हैं जो सुबह या शाम को हमला करने वाला है आप शहादत और बीच की उंगली मिलाकर फ़रमाते कि जिस तरह ये दोनों अंगलियां एक साथ हैं तो इसी तरह मैं और क़ियामत एक साथ हैं अर्थात मेरा आना कियामत की निशानी है। इसके बाद खुदा की हम्द सना करके फ़रमाते जान लो कि सबसे बेहतर किताबुल्लाह है और तमाम तरीक़ों में बेहतर तरीक़ा मुहम्मद सल्ल० का है सब रस्मों में बुरी रस्म वह है जो नयी निकाली गयी हो और सब नयी रस्में गुमराही में डालने वाली हैं। (मुस्लिम मिश्कात 115-19)

खुत्बे की अज़ान से मुसलमानों पर खरीद फ़रोख़्त हराम हो जाती है। इमाम को चाहिए कि मुक्तदियों की ओर मुंह करके मिम्बर पर बैठे और मुक़्तदी इमाम के सामने उसके क़रीब बैठने की कोशिश करें। जब इमाम मिम्बर पर बैठे तो उसके सामने मस्जिद के सेहन में पुकार कर अज़ान दी जाए। कुरआन मजीद की आयत "इज़ा नूदिया लिस्सलाति" में इसी अज़ान का ज़िक्र है। नबी सल्ल० के पाक ज़माने में एक यही अज़ान थी इसी तरह हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि० और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० के ज़माने में भी यही अज़ान थी। (पारा 28 सूर: जुमा, तिर्मिज़ी मिश्कात 116)

लेकिन जब हज़रत उसमान रज़ि० की खिलाफत का ज़माना आया और आपने लोगों की अधिक संख्या देखी तो आपने खुत्बे की अज़ान से पहले एक और अज़ान सहाबा की मौजूदगी में जारी की। किसी ने इस पर इन्कार नहीं किया और जब यह है तो अज़ान नबी सल्ल० के इर्शाद के अनुसार खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत में दाखिल है जो लोग इस अज़ान को बिदअत बताते हैं

यह उन की ग़लत फ़हमी है लेकिन यह अज़ान मस्जिद से बाहर होनी चाहिए। मस्जिद में यह अज़ान देनी बिदअत है। हज़रत उसमान ने मस्जिद से बाहर जोरा बाज़ार में दिलवायी थी।

जब खुत्बे की अज़ान हो चुके तो इमाम मिम्बर पर खड़े होकर दो खुत्बे पढ़े। खुत्बे के दौरान जो लोग आएं उन्हें हल्की सी दो रकअतें बैठने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। लोग अत्यन्त खामोशी के साथ खुत्बा सुनें और जहां जगह पाएं बैठ जाएं खुत्बा होने के समय बोलने वाले को नबी सल्ल० ने गधा फ़रमाया है। यह भी फ़रमाया है कि वह जुमे के सवाब से महरूम रहता है। (मुस्लिम मिश्कात 115, बुखारी मिश्कात 115)

जुमे के दिन अच्छे कपड़े बनाने की बात हदीस से साबित है। खुत्बे के समय यदि किसी को नींद आए तो तुरन्त जगह बदल कर बैठे। खुत्बा के समय यदि इमाम से कोई मसला पूछा जाए तो तरुन्त जवाब दे या उचित बात कहे। खुत्बे के दौरान जब कोई मुसलमान होने की प्रार्थना करे तो खुत्बा छोड़कर उसे इस्लाम की तलक़ीन करनी चाहिए।

(सहीहीन मिश्कात 114)

यदि मुक्तदियों को कोई कार्रवाई खिलाफ़ लगे तो इमाम को इस पर सचेत करें और इमाम को चाहिए कि मुसलमानों को अच्छी तरह नसीहत करे और कलिमे की उंगली से इशारा करके अच्छी तरह समझाए। अ़ल्लाह के डर और क़ियामत के खौफ़ से डराए। इमाम को चाहिए कि खुत्बे को छोटा और नमाज़ को थोड़ा लम्बी करे यह उसकी अक़्लमन्दी में दाखिल है। कुछ शहरों में जुमा और ईद के दिन "अस्सलातु" पुकारी जाती है यह बिदअत है। हज़रत अली रज़ि० के समाने मस्जिद में किसी ने "अस्सलातु" पुकारी। फ़रमाया कि इस बिदअती को मस्जिद से बाहर निकाल दो खुत्बे के समय इमाम और मुक्तदियों को हाथ उठकार दुआ मांगनी बिदअत है इमाम यदि असा (लाठी)

हाथ में लेकर खुत्बा पढ़े तो सुन्नत है खुत्बे के समय दोनों घुटने खड़े करके चूतड़ों पर बैठना मना है। (इमाम अहमद मिश्कात 115)

नबी सल्ल० का खुत्बा और नमाज़ बीच के दर्जे की होती थी। खुत्बे के समय आने वाले न सलाम करें न बैठें हुए जवाब दें। यदि ईद के दिन जुमा आ जाए तो दोनों अपने अपने समयों पर पढ़ें। इस सूरत में यदि जुमा न भी पढ़ें तब भी जायज़ है नबी सल्ल० ने इजाज़त दे दी है।

(मुस्लिम मिश्कात 115)

नबी सल्ल० प्राय: सूर: आला और सूर: ग़ाशियह पढ़ा करते थे और सूर: जुमा और मुनाफ़िकून भी पढ़ा करते थे मगर जुमे के दिन फ़ज्र की नमाज़ में सूर: बक़रा, सूर: सज्दा और सूर: दहर हमेशा पढ़ा करते थे। खुतबे के दौरान यदि दिल ही दिल में दुआ करें तो जायज़ है लेकिन हाथ उठाकर दुआ मांगना बिदअत है। बिना किसी शरअी कारण जुमा छोड़ने वाले को एक दीनार प्रायश्चित के तौर पर मोहताजों को देना चाहिए यदि यह न हो सके तो आधा दीनार अर्थात एक रुपया 12 आने दे दे। यह भी न हो तो एक साअ अर्थात ढाई सेर ढाई छटांक गेंहू खैरात कर दे। यदि यह भी न हो सके तो आधा साअ ही देदे।

कुछ हदीसों में एक मुदद अनाज भी आया है और आधा मुदद अर्थात पौने तीन पाव अनाज भी दिया जा सकता है।

(अबूदाऊद, इब्ने माजा, मिश्कात 113)

ईदैन

1-खुशी और अच्छे खान-पान के दिन

क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा या अबा बकरिन इन्ना लिकुल्ली क़ौमिन ईदव वहाज़ा ईदुना मुत्त-फ़कुन अलैहि॰

"हज़रत आयशा रज़ि॰ से रिवायत है कि बक़रा ईद के दिनों में मेरे पास अन्सार की दो लड़कियां आयीं और दफ़ बजा बजाकर वे गीत गाने लगीं जिन्हें अन्सार ने जंगे बुआस में गाया था उस समय नबी करीम सल्ल॰ अपना चेहरा कपड़े से लपेटे हुए थे इतने में हज़रत अबू बक्र रज़ि॰ आए और लड़कियों को डांटना शुरु किया। हज़रत नबी सल्ल॰ ने चेहरए मुबारक को खोल कर फ़रमाया "इन्हें रहने दो यह ईद के दिन हैं इनमें खुशी मनानी चाहिए और फ़रमाया हर क़ौम के यहां ईद होती है हमारी ईद यह है।

(सहीहीन मिश्कात 18)

हज़रत अनस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब नबी सल्ल॰ मदीने में तशरीफ़ लाए तो मदीने के बाशिन्दों के लिए खुशी के दो दिन मुक़र्रर किए थे जिनमें वे खेलते तथा खुशियां मनाया करते आपने फ़रमाया कि ये दो दिन जिनमें यहां के लोग खेलते और खुशियां मनाया करते हैं कैसे है-? सहाबा ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! ये वे दिन हैं कि जिनमें हम अज्ञानता में खेलते और खुशियां मनाया करते थे फ़रमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन दिनों से बेहतर दो दिन मुक़र्रर किए हैं एक कुरबानी का दिन दूसरा ईदुल फ़ितर का दिन। ये दो दिन अच्छे खाने और बढ़िया लिबास पहनने व खुशी मनाने के लिए हैं बशर्ते कि कोई काम शरीअत के विरुद्ध न हो। (अबूदाऊद मिश्कात 111)

हज़रत आयशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि ईद के दिन कुछ हब्शी आकर मस्जिदे नबवी में हथियारों से खेलने लगे नबी सल्ल० ने मुझे दरवाज़े पर बुलाया मैं आपके कांधे पर अपना सर रख कर उनका तमाशा देखने लगी। नबी सल्ल० ने अपनी चादर से मेरे शरीर को छिपा लिया और मैं बहुत देर तक खड़ी रही। नबी सल्ल० बराबर फ़रमा रहे थे कि ऐ बनी अरफ़दा (बनी अरफ़दा हब्शियों को कहा जाता है) अपने खेल में व्यस्त रहो और बे धड़क खेले जाओ। जब मैं खड़े-खड़े थक गयी और तबियत उकता गयी तो नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि तुम्हारा इतना ही देखना काफ़ी है और अब देखना नहीं चाहती। मैंने कहा जी हां, फ़रमाया अच्छा घर चली जाओ। (मुस्लिम मिश्कात 2)

इसके बाद हज़रत उमर रज़ि तशरीफ़ ले आए देखते ही आपने पत्थर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि उन खेलने वालों को मार भगाएं। नबी सल्ल० ने फ़रमाया उमर! इन्हें खेलने दो और मना न करो।" ईद के दिन नाबालिग़ बच्चे दफ़ बजाएं और लड़कियां ऐसे गीत गाएं जिनका भाव शरीअत के विरुद्ध न हो बशर्ते कि वे लड़कियां गाने में माहिर न हों इस दिन यदि मर्द भी लकड़ी के खेल खेलें और जंगी अभ्यास करें और लोग उनका तमाशा देखें तो कोई हरज नहीं। (मुस्लिम)

हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ईद व जुमे के दिन सुर्ख चादर पहना करते थे। सफ़रुस्सआदत में लिखा है कि नबी सल्ल० ईद के दिन अच्छे कपड़े पहना करते थे और एक चादर जो बड़ी उमदा व क़ीमती थी ईद व जुमे के दिन ओढ़ा करते थे और कभी सुर्ख या हरी धारीदार चादर भी ओढ़ा करते थे। इमाम शोकाफ़ी रहिम० कहते हैं कि ईद के दिन अच्छा लिबास पहनना और सजना मुस्तहब है। एक बार का ज़िक्र है कि हज़रत उमर रज़ि० एक हुब्बा आपके पास लाए और कहा ऐ अल्लाह के रसूल! इसे खरीद लीजिए और ईद के दिन पहिनए" फ़रमाया "उमर! यह लिबास उन लोगों का है जिन का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रखा गया। यह हुब्बा रेशमी

था यदि सूती या ऊनी हुब्बा हो या उसमें थोड़ा रेशम और थोड़ा बहुत सूत मिला हो या हुब्बे में तीन चार उंगली बराबर गोट लगी हो तो उसे पहनने में कोई बात नहीं। मर्दों को रेशमी रूमाल तक रखना हराम है और औरतों को रेशमी लिबास जायज़ है (बुख़ारी 342)

2-ईद की नमाज़ों का समय

ईद की नमाज़ का समय सूरज उदय होने से शुरु होता है जिस समय कि इशराक़ की नमाज़ पढ़ी जाती है और दोपहर तक रहता है। एक हदीस में आया है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि ईदुल अज़हा थोड़ा सवेरे पढ़ा करो और ईदुल फ़ितर की थोड़ी देर से। एक सहाबी का बयान है कि हम इशराक़ के समय नमाज़ पढ़कर निमट जाते थे। इशराक़ का समय सूरज उदय होने से एक घंटा से कुछ अधिक रहता है। (बुख़ारी 238 मिश्कात 115)

3- ईद की नमाज़ों की तकबीरें

अन अबी सईदी निल ख़ुदरिय्यि क़ाला काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा यख़रुजु यवमल फ़ितरि वल अज़्हा इलल मुसल्ला फ़अव्वलु शयइय यबदऊ बिहिस्सलाता सुम्मा यन्सरिफु फ़-यक़ूमु मुक़ाबिलन्नासि वन्नासु जुलूसुन अला सुफ़ूफ़िहिम०

(सहीहैन मिश्कात 117)

"नबी सल्ल० ईदुल फ़ितर व ईदुल अज़हा के दिन सबसे पहले जो काम करते थे वह नमाज़ होती थी अर्थात ईदगाह में न तो अज़ान होती थी न नफ़्ल नमाज़ पढ़ी जाती थी न इक़ामत होती थी आप सबसे पहले दो रकअत नमाज़ सहाबा के साथ अदा करते थे और नमाज़ के बाद लोगों की ओर मुंह करके खड़े हो जाते। सहाबा इसी तरह पंक्ति बांधे हुए अपनी-अपनी जगह बैठे रहते। नबी करीम सल्ल० मुसलमानों को उपदेश व नसीहत फ़रमाते।

स्पष्ट हो क़ि ईद की दो रकअत नमाज़ मुसलमानों पर वाजिब है क्योंकि हदीस के ज़ाहिरी शब्दों से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है। सहीहीन में उम्मे अतिया सेरिवायत है कि नबी सल्ल० ने हमें इर्शाद फ़रमाया कि जवान व कुंवारियों और परदा नशीन औरतों को ईदुल फ़ितर व ईदुल अज़हा दोनों में हम ईदगाह में अपने साथ ले जाया करें। हुक्म दिया कि मासिक धर्म वालियां नमाज़ की जगह से थोड़ी दूर रहें और नमाज़ न पढ़ें हां तकबीर कहती रहें। जनाब रसूले करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि जिस औरत के पास चादर न हो वह अपनी पड़ौसन से मांग ले और ओढ़ कर जाए।

(बुखारी 310, मुसनद अहमद 75, मिश्कात 495)

नबी करीम सल्ल० और हज़रात शेख़ीन ईदों की नमाज़ खुत्बों से पहले पढ़ते थे और उन नमाज़ों के लिए न तो अज़ान ही होती थी न तकबीर ही। (मिश्कात 494)

हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने इस्लाम के शुरु ज़माने से लेकर वफ़ात तक कभी ईद की नमाज़ नहीं छोड़ी किसी हदीस से इन नमाज़ों का किसी हाल में छोड़ना साबित नहीं हुआ। इसी तरह आपके बाद खुलफ़ा ताबईन और तबअ ताबईन से भी इसका छोड़ना साबित नहीं हुआ। बल्कि जुमे के दिन यदि ईद आ पड़ती तो नबी करीम सल्ल० सहाबा के साथ ईद की नमाज़ तो अदा फ़रमाते लेकिन जुमे की नमाज़ की रुख़सत दे देते कि चाहे पढ़े या न पढ़ें मगर स्वयं जुमा न छोड़ते। चूंकि ईद की नमाज़ की वजह से आपने जुमा की नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी थी। इसलिए उलेमा फ़रमाते हैं कि ईदों की नमाज़ें मुसलमानों पर वाजिब हैं। (इब्ने माजा 31 बलोगुल मराम 29)

नबी करीम सल्ल० ईदगाह में केवल दो रकअतें पढ़ते और इन दो रकअतों के अलावा न तो पहले ही कुछ पढ़ते न बाद में। हां एक हदीस में आया है कि जब आप ईदगाह से वापस तशरीफ़ लाते तो अपने घर पर दो

रकअत नमाज़ पढ़ते दोनों ईदों की नमाज़ें एक ही तरह पढ़ी जाती हैं अर्थात केवल दो रकअतें और वे भी खुत्बों से पहले। (इब्ने माजा 31)

इमाम नमाज़ पढ़ाने खड़ा हो तो तकबीर तहरीमा कहता हुआ दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांधे और वह दुआ जो सब नमाज़ों में तकबीर तहरीमा के बाद पढ़ी जाती है पढ़े, इमाम और मुक़्तदी दोनों धीरे से पढ़ें। इसके बाद सात बार ऊंची आवाज़ के साथ अल्लाहु अकबर कहें। हर तकबीर के साथ हाथ उठाना भी नबी सल्ल० से साबित है।

पहली रकअत में क़िरअत से पहले ठहर-ठहर कर सात बार तकबीरें कहें और दूसरी रकअत पढ़ने के वास्ते खड़े हों तो क़िरअत से पहले पांच बार तकबीरें कहें धीरे-धीरे और पुकार-पुकार कर। दोनों रकअतों में 12 तकबीरें हुई। तकबीरे ओला और तकबीरे क़याम के अलावा। नबी करीम सल्ल० ईदों की नमाज़ों में हमेशा पहली रकअत में सूरः फ़ातिहा के बाद सूरः क़ाफ़ और दूसरी रकअत में सूरः फ़ातिहा के बाद सूरः क़मर ऊंची आवाज़ से पढ़ा करते थे और कभी दूसरी रकअत में सूरः ग़ाशियह भी। जुमा और ईद एक दिन आ पड़ें तो सूरः आला और सूरः ग़ाशियह दोनों नमाज़ों में पढ़ते।

यदि चांद के मतभेद के कारण इमाम कोई बिदअत और नया काम करे या कोई बात खुदा के पैग़म्बर सल्ल० के तरीक़े के खिलाफ़ अमल में लाए तो उसके पीछे नमाज़ न पढ़ें। कुछ आदमी मिलकर अलग जमाअत से ईद की नमाज़ अलग कर लें। यदि कोई आदमी ईद की नमाज़ की एक रकअत भी पा लेगा तो उसे ईद की फ़ज़ीलत व सवाब मिल जाएगा। यह आदमी इमाम के सलाम फेरने के बाद दूसरी रकअत पढ़ ले जिसे ईद न मिले वह अकेला भी दो रकअत अदा कर सकता है। यदि दो तीन या अधिक जुमा हों मर्द या औरतें, उन्हें जमाअत से दो रकअतें अदा कर लेनी चाहिए। इस सूरत में खुत्बे की कोई ज़रूरत नहीं ईदुल फ़ितर के दिन नमाज़ से पहले एक या तीन या

पांच खजूरें खा लेनी चाहिए यह सुन्नत है लेकिन ईदुल अज़हा के दिन मसनून है कि नमाज़ के बाद खाया जाए और यदि हो सके तो अपनी कुरबानी के जानवर का गोश्त खाएं यह और भी बेहतर है । (बुखारी मिश्कात 118)

ईदगाह में एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना नबी सल्ल० की सुन्नत है। ईदगाह जाते समय इसी तरह वहां से आते समय और ईदगाह पहुंचने के बाद ऊंची आवाज़ से तकबीर कहना मसनून है। (बुखारी 33)

यदि लड़के नाबालिग़ हों तो उन्हें भी ईदगाह ले जाना उचित है ईदगाह पैदल जाना सही है बारिश के कारण यदि ईदगाह न जा सकें और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ लें तो भी जायज़ है। (अबूदाऊद, इब्ने माजा, बुखारी)

जो लोग शहरों से दूर गांव में रहते हैं यदि वे ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह आएं तो बेहतर वर्ना वहीं लोगों को जमा करके शहर वालों की तरह नमाज़ खुत्बा ईद की तकबीर अदा करें चाहे एक ही घर के मर्द औरतें और बच्चे हों या और भी शरीक हों। (बुखारी)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि ईदे कुरबानी के दस दिनों में जो इबादत की जाती है वह सारी इबादतों से बेहतर हुआ करती है यही वजह है कि इन दस दिनों में नेक अमल अल्लाह को बहुत पसन्द आता है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि इन दिनों तस्बीह का अधिक विर्द रखा करो और खुदा का अधिक गुणगान किया करो। (बुखारी-329)

ईदे कुरबानी के दसवें दिन, 11वें, 12वें और 13वें दिन तक फ़र्ज़ व नफ़ल नमाज़ों के बाद जितना चाहें और जब चाहें तस्बीह व तकबीर कहा करें लेकिन 9वीं तारीख़ को सुबह की नमाज़ से शुरु करके 13वीं तारीख़ की असर तक केवल फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की कैद लगाकर तकबीर कहना कुछ उलेमा ने बिदअत कहा है। सही हदीसों में यही साबित हुआ है कि जिलहिज्जा

के महीने की पहली तारीख़ से दसवीं तारीख से ऊपर तेरहवीं तारीख़ तक जितना हो सके तकबीरे कहा करें।

4– ईद के खुत्बे

अनअबी सईदि निल खुदरिय्यि क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा यख़रुजु यवमल फ़ितरि वल अज़्हा इलल मुसल्ला फ़ अव्वलू शयउन युबदऊ बिहिस्सलाता सुम्मा यनसरिफु फ़यक़ूमु मुक़ाबिलन्नासि वन्नासु जुलूसुन अला सुफ़ूफ़िहिम०

(मुस्लिम मिश्कात 119)

इमाम को सलाम फेरते ही खुत्बे के लिए खड़े होना चाहिए ईदगाह में मिम्बर बनाना किसी हदीस से साबित नहीं अलबत्ता बाद को मर्दान ने यह बिदअत जारी की है नबी सल्ल० के ज़माने में और खुलफ़ा के ज़माने में इसका वजूद न था बल्कि किसी ऊंची जगह या टीले पर खड़े होकर नबी सल्ल० और खलीफ़ा खुत्बा पढ़ा करते थे।

इमाम को चाहिए कि अपना खुत्बा अल्लाह की प्रशंसा के साथ शुरु करे। इसके बाद मुसलमानों को वाअज़ नसीहत करे और आदेश सुनाए कभी लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराए उसकी नेमतों की खुश खबरी सुनाए जब इमाम नमाज़ से फ़ारिग हो तो मुक़्तदी पंक्तियां न तोड़ें बल्कि इमाम की ओर मुंह किए जहां थे वहीं बैठे रहें और ध्यान लगाकर खुत्बा सुनते रहें।

(नसई मिश्कात 118)

इमाम को खुत्बा पढ़ते समय हाथ में लाठी या नेज़ा लेना या किसी आदमी के कंधे पर सहारा देकर खड़े होना सुन्नत है। जब खुत्बा खत्म हो जाए तो इमाम, मुक़्तदी, मर्द औरतें और बच्चे सब अपनी नमाज़ की जगह बैठकर दुआ मांगे और मासिक धर्म वाली औरतें भी दुआ में शरीक हों। यदि

ईद में औरतें जमा हों तो इमाम के लिए सुन्नत है कि ज़रूरत पड़ने पर उनके पास जाकर नसीहत करे। सदक़ा व ख़ैरात पर उन्हें उभारे। ईद का ख़ुत्बा सुन्नते मोअक्किदा है। ख़ुत्बा न सुनना और ख़ुत्बे से भाग खड़ा होना गुनाह है जिस हदीस में है कि जो चाहे ख़ुत्बा सुने और जो चाहे चला जाए, यह हदीस सख़्त ज़ईफ़ है।

5-सदक़तुल फ़ितर

इन्नन्नबिय्या सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा बअस मुनादियन फ़ी फ़हाजी मक्कता अला इन्ना स-द-क़-तल फ़ितरि वाजिबतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन ज़-क-रिन अव उनसा हुर्रिन अव अबदिन सग़ीरिन अव कबीरिन०

"हर मुसलमान पर सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब है और इसका वजूब क़ुरआन व हदीस से साबित है।

(तिर्मिज़ी मिश्कात 153)

हदीस के अनुसार मर्द औरत बच्चा और गुलाम और आज़ाद बड़े व छोटे सब पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है फ़ितराने का सदक़ा अपने ग़रीब रिश्तेदारों और यतीमों मिसकीनों मुसाफ़िरों और मांगने वालों को दे। मुसलमानों को चाहिए कि सदक़ा नमाज़ से पहले अपने ही शहर और अपनी ही बस्ती के मोहताजों को बाट कर नमाज़ को जाएं। इस तरह के सदक़े को नबी सल्ल० ने बड़ा प्रिय बताया है। यदि कोई आदमी सदक़ा नमाज़ के बाद अदा करे तो वह मामूली नफ़ली सदक़ों की तरह है इससे सदक़ा फ़ितर अदा नहीं होता।

(बलोग़ 139)

यदि ईदुल फ़ितर का चांद देखकर रात ही को सदक़ा अदा कर दे तब भी जायज़ है। यह सहाबा की सुन्नत है बल्कि दो एक दिन पहले ही दे

दे तब भी ठीक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० फ़रमाते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्ल० के ज़माने में एक साअ गेंहू या जौ, या छुवारे या एक साअ पनीर या खुश्क अंगूर दिया करते थे।

फ़ायदा- सही हदीसों के हिसाब से प्रति आदमी एक साअ अर्थात ढाई सेर ढाई छटांक गेंहू, जौ, पनीर सदक़ा देना वाजिब है। यदि किसी से इतना न हो सके तो सवा सेर सवा छटांक गेंहू सदक़ा दे जिसके पास एक दिन के खाने से अधिक अनाज हो उसे भी सदक़ा करना चाहिए लेकिन जिनके पास एक दिन की खूराक से ज़्यादा अनाज न हो उसे सदक़ा माफ़ है। रमज़ान के रोज़ों में जो किसी प्रकार की कमी व दोष हो जो जाता है सदक़ा फ़ितर इन कमियों व दोषों को दूर कर देता है। सदक़ा फ़ितर रुपयों पैसों से अदा करना सुन्नत के खिलाफ़ है जो लोग कहते हैं कि सदक़ा फ़ितर उस आदमी पर वाजिब है जो कि साहिबे निसाब हो वे ग़लत कहते हैं उनका यह कहना बे दलील है।

6- कुरबानी के आदेश

सामर्थ मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि ईदुल अज़हा के दिन अपने व अपने घर वालों की ओर से केवल अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से कुरबानी करे। एक कुरबानी सारे घर वालों की ओर से काफ़ी है चाहे घर में सौ आदमी ही क्यों न हों। नबी सल्ल० पूरे दस साल तक मदीना ठहरे और हर साल कुरबानी करते रहे। हदीस से साबित नहीं होता कि नबी सल्ल० ने कभी कुरबानी न की हो। उलेमा का मतभेद है कि कुरबानी वाजिब है या सुन्नते मोअक्किदा। बहुत से उलेमा कुरबानी को वाजिब बताते हैं और इसके वाजिब होने पर यह आयत "फ़सल लिलि रब्बिका वन्हर" पेश करते हैं लेकिन अधिकांश उलेमा सुन्नते मोअक्किदा होने के समर्थक हैं। दोनों की दलीलों पर ध्यान दिया गया तो पता चला कि जो लोग वाजिब होने के समर्थक हैं उनकी दलील शक्ति शाली है। (तिर्मिज़ी मिश्कात 511)

न्याय की बात तो यह है कि जिसे कुरबानी की इतनी हैसियत हो कि वह एक बकरा या मेंढा या भेड़ चाहे नर हो या मादा खरीद सकता हो उसे कुरबानी करना वाजिब है। चाहिए कि वह अपने और अपने घर वालों की ओर से नीयत करके एक जानवर खरीद कर कुरबानी कर दे। यदि हैसियत कुछ अधिक हो तो हर आदमी की ओर से एक-एक जानवर की कुरबानी कर दे। हां यदि एक भेड़ बकरा भी खरीदने की हैसियत न हो तो उस पर कुरबानी ज़रूरी नहीं। (मुस्लिम)

कर्ज़ लेकर कुरबानी करे तो अदा हो जाएगी और सवाब भी मिलेगा और कोई पकड़ भी न होगी लेकिन सूद पर रुपया क़र्ज़ लेकर या दिखावे के तौर पर कुरबानी करेगा तो कुबूल न होगी और अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। पति अपनी पत्नी की ओर से कुरबानी करे। औरतें अपनी कुरबानी बल्कि दूसरे की भी कुरबानी का जानवर ज़िब्ह कर सकती हैं बेहतर तो यही है कि स्वयं अपने हाथ से कुरबानी का जानवर ज़िब्ह करे। (मुस्लिम 342)

कुरबानी का गोश्त मिसकीनों, मोहताजों और पड़ौसियों व दोस्तों व रिश्तेदारों को बांट देना चाहिए इसमें से स्वयं भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। कुरबानी का गोश्त या चमड़ा क़साई की मज़दूरी में देना जायज़ नहीं है बल्कि ज़िब्ह की मज़दूरी अपने पास से देना चाहिए। यदि कसाई मोहताज हो तो मज़दूरी के अलावा उसे गोश्त भी सदक़े की नीयत से दे देने में कोई हरज नहीं। कुरबानी का चमड़ा बेचना और बेचकर उसकी क़ीमत अपने खर्च में लाना मना है हां यदि चमड़ा अपने काम में ले आए तो जायज़ है लेकिन बेहतर तो यही है कि खैरात कर दे। किसी मस्जिद के मुतवल्ली या मदरसे के ज़िम्मेदार को दे दे। मुतवल्ली को हक़ है कि वह चमड़ा बेचकर क़ीमत जिस काम में चाहे खर्च करे।

कुरबानी ज़िब्ह करने को तैयार हों तो यह आयत पढ़ें-

इन्नीवज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़-त-रस्समावाति वलअर्ज़ा हनीफ़व वमा अना मिनल मुश्रिकीन० (पारा-7)

"मैंने अपना रुख़ उस ओर कर दिया जिसने आसमान व ज़मीन पैदा किए और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूं।"

इन्ना सलाती व नुसुकी व महमाया व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन० ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलल मुस्लिमीन० (पारा-8)

" मेरी नमाज़ और मेरी कुरबानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का रब है उसका कोई शरीक नहीं और मुझे उसका यही हुक्म है कि मैं सब मुसलमानों का एक पहला मुसलमान हूं।" फिर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर गले के पास से ज़िब्ह करें छुरी फेरते समय कहें-अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी" लेकिन दूसरे की ओर से कुरबानी करें तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फ़लां कहें। फलां की जगह उसका नाम लें या दिल में नीयत करें। (मुस्लिम मिश्कात 505)

जब कोई आदमी केवल एक भेड़ बकरा अपनी तरफ़ से करे तो ज़िब्ह करते समय चाहे अरबी ज़बान में कहें चाहे अपनी ज़बान में कहे। अल्लाह उस कुरबानी को मेरी ओर से कुबूल फ़रमा और मेरे सब घर वालों की ओर से भी कुबूल फ़रमा। (मुस्लिम मिश्कात 505)

नबी करीम सल्ल० ने अपनी कुरबानी अपने हाथ से ज़िब्ह की और ज़िब्ह से पहले वही आयते पढ़ीं और फ़रमाया-अल्लाह इसे मेरी और मेरी उम्मत की ओर से कुबूल फ़रमा जिन्होंने कुरबानी नहीं की फिर बिस्मिल्लाही अल्लाहु अक्बर कह कर दो दुम्बे ज़िब्ह किए। मय्यत की ओर से भी कुरबानी करना साबित है। नबी सल्ल० की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ि० ने आपकी ओर से कुरबानी की। हज़रत मुहम्मद सल्ल० प्राय· ईदगाह ही में कुरबानी किया

करते थे।

आप प्रायः दो दुम्बे या दो सींगदार मेंढे और कभी एक दुम्बा कुरबानी किया करते थे आप ऐसे मोटे ताज़े दुम्बे को पसन्द फ़रमाते थे जिनके हाथ पांव बिल्कुल सियाह चित कबरे होते थे और छुरी को तेज़ करने की ताकीद फ़रमाते थे। ऊंट बैल और गाय की कुरबानी में सात-सात आदमी शरीक हो सकते हैं बल्कि एक ऊंट में दस आदमी भी शरीक हो सकते हैं।

(मिश्कात 505)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि कुरबानी का गोश्त स्वयं भी खाओ और लोगों को भी खैरात करो और जब तक चाहो रख भी छोड़ो। स्वयं नबी सल्ल० कुरबानी का गोश्त भुनवाकर सफ़र में ले जाया करते थे और मदीने तक खाया करते थे।

आप फ़रमाया करते थे कि कुरबानी में बेहतर कुरबानी सींगदार मेंढा है मुर्गी और घोड़े और हरन और परिंदों की कुरबानी नाजायज़ है।

7- कुरबानी का सही समय

नबी करीम सल्ल० ने ईदुल अज़हा के दिन फ़रमाया कि आज हमारा सबसे पहला काम नमाज़ है नमाज़ से निमट कर हम घर को लौटें और कुरबानी करें तो जिसने ऐसा किया वह हमारी सुन्नत पर चला और जिसने नमाज़ पढ़ने से पहले कुरबानी ज़िब्ह कर दी उसकी कुरबानी मक़बूल व सही नहीं है बल्कि मामूली गोश्त है जो खाने के लिए रोज़ किया जाता है ज़िलहिज्जा की 12वीं तारीख़ या तेरहवीं तारीख़ की शाम तक कुरबानी ठीक है लेकिन बेहतर यही है कि दसवीं तारीख़ को की जाए क्योंकि नबी सल्ल० से इसी तारीख़ को कुरबानी करना साबित हुआ है यद्यपि तेरहवीं की शाम तक सही हदीस से साबित है।

फ़िक़्हा हनफ़ी में लिखा है कि गांव वाले सुबह सादिक़ के बाद कुरबानी

कर सकते हैं और शहर वाले यदि नमाज़े ईद से पहले कुरबानी करना चाहें तो किसी गांव में ले जाकर कुरबानी कर दें। यह फ़तवा अहनाफ़ का सरासर ग़लत व हदीस के खिलाफ़ है।

8-कुरबानी की फ़ज़ीलत

अनअबी हुरयरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा मा मिन अय्ययामिन अहब्बु इलल्लाहि अयंयुत अब्बदा लहु फ़ीहा मिन अशरि ज़िल हिज्जतन याअदिलु सियामु कुल्ली यवमिन मिन्हा बिसियामिन स-न-तिन व क़ियामु कुल्ली लयलतिन मिन्हा बिक़ियामि लयलतिल क़दरि०"

(तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मिश्कात 60)

और फ़रमाया कि ईदुल अज़हा के शुरु के हिस्से खास कर कुरबानी के दिनों में बनी आदम का कोई अमल कुरबानी से अधिक प्रिय व मक़बूल नहीं है क़ियामत के दिन कुरबानी का जानवर अपने सींगों और बालों व खुरों सहित आएगा और कुरबानी का खून अल्लाह के हुजूर ज़मीन पर गिरने से पहले ही क़ुबूल होता है तो तुम दिल में खूब खुश हो नबी सल्ल० ने यही भी फ़रमाया कि कुरबानी करने वालों को जानवर के बालों की गिनती के बराबर सवाब मिलेगा। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मिश्कात 120)

और फ़रमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए ईदि कुरबान के दिन को ईद ठहराया है इस पर एक सहाबी ने कहा कि हज़रत यदि मुझे कुरबानी का जानवर नसीब न हो तो अपनी दूध वाली ऊंटनी कुरबान कर दूं? फ़रमाया-ऐसा न करो बल्कि अपने नाखुन और लबें ले लो और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ कर लो ऐसा करने से कुरबानी का पूरा सवाब मिलेगा। ईद के दिन पहले नमाज़ पढ़ें फिर कुरबानी ज़िब्ह करें इसके बाद हजामत कराएं। (मुस्लिम मज़ाहिरे हक़ 507)

9- जानवर की क़िस्म और उम्र

जब बकरा, बकरी, बैल या गाय दो साल का पूरा होकर तीसरे साल में लगे अर्थात दो दांत हो चुके तो यह जानवर कुरबानी योग्य हो जाता है। इस जानवर को मुसन्ना कहते हैं जो मुसन्ना और सनी हदीसों में आया हुआ है इससे यही मुराद है और यह शब्द ऊंट और बकरी और गाय सब के लिए है।

जज़अ- उस ऊंट को कहते हैं जो पूरा चार साल का हो और गाय बकरियों पर जज़अ का नाम उस समय होता है जबकि वे साल भर के हो जाएं। मेंढा और भेड़ जब पूरे एक साल के हो जाएं तो वह कुरबानी योग्य हो जाते हैं और उस उम्र के भेड़ मेंढे जज़अ कहलाए जाते हैं।

दुम्बा जब तक एक साल पूरा करके दूसरे साल में क़दम रखता है तो वह कुरबानी के लायक़ हो सकता है ऊंट की उस समय कुरबानी हो सकती है जब छटे साल में लग जाए। गाय बकरी ऊंटों का जज़अ कुरबानी के योग्य नहीं है अलबत्ता इस उम्र का मेंढा दुम्बा भेड़ कुरबानी हो सकता है। जो जानवर लंगड़ा या काना या बीमार या इतना कमज़ोर हो कि हड्डी में गूदा न रहा हो या सींग टूटा हुआ हो और यह कमी भली प्रकार जानी जाती हो या कान कटे हुए हों या ऊपर नीचे से चिरे हुए हों या बिल्कुल अंधा हो या कम नज़र आता हो इस पकार के जानवर कुरबानी के योग्य नहीं होते।

(इमाम मालिक अहमद तिर्मिज़ी, नसई अबूदाऊद इब्ने माजा)

10-कुरबानी व ईदुल अज़हा के मसाइल

ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ को ईदुल अज़हा कहते हैं और उसकी नमाज़ 10 हिजरी में मुसलमानों के लिए सुन्नते मोअक्किदा क़रार पायी।

अज्ञानता के ज़माने में मदीने वालों ने साल भर में दो त्यौहार (खुशी के दिन) मुक़र्रर कर रखे थे जब नबी करीम सल्ल॰ हिजरत फ़रमाकर मदीने तशरीफ़ लाए आपने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हम हुजूर इस्लाम से पहले इन दिनों में खुशी करते थे तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह ने इनके बदले तुम्हें दो दिन बेहतरीन दिए हैं।

1- ईदुल फ़ितर 2- ईदुल अज़हा।

1-कुरबानी करने वाले जब से चांद देखें हजामत आदि न बनवाएं जब नमाज़ पढ़ लें हजामत बनवा लें उसे कुरबानी का सवाब मिल जाएगा।

2- जिसे कुरबानी की ताक़त न हो वह चांद देखकर हजामत आदि न कराए। जब नमाज़ पढ़ ले तो हजामत करा ले उसे कुरबानी का सवाब मिल जाएगा।

3- ग़ैर हाजी को नवीं तारीख़ का रोज़ा रखना मसनून है इससे दो साल अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं।

4- ईदुल अज़हा की रात को जागना और इबादत करना बहुत बड़ा सवाब है। (तर्गीब)

5- सुबह को सवेरे उठकर गुस्ल करना, मिसवाक करना, नए या साफ़ धुले कपड़े पहनना और शुश्बूदार तेल लगाना सुन्नत है।

6- नमाज़ से पहले कुछ न खाएं बल्कि नमाज़ के बाद अपनी कुरबानी के गोश्त से नाश्ता करें।

7- ईदगाह जाते समय रास्ते में ऊंची आवाज़ से ये तकबीरें कहते जाएं-अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द॰ हर नमाज़ के बाद तेरह तारीख़ की असर

तक तकबीर कहें।

8- ईदगाह एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना सुन्नत है।

9- ईदगाह में सिवाए दो रकअत के कुछ न पढ़ें और 12 तकबीरों के साथ दो रकअत पढ़े पहली रकअत में सात तकबीरें क़िरअत से पहले दूसरी रकअत में पांच तकबीरें क़िरअत से पहले पढ़ें।

नमाज़ के बाद चुपचाप खुत्बा सुनें इसके बाद कुरबानी करें और ज़िब्ह करते समय यह दुआ पढ़ें-

इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़-त-रस्समावाति वल-अर्जा हनीफ़व वमाअना मिनल मुश्रिकीन॰ इन्ना सलाति व नुसुकी व महयाया व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन॰ ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुसलिमीन॰ अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी॰

यदि कुरबानी दूसरे की ओर से करें तो मिन्नी की जगह उसका नाम ले। एक गाए या ऊंट में सात आदमी शरीक हो सकते हैं।

11-बारिश के लिए दुआ

जब बारिश न होती हो और अकाल का खतरा हो तो नबी सल्ल॰ एक दिन निर्धारित करके ईदगाह तशरीफ़ ले जाते। मैले कुचैले कपड़े पहन कर घर से बेबसी व बेचारगी की स्थिति में निकलते। ईदगाह में सहाबा जमा होते और दो रकअत नमाज़ ऊंची क़िरअत से पढ़ते। खुत्बा कभी नमाज़ से पहले कभी बाद में पढ़ते। (तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, नसई)

जब सूरज आसमान से उदय होता तो आप नमाज़ शुरु करते और

क़िब्ले की ओर रुख़् किए हुए दोनों हाथ ज़्यादा ऊंचे उठाते हुए बड़ी विवशता से दुआ करते। हाथों की हथेली ज़मीन की ओर और पुश्त आसमान की ओर ऊंची करते और चादर मुबारक को लौटाते। नमाज़ इस्तस्क़ा में जितने हाथ ऊंचे करते उतने किसी और दुआ में न करते और जब बारिश होती देखते तो फ़रमाते अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअन अर्थात ऐ अल्लाह लाभ पहुंचाने वाली बारिश बरसा। आप प्राय: यह खुत्बा पढ़ा करते थे

(बुख़ारी मिश्कात 123, अबूदाऊद)

अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन॰ अर्रहमानिर्रहीम॰ मालिकि यवमिद्दीन॰ ला इलाहा इल्लल्लाहु यफ़अलु मा युरीदु अल्लाहुम्मा अन्ता ला इलाहा इल्ला अन्ता ग़निय्यु व नहनुल फ़ुक़-राऊ अन्ज़िल अलयना अलग़यसा वजअल मा अन्ज़लता अलयना कुव्वतव व बलाग़न इला हीन॰

"सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे जहान को पालने वाला है बड़ा ही मेहरबान बड़ा दयावान। न्याय के दिन का मालिक। अल्लाह के सिवा कोई बन्दगी योग्य नहीं। वह जो चाहता है कर डालता है तू ही अकेला है तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तू बेपरवाह व बेनियाज़ है हम फ़क़ीर व मोहताज तो हम पर बारिश बरसा और जितनी बरसाए उससे हमें रोज़ी दे और एक अवधि तक लाभ पहुंचा।"

इसके बाद यह दुआ पढ़ते-

अल्लाहुम्मा असक़िना ग़यसम मुग़ीसम मरीसम मुरीअन नाफ़िअन ग़यरा ज़ार्रीन आजिलन ग़यरा अ-जि-लिन॰

(मालिक अबूदाऊद)

"ऐ अल्लाह हमें बारिश का पानी पिला कि वह हमारी सुन सके और हमारा अंजाम अच्छा हो अनाज सस्ता करे लाभ पहुंचाए नुक़सान न दे जल्दी

बरसे देरी न करे।

अल्लाहुम्मस्क़ि इबादका व बहाइमका वन्शुर रहमतका व अहयि ब-ल-द कल मय्यिता० अल्लाहुम्मस्क़िना अल्लाहुम्मस्क़िना०

ऐ अल्लाह अपने बन्दों और जानवरों को पिला और अपनी व्यापक रहमत को चारों ओर फैला और अपने मुर्दा शहर को जीवन प्रदान कर अर्थात ज़मीन को तरी व हरा भरा कर ऐ अल्लाह हमें पानी पिला। इस बार अत्यन्त गिड़गिड़ाकर कहते।

इसके बाद मिम्बर से उतर कर बड़ी दर्दमन्दी व दिल की गहराई से पढ़ते। अल्लाह मूसलाधार पानी बरसाने वाले बादल भेजता और धुंवा धार पानी पड़ता (अबूदाऊद मिश्कात 124)

एक बार लोगों ने पानी न बरसने की नबी सल्ल० से शिकायत की। आपने हुक्म फ़रमाया कि ईदगाह में मिम्बर रखा जाए। सुबह को ईदगाह तशरीफ़ ले गए। जब सूरज का किनारा निकल आया तो आपने अल्लाह की गुणगान की और मिम्बर पर खड़े होकर तकबीर के साथ खुत्बा पढ़कर दोनों हाथ उठाए और बड़ी देर तक बड़ी नम्रता व विवशता से दुआ करते रहे। इसके बाद अपनी चादर मुबारक लौटाई और लोगों की ओर मुंह करके खड़े हुए फिर मिम्बर से उतर कर दो रकअत नमाज़ पढ़ी।

अल्लाह ने आपकी दुआ कुबूल की और इतना पानी बरसा कि सहाबा व नबी सल्ल० पानी से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस पर नबी सल्ल० खूब हंसे और अल्लाह की महानता व बड़ाई ऊंची आवाज़ से की।

नबी करीम सल्ल० की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ि० और सहाबा किराम नबी सल्ल० के चचा हज़रत अब्बास रज़ि० के वसीले से अल्लाह से पानी मांग करते थे वसीले से मुराद यह है कि हज़रत अब्बास रज़ि० दुआ फ़रमाते

उनकी दुआ से अल्लाह पानी बरसाता था बारिश रुकने की शायद यह वजह होती थी कि मुश्रिक काफ़िर और बिदअतियों आदि पर अल्लाह का प्रकोप नाज़िल होता था। उचित है कि ऐसे गुमराहों व सरकशों को नमाज़ और दुआ में शरीक न करें।

12- सूरज और चांद गृहण की नमाज़

सूरज चांद को गृहण लगे तो किसी को भेज़कर लोगों को जमा करें और जब वे मस्जिद में आ जाएं तो दो रकअत नमाज़ जमाअत से अदा करें। पहली रकअत में सूर: फ़ातिहा के साथ सूर: अन्कबूत और दूसरी रकअत में सूर: रोम पढ़ना सही हदीस से साबित है।

नबी करीम सल्ल० के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो आपने जमाअत से नमाज़ पढ़ी। लम्बा क़याम किया और सूर: बक़रा के बराबर कुरआन पढ़ा इसके बाद रुकू किया। मगर यह क़याम पहले क़याम से कम था फिर दोबारा रुकू में पहले रुकू के मुक़ाबले कम ठहरे फिर खड़े हुए और एक के बाद एक सज्दे किए। इसी तरह दूसरी रकअते भी पढ़ीं जिसमें दो क़याम थे दो क़िरअतें थीं दो रुकू थे दो सज्दे थे जो पहली रकअत के क़याम और रुकू से थोड़े कम थे।

नमाज़ अदा करके देखा तो सूरज बिल्कुल साफ़ हो गया था इस तरह आपने जुमे की तरह दो खुत्बे पढ़े और फ़रमाया कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं वे दोनों किसी के मरने या पैदा होने पर नहीं ग्रहण लगा है तो अल्लाह को याद करो और उससे दुआ मांगो और तकबीर कहो नमाज़ पढ़ो खैरात करो।

इसके बाद फ़रमाया उम्मते मुहम्मद! अल्लाह बहुत अधिक ग़ैरत वाला है उससे बढ़कर कोई ग़ैरत वाला नहीं खुदा की क़सम यदि तुम भी वे

बातें जान जाओ जो मैं जानता हूं तो तुम हंसो कम और रोओ अधिक। जब भी ग्रहण होता तो नबी सल्ल० डर जाते कि कहीं आज ही क़ियामत न हो जाए। आप घबरा कर मस्जिद की ओर चले जाते और नमाज़ पढ़नी शुरु कर देते और फ़रमाते कि अल्लाह अपने बन्दों को इन निशानियों से डराता है। कभी आप दो रकअत में दो रुकू करते कभी तीन कभी चार कभी पांच और हर रुकू के बाद किरअत पढ़ते कभी ऐसा होता कि आप हर रकअत में एक ही रुकू करते जब तक सूरज या चांद ग्रहण से साफ़ न हो जाता। आप नमाज़ और खुत्बा और इस्तग़फार में व्यस्त रहते औरतों का भी इन नमाज़ों में शामिल होना और नमाज़ पढ़ना साबित है इन नमाज़ों का समय वही है जब सूरज या चांद को ग्रहण लगे तो नमाज़ व तस्बीह और तकबीर में लग जाएं। गुनाहों से तोबा करें शरमिन्दगी व नदामत से झुके रहें सदक़ा व खैरात करे जुमे के दिन दोपहर के समय काबा शरीफ़ में हर समय यह नमाज़ पढ़ना सही है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण दोनों को कसूफ व खसूफ़ कहते हैं लेकिन अधिक इस्तेमाल में सूरज ग्रहण को कसूफ़ और चांद को खसूफ़ कहते हैं।

(मज़ाहिरे हक़ 464)

13- सफ़र में नमाज़ों की क़सर

नबी सल्ल० ने सफ़र में हमेशा चार रकअत वाली फ़र्ज़ नमाज़ को दो रकअत पढ़ा है किसी सफ़र में यह साबित नहीं हुआ कि आपने पूरी चार रकअतें पढ़ी हों और जब यह बात साबित नहीं हुई तो कसर का अमल वाजिब हो गया। हिजरत से पहले मग़रिब की नमाज़ के अलावा सारी नमाज़े दो-दो रकअतें फ़र्ज़ थी हिजरत के बाद फ्ज्र के अलावा जिस नमाज़ की दो रकअतें फ़र्ज़ थी चार-चार हो गयी। रकअतें कम कर दीं जिनकी चार रककअतें थी।

(सहीहीन मिश्कात 111)

क़सर नमाज़ दुश्मनों के खौफ़ ही के समय नहीं होती बल्कि नबी

सल्ल० ने बावजूद अमन व अमान लोगों के सामने मिना में क़सर करके नमाज़ पढ़ाई है। जब तक मुसाफ़िर अपने शहर या बस्ती में हो नमाज़ क़सर न करे अलबत्ता जब शहर से बाहर निकले और किसी नमाज़ का समय आ जाए तो तुरन्त क़सर कर दे इसलिए कि नबी सल्ल० के मदीना तय्यबा में चार रकअत नमाज़ पढ़ी और जुल हलीफ़ा पहुंचकर असर की नमाज़ क़सर की अर्थात दो रकअत नमाज़ अदा की। इर्शाद फ़रमाया कि क़सर खुदा का एहसान है। मुसलमानों को इस एहसान को क़ुबूल करना चाहिए।

(सहीहीन मिश्कात 110 मुस्लिम मिश्कात 110)

नबी सल्ल० की वफ़ात के समय खलीफ़ा प्रथम और द्वितीय के ज़माने में बिल्कुल वैसा ही अमल रहा जैसा कि नबी सल्ल० के पाक ज़माने में। अब रही यह बात कि सफ़र की हालत में सुन्नतें पढ़ी या नहीं? यद्यपि सहाबा की एक जमाअत कहती है कि सफ़र में सुन्नते पढ़ना मकरूह है लेकिन सही बात यह है कि मुसाफ़िर को अधिकार है यदि छोड़ देने का अवसर हो तो न पढ़े पढ़ने का अवसर हो तो पढ़ ले। मगर फ़ज्र की सुन्नतों की चूंकि सख़्त ताकीद है इसलिए वे और सुन्नतों से अलग हैं अर्थात उन्हें पढ़ना ही चाहिए नबी करीम सल्ल० ने सफ़र की हालत में सुन्नते व वितर ऊंट पर पढ़े हैं।

(अबूदाऊद 111 बुखारी 277)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० सफ़र की हालत में सुन्नतें पढ़ना जायज़ न रखते थे अतएव एक बार का ज़िक्र है कि आप सफ़र में थे सहाबा को नमाज़ पढ़ाई और डेरे पर तशरीफ़ ले गए वहां देखा कि कई सहाबी सुन्नतें पढ़ रहे हैं आपने सख़्त स्वर में फ़रमाया कि यदि मैं सफ़र में सुन्नतें पढ़ना जायज़ रखता तो फ़र्ज़ों में क्यों क़सर करता मैंने नबी सल्ल० और उनके बाद हज़रत अबू बक्र रज़ि० और हज़रत उमर रज़ि० की बहुत सोहबत उठायी है मगर मैंने तो इनमें से किसी को नहीं देखा कि सफ़र में पूरी नमाज़ अदा की है यहां तक कि तीनों साहब दुनिया से तशरीफ़ ले गए और अल्लाह फ़रमाता

है कि तुम्हारे हक़ में नबी सल्ल० का तरीक़ा अच्छा है।

(सहीहीन मिश्कात 110)

यद्यपि हज़रत आयशा रज़ि० का सफ़र की हालत में पूरी नमाज़ पढ़ना साबित है मगर चूंकि यह उनकी व्यक्तिगत राए है इसलिए हदीस के मुक़ाबले में दलील नहीं बन सकती और हज़रत उसमान रज़ि० से जो यह साबित है कि आपने मिना में पूरी नमाज़ पढ़ी तो इसकी वजह यह थी कि उन्होंने मक्का में मुकीम हाने की नीयत कर ली थी क्योंकि मिना के अलावा और कोई ऐसा सफ़र हज़रत उसमान रज़ि० का नहीं हुआ जिसमें आपने क़सर नमाज़ न की हो। नबी करीम सल्ल० तहज्जुद की नमाज़ और वितर सवारी पर पढ़ा करते थे और रुकू व सज्दे के लिए इशारे करते जाते थे मगर रुकू के लिए कम और सज्दे के लिए ज़्यादा सर झुकाते थे अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ सवारी से उतर कर पढ़ते। मुसाफ़िर यदि मुक़ीम के पीछे नमाज़ पढ़े तो उसे पूरी चार रकअतें पढ़नी चाहिए यद्यपि एक ही रकअत पायी हो। सफ़र में बारिश की वजह से नमाज़ छोड़ना जायज़ है ऐसी हालत में हर आदमी अपनी क़यामगाह में नमाज़ पढ़े तो कोई बात नहीं। (सहीहीन मिश्कात 111 मुस्लिम 742)

जिस सफ़र में नमाज़ क़सर करनी पड़ती हो उसकी सीमा सही हदीस से केवल 9 मील है अर्थात यदि कोई आदमी 9 मील का सफ़र करे तो उसे नमाज़ कसर करना जायज़ है किसी मक़ाम पर यदि 19 दिन क़याम करने की नीयत की है तो नमाज़ क़सर पढ़े यदि 19 दिन से अधिक ठहरने की नीयत की है तो क़सर न करे बल्कि पूरी नमाज़ पढ़े (बुखारी)

हां यदि क़याम में शक हो और आज कल के कूच करने की नीयत हो तो इस कशमकश की हालत में नमाज़ क़सर की जाएगी यह अलग बात है कि बहुत दिन लग जाएंगे। रेल का सफ़र किश्ती जैसा है इसपर भी नमाज़ कसर करना ठीक है। नीयत व तकबीर तहरीमा के समय क़िब्ला की ओर

मुंह करके खड़े होना काफ़ी है फिर जिस ओर सवारी का रुख़ हो नमाज़ अदा कर लें। यदि खड़ा न हो सके तो बैठ के पढ़ ले सज्दे के लिए जगह न हो तो इशारों ही से सज्दा कर लें। पानी मिल सके तो वुज़ू कर लें वर्ना तयम्मुम से नमाज़ अदा करें नमाज़ छोड़े नहीं। तयम्मुम से नमाज़ पढ़ने के बाद यदि पानी मिल जाए तो नमाज़ का दोहराना ज़रूरी नहीं क्योंकि ये लोग माअज़ूरों में गिने जाते हैं।

यदि सफ़र काफ़िले के साथ है और वह बराबर चला जा रहा है तो यदि सवारी से उतर कर नमाज़ पढ़ने में जान व माल का खतरा हो या रास्ता भूल जाने का डर हो तो उलेमा के निकट ऐसे खतरनाक अवसरों पर चलती सवारी जैसे ऊंट, घोड़े पर फ़र्ज़ नमाज़ भी अदा कर सकते हैं।

14– सफ़र में दो नमाज़ों का मिलाकर पढ़ना

सफ़र की हालत में दो समय की नमाज़ें एक समय में पढ़ना नमाज़ फ़ज्र के अलावा ठीक है अर्थात जुहर व असर और मग़रिब व इशा की दो दो नमाज़ें जमा करनी हदीस से साबित हैं लेकिन हदीस से फ़ज्र की नमाज़ का किसी दूसरी नमाज़ के साथ जमा होना साबित नहीं। फिर चाहे तो असर को जुहर के समय मिला कर पढ़ें जुहर को असर के साथ जमा करें। इसी तरह इशा को मग़रिब के साथ में और मग़रिब को इशा के समय में मिलाकर पढ़ना सही है इसी को जमा हक़ीक़ी कहते हैं।

(अबूदाऊद, तिर्मिज़ी मिश्कात 10)

नबी सल्ल॰ यदि ज़वाल (दोपहर) के समय कूच करते तो रास्ते में असर की नमाज़ जुहर के समय में मिलकार पढ़ते और यदि ज़वाल से पहले कूच करते तो जुहर में यहां तक देरी करते कि असर का समय आ जाता। और असर के समय में दोनों नमाज़ें मिला कर अदा करते। जब मग़रिब का

समय कूच से पहले हो जाता तो इशा की नमाज़ मग़रिब के समय करके पढ़ते और जब मग़रिब से पहले कूच करते तो इशा के समय में दोनों नमाजें जमा करके पढ़ लेते।

15- इशराक़ व चाश्त की नमाज़

इशराक की नमाज़ का समय सूरज निकलने से कुछ दिन चढ़े तक है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया लोगो! तुम्हारे हर जोड़ पर सुबह का सदक़ा लाज़िम होता है-

सुब्हानल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर

कहना,, मानो वह सदक़ा देना है और इन सब के लिए दो रकअत नमाज़ इशराक़ किफ़ायत करती है (मुस्लिम 785)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया जो आदमी फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर सूरज निकलने तक अपनी नमाज़ की जगह बैठा रहता है और अल्लाह के ज़िक्र में व्यस्त रहता है उसे हर दिन इतना सवाब मिलता है कि मानो बनी इसमाईल में से चार गुलाम आज़ाद किए। और जो आदमी इशराक़ की दो रकअत पढ़ लेता है उसे हज व उमरा का सवाब मिलता है और नबी सल्ल० ने यह भी फ़रमाया कि जो दो रकअत नमाज़ इशराक़ पढ़ता है उसके सारे छोटे गुनाह बख़्शे जाते हैं यद्यपि दरिया के झाग के बराबर ही क्यों न हों।

(अबूदाऊद)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० का बयान है कि जनाब नबी सल्ल० ने मुझे दो रकअत नमाज़ पढ़ने की वसीयत फ़रमायी है तो मैं जब तक ज़िन्दा रहूंगा इन दो रकअतों को कभी न छोड़ूंगा। चाश्त की नमाज़ का बेहतर समय जिसमें अच्छे लोग नमाज़ पढ़ते हैं वह समय है जिसमें धूप की तेज़ी से ऊंट

के बच्चों के पांव गर्म हो जाएं। और यह समय हिन्द व पाकिस्तान में दिन के दस बजे के लगभग होता है इस नमाज़ को नमाज़े अज़्हा और नमाज़ अव्वाबीन भी कहते हैं। (मुस्लिम मिश्कात)

हज़रत आयशा रज़ि० से लोगों ने पूछा कि नबी सल्ल० चाश्त की नमाज़ की कितनी रकअतें पढ़ा करते थे? फ़रमाया 'चार और कभी इससे ज़्यादा जहां तक चाहते' नबी सल्ल० इस डर से कि कहीं उम्मत पर फ़र्ज़ न हो जाए प्रायः चाश्त की नमाज़ नहीं पढ़ते थे लेकिन मैं बराबर पढ़ा करती हूं। सबाहा किराम रज़ि० नबी सल्ल० के सामने भी इस नमाज़ को बड़े शौक से पढ़ा करते थे। मक्का फ़तह के दिन नबी सल्ल० उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए और चाश्त की नमाज़ आठ रकअतें थोड़ी क़िरअत के साथ पढ़ीं मगर रुकू और सज्दे पूरे तौर पर अदा किए। नबी सल्ल० ने फ़रमाया जो आदमी चाश्त की नमाज़ की 12 रकअतें पढ़ता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाता है। (तिर्मिज़ी इब्ने माजा)

16- सलातुल तस्बीह की फ़ज़ीलत

क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा मा अज़िनल्लाहु ल अबदिन फ़ी शयइन अफ़ज़ला मिनर्रक-अतयनि तुसल्लीहा व इन्नल बिर्रा लयुज़र्रु अला रासिल अबदि मा दामा फ़ी सलातिहि वमा तक़र्रबल इबादु इलल्लाहि बिमिस्लि मा ख़-र-जा मिन्हु यानिल कुरआनि०

"नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि बन्दे की ओर जो रहमते खुदा इन दो रकअतों में होती है जिन्हें वह पढ़ता इससे बुजुर्ग व अफ़ज़ल किसी चीज़ में नहीं होती और नेकी बन्दे के सर पर अल्लाह की रहमत नाज़िल करती है जब तक वह नमाज़ में रहता है और क़ुरआन से बढ़कर कोई ऐसी चीज़

नहीं जो बन्दों को खुदा का कुर्ब हासिल कराए। इसे इमाम अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

नबी सल्ल॰ ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फ़रमाया कि ऐ अब्बास! ऐ मेरे चचा! क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न बताऊं? क्या मैं एक ऐसी चीज़ न बताऊं? क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की खबर न दूं कि जब तुम इसे बजा लाओ तो तुम्हारे दस तरह के गुनाह अर्थात अगले पिछले नए पुराने जाने अनजाने बड़े-छोटे छिपे खुले सब मिट जाएं। वह यह है कि तुम चार रकअतें इस तरह पढ़ो कि हर रकअत में सूर: फ़ातिहा और फ़ातिहा के अलावा कोई सूर: पढ़ो। जब तुम पहली रकअत की किरअत कर चुको तो रुकू से पहले खड़े खड़े पन्द्रह बार "सुब्हानल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर" पढ़ो फिर रुकू में जाओ और दस बार यही कलिमात पढ़ो फिर रुकू से सर उठाओ और दस बार यही पढ़ो फिर सज्दा में जाओ इससे भी दस बार यही पढ़ो सज्दे से उठकर जब तुम जलसे में हो तो यही दस बार पढ़ो अब दूसरे सज्दे में जाकर फिर यही कलिमा दस बार पढ़ो और सज्दे से उठकर जलसा इस्तराहत में भी यही दस बार पढ़ो। इस तरह एक रकअत हो गयी और इसमें 75 बार यह कलिमा तुमने पढ़ा इसी तरह चार रकअतें पूरी करो और हर रकअत में 75 बार यह तस्बीह पढ़ो।

यदि तुमसे हो सके तो हर दिन में एक बार यह नमाज़ पढ़ो वर्ना हर जुमे को एक बार और यदि यह भी संभव न हो तो साल में एक बार और यह भी न हो सके तो उम्र भर में एक बार अवश्य पढ़ो।

(अबूदाऊद, इब्ने माजा, मिश्कात 109)

किताबुज़ ज़कात

1- ज़कात का महत्व

ज़कात इस्लाम का तीसरा रुक्न है अल्लाह का ज़कात फ़र्ज़ करने में यह भेद है कि सच्चे और झूठे, आज्ञा पालक व अवज्ञाकारी बन्दों में फ़र्क़ कर सके और पता चल जाए कि किसे माल की मुहब्बत है और किसे अल्लाह व रसूल की मुहब्बत है यद्यपि सारे बन्दे और सारा माल अल्लाह ही का है फिर ज़कात के फ़र्ज़ होने का हुक्म भेज दिया और फ़रमान हुआ कि ज़कात भी नमाज़ की तरह फ़र्ज़ है जो ज़कात न देगा वह बे-नमाज़ी की तरह आखिरत के अज़ाब का शिकार होगा। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 147)

ज़कात देने से इन्सान का दिल और माल पाक हो जाता है कुरआन में 82 स्थान पर ज़कात का ताकीदी हुक्म आया है। मुसलमानों को चाहिए कि अल्ल्लाह का डर करके हर साल ज़कात निकाला करें जो मुसलमान खुशी से ज़कात देता है अल्लाह खुश होकर उस की ज़कात को दाएं हाथ में लेता है और उसे इतना बढ़ाता है कि क़ियामत के दिन वही माल खज़ाने के खज़ाने होकर मिलेगा। जो आदमी ज़कात दे उसको दुआ देनी चाहिए। हज़रत अबू बक्र रज़ि० ने फ़रमाया है कि क़सम है अल्लाह की मैं उन लोगों से जिहाद करूंगा जो मुसलमान होकर ज़कात न देंगे।

(अबूदाऊद मिश्कात 148 बुखारी मुस्लिम 148)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि जिस मुसलमान आदमी के पास सोना या चांदी हो और वह उसकी ज़कात न दे, क़ियामत के दिन वह माल तपाकर उसकी करवट और पुश्त व पेशानी पर दाग़ लगाया जाएगा। पचास हज़ार

बरस तक यही अज़ाब होता रहेगा। इसके बाद यदि बख़्शा गया तो जन्नत में जाएगा और यदि मुश्रिक व बिदअती है तो जहन्नुम में डाला जाएगा।
(तिर्मिज़ी नसई मिश्कात 149, मुस्लिम मिश्कात 147)

जो लोग माल की ज़कात न देंगे उनकी गर्दनों में बड़ा भारी गंजा ज़हरीला सांप लपेटा जाएगा जो उसके मुंह को काटेगा और कहेगा कि मैं वही तेरा खज़ाना हूं जिसे तूने दुनियां में जमा कर रखा था जिसके पास बकरियों और गायों के रेवड़ या ऊंटों के गल्ले हों और वह उनकी ज़कात न दे तो क़ियामत के दिन वही जानवर मोटे मोटे बनकर आएंगे और अल्लाह के हुक्म से अपने मालिकों को पांव से कुचलेंगे और सींगों से मारते रहेंगे जब तक अल्लाह सबका फैसला न कर दे। उसका दिन जो 50 हजार बरस का होगा। ज़कात वसूल करने वालों को तोहफ़ा देना और उन्हें लेना सख़्त मना है साल गुज़रने से पहले ज़कात देना जायज़ है ज़कात में ज़्यादा माल वसूल करना वैसा ही गुनाह है जैसे ज़कात न देना (अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, मिश्कात 150)

2- सोने-चांदी और रुपए की ज़कात

जिसके पास 52 रुपए भर चांदी हो और इनपर पूरा एक साल गुज़र जाए उसपर एक रुपया पांच आने ज़कात फ़र्ज़ है। चांदी का यही निसाब है इससे कम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है यदि इस निसाब में साल के अन्दर कमी होती रहेगी तब भी इस तायदाद पर ज़कात वाजिब न होगी फिर जितनी अधिक दौलत हो सीधा हिसाब यह है कि ढाई रुपया प्रति सैंकड़ा निकाले।
(तिर्मिज़ी अबूदाऊद मिश्कात 151)

यदि साल के अन्दर और रुपया जमा हो जाए और अभी पूरा साल उस पर न गुज़रा हो तो इस बढ़े हुए रुपए पर ज़कात वाजिब नहीं होती जब इस ज़्यादा रक़म पर भी तारीख़ जमा हुए से पूरा साल न गुज़रे और निसाब

की सीमा को न पहुंचे। (तिर्मिज़ी मिश्कात 149)

फ़ायदा– मुसलमानों को चाहिए कि ज़कात अदा करने की ऐसी चिंता करें जैसे नमाज़ अदा करने की समय पर करते हैं ज़कात की चिंता यह भी है कि उसका हिसाब रखें ताकि भूल न पड़े। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जिसके पास साढ़े सात तोला सोना न हो उसपर ज़कात नहीं है और जिसके पास साढ़े सात तोला सोना हो और उस पर साल गुज़र जाए तब दो माशे सोना या दो माशे सोने की क़ीमत जो कुछ उस समय के भाव के अनुसार हो देना फ़र्ज़ है।

(अबूदाऊद 125)

चांदी का निसाब अलग है और सोने का अलग है दोनों को मिलाकर निसाब पूरा करने का सबूत नहीं मिलता। सोने का निसाब बीस दीनार है जिसका साढ़े सात तोले सोना हुआ। साल गुज़रने के बाद चांदी व सोने में चालीसवां हिस्सा ज़कात देना फ़र्ज़ है निसाब से कम में ज़कात देना नफ़्ल है यदि देंगे तो सवाब होगा और जो न देंगे तो कुछ गुनाह नहीं होगा।

जेवर की ज़कात में विभिन्न हदीसें आयी हैं जिनमें अहम मसला यही है कि ज़ेवर की ज़कात भी सोने चांदी की तरह देनी चाहिए।

(तिर्मिज़ी मिश्कात 152)

यदि अपने माल या रुपया किसी पर कर्ज़ हो और उम्मीद हो कि जब चाहेंगे वसूल कर लेंगे तो इस पर ज़कात वाजिब है। और यदि वसूल होने की उम्मीद नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी।

3– जानवरों की ज़कात

यदि किसी के पास 40 बकरियां हों तो उनमें एक बकरी की ज़कात फ़र्ज़ होती है। 120 तक और 120 से 200 तक दो बकरियां हैं और 2 सौ

से तीन सौ तक तीन बकरियां हैं फिर इसी तरह से हर सैंकड़े पर एक बकरी बढ़ेगी। (बुखारी मिश्कात 150)

फ़ायदा- बकरियों का निसाब चालीस रासे हैं जब इन पर साल गुज़र जाएगा तब ज़कात फ़र्ज़ होगी मगर एक यह भी शर्त है कि वे जंगल में चरती हों।

भैंस, गाय, बैल जब तक पूरे तीस न हों तब एक साल का बछड़ा ज़कात देना फ़र्ज़ है और जब 40 हों तो दो बरस का। गाय, बैल, भैंस का निसाब तीस रासे हैं और ऊंटों का पांच ऊंट हैं पांच ऊंटों से कम में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है जब पांच ऊंटों पर साल गुजर जाए तब उनमें एक बकरी देनी होगी पांच से अधिक 25 तक एक ऊंटनी जो दूसरे साल में लगी हो फिर 36 ऊंटों से 45 ऊंटों तक एक-एक ऊंटनी जो तीसरे साल में लगी हो और 46 से लगाकर 60 तक एक ऊंटनी जो चौथे बरस में लगी हो और 61 से लगाकर 75 तक एक ऊंटनी जो पांचवें साल में लगी हो और 76 से 90 तक दो-दो ऊंटनियां जो छटे साल में लगी हों और जब 120 से अधिक हों तो हर 40 पर दो साला ऊंटनी जो कि तीसरे साल में लगी हो। मलतब यह है कि इसी तरह से बढ़ते जाएंगे।

4- अनाज और शहद आदि की ज़कात

जो खेती बरसात या तालाब या नहर द्वारा तैयार हो या तरावट की ज़मीन में पैदा हो उसमें दसवां हिस्सा ज़कात देना फ़र्ज़ है जैसे 20 मन अनाज पैदा हुआ तो इसमें 2 मन अनाज ज़कात में देंगे और जो कुएं के पानी से तैयार हो उसमें 20 वां हिस्सा ज़कात देना फ़र्ज़ है जैसे 20 मन अनाज पैदा हो तो मन भर अनाज ज़कात देना होगा। (बुखारी मिश्कात 150)

खुजूर मुनक़्क़ा, गेंहू जौ का निसाब हमारे तोल से लगभग 21 मन

है इससे कम में ज़कात फ़र्ज़ नहीं जब पूरे 11 मन हों तब उसमें दसवां हिस्सा देना फ़र्ज़ है (नसई मिश्कात 150)

शहद में 10वां हिस्सा तिजारत के माल पर ज़कात देनी फर्ज़ है मोता इमाम मालिक में इसका पूरा विवरण दिया गया है। (तिर्मिज़ी, अबूदाऊद मिश्कात 151-152)

5- जिन चीज़ों पर ज़कात नहीं

सवारी के घोड़ों और सेवा करने वाले गुलामों और कामकाज के गधे खच्चरों, मकानों और किराए के मकानों, किराए के जानवरों, सब्ज़ी तरकारी, हीरे जवाहर व मोती पर ज़कात नहीं है किताबों व बर्तनों और घर के सामान पर भी ज़कात नहीं है हां यदि ये चीज़ें तिजारत के लिए हों तो इनपर ज़कात देनी होगी। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 150)

बूढ़ी, बीमार और गाभन व बांझ बकरी जो दूध पीने को पाली हो और वह नर जो नस्ल के लिए घोड़ा हो जकात में नहीं देना चाहिए हां यदि नर छोटा हो तो ज़कात लेने वाला यदि चा० तो ले सकता है इसी प्रकार कम उम्र बच्चा और बीमार जानवर भी ज़कात में न देना चाहिए। ज़कात से बचने के वास्ते रेवड़ परेशान न करें न अलग अलग जानवरों को जमा करें। यदि दो आदमी साझी हों तो जायज़ है कि बराबर बांट लें। फिर जिसका माल ज़कात के योग्य हो वह साल पूरा होने पर ज़कात दे। हर हाल में ज़कात उन जानवरों पर फ़र्ज़ है जो जंगल में चरते हैं अर्थात अधिक खूराक उनकी जंगल से मिलती हो ज़कात के वसूल करने वालों को न छांट कर अच्छा माल लेना चाहिए न खराब ही बल्कि बीच का माल देख लें। (बुखारी मिश्कात 151)

6- ज़कात वसूल करने वाले

ज़कात का माल फ़क़ीरों, मिसकीनों, ज़कात वसूल करने वालों, नव मुस्लिमों, ज़रूरत मन्दों को देना चाहिए और गुलामों को आज़ाद कराने और

मुसलमानों के जुरमाने अदा करने और अल्लाह के कामों में, मस्जिद मदरसे में, ग़रीब हाजियों के हज कराने में और मुसाफ़िरों को दें यदि इस प्रकार के लोग जमा न हों तो यदि इनमें से किसी आदमी को भी देंगे तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। (सूर: तौबा)

ज़कात वसूल करने वाले और मुसाफ़िरों और ग़ाज़ी यद्यपि अपने घरों में मालदार हों तब भी इनको ज़कात देना जायज़ है। बेहतर है कि औरत अपने माल में से मोहताज पति और बच्चों को ज़कात दे सकती है और उन्हें लेना भी ठीक है मगर पति अपनी पत्नी और नाबालिग़ बच्चों को नहीं दे सकता इस वास्ते कि इनका भरण पोषण स्वयं उसी पर फ़र्ज़ है और जिसको ग़रीब मोहताज और ज़रूरतमन्द देखे दे दें ज़कात अदा हो जाएगी।

(सूर: तोबा)

भीख मांगने वाले मिसकीन नहीं, मालदार, ग़नी, साहिबे रोज़गार को ज़कात न देना चाहिए यदि पेशे वाला आदमी स्वस्थ और ग़रीब व लाचार हो तो उसे ज़कात देनी सही है। (तिर्मिज़ी, दारमी, अबूदाऊद बुखारी)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि जिस बस्ती के मालदारों से ज़कात ली जाए वहीं के फ़क़ीरों पर बांट दी जाए। ग़नी वह है जो कि साहिबे निसाब हो और फ़क़ीर वह है जिसके पास कुछ न हो और मिसकीन वह है जिसके पास थोड़ा माल हो।

सय्यदों और उनके लौंडी गुलामों को ज़कात लेना हराम है सय्यदों से मुराद बनी हाशिम अर्थात आले अब्बास और आले अक़ील, आले अली व आले जाफ़री हैं जो चीज़ पड़ी हुई पायी जाए सय्यदों को उसका खाना भी जायज़ नहीं क्योंकि ज़कात लोगों का मैल है जिस किसी मिसकीन को सदक़ा दिया जाए फिर वह अपनी तरफ़ से किसी भूखे सय्यद को हदया के तौर पर पेश करे तो भूखे सय्यद को उसका लेना ठीक है। सय्यद अपने माल की ज़कात

सय्यदों को महीं दे सकता। वह सय्यद जो ज़कात वसूल करता हो ज़कात ले सकता है बल्कि और तरह से सय्यदों की सेवा करनी चाहिए। यदि भूखा सय्यद जकात का माल खाए तो मुरदार खाने से बेहतर है।

(बुखारी मुस्लिम 153, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद नसई मिश्कात)

जो आदमी मालदार हो अर्थात साहिबे ज़कात न हो उसका माल ज़कात में से मांग कर लेना जायज़ है। ज़कात का माल मुसलमान ग़रीबों को देना चाहिए। ग़ैर मुस्तहिक़ को जान कर ज़कात देगा तो ज़कात अदा न होगी दोबारा देनी पड़ेगी और यदि उस आदमी को जो ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है बिना जाने ज़कात दे दे तो कुछ हरज नहीं।

(सूर: तोबा) (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 164)

नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया है कि औरतों को पतियों के माल में से बिना उनकी इजाज़त के खर्च न करना चाहिए यदि पतियों की इजाज़त से खर्च करेंगी तो दोनों को सवाब होगा बशर्ते कि फ़िज़ूल खर्ची न हो।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 164)

ज़कात में से जो माल दे दिया फिर उसे वापस लेना सख़्त मना है कुत्ते की तरह कै करके चाटना जैसा है ज़कात का दिया हुआ माल यदि वरसे में आए तो लेना ठीक है बेहतर है कि मां बाप को ज़कात में से न दे बल्कि और तरह सेवा करें। साहिबे ज़कात को चाहिए कि अपनी ज़कात अपने हाथ से मुस्तहिक़ को दे दे। (मुस्लिम मिश्कात 154)

7– सवाल करने वाले

अन अबी हुरैयरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाह अलयहि व सल्लमा मन सालन्नसा तकसुरा॰ फ़इन्नमा य सअलु फ़ल यसतक़िल्ला अव लियस तक सरु॰ (मुस्लिम मिश्कात 154)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जिसने लोगों से माल जमा करने के वास्ते सवाल किया तो मानो वह आदमी अंगारे मांगता है चाहे उनको ज़्यादा जमा करे या कम जमा करे।

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि केवल तीन प्रकार के आदमियों को सवाल करना सही है एक वह आदमी जो किसी नेक काम में खर्च करके कर्ज़दार हो गया। दूसरे वह आदमी कि जिसका माल किसी आफ़त से बर्बाद हो गया तीसरे वह कि जिसकी फ़ाक़ा कशी पर तीन आदमी गवाही दें और जो माल बढ़ाने को मांगेगा उसके चेहरे पर क़ियामत के दिन गोश्त न होगा।

(मुस्लिम मिश्कात 154)

आपने फ़रमाया कि सवाल करने वाले की इज़्ज़त नहीं रहती उसे चाहिए कि जंगल से लकड़ियां लाकर बेचे और मज़दूरी करके गुज़ारा करे फ़रमाया बिना मांगे जो कुछ मिले ले लो उसमें बरकत होती है और जो नफ़्स के लालच से मांगता है उसमें बरकत नहीं होती। हदिये को कुबूल करना और उसके बदले में हदिया देना साबित है। (बुखारी मिश्कात 154)

8- खज़ानों व कानों पर ज़कात

दफ़्न किया हुआ माल जो किसी को मिले तो उसमें से पांचवां हिस्सा जकात का है जैसे 100 रु. का माल है तो ज़कात 20 रु. होंगे। कान से जो चीज़ निकाली जाती है उसमें ज़कात तुरन्त नहीं है हां यदि साल भर कान का सोना चांदी मालिक के पास रखा रहे और निसाब के मुताबिक़ है तो साल के बाद ज़कात देनी होगी। (बुखारी मिश्कात 154)

किताबुस्सोम

1- रमज़ान के फ़ज़ाइल

इस्लाम का चौथा रुक्न रमज़ान शरीफ़ के रोज़े हैं मुसलमानों पर अल्लाह ने रमज़ान शरीफ़ के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। रमज़ान शरीफ़ वह पवित्र महीना है जिसमें अल्लाह ने लोहे महफ़ूज़ से पहले आसमान पर कुरआन नाज़िल किया फिर वहां से 23 साल में नबी सल्ल० पर नाज़िल हुआ।

(सूर: बक़रा, सूर: क़द्र)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है जब रमज़ान शरीफ़ का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं और शैतान क़ैद कर दिए जाते हैं। एक रमज़ान के खत्म होने पर दूसरे रमज़ान के आने तक अर्थात ग्यारा महीने तक जन्नत में तैयारियां अल्लाह के हुक्म से होती हैं। जब रमज़ान का पहला दिन होता है तब जन्नत की हवा अर्श के नीचे होकर जन्नत के ऊपर से चलती है उस समय जिस जगह वह दुआ करती हैं कि ऐ अल्लाह! प्रदान कर तू हमारे पति हमारे कि ठंडी हो जिनसे आंखें हमारी और ठंडी हों हमसे आंखें उनकी।

(बुखारी, मुस्लिम)

और फ़रमाया कि एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक प्रायश्चित है गुनाहों का इस महीने में एक फ़र्ज़ पढ़ना दूसरे महीनों के फ़र्ज़ों के बराबर है इस महीने की नफ़ली इबादतों का सवाब जो नबी करीम के अनुसार हो दूसरे महीनों की इबादत फ़र्ज़ के बराबर लिखा जाता है। नबी सल्ल० इस महीने में इबादत व खैरात ज़्यादा करते थे सहाबा किराम को खुश खबरी सुनाते और दुआ करते या अल्लाह बरकत दे रजब और शाअबान में और नसीब कर हमें रमज़ान

शरीफ़। (मुस्लिम तर्ग़ीब 172)

और फ़रमाया जिसने पाया महीना रमज़ान का और न बख़्शवाए अल्लाह से गुनाह अपने वह दूर हो अल्लाह की रहमतों से। नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया है कि आदम के बेटों की हरेक नेकी का बदला बढ़ता है एक नेकी से सात सौ नेकी तक, मगर रोज़े की नेकियों की कुछ गिनती ही नहीं है। (इब्ने हिब्बान तर्ग़ीब 72)

अल्लाह पाक फ़रमाता है कि रोज़ा मेरे ही लिए है तो इसका इनाम मैं ही दूंगा अपने बन्दों को कि उन्होंने अपनी वासना इच्छा व खाना-पीना मेरे हुक्म से छोड़ा था। तो रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। रोज़ेदार की खुश्बू अल्लाह को बहुत पसन्द आती है कसतूरी की खुश्बू से भी अधिक और रोज़ा ढाल है जहन्नुम से नजात का तो चाहिए कि रोज़ेदार बेहूदा बातें न करें न चिल्लाकर बक-बक करे यदि कोई बुरा कहे तो उससे कह दे कि मैं तो रोज़े से हूं। (बुखारी मुस्लिम 165)

बुखारी मुस्लिम में है कि जिसने नफ़्ल पढ़ी, रमज़ान की रातों में बिना दिखावे के सवाब की उम्मीद पर तो उसके सारे गुनाह बख़्शे जाते हैं। फ़रमाया कि जन्नत के आठ दरवाज़े हैं उनमें से रिय्यां नामी एक दरवाज़ा है यह खास रोज़ेदारों के लिए है दूसरे लोग इसकी सैर से महरूम रहेंगे और फ़रमाया कि रोज़ा और कुरआन शरीफ़ शिफ़ाअत कराएंगे क़ियामत के दिन सच्चे मुसलमानों की। (बुखारी मुस्लिम 165)

2- रमज़ान के अहकाम

बिना किसी शरअी कारण के रोज़ा न रखने का वैसा ही गुनाह है जैसा कि नमाज़ न पढ़ने का और ज़कात न देने का अर्थात बिना शरअी कारण रोज़ा छोड़ने से कुफ्र लाज़िम आ जाता है और फरमाया कि जिसने बिना किसी

कारण रमज़ान का रोज़ा न रखा तो यदि वह सारे साल या तमाम उम्र नफ़ली रोज़े या दुनिया की सारी नेमतें खैरात कर दे तब भी उस एक रोज़े के दर्जे को न पहुंचेगा। जो बीमार हो या सफ़र में हो या औरतें मासिक धर्म या निफ़ास से हों या बच्चों को दूध पिलाती हों या हमल से हों यदि उनको डर हो कि रोज़े के कारण बच्चे को नुक़्सान पहुंचेगा तो रोज़ा न रखें जब उनकी मजबूरी जाती रहे, रोज़े की कज़ा रखें। साल भर के अन्दर एक दम रखें चाहे थोड़े-थोड़े करके कई महीने में रख लें।

(अहमद तिर्मिज़ी अबूदाऊद 169, मिश्कात 170)

जो आदमी बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो और रोज़े की ताक़त न रखता हो उसके लिए रोज़ा माफ़ है हर दिन के बदले एक मिसकीन को खाना खिला दे और क़ज़ा न रखे। रोज़ा रखने वाला सुबह सादिक़ से सूरज अस्त होने तक खाना-पीना, मुबाशरत करना बन्द रखे हुक्का न पिए, बेकार की बातें न करे और बकवास न करे गाली न दे, चुगलखोरी न करे क्योंकि इन कामों से रोज़ा ख़राब होता है और अल्लाह ऐसे रोज़े को पसन्द नहीं करता है यदि ज़रूरत की बातें करे तो जायज़ है रोज़े में प्राय: कुरआन की तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहना चाहिए। (बुखारी मिश्कात 168)

यदि बीमारी के कारण कै कर दे तो क़ज़ा रोज़ा रखना होगा और कै आप से आप आ जाए तो रोज़ा ठीक रहता है। यदि मय्यत पर रमज़ान के रोज़े या नज़र के रोज़े हों तो उसके वारिसों को उसकी ओर से रोज़ा रखना होगा। (बुखारी शरीफ़)

रोज़े में खुश्बू लगाना, सर में तेल डालना, सुरमा लगाना, सींगी लगवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना कुल्ली करना, नाक में पानी डालना सही है लेकिन कुल्ली आदि में अधिक पानी मुंह में न डालें। गले के ऊपर से थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता, बीवी का रोज़े में बोसा लेना जायज़ है

और उसके बदन से बदन लगाना जायज़ है मगर जवान व बेसब्र आदमी को इससे बचना चाहिए। (बुखारी, मुस्लिम 168)

यदि रात को नहाने की ज़रूरत पड़ जाए तो बेहतर है कि रात ही को नहा लें। यदि सुबह को नहाएं तो भी कोई बात नहीं। रोजे में अर्थात सुबह सादिक़ से सूरज अस्त होने तक बीवी से सोहबत करना हराम है यदि करेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा और रोज़ा टूट जाएगा।

(बुखारी मुस्लिम 168)

जो आदमी जानकर रोज़े में सोहबत करे उसे एक गुलाम आज़ाद करना चाहिए। यदि गुलाम आज़ाद न कर सके तो बराबर दो महीने तक रोज़े रखें और जो यह भी न कर सके तो साठ मिसकीनों को खाना खिलाए फिर क़ज़ा रखे और खूब इस्तग़फ़ार पढ़े। रोज़े की हालत में जानबूझ कर खा पी लें तो उस पर क़ज़ा लाज़िम है कफ़्फ़ारा नहीं है। यद्यपि उलेमा ने इस बारे में मतभेद किया है लेकिन सही मसला यही है कि नबी सल्ल० ने केवल औरत से जानकर सोहबत करने के हक़ में कफ़्फ़ारा देने का हुक्म दिया है और किसी में नहीं और कफ़्फ़ारे का खाना खिलाना भी हैसियत वाले पर वाजिब है।

यदि बादल की वजह से रोज़ा खोल लिया फिर सूरज का पता चला तो रोज़े की क़ज़ा रखनी होगी। भूख प्यास की सख्ती से यदि जान का खतरा हो तो ज़रूर रोज़ा तोड़ देना चाहिए फिर क़ज़ा रखे। यदि रोज़ेदार भूल से पेट भरकर खा पी ले तो यह खाना अल्लाह ने खिलवाया है रोज़ा सलामत रहा। रोज़े की सख्ती से यदि रोज़ेदार सर पर पानी बहाए या कपड़ा तर करके सर पर रखे तो सही है। (अबूदाऊद 562)

घर में यदि बीमार पड़ जाए और रोज़ा तोड़ दे तो कोई गुनाह नहीं। नबी सल्ल० ने असर के समय स्वयं भी रोज़ा तोड़ा और सहाबा से भी तुड़वाया और फ़रमाया कि सफ़र में रोज़ा रखना अच्छी बात नहीं यदि तक्लीफ़ हो।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात)

एक जगह फ़रमाया कि तकलीफ़ की हालत में सफ़र में रोज़े रखने वाले पक्के गुनाहगार हैं सफ़र व बीमारी की वजह से जो रोज़े टूटें उनकी कज़ा लाज़िम है ताक़तवर आदमी यदि सफ़र में रोज़ा रखे और उसे तकलीफ़ न हो तो कुछ हरज नहीं (मुस्लिम मिश्कात 102)

रमज़ान में लौंडी गुलामों से काम कम लेने की वजह से गुनाह माफ़ होते हैं। शक के दिन रोज़े रखने वाला नबी सल्ल॰ का अवज्ञाकारी है। (मुस्लिम मिश्कात 166)

रमज़ान शरीफ़ से एक दो दिन पहले रोज़ा शुरु करना मना है यदि हमेशा इस महीने में तीन चार दिन रोज़ा रखने की आदत हो तो कोई बात नहीं जैसे कि नबी सल्ल॰ की आदत मुबारक थी। स्वस्थ आदमी को हर दिन रोज़े की नीयत करना ज़रूरी नहीं सारे महीने के रोज़े की नीयत शुरु महीने में कर ले तो वही काफ़ी है हां साहिबे मजबूरी यदि रात को नीयत न करेगा तो रोज़ा सही न होगा। नफ़ल रोज़े की नीयत दिन को भी की जा सकती है। लगातार रोज़े रखना अर्थात रात को भी इफ़्तार न करना नबी सल्ल॰ के लिए सही था उम्मत के लिए मना है। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 166)

3- चांद

अँनअबी हुरयरत क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम सोमू लिरुतियह वफ़्तिरु लिरुतियह फ़इन ग़म्मा अलयकुम फ़कमिलू इददाता शाअबाना सला सीना॰

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ से रिवायत है कि जनाब रसूले करीम सल्ल॰ ने फ़रमाया कि रोज़ा चांद देखकर रखो और इफ़तार भी चांद देखकर करो। इससे ईद का चांद मुराद है और यदि बराबर हो जाए तो शाअबान के तीस दिन पूरे करो। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 166)

यदि एक मुसलमान भी चांद देखने की गवाही दे तो कुल मुसलमानों को रोज़ा रखना लाज़िम है मगर ईद का चांद देखने की जब तक दो मुसलमान गवाही न दें इफ़तार न करना चाहिए।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 166)

हज़रत नबी करीम सल्ल० के ज़माने में एक बार बादल छाया हुआ था और 29 को चांद दिखाई न दिया सबने उस दिन रोज़ा रखा। दोपहर के बाद कुछ सवार शाम की ओर से आए और उन्होंने फ़रमाया कि सब लोग रोज़े इफ़तार करें और कल को ईद की नमाज़ पढ़ें। इस हदीस से पता चला कि 20-25 कोस की दूरी पर यदि चांद देखा जाए तो भरोसा किया जाएगा। चांद की खबर यदि तार द्वारा दी जाए तो इस पर शरीअत के अहकाम जारी न होंगे यदि गवाहों के अकीदे मालूम न हों तो मालूम कर लेना ज़रूरी है।

4- सहरी व इफ़तार

सेहरी का सही समय सुबह सादिक़ से है नबी सल्ल० ने फ़रमाया है सेहरी का सही समय यह कि आखिर समय में खायी जाए। सेहरी के समय कोई दुआ रोज़े की नीयत के वास्ते पढ़ना नाजायज़ है। फ़रमाया कि सेहरी खाओ इसमें बरकत है। हमारे और यहूदी व ईसाईयों के रोज़ों में सेहरी खाने का फ़र्क़ है। सेहरी में खजूरें खाना सुन्नत है फ़रमाया कि जब सुनो अज़ान की आवाज़ और हाथ में बरतन हो तो उसे रख न दो बल्कि पी लो तो कुछ हरज नहीं। (अबूदाऊद मिश्कात 167)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है दीन हमेशा ग़ालिब रहेगा जब तक कि मुसलमान इफ़तार में जल्दी किया करेंगे फ़रमाया हमेशा लोग भलाई में रहेंगे जब तक रोज़ा खोलने में जल्दी करेंगे। हज़रत जिबरील ने फ़रमाया अल्लाह फ़रमाता है कि मुझे वे बन्दे बहुत ही प्यारे हैं जो इफ़तार में जल्दी किया करते

हैं। और फ़रमाया जब सूरज पश्चिम में छिप जाए और पूरब की ओर से सियाही चमकने लगे तो रोज़ा खोलने का यही सही समय है। रोज़े का देर में इफ़्तार करना मुसलमानों का काम नहीं है। (अबूदाऊद मिश्कात 167)

5- इफ़्तार के समय की दुआएं

रोज़ा इफ़्तार करते समय यह दुआ पढ़नी चाहिए-

"अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़क़िका अफ़तरतुं"

"ऐ अल्लाह तेरे ही वास्ते रोज़ा रखा मैंने तेरे ही रिज़्क़ पर इफ़्तार किया मैंने।"

रोज़ा खोलकर यह दुआ पढ़ें-

"ज़हबज़्ज़माऊ वबतल्लतिल उरुकू व स-ब-तल अजरु इनशा अल्लाह०"

"जाती रही प्यास और तर हो गयी रगें और साबित हो गया सवाब इन्शा अल्लाह।

और यह दुआ भी पढ़ें-

अल्लाहुम्मा इन्नी अस अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शयइन अन तग़फ़िरली जुनूबी०

"ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस तेरी रहमत के वसीले से मांगता हूं जो हर चीज़ से अधिक व्यापक है यह कि बख़्श दे मेरे गुनाह।"

6- रोज़ा इफ़्तार कराना

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है जो किसी मुसलमान को रोज़ा नेक नीयती से इफ़्तार कराए वह एक दिन का सवाब पाता है और जितनों का इफ़्तार

कराएगा उतनों का सवाब पाएगा और उसके सवाब पाने से रोज़ेदारों के सवाब में कमी न होगी बशर्ते कि दिखावा व रिया से पाक नेक नीयत हो। मुसलमानों को रोज़ा इफ़तार कराने से गुनाह बख्शे जाते हैं यद्यपि एक ही खजूर या एक घूंट पानी या दूध से इफ़तार कराने वालों को अल्लाह हौज़े कौसर का पानी पिलाएगा ज़िससे जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होगा। घमंड व दिखावे की इफ़तारियों से भी बचे अल्लाह और रसूल ने ऐसे खानों से मुसलमानों को मना फ़रमाया है। (अबूदाऊद मिश्कात 167)

7– लयलतुल क़द्र

रमज़ान शरीफ़ में एक रात बरकत वाली है जो एक हज़ार महीनों से भी बेहतर है इसे 'लयलतुल क़द्र' कहते हैं इस रात की इबादत से जो आदमी महरूम रहा वह बड़ी नेमतों से महरूम रहा। इस रात की एक पहचान यह है कि इसकी सुबह को सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाती है।

(बहीक़ी मिश्कात 166)

प्रायः यह मुबारक रात रमज़ान की 21, 23, 25, 27 या 29 तारीख़ की रातों में फिरती हुई हर साल हुआ करती है। इस रात हज़रत जिबरील अलैहि० अपने समस्त फ़रिश्तों सहित आसमानों से उतरते हैं और इबादत करने वाले तौहीद परस्तों के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं अल्लाह क़ुबूल करता है उनकी दुआ तौहीद परस्त बन्दों के हक़ में और बख्श देता है अल्लाह उस रात की इबादत की बरकत से सारे गुनाह अपने नेक बन्दों के।

(बुखारी मिश्कात 173, बहीक़ी मिश्कात 174)

8– एतकाफ़

एतकाफ़ करना बड़े सवाब का काम है। हज़रत सल्ल० हमेशा रमज़ान के आखिरी दस दिनों में एतकाफ़ के लिए मस्जिद में अलग एक जगह

मुक़र्रर करते। नबी सल्ल० मस्जिद में एक बोरिए का परदा डालकर हुजरा बनाते थे। (बहीक़ी मिश्कात 175)

सुबह की नमाज़ पढ़कर एतकाफ़ में दाखिल होना चाहिए मस्जिद से बाहर सिवाए ज़रूरी काम के न निकलें। बीमार पुरसी के लिए जाना ठीक नहीं है। रास्ता चलते बीमार को पूछ लेना जायज़ है मय्यत के साथ या जनाज़े के लिए बाहर जाना जायज़ नहीं। औरत से सोहबत और बोसा आदि लेना नाजायज़ है। (अबूदाऊद मिश्कात 175)

मस्जिद से बाहर सर निकालना और बाल धुलवाना व कंघी कराना जायज़ है। एतकाफ़ वाला आदमी गुनाहों से बाज़ रहता है और जिन नेकियों के करने से मजबूर हो गया उनका सवाब अल्लाह से पा लेता है। एतकाफ़ में रोज़ा रखना एतकाफ़ की शर्त नहीं है मगर बेहतर है बीमारी या किसी ज़रूरत की वजह से एतकाफ़ को तोड़ दे तो उसकी कज़ा नए सिरे से करे यदि एतकाफ़ की नजर मानी हो तो उसका पूरा करना वाजिब है जितने दिनों की नजर होगी उतने ही दिन एतकाफ़ में बैठना पड़ेगा चाहे एक ही दिन की नीयत हो। एक साल में दोबार एतकाफ़ करना साबित है औरतों का एतकाफ़ में बैठना भी हदीस से साबित है मुस्तहाज़ा औरत भी मस्जिद में एतकाफ़ कर सकती है।
(अबूदाऊद मिश्कात 175, बुखारी मुस्लिम मिश्कात 175)

नबी सल्ल० से एक साल एतकाफ़ रह गया था जिसे आपने दूसरे साल कज़ा फ़रमाया और 20 दिन एतकाफ़ किया। सही हदीसों के अनुसार एतकाफ़ के वास्ते जामा मस्जिद में बैठना अच्छा है जुमे की नमाज़ के वास्ते यदि एतकाफ़ वाला आदमी जाएगा तो कुछ सहाबा न ताबईन का मज़हब है कि एतकाफ़ बातिल हो जाएगा और यही कथन इमाम मालिक व इमाम शाफ़ई का है। जामअ तिर्मिज़ी में कुछ सहाबा व ताबईन का कथन लिखा है कि यदि एतकाफ़ के शुरु के समय नमाज़ जनाज़ा और नमाज़े जुमा के वास्ते जाने की

नीयत करे तो जा सकता है। वर्ना नहीं जा सकता।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 175)

एतकाफ़ की हालत में कुरआन शरीफ़ पढ़ना हदीस पढ़ना अज़ान देना, इमामत करना दीन की तालीम देना खुत्बा सुनाना, फ़तवा लिखना या बतलाना, हजामत व गुस्ल करना कपड़े बदलना, ज़रूरत की थोड़ी बातें कर लेना सही है खाना-पीना अपने एतक़ाफ़ के हुजरे में होना चाहिए।

किताबुल हज

1- हज की अहमियत

हज इस्लाम का पांचवा रुक्न है जिसे अल्लाह तौफ़ीक़ दे और सवारी और वहां की ज़रूरतों और उसके पीछे घर वालों के खाने-पीने के वास्ते मौजूद हो उस समय हज फ़र्ज़ हो जाता है जो मुसलमान इतनी हैसियत रखे और स्वस्थ हो और फिर हज न करे तो वह सज़ा पाएगा। जो आदमी बहुत बूढ़ा हो उसकी ओर से कोई और रिश्तेदार हज कर सकता है। फ़रमाया कि जो आदमी ताक़त होते हुए हज न करे वह चाहे यहूदी होकर मरे चाहे ईसाई होकर मरे।
(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 313)

हज के मसाइल बहुत से हैं जिनकी इस छोटी सी किताब में गुंजाइश नहीं। हज़रत मौलाना नवाब सिद्दीक़ हसन खां साहब मुहददिस भोपाली रहिम० ने इस विषय पर एक किताब "ईज़ाहुल हज्जह" लिखी है इसमें हज और उमरे की अच्छी तफ़सील दी है ज़रूरत पड़ने पर इस किताब को देख लेना चाहिए यहां सार में कुछ हज के मसाइल लिख दिए जाते हैं।

2- हज का थोड़ा सा हाल

अन अबी हुरयरता क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहिं वसल्लमा मन् हज्जा लिल्लाहि फ़लम यरफुस व लहु यफ़सुक़ व-ज-अ ल-यवमिन व-लदतुहु उम्मुहु०" (बुखारी मुस्लिम मिश्कात)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जिसने हज किया अल्लाह के वास्ते फिर न उसने औरतों से सोहबत की

बात की और न लड़ाई झगड़ा किया वह ऐसा फिरा कि जैसे मां के पेट से पैदा हुआ था अर्थात गुनाहों से पाक हो गया। हज की तीन क़िस्में हैं (1) किरान (2) तमत्तोअ (3) अफ़राद। नबी सल्ल० ने पहली किस्म का हज किया और दूसरी क़िस्म की इच्छा की।

सारी किस्मों में से तमत्तोअ अफ़ज़ल है इसमें आसानी है इसकी तरकीब यह कि जब इधर के लोग अदन होते हुए यलमलम के पहाड़ के सामने पहुंचे जिसे जहाज़ वाले बता देते हैं तो एहराम के वास्ते गुस्ल करें। पायजामा, कुर्ता, टोपी, अमामा, मोजे मर्द उतार दें। तहबन्द बांध ले और चादर ओढ़ ले पांव के टखने खुले रखें। यदि मिले तो खुश्बू लगाएं। यदि तहबन्द न हो तो पाजामे का कुछ हरज नहीं। एहराम बांधते समय उमरे की नीयत करें फिर दो रकअतें नफ़ल पढ़कर कहें--

"अल्लाहुम्मा लब्बैका बिउमरतिन"

"मैं हाज़िर हूं ऐ अल्लाह उमरे के वास्ते"

फिर मक्का शरीफ़ में दाखिल होने तक लब्बैक इसी तरह पुकार कर कहें--**"लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक इन्नलहमदा वन्नेमत लका वलमुल्का ला शरीका लका०"**

"हाज़िर हूं तेरी सेवा में ऐ अल्लाह हाज़िर हूं मैं तेरे दर पर कोई तेरा शरीक नहीं हाज़िर हूं तेरी सेवा में। बेशक सारी प्रशंसाएं और नेमतें तेरे लिए हैं और बादशाहत तेरे वास्ते हैं तेरा कोई शरीक नहीं।"

हजरे असवद (काले पत्थर) को चूमते समय लब्बैक कहते रहें और लब्बैक कहने के बाद मग़फ़िरत के वास्ते दुआ करें।

मीक़ात अर्थात जहां एहराम बांधने का हुक्म है यदि उसके गुज़र जाने के अवसर का ठीक ख्याल न हो तो पहले से एहराम बांध ले तो कुछ हरज

नहीं। एहराम बांधने के बाद खुश्बू न लगाएं किसी से झगड़ा न करें। शिकार न खेलें पेड़ न काटें बाल व नाखुन न लें फ़रमाया कि शिकार का गोश्त तुम्हारे वास्ते हलाल है यदि तुमने न किया हो और न तुम्हारे वास्ते किया गया हो।

(इब्ने माजा, अबूदाऊद मिश्कात 213)

जाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा न पहनें। एहराम में जो कोई मर जाए उसे खुश्बू न लगाएं और खुले सर दफ़्न करें मर्द, सर और मुंह न ढांके, औरतें भी मुंह न ढांके हां परदे के लिए कुछ व्यवस्था कर लें और सब कपड़े पहने रहें यदि कोई खुश्बू लग जाए तो तीन बार धो डाले।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 227-228)

एहराम वाला न स्वयं निकाह करे न किसी का निकाह बांधे न मंगनी करे। एहराम वाले जुएं न मारें बल्कि पकड़कर फेंक दे। यदि सर में जुएं पड़ जाएं और सर मुंडवा लें तो कफ़्फ़ारा दे दें।

(मुस्लिम मिश्कात 227)

एहराम वाले यदि इन कामों में से कोई काम करें और फिर कफ़्फ़ारा दे दें तो एहराम बातिल न होगा कफ़्फ़ारा यह है कि छः मिस्कीनों को आठ सेर अनाज दे दें या तीन रोज़े रखें या एक कुरबानी करें। हाजी को कोई हज से रोक दे तो उल्टा फिर जाए लड़ाई न करे यदि एहराम बांधे हुए है तो एहराम खोल दे। कुरबानी साथ हो तो ज़िब्ह कर दे ज़ब अम्न पाए तो हज करे।

एहराम वाले को जायज़ है कि फूल सूंघे, आइना देखे, अंगूठी पहने, नए कपड़े बदले, दरिया का शिकार खेले, जरूरत से सींगी लगाए, यदि बदन खुजाने से नाखुन टूट जाए तो चाकू से तराश दे। जानवर जिब्ह करे, कपड़ा धोकर पहन ले, खुश्बू लगाए. धूप के कारण सर पर साया कर ले, ज़रूरत पर ज़ैतून और घी आदि से दवा करे, ज़ेवर पहने।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 227)

एहराम वाला चूहा, चील, बिच्छू, कुत्ता सांप मार डाले तो सही है। चाहे हरम ही क्यों न हो। जब मक्का शरीफ़ के अन्दर पहुंचे तो पहले बेर तवी पर गुस्ल करे मगर अफ़सोस है कि यह सुन्नत अब छुट गयी है एहराम वाले को बीवी का बोसा लेना या उसपर इस नीयत से नजर डालना हराम है। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात)

जब बैतुल्लाह शरीफ़ नज़र पड़े तो यह दुआ पढ़े-

"अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बयता तशरीफ़न व तकरीमन व तअज़ीमन व महाबतन व ज़िद मन हज्जहु वाअत-म-रहु व बरअन॰"

"ऐ अल्लाह अपने घर की बुजुर्गी व महानता ज्यादा कर और करामत व हैबत और ज्यादा कर बुजुर्गी व महानता व करामत उस आदमी की जिसने हज या उमरा किया तेरे घर का फिर जो चाहे दुआ कर।"

फिर जन्नतुल मुअल्ला की ओर से मक्का में और बाबे इबराहीम की ओर से हरम में दाखिल हो हजरे असवद को बोसा दे फिर दायीं ओर से तवाफ़ शुरु करे इस तरह कि मर्द अपनी चादर को दाएं हाथ की बग़ल से निकाल कर बाएं कंधे पर डालें जिसे इस्तिबाग़ कहते हैं। औरतें इस तरह न करें और खाना काबा के सात बार चक्कर लगाएं। इस चक्कर को शोत कहते हैं। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 218)

पहले तीन चक्करों में हजरे असवद से उछलते कूदते हुए पास-पास क़दम रखते हुए हाथ हिलाते हुए मर्द धीरे-धीरे भागें इसे रमल कहते हैं औरतें सातों चक्करों में धीरे-धीरे चलें हर हाजी हजरे असवद का बोसा ले, गाल मले और इन दोनों रुकनों के बीच हर बार के चक्कर में यह दुआ करें--

रब्बना आतिना फ़िद दुनिया ह-स-न-तव वफ़िल आखिरति ह-स-न-तव वक़िना अज़ाबन्नार॰

"ऐ अल्लाह हमारे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई प्रदान कर और हमें आग के अज़ाब से बचा।" जब हजरे असवद के सामने पहुंचे उसे हर बार बोसा दे और माथा व गाल उससे रगड़ें और कहें बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। यदि आदमियों की अधिकता के कारण ऐसा न कर सकें तो लाचारी को हाथ या लकड़ी हजरे असवद को लगाकर या उस ओर हाथ या लकड़ी से इशारा करके बोसा दें। (अबूदाऊद मिश्कात 219)

बस इसी तरह से सात चक्कर पूरे करके मक़ामें इबराहीप पर दो नफ़ल पढ़ें और हर शोत करते हुए और नफ़लों के बाद मकामे इबराहीम पर और काबा के दरवाज़े पर और उसके दाएं बाएं खूब दुआ करें। इन स्थानों की दुआएं बड़ी मक़बूल हैं। हजरे असवद के सामने और काबा शरीफ़ को देखकर हाथ उठाना साबित नहीं है बल्कि मना है। तवाफ़ करते हुए केवल रुकने यमानी और हजरे असवद को नबी सल्ल० हाथ लगाते थे और किसी जगह को हाथ न लगाते थे। तवाफ़ सवारी पर भी सही है।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 219)

मक़ामे इबराहीम पर नबी सल्ल० पढ़ा करते थे--

"वत्तखिजु मिम मक़ामि इबराहीमा मुसल्ला०"

इस मकाम पर और अतीम के घेरे के अन्दर तवाफ़ के बाद जब चाहे नफ़ल पढ़ा करें। बैतुल्लाह में हर समय नफ़ल नमाज़ सही है। तवाफ़ के बाद दो नफ़ल मक़ामे इबराहीम पर पढ़ें। पहली रकअत में सूर: काफ़िरून और दूसरी में सूर: इख़्लास फिर हजरे असवद का बोसा दें। फिर बाबे सफ़ा से हरम के बाहर निकलें और सफ़ा के ऊपर खड़े होकर यह आयतें पढ़ें-

इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआई रिल्लाहि सफ़ा व मर्वा अल्लाह की निशानियों में से हैं

फिर तीन बार पढ़े--

ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर॰ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व स-द-क़ वअदहु व न-स-र अबदहु व ह-ज़-मल अहज़ाबा वहदहु॰

"नहीं है कोई उसके सिवा कि उसकी इबदत की जाए। वह अकेला है कोई उसका शरीक नहीं है उसकी बादशाही है और उसी के वास्त सारी प्रशंसाएं हैं और वही हर चीज़ पर क़ादिर है सिवाएं अल्लाह के कोई योग्य नहीं कि उसकी इबादत की जाए। उसने सच्चा वायदा किया अपना और मदद की अपने बन्दे की और काफ़िरों के लश्करों को हराया उस अकेले ने (खन्दक़ की लड़ाई में) और जितना चाहे हाथ उठाकर दुआ करें।

(मुस्लिम मिश्कात 216)

फिर मर्वा की ओर चलें सफ़ा व मर्वा के बीच अहज़रीन मीलीन खड़े हैं इनके बीच दौड़ कर चलें। तेज न दौड़ें औरतें धीरे ही चलें। मर्वा पर भी ज़रा ठहरें और वही पढ़ें जो सफ़ा व मर्वा पर पढ़ा था यह एक चक्कर हुआ इसी तरह चक्कर करें। इसी को सआी कहते हैं। आखिरी चक्कर मर्वा पर खत्म होगा। सआी करते हुए सफ़ा व मर्वा के बीच यह पढ़ें-

रब्बिग़फ़िर वरहम फ़इन्नका अन्तल अअज़्ज़ुल अकराम॰

ऐ अल्लाह बख्श दे और रहम कर। बेशक तू बड़ाई वाला और इज़्ज़त वाला है।"

उमरे के अर्कान खत्म हुए। अब एहराम के कपड़े उतार दें सर के बाल कतरवाएं या मुंडवाएं मामूली लिबास पहन कर मक्का में रहें और जितना हो सके रात दिन में बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। (मुस्लिम मिश्कात 216)

यदि अधिक दर्जे लेने हों तो मक्का से तीन कोस पर एक जगह है जिसे तनअीम और मस्जिद आयशा भी कहते हैं। सवार होकर चाहे पैदल वहां जाकर गुस्ल करें और इसी तरह से एहराम बांधे और दो रकअतें पढ़कर पैदल या सवार होकर लब्बैक पुकारते हुए खानाए खुदा में दाखिल हों और इसी तरह नफ़ली तवाफ़ और सअी करें। यह दूसरा उमरा हो गया और अल्लाह जितनी तौफ़ीक़ दे कोताही न करें।

जिन्होंने एहराम बांधने से पहले कुरबानी न खरीदी हो वे इसी तरह पर हज करें नबी सल्ल० के साथ कुरबानी थी इसलिए आप उमरा करके एहराम न खोल सके और जिन सहाबा के साथ कुरबानी न थी उनको हज की नीयत तोड़ कर केवल उमरे की नीयत पर रहने का और एहराम खोल देने का हुक्म फ़रमाया। कियामत तक यही हुक्म कायम रहेगा। जब आठवीं तारीख़ ज़िलहिज्जा की हो हज की नीयत से एहराम बांधे और कहें--**लब्बैका अल्लाहुम्मा बिल हज्जि०** फिर वही लब्बैका जो शुरू में कही गयी है ला शरीका लका तक पुकारते हुए दिन चढ़े सुबह के समय मिना रवाना हों और वहां पर नमाज़े जुहर, असर, मग़रिब, इशा और फज्र अपने-अपने समय पर अदा करें। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 216)

नवीं तारीख सूरज निकलने के बाद मिना से पैदल चाहे सवारी से अरफ़ात को रवाना हों। रास्ते में तकबीरे और वही लब्बैक पुकार-पुकार कर कहते रहें। ज़वाल के बाद खुत्बा सुनें जो अरफ़ात में जबले रहमत के पास होता है फिर वहां जुहर व असर दो नमाज़े इकट्ठी एक अज़ान दो तकबीरों से बिना सुन्नतों के अदा करें और जहां तक हो सके जबले रहमत के पास अरफ़ात में ठहरें वर्ना जहां आसानी से जगह मिले वहां ठहरें क्योंकि अरफ़ात का सारा मैदान ठहरने की जगह है और अपने मालिक की जनाब में बड़ी इन्कसारी से दुआ करें। तकबीरे और लब्बैक कहते रहें। तीसरे पहर के क़रीब जब इमाम जबले रहमत पर खुत्बा पढ़ने लगे तो खड़े होकर सुनना चाहिए

और लब्बैक कहते रहें। (मुस्लिम मिश्कात 217-219)

अरफ़ात में दाखिल होना फ़र्ज़ है और यह हज का एक बड़ा रुक्न है जिसका यह रुक्न छूट जाएगा उसका हज न होगा। जो कोई 10वीं तारीख़ ज़िलहिज्जा की रात को सुबह सादिक़ होने से पहले अरफ़ात में दाखिल हो जाएगा उसका हज सही न होगा। जब सूरज अस्त हो जाए अरफ़ात से लब्बैक पुकारते हुए मुज़दलफ़ा में आकर उतरें और मग़रिब व इशा की नमाज़ें एक अज़ान और दो तकबीरों के साथ पढ़ें और सारी रात मुज़दलफ़ा में ज़िक्र करते रहें या सो रहें। फिर फज्र की नमाज़ अव्वल समय में पढ़कर पैदल चाहे सवारी रवाना हो और मुज़दलफ़ा की एक छोटी सी पहाड़ी के पास जमा होकर जिसे मशअरल हराम कहते हैं तकबीर--

"ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु" अन्त तक पढ़ें। **(मुस्लिम मिश्कात 210-217-218)**

जब रोशनी हो जाए तो सूरज निकलने से पहले कूच कर दें। सवारी को दौड़ाएं नहीं। यदि खुली जगह मिले तो ज़रा जल्दी चलें और जब मैदाने मुहस्सर में पहुंचे तो वहां से सवारी तेज़ दौड़ाकर निकल जाएं क्योंकि यह वह जगह है जहां असहाबुल फ़ील मारे गए थे यदि बाल बच्चों को सुबह होने से पहले मिना की ओर भेज दें तो जायज़ है (मुस्लिम मिश्कात 217)

मुहस्सर से निकलकर रास्ते में से कंकरियां उठा लें। कुल कंकरियां अपने पास रख लें और मिना के बाज़ार में होकर सीधे उस आखिरी मिनारे पर आ जाएं जो मक्का से आते समय शुरु में मिलता है जिसे जुमराए कुबरा उक़्बा कहते हैं दसवीं तारीख़ सूरज निकलने के बाद सात कंकरियां उस मीनारे प़र फेंके और लब्बैक कहना बन्द कर दें। (मुस्लिम मिश्कात 217)

कंकरियां फेंकते समय मिना को दायीं ओर और काबे को बायीं ओर करना चाहिए और हर कंकरी के साथ सात तकबीरे कहें हर कंकरी फेंकते

समय कहें--

"अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अजअलहु हज्जम मबरुरु व ज़म्बन मग़फूरा०"

अब लब्बैक कहना छोड़ दें और नमाज़ के बाद कभी-कभी तकबीर कहा करें। इसके अलावा इस दिन हजरे असवद के अलावा कहीं कंकरिया न फेंके और कुरबानी शुरु कर दें। कुरबानी के बाद मर्द सर मुंडवाएं या बाल कतरवाएं और औरतें भी थोड़े सर के बाल कतरवा डालें इसे हलाल होना कहते हैं (बुखारी, मुस्लिम मिश्कात 217-222)

अब हाजी को वे चीज़ें जो हराम की गयी थी सिवाए औरत के हलाल हो गयी। एहराम के कपड़े उतारकर गुस्ल करके अपना लिबास पहने फिर बैतुल्लाह में जाकर फ़र्ज़ तवाफ़ करें। इस तवाफ़ को तवाफ़े सदर भी कहते हैं यह हज का आखिरी रुकन है । जब यह तवाफ़ हो गया तो हज के कुल अर्कान पूरे हो गए बीवी भी हलाल हो गयी। कुरआन के अलावा और हज करने वाले सअी सफ़ा व मर्वा करे फिर ज़मज़म के कुएं का पानी पिएं और इसी दिन मिना में वापस आ जाएं और जुहर की नमाज़ पढ़े। मिना में तीन दिन रात ठहरना शर्त है। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 222)

11वीं तारीख़ ज़वाल के बाद जुमरतुल उक़बा को सात कंकरियां मारे फिर हटकर ज़मीन के बराबर जितनी हो सके विनम्रता के साथ दुआ मांगे फिर दूसरे बीच वाले जुमरे को सात कंकरियां मारे और इसी तरह जो चाहें दुआ करें फिर तीसरे जुमरे को कंकरियां मारें और वहां न ठहरें और जहां चाहें ठहर जाएं। इसी तरह 12वीं तारीख़ को तीनों जुमरों पर ज़वाल के बन्द कंकरियां मारें और और हर कंकरी के बाद तकबीर कहे।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 222-226)

इसी तरह तेरहवीं तारीख़ को कंकरियां मारकर मक्का आ जाएं तो

बेहतर है और यदि 12वीं ही को मारकर आ जाएंगे तो भी कुछ हरज नहीं यह भी साबित है। 70 कंकरियां 12वीं तारीख तक मारी जानी चाहिए तेरहवीं तक पूरी करें यह मर्जी की बात है यदि 12 जिलहिज्जा को मक्का वापस आना है तो 13 की भी 12 ही को मार दी जाएं। (मोता इमाम मालिक)

मिना की अच्छी तरकीब यही है जो ऊपर लिखी गयी है हाजी यदि कुरबानी से पहले सर मुंडवाए या कंकरियां मारने से पहले कुरबानी करे या शाम होने के बाद कंकरियां मारे तो कुछ हरज नहीं। आगे पीछे जिस तरह याद आ जाए अमल करे कोई हरज नहीं और कफ़्फ़ारा भी नहीं आता हाजियों पर हज में न ईदुल अज़हा की नमाज़ है और न ही ईदुल अज़हा का खुत्बा है और यदि कुरबानी की हैसियत न हो तो रोज़ा रख लें दस दिन। तीन रोज़े तो 7वें 8वें नवीं को और शेष 7 रोज़े मक्का में आकर या घर को लौटने के बाद। (मुस्लिम मिश्कात-217-218-225)

हाजी जब चाहे मक्का में रहे जब घर जाने का इरादा हो या मदीने की हाज़िरी का इरादा हो तो आख़री तवाफ़ कर लें। इस तवाफ को तवाफ़े विदा कहते हैं मसिक धर्म वाली औरतों को यह तवाफ़ माफ़ है यदि काफ़ले वाले अपने शहर वापस आ रहे हैं। इस तवाफ़ में सआी करना साबित नहीं हैं और न इस तवाफ़ में दौड़ना है। (बुखारी मिश्कात 222)

यह हाल हज तमत्तोअ का बयान हुआ और यदि हज अफ़राद की नीयत करें तो शुरू एहराम बांधने की जगह से हज का एहराम बांधे और "लब्बैक बिल हज्ज" पुकारें। फिर मक्का में दाखिल हो कर तवाफ़ व सफा मर्वा की सआी करे। अफ़राद वालों पर केवल एक बार तवाफ़ व सआी ज़रूरी है दूसरा तवाफ़ ज़रूरी नहीं न उस पर कुरबानी है।

(बुखारी मिश्कात, मुस्लिम मिश्कात)

हजे क़िरान की बिल्कुज यही सूरत है जैसे हजे अफ़राद की । केवल

इतना फ़र्क है कि अफ़राद वाले को कुरबानी ज़रूरी नहीं और मक़िरान वाले को एहराम बांधने के लिए कुरबानी अपने साथ लानी चाहिए क्योंकि यह रूक्न लाज़िमी हैं। यदि कुरबानी की ताक़त न हो तो तमत्तोअ की नीयत कर ले। हज क़िरान में उमरा व हज दोनों की नीयत करें क्योंकि क़िरान में उमरे के सब काम दाखिल हैं। (मुस्लिम मिश्कात 216-218)

यदि स्वयं हज को न जाए तो कुरबानी के जानवर बैतुल्लाह को भेज दे कुरबानी के ऊंटों के कोहान दायीं ओर से चीरना सुन्नत है। ऊंटों के गले में जुतियों के हार और बकरे आदि के यों ही रस्सी बांट कर हार डालना भी सुन्नत है जिस जानवर के गले में हार डाला जाता है उसे "मुक़ल्लद" कहते हैं। नबी सल्ल. ने सहाबा से फ़रमाया था। कि जो कोई तुम में से रास्ते में थक जाए वह अपने कुरबानी के ऊंट पर सवार हो जाए। औरतों के वास्ते हज जिहाद है।

(मुस्लिम मिश्कात-223-216-217-223, बुखारी मुस्लिम)

और फ़रमाया कि हज और उमरा करने वाले खुदा के मेहमान हैं और फ़रमाया-हाजियों से उनके घर पहुंचने से पहले मग़फ़िरत की दुआ मंगवाया करो क्योंकि उनके गुनाह बख्शे गए हैं। और उनकी दुआ मक़बूल है। हज करके आदमी ऐसा पाक हो जाता है जैसे मां के पेट से पैदा हुआ हो। और फ़रमाया की एक उमरे से दूसरे उमरे तक कफ़्फ़ारा है बीच के गुनाहों का। जो आदमी रमज़ान में उमरा करे उसे हज का सवाब मिलता है। नाबालिग़ बच्चों के हज का सवाब उनके मां बाप को मिलता है।

(बुखारी मिश्कात, मुस्लिम मिश्कात-216-220)

जो आदमी रमज़ान शरीफ़ में बैतुल्लाह में रोज़े रखे और रात को इबादत करे तो लाख महीनों की इबादत और रोज़ों का सवाब होगा। रूकने यमानी को हाथ लगाने और हजरे असवद को बोसा देने से गुनाह दूर हो जाते

हैं वहां पर दुआ करने से 70 फ़रिश्ते आमीन कहते हैं हजरे असवद उनके ईमान की गवाही देगा और क़ियामत के दिन शिफ़ाअत करेगा।

(इब्ने माजा मिश्कात 219)

हज़रत उमर रज़ि ने हजरे असवद को बोसा दिया देते समय फ़रमाया कि मैं जानता हूं कि तू एक काला पत्थर है यदि नबी सल्ल० तुझे बोसा न देते तो मैं भी तुझे बोसा न देता न तू लाभ पहुंचा सकता है न नुक़सान।

(बुखारी मिश्कात, मुस्लिम मिश्कात)

फ़ायदा– मुसलमानों को नबी सल्ल० के आज्ञापालन में लाभ है चाहे वह किसी काम में हो। मुश्रिक हर तरह महरूम हैं उन्हें किसी बात में लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए मगर तोबा के बाद उनके लिए भी आशा हो सकती हैं।

नबी सल्ल० ने एहराम बांधने की सीमाएं निर्धारित फ़रमा दी हैं 1- मदीने वालों के लिए जुलहलीफ़ा 2- शाम वालों के लिए हजफ़ा। 3- नजद वालों के लिए कर्न मनाज़िल 4- यमन और भारत व पाक़िस्तान वालों के लिए यलमलम और जो लोग इन सीमाओं से गुजरें उनके वास्ते भी यही जगह है और जो लोग इन मीक़ांतों के अन्दर रहते हैं वे अपने अपने घरों से एहराम बांध कर आएं और मक्का वाले हज का एहराम मक्का से उमरे का एहराम तनओम से बांधे या मक्का से बांध लें उसी समय उमरा सही होगा।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात)

3 – हज की दुआएं

रवानगी की दुआ

मुसाफ़िर को रवाना होते समय दो एकअतें पढ़नी चाहिए और यह

दुआ मांगनी चाहिए-

अल्लाहुम्मा अन्तस्साहिबु फ़िस्स-फ़-रि वल ख़लीफ़तु फ़िल अहली अल्लाहुम्मा इन्नी अउज़ुबिका मिव व अशां इस्स-फ़-रि व काबतिल मुनक़लबि व मिनल हवरि बाअदल कवरि व मिन दाअअवतिल मज़लूमि व मिन सूइल मनज़-रि फ़िल अहली वल मालि॰

(तिर्मिज़ी)

"ऐ अल्लाह तू ही सफ़र का साथी है और हमारे बाद घर वालों की देखभाल करने वाला। ऐ अल्लाह सफ़र की तकलीफ़ों और बुरी तरह लौटने से और लाभ के बाद नुक़सान से और मज़लूम की बद दुआ से और घर वालों की बुरी हालत देखने से मैं तेरी पनाह मांगता हूं।

रूख़्सत की दुआ

रूख़्सत करने वाले मुसाफ़िर को यह दुआ दें।

1- अस तव दिउल्लाहा दीन-का व मा अमा न-तका व ख़वा तीमा अ-म-लिका॰ (अबू दाऊद तिर्मिज़ी नसई)

"तेरे दीन तेरी अमानत अर्थात माल व घर वाले आदि और तेरा अंजाम खुदा की हिफ़ाज़त में देता हूं।

2- ज़व्व-दकल्लाहु ततक़वा व ग़-फ़-र- ज़म्बिका व यशरा लकल ख़यरा इयसु मा कुन्ता " (तिर्मिजी नसई)

"अल्लाह तक़वे को तेरे सफ़र का सामान बनाए और तेरे गुनाह बख़्श दे और तू कहीं भी हो तेरे लिए भलाई आसान कर दे"

3- ज़व्व-दकल्लाहुत्तक़वा व वजहका फ़िल ख़यरि वल हम्मा॰

(तिबरानी)

"अल्लाह तक़्वे को तेरा तोशा बनाए और भलाई की ओर मेरा रूख़ करे और चिंता से बचाए।"

रुख़्सत के बाद की दुआ

जब मुसाफ़िर रुख़्सत हो जाए तो उसके लिए यह दुआ करनी चाहिए।

अल्लाहुम्मा अतविलहुल बुअदा व हव्विना अलयहिस्स-फ़-र०

(बुख़ारी)

"ऐ अल्लाह उसके लिए सफ़र की दूरी घटा दे और उस पर सफ़र आसान कर दे।"

सवारी की दुआ

सवार होते समय मुसाफ़िर यह दुआ पढ़े।-

1- अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुबहा नल्लाहि सख़्ख़ा-र-लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून०

"अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है क्या ही पाक ज़ात जिसने उसे हमारे बस में किया वर्ना हम में यह ताक़त कहां थी कि उसे बस में कर लेते।

2- अल्लाहुम्मा हव्विन अलयना स-फ़-रना हाज़ा व अतवि अन्ना बुअदहु०

"ऐ अल्लाह हम पर हमारा यह सफ़र आसान कर और इसकी दूरी घटा दे।"

3- अल्लाहुम्मा अन्तस्साहिबु फ़िस्स-फ़-रि वलख़ली फ़तु

फ़िल अहलि०

"ऐ अल्लाह तू ही सफ़र का साथी है और तू ही घर बार की देख भाल करने वाला हैं।"

4- अल्लाहुम्मा इन्नी अउज़ुबिका मिव व असाई स्स-फ़-रि व काबतिल मनज़-रि व सूइल मनज़रि फ़िल अहली वल मालि० (नसई)

" ऐ अल्लाह मैं सफ़र की तकलीफ़ों से और बुरे मन्ज़र और घर बार व माल को बुरी हालत में देखने से तेरी पनाह मांगता हूं।"

किश्ती या जहाज़ पर सवार होने की दुआ

1- बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा व इन्ना रब्बी लग़ फ़ूरुर्रहीम० (सूरः हूद)

"अल्लाह के नाम से उसका चलना और ठहरना है बेशक मेरा परवरदिगार बख़्शने वाला मेहरबान है।

2- रब्बि अन्ज़िलनी मुन्ज़लन मुबारकन व अन्ता ख़यरुमुन्ज़िलीन० (सूरः मोमिनून)

"ऐ मेरे रब मुझे मुबारक जगह उतारना तू ही सबसे बेहतर उतारने वाला है।

आबादी को देखकर पढ़ने की दुआ

1- अल्लाहुम्मा रब्बुस्समावाति स्सबअी वमा अज़ललना व रब्बुल अर्ज़यनस्सबअी वमा अज़ललना व रब्बुशशयातीनी वमा अज़ललन व रब्बु र्रियाहि वमा ज़रीना नसूलका ख़यरा हाज़िहिल क़रयति व ख़यरा अहलिहा व ख़यरा मा फ़ीहा व नऊज़ुबिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा

फ़ीहा॰

"ऐ अल्लाह सातों आसमानों के और जो उनके बीच में है उसके परवरदिगार और ऐ सातों ज़मीनों और जो उनके ऊपर है उसके परवरदिगार और ऐ शैतानों के और जिनको उन्होंने बहकाया है उनके मालिक। और ऐ हवाओं के और जिसको उन्होंने बिखेरा है उसके परवरदिगार हम तुझसे इस बस्ती में जो भलाई है वह और उसके रहने वालों में भलाई है और जो कुछ उसके अन्दर है उसमें जो भलाई है मांगते हैं और इस बस्ती के शर से, उसके रहने वालों के शर से और जो कुछ इसमें है उसके शर से तेरी पनाह मांगते हैं।

2- अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा अल्लाहुम्मरज़ुकना जनाहा व हब्बिबना इला अहलिहा व हब्बिब सालिहि अहलिहा इलयना॰

"ऐ अल्लाह इस बस्ती में हमारे लिए ख़ैर व बरकत कर (तीन बार कहे) ऐ अल्लाह हमें उसके फल खिला और इसके रहने वालों को हमारी मुहब्बत दे और हमें यहां के नेक लोगों की मुहब्बत दे। (तिबरानी)

ठहरने की दुआ

सफ़र के दौरान जहां ठहरना हो वहां यह दुआ पढ़े-

अऊज़ू बिकलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़-ल-क़॰ **(मुस्लिम)**

"अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया उसके शर से अल्लाह के पूरे-पूरे कलिमों के साथ पनाह मांगता हूं।"

सुबह की दुआ

समिआ सामिउन बिहमदिल्लाहि व हुसनि बलाइहि अलयना

रब्बना साहिबना व अफ़्ज़िल अलयना बिल्लाहि मिनन्नार०

(मुस्लिम)

"खुदा की प्रशंसा और उसकी जो नेमतें हम पर हैं उनका बयान सुनने वाले ने सुन लिया। ऐ हमारे रब हमारी मदद कर और हम पर फ़ज़्ल कर। जहन्नुम से अल्लाह की पनाह मांगता हूं।"

शाम की दुआ

या अरज़ु रब्बी व रब्बुकल्लाहु अऊज़ुबिल्लाहि मिन शर्रिका व शर्रि मा फ़ीकी व शर्रि मा खुलिक़ा फ़ीकी व शर्रि मायदिब्बु अलयका व अऊज़ुबिल्लाहि मिन अ-स-दिन व असवदा व मिनल हय्यति वल अक़रबि० व मिन शर्रि सा किनिल ब-ल-दि व मिव्वालिदिन वमा व-ल-द० **(अबूदाऊद)**

"ऐ ज़मीन मेरा रब और तेरा रब एक ही अल्लाह है तेरे शर से और जो कुछ तुझ में है उसके शर से और जो कुछ तेरे अन्दर पैदा किया गया है उसके शर से और जो कुछ तुझ पर चलता है उसके शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूं और शेर, काले नाग और सांप बिच्छू के शर से और इस ज़मीन के रहने वालों के शर से और इब्लीस और उसकी औलाद से अल्लाह की पनाह मांगता हूं।

एहराम की दुआ

एहराम की नीयत से पहले दो रकअत नफ़ल पढ़े और उसके बाद अल्लाह की प्रशंसा व गान करे तकबीर कहे फिर हज या उमरा दोनों की नीयत करे और लब्बैक पढ़े।

लब्बैक

लब्बैक के शब्द मासोरा ये हैं-

1- लब्बयका-अल्लाहुम्मा लब्बयका लब्बयका ला शरीका लका लब्बयका इन्नल हमदा वन्नेमता लका वशशुक्रा लका ला शरीका लका (सिहाह सित्ता)

"मैं हाज़िर हूं ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूं तेरा कोई शरीक नहीं मैं हाज़िर हूं। बेशक प्रशंसा तेरे लिए ही है और नेमतें तेरी दी हुई हैं और शुक्र तेरा ही अदा करना चाहिए मेरा कोई शरीक नहीं।

2-लब्बयका-अल्लाहुम्मा लब्बयका लब्बयका ला शरीका लका इन्नल हम्दा वन्नेमता लका वलमुल्का ला शरीका लका। (सहीहीन)

"मैं हाज़िर हूं अल्लाह मैं हाज़िर हूं मैं हाज़िर हूं अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है मैं हाज़िर हूं बेशक प्रशंसा तेरे ही लिए है और नेमतें तेरी ही हैं और मुल्क भी तेरा ही है तेरा कोई शरीक नहीं।

3- लब्बयका इलाहलहक्क़ि लब्बयका०

"मैं हाज़िर हूं ऐ माबूद बर हक़ मैं हाज़िर हूं।"

चेतावनी- एहराम की हालत में लब्बयका बार-बार पढ़ता रहे और तकबीर भी करता रहे।

हरम की सीमा में दाखिले की दुआ

अल्लाहुम्मा हाज़ा ह-र-मुका व अमनु का फ़ हर्रिम लहमी व-द-मी व बशीरी अलन्नारी व आ मिन्नी अज़ाबका यवमा तबअसु इबादका वज अलनो मिन अवलियाइका न अहली ताअ-तिका०

"ऐ अल्लाह यह तेरा हरम है और अम्न की जगह है तो हराम कर दे मेरा गोश्त और खाल आग जहन्नुम पर और अम्न में रख मुझे अपने अज़ाब से जिस दिन अपने बन्दों को उठाएगा और कर दे मुझे अपने दोस्तों व आज्ञापालकों में।

मक्का शहर में दाखिल होने की दुआ

इसके लिए कोई खास दुआए मासोरा नहीं है अलबत्ता जो दुआएं आम शहरों में दाखिल होते समय आयी हैं वह पढ़नी चाहिए वे यह हैं-

1- अल्लाहुम्मफ़तह ली अबवाबा रहमतिका (मुस्लिम)

"ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।"

2- बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलुल्लाहि०

"अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूं और नबी सल्ल० पर दरूद भेजता हूं।"

3-रब्बिग़ फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़तह ली अबवाबा रहमतिका०
(तिर्मिज़ी व मुसनद अहमद)

"ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख़्श दे और अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे।

तवाफ़ की दुआएं

1- हजरे असवद के पास अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहना चाहिए (बुखारी शरीफ़)

2- रुक्ने यमानी के पास यह दुआ पढ़े-

बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर० अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल

अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरति॰
(इब्ने माजा व मुसनद अहमद)

"अल्लाह का नाम लेकर ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुनिया व आखिरत में माफ़ी और हर चीज़ से बचाव को तलब करता हूं।"

3- रुक्ने यमानी और हजरे असवद के बीच यह दुआ पढ़े-

रब्बना आतिना फ़िद दुनिया ह-स-न-तव वफ़िल आखिरति ह-स-न-तव वक़िना अज़ाबन्नार॰ (अबूदाऊद, हाकिम)

"ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई प्रदान कर और हमें आग के अज़ाब से बचा।"

4- तवाफ़ में ये दुआएं मासूरा हैं-

सुबहानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर॰ ला हवला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहि॰
(इब्ने माजा)

"अल्लाह की ज़ात पाक है और प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह की मदद के बिना हम में किसी काम की ताक़त नहीं।"

अल्लाहुम्मा क़न्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ीहि वख़लुफ़ अला कुल्ली ग़ासि बतिन ली बिग़यरिन (मुसतदरक)

"ऐ अल्लाह! तूने जो कुछ मुझे दिया है उसी पर मुझे क़िनाअत प्रदान कर और मेरे लिए इसमें बरकत इनायत कर और मेरी जो चीज़ें इस समय मेरे पास नहीं हैं उनकी अच्छी तरह देख भाल कर।

नोट:- तवाफ़ में इनके अलावा और कोई खास दुआ सही सनद से रिवायत नहीं है अतः कुरआन व हदीस की आम दुआओं में से जो चाहे पढ़े।

तवाफ़ की दो रकअतें

तवाफ़ की रकअतों में सूर: फ़ातिहा के बाद पहली रकअत में सूर: कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकअत में सूर: इख़्लास पढ़नी मसनून है।

मुलतज़िम

मुलतज़िम में दुआ मांगनी मसनून (मुस्लिम) मगर इसके लिए कोई खास दुआ वारिद नहीं है।

मक़ामे इब्राहीम

मक़ामें इब्राहीम के पास यह आयत तिलावत करके तवाफ़ की दो रकअतें पढ़नी मसनून हैं। (अबूदाऊद)

वत्तखिज़ू मिम्मक़ामि इब्राहीमा मुसल्ला (सूर: बक़रा)

और जिस मक़ाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहि० खड़े हुए थे इसको नमाज़ की जगह बना लो।

ज़मज़म पीने की दुआ

इसके लिए कोई दुआ नबी सल्ल० से तो साबित नहीं है मगर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ज़मज़म पीने के बाद यह दुआ पढ़ते थे।

अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इलमन नाफ़ि अव व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन लिकुल्ली दाइन०

"ऐ अल्लाह मैं तुझसे फ़ायदेमन्द इल्म और अधिक रिज़्क़ व हर बीमारी से शिफ़ा मांगता हूं। (मुस्तदरक)

काबा के अन्दर

काबे अन्दर दो रकअतें पढ़नी, दुआ मांगनी, तौबा इस्तग़फ़ार करनी, हर कोने में तकबीर व तसबीह प्रशंसा करनी मसनून है। (बुख़ारी)

हतीम

हतीम काबे का टुकड़ा है और वहां पर नमाज़ पढ़नी मसनून है। (बुख़ारी)

हरम से निकलने की दुआ

इसके लिए कोई ख़ास दुआ नहीं आयी है जो दुआएं कि आम मस्जिदों से निकलते समय आयी हैं वे पढ़नी चाहिए। वे यह हैं।

1- अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका
(मुस्लिम)

"ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरा फ़ज़्ल चाहता हूं।"

2- बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि०

रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबि व अफ़तह ली अबवाबा फ़ज़लिका० (तिर्मिज़ी व मुसनद अहमद)

"अल्लाह का नाम लेकर निकलता हूं और नबी सल्ल० पर दरूद भेजता हूं ऐ मेरे रब मेरे गुनाह माफ़ कर और मेरे लिए अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे।

सअी की दुआ

सअी शुरु करते समय यह दुआ पढ़े-

1-इन्नसफ़ा वल मर्वता मिन शआ इरिल्लाहि अबदाऊ बिमा बदा अल्लाहु बिहि॰

"बेशक सफ़ा और मर्वह अल्लाह की निशानियों में से हैं जिस चीज़ को अल्लाह ने पहले ज़िक्र किया है मैं भी उसी से शुरु करता हूं।"

2- सफ़ा व मर्वा पर हर फेरे में क़िब्ला रु खड़े होकर अल्लाह की हम्द व सना तस्बीह करनी और दुआ मांगनी मसनून है इसकी तरकीब यह है कि पहले तीन बार अल्लाहु अकबर कहे फिर यह पढ़े।

ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर॰

ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अन्जज़ा वाअदहु व न-स-र अबदहु व ह-ज़--मल अहज़ाबा वहदहु॰ (मुस्लिम)

"अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है कोई उसका शरीक नहीं मुल्क उसी का है और प्रशंसा उसी के लिए है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है उसने अपना वायदा पूरा किया और अपने बन्दे (मुहम्मद) की मदद की और अकेला सब लश्करों को हराया।

फिर जो चाहे दुआ मांगे। इसी तरह तीन बार करे।

3-सफ़ा व मर्वा के बीच कोई खास दुआ नबी सल्ल॰ से वारिद नहीं है अलबत्ता कुछ सहाबा जैसे हज़रत अली रज़ि॰ व हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि॰ से यह दुआ मन्कूल है।

"रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्तल अअज़्ज़ु वल अकरम॰"

ऐ अल्लाह! बख्श दे और रहम फ़रमा तू ही सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला और सबसे अधिक बुजुर्ग व बरतर है।

इसके अलावा कुरआन करीम और हदीस शरीफ़ की दुआओं में से जो जी चाहे पढ़े।

अशरह के दिन

पहली ज़िलहिज्जा से 10वीं ज़िलहिज्जा तक के बीच अशरह के दिन कहलाते हैं इनमें इबादते इलाही और नेक काम करने का बहुत बड़ा सवाब है। इन दिनों....

"सुबहानल्लाहि वलहम्दु लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर॰" अधिक संख्या में पढ़ना चाहिए। (बुखारी)

मिना से अरफ़ात जाते समय

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी सल्ल॰ के साथ मिना से अरफ़ात को चले तो हम में से कोई तो लब्बैक पढ़ रहा था और कोई अल्लाहु अकबर कह रहा था।

अरफ़ात की दुआएं और उनके पढ़ने की तरकीब अरफ़ात में जहां कहीं जगह मिले वही जगह काफ़ी है मगर बड़े-बड़े काले पत्थरों के पास खड़ा होना बेहतर है यहां क़िब्ले रू खड़े होना बेहतर है खड़े होकर सीने तक हाथ उठाकर यों दुआ शुरु करें। पहले 100 बार...

ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुलहम्दु योहयि व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर॰

फिर 100 बार...

"क़ुल हुवल्लाहु अ-ह-द" फिर 100 बार...

अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा

इन्नका हमीदुम मजीदुन व अलयना म-अ हुम०

इसके बाद जो चाहें अल्लाह से दुआ मांगे। गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें। क़ियामत की भयावह स्थिति से और अल्लाह के प्रकोप से पनाह मांगे। दुआ में तुक बन्दी उचित नहीं। अपनी-अपनी ज़बान के सीधे सादे शब्दों में चुपके-चुपके दुआ मांगे। हज का असल मक़सद मानो यही काम है इसलिए जितना संभव हो सके दिल की गहराई से अल्लाह के दरबार में अपनी हाजितें पेश करें।

अरफ़ात में और भी दुआएं पढ़ने की हैं जिनका ज़िक्र हदीस शरीफ़ में आया है उनमें से कुछ लिखी जाती हैं।

1- अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्दु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहु लहुलमुल्कु व लहुल हम्दु अल्लाहुम्मजअलहु हज्जम मबरूर व ज़म्बम मग़फ़ूरा०

2- लब्बयका अल्लाहुम्मा लब्बयका इन्नमल ख़यरु खयरुल आख़िरती रब्बना आतिना फ़िद दुनिया ह-स-न-तव वफ़िल आखिरति ह-स-न-तव वक़िना अज़ाबन्नार० शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा हुवा वलमलाइकतु व ऊलुल इल्मी क़ाइमन बिलक़िस्ति०

3-रब्बना ला तुवा ख़िज़ना इन्नसीना अव अख़ताना रब्बना वला तहमिल अलयना इसरन कमा हमलतुहु अलल्लज़ीना मिन क़बलिना० रब्बना वला तुहम्मिलना माला ताक़ता लना बिहि० वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मवलाना फ़न्सुरना अलल क़वमिल काफ़िरीन० रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाअदा इज़ हदयतना व हब लना मिल लदुनका रहमतन० इन्नका अन्तल वहाब० रब्बना इन्नका जामिउन्नासि लि-यवमिल ला रयबा फ़ीहि० इन्नल्लाहा ला

युख़्लि-फुलमी आद० रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर ल ना ज़ुनूना वक़िना अज़ाबन्नार०

4- रब्बि आऊज़ुबिका अन अस अलुका मा लय सा ली बिहि इल्मुव व अन्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ा-सिरीन० फ़ातिरिस्समावाति वल अर्ज़ी अन्ता वलिय्यि फ़िद-दुनिया वल आख़िरति तुवफ़फ़नी मुस्लिमन वलहिक़नी बिस्सालिहीन० अन्ता रब्बी ल समीउददुआई रब्बिज अलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआई० रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदय्या व लिलमोमिनीना यवमा यक़ूमुल हिसाब० रब्बना आतिना मिन्लदुनका रहमतव वहय्यि लना मिन अमरिना र-श-दा०

यदि मर्द औरत ऐसे अनपढ़ हों कि इस जगह कोई मसनून दुआ याद न हो तो वे केवल... **रब्बना आतिना फ़िद दुनिया ह-स-न-तव वफ़िल आखिरति ह-स-न-तव वक़िना अज़ाबन्नार०** पढ़ते रहें क्योंकि यह सब दुआ में शामिल है।

बेहतर तो यही है कि ज़वाल से पहले पेशाब पाखाना, खाने व पीने और अन्य ज़रूरतों से निमट जाना चाहिए और अरफ़ात में जाने के बाद फिर वहां की किसी हालत पर नज़र न डालनी चाहिए बल्कि अपनी दुआओं में अल्लाह से दिल लगाना चाहिए। हां पेशाब पाख़ाना करना और पानी लेना या किसी काम के लिए ज़रूरत से आना जाना सही है। अरफ़ात में मर्द को खड़े रहना चाहिए थक जाए तो बैठ जाए। औरत हर हालत में अरफ़ात के अन्दर जा सकती है यदि पाक न हो तो केवल दुआ पढ़े मगर दीनी किताबों व क़ुरआन को हाथ न लगाए ज़बानी पढ़ती रहे या बिना हाथ लगाए देखकर पढ़ती रहे जबले रहमत पर चढ़ना, उसकी सीमा में जाना और वहां नमाज़ पढ़ना और उसका तवाफ़ करना बिदअत है।

अरफ़ात से मुज़दलफ़ा को जाना

सूरज पूरी तरह अस्त होने के बाद अरफ़ात से बिना मग़रिब की नमाज़ पढ़े मुज़दलफ़ा को चलें। सूरज छिपने से पहले कूच करना सही नहीं है। रास्तें में ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर और लब्बयक कहते व दुआ करते हुए सुविधा के साथ चलें किसी को धक्का न दें और यातना न पहुंचाए।

मुज़दलफ़ा

मुज़दलफ़ा में अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। अल्लाह ने फ़रमाया है-

फ़इज़ा अफ़ज़तुम मिन अर फ़ातिन फ़ज़कुरुल्लाहा इन्दल मशअरिल हरामि वज़कुरुहु कमा हदाकुम व इन कुन्तुम मिन क़बलिहि लमिनज़्ज़ाल्लीन० (सूरः बक़रा)

“और जब तुम अरफ़ात से वापस हो तो मशअरल हराम के पास (अर्थात मुज़दलफ़ा में) अल्लाह का ज़िक्र करो और इस तरह ज़िक्र करो जिस तरह तुम को सिखाया है और इससे पहले तुम लोग गुमराहों में थे।

नबी सल्ल० रात को तो मग़रिब व इशा की नमाज़ पढ़ कर सो गए थे मगर सुबह के बाद से अच्छी तरह से रोशनी होने तक क़िब्ला रू खड़े होकर उसकी प्रशंसा, तकबीर व तस्बीह और दुआ करते रहते थे।

(मुस्लिम)

रमी जमार की दुआ

हर कंकरी के साथ या इसके बाद (दोनों रिवायतें हैं) अल्लाहु अक़बर

कहना चाहिए। रमी जमार से फ़ारिग़ होकर यह दुआ पढ़नी चाहिए-

अल्लाहुम्मा अज अलहु हज्जम मबरुरू व ज़म्बम मग़फूरा॰

"ऐ अल्लाह हमारे हज को मक़बूल कर और हमारे गुनाह माफ़ कर" नबी सल्ल॰ ने रमी जमार के बाद जुमरए ओला (पहले) और जुमरए वुसता (बीच वाले) के पास क़िब्ले रु खड़े होकर हाथ उठाकर देर तक दुआ मांगी थी मगर जुमरए उक़बा के पास नहीं ठहरे थे।

(बुखारी व मुस्लिम)

कुरबानी की दुआ

ज़िब्ह करते समय यह दुआ पढ़े-

बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर

"शुरु करता हूं अल्लाह के नाम से अल्लाह बहुत बड़ा है

(मुस्लिम)

नबी सल्ल॰ ने यह दुआ पढ़ी थी-

अल्लाहुम्मा तक़ब्बलू मिम्मुहम्मदिव व आलि मुहम्मदिव वमिन उम्मतिन मुहम्मद॰

"ऐ अल्लाह मुहम्मद और आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद की ओर से कुबूल फ़रमा॰

अत: मक़बूलियत की दुआ मांगनी भी मसनून है और जिस की ओर से कुरबानी है उसका ज़िक्र करना भी।

तशरीक़ के दिन

तशरीक़ के दिनों की बाबत अल्लाह ने फ़रमाया है-

वज़्कुरुल्लाहा फी अय्यामिम माअइदात०

"इन कुछ दिनों के अन्दर अल्लाह को याद करते रहो।"

हदीस शरीफ़ में आया है-

अय्यामुत तशरीकि़ अय्यामु अकलि व शुरबिन व ज़िक्रिल्लाहि तआला०

तशरीक़ के दिन खाने पीने और अल्लाह को याद करने के दिन हैं। (मुस्लिम)

अत: इन दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और खूब खाना पीना चाहिए। रोजा न रखना चाहिए।

मस्जिद नबवी की ज़ियारत व नबी सल्ल० की क़ब्र की ज़ियारत मस्जिदे नबवी के लिए सफ़र करना मसनून है और वहां पहुंचकर क़ब्र मुबारक की ज़ियारत करना सवाब है मदीना की आबादी को देखकर वही दुआ पढ़नी चाहिए जो मक्का में दाखिल होते समय पढ़ी थी। साथ ही यह दुआ भी पढ़े-

आई बूना ताइबू ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना० (मुस्लिम)

"हम लौटकर आने वाले तौबा करने वाले इबादत करने वाले अपने रब की प्रशंसा करने वाले हैं।

मस्जिद नबवी में दाखिल होते समय वही दुआ पढ़े जो आम मस्जिदों के लिए आयी है और जो कि हरम शरीफ़ मक्का के दाखिले के बयान में लिखी गयी है और दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े। मस्जिद नबवी से निकलते समय वही दुआ पढ़े जो आम मस्जिदां के लिए आयी हैं। मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ें पढ़ने वाला जहन्नुम व कपट से बच जाता है।

(मुसनद अहमद)

क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के समय सलाम और दरूद पढ़े। सलाम के बेहतरीन शब्द वही हैं जो हमें नबी सल्ल॰ ने नमाज़ में पढ़ने के लिए सिखाए हैं।

अस्सलामु अलयका अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व ब-र-कातुहु॰

ऐ नबी सल्ल॰ तुम पर सलाम व अल्लाह की रहमत और बरकतें हों।

और दरूद का बेहतरीन तरीक़ा यह है-

अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लयता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद॰

"ऐ अल्लाह! मुहम्मद और आले मुहम्मद पर रहमत नाज़िल फ़रमा जैसे कि इब्राहीम व आले इब्राहीम पर नाज़िल फ़रमायी है बेशक तू प्रशंसा योग्य और बुज़ुर्ग है।"

अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिव व अला आलि मुहम्मदिन कमा बाारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद॰

"ऐ अल्लाह! मुहम्मद व आले मुहम्मद पर बरकत नाज़िल फ़रमा जैसे इब्राहीम व आले इब्राहीम पर नाज़िल फ़रमायी। बेशक तू प्रशंसा योग्य और बुज़ुर्ग है।

इसके अलावा सही हदीसों में और जो दरूद शरीफ़ हैं वे भी पढ़े जा सकते हैं। शैखीन जलैलीन (हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर रज़ि॰) के मज़ारों पर भी वे दुआएं पढ़नी चाहिए जो सही हदीसों में कब्रों पर पढ़ने के

बारे में आयी हैं इनमें से एक दुआ यह है-

अस्सलाम आलयकुम या अहलद दियार मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इन्शा अल्लाहु बिकुम लाहिकून॰ तस अलुल्लाहा लना व लकुमुल अफ़ियता॰ (मुस्लिम)

"ऐ मोमिनों व मुस्लिमों क़ब्र वालों पर सलाम हम भी इन्शा अल्लाह तुम से मिलने वाले हैं हम अपने और तुम्हारे वास्ते अल्लाह की आफ़ियत मांगते हैं।

खास बकीअ वालों के लिए यह दुआ पढ़े-

अल्लाहुम्मग़फ़िर लिअहलि बक़ीअिल ग़रक़दि॰

(मुस्लिम)

"ऐ अल्लाह! बक़ीअ वालों को बख्श दे।

मस्जिदे क़ुबा

मस्जिदे कुबा में जाकर दो रकअतें पढ़ने का सवाब उमरे के बराबर है। (तिर्मिज़ी व नसई)

नबी सल्ल॰ हर हफ़्ते के दिन तशरीफ़ ले जाया करते थे मगर इसके लिए कोई खास दुआ नहीं आयी है। (बुखारी)

मस्जिद फ़तह

मस्जिद फ़तह में नबी सल्ल॰ ने तीन दिन लगातार दुआ मांगी थी और तीसरे दिम कुबूल हुई थी। हज़रत जाबिर रज़ि॰ भी वहां जाकर दुआ मांगते थे (मुसनद अहमद)

सफ़र की वापसी की दुआ

जब अपने वतन को वापस हो तो रास्ते में यह दुआ पढ़े-

अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुबहानल्लज़ी सर् ख-र-लना वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन० व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून०

"अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है क्या पाक ज़ात है जिसने सवारी को हमारे लिए बस में कर दिया है वर्ना हम में क़ाबू में लाने की ताक़त न थी और बेशक हम रब की ओर जाने वाले हैं।

अल्लाहुम्मा हव्विन अलयना स-फ़-रना हाज़ा व तविलना बादहु०

ऐ अल्लाह इस सफ़र को हम पर आसान कर औ र इसकी दूरी को आसान फ़रमा"

अल्लाहुम्मा अन्तस्साहिबु फ़िसस-फ़-रि वल खलीफ़तु फ़िल अहली०

"ऐ अल्लाह तू ही साथी है और हमारे बाद घर वालों की देखभाल करने वाला है।

अल्लाहुम्मा इन्नी आऊजुबिका मिव वाअसाई स्स-फ़रि व काबातिल मनेज़रि० व सूइल मुनक़लिबि फ़िल मालि वल अहलि आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून० स-द-क़ल्लाहु वाअदहु व न-स-रा अबदहु व ह-ज़मल अहज़ाबा वहदहु०

(बुखारी व मुस्लिम)

"ऐ अल्लाह मैं सफ़र की तकलीफ़ और बुरे हाल और माल व घर

वालों की बुरी हालत से तेरी पनाह मांगता हूं... प्रशंसा करने वाले हैं अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और अपने मुहम्मद (बन्दे की) की मदद फ़रमायी और काफ़िरों के गिरोह को अकेल हराया।

अपना शहर देखकर

जब अपना शहर नज़र आए तो यह दुआ पढ़े-

आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून०

"हम लौटकर आए हैं अल्लाह के आगे तौबा करते हैं अपने रब की प्रशंसा करने वाले हैं।

अपने शहर में दाखिल होकर

जब अपने शहर में दाखिल हो तो मस्जिद में जाकर दो रकअतें पढ़ें।

(मुस्तदरक हाकिम)

अपने घर में दाखिल होकर

जब अपने घर में दाखिल हो तो यह दुआ पढ़े-

अवबन अवबन लिरब्बिना तवबन ला युग़ादिर अलयनाहवबन०

"हम लौट कर आए हैं अल्लाह के आगे तौबा करते हैं वे हमारे सब गुनाह माफ़ फ़रमाएगा।

हाजी के स्वागत की दुआ

हाजी से जो लोग मिलने आएं वे उसे यह दुआ दें-

क़बिलल्लाहु हज्ज-का व ग़-फ़-र ज़म्ब-का व अख़ ल-फ़ा

नफ़ क़-त-का (मुसतदरक हाकिम)

"अल्लाह तेरा हज कुबूल करे और तेरे गुनाह बख्श दे वह तेरे खर्च का बदला प्रदान करेगा।

हाजी का जवाब

हाजी उनसे क्या कहे? यह किसी हदीस में मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। मगर हदीस शरीफ़ में आया है कि हाजी जिसके लिए मग़फ़िरत मांगे वह बख्शा जाता है। इसलिए हाजी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत आदि दिल लगाकर करे।

सफ़र के समापन की दुआ

जब सफ़र खत्म हो जाए तो यह दुआ पढ़नी चाहिए।

अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिहि व जलालिहि तुतिम्मुस्सालिहात॰ **(मुसतदरक हाकिम)**

"अल्लाह का शुक्र है जिसकी इज़्ज़त व जलाल की बदौलत अच्छे काम अंजाम पा जाते हैं।

4-मदीने की श्रेष्ठता

अज्ञानता के ज़माने में इस शहर का नाम यसरब था इस्लाम के ज़माने में इसका नाम मदीना रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहि॰ की दुआ से अल्लाह ने मक्का में हर प्रकार की बरकत प्रदान की। हुजूर की दुआ से अल्लाह ने मदीना तय्यिबा में बरकत प्रदान की। जिस तरह से मक्का के जंगल आदि हरम हैं। इसी तरह मदीना और उसके आस-पास की ज़मीन हरम है। मदीने और उसके जगल आदि में शिकार करना ठीक नहीं है न वहां के पेड़ व घास आदि को काटना जायज़ है जो आदमी मदीना के पेड़ों को काटते हुए पकड़ा जाए

उसके कपड़े आदि छीन लेना चाहिए।

सही बुखारी शरीफ़ में है कि नबी सल्ल० फ़रमाते हैं जिस आदमी ने मदीने में कोई बिदअत निकाली या किसी बिदअती को अपने मकान में जगह दी उस पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की और सारे इन्सानों की ओर से लानत पड़े। ऐसे आदमी की न इबादत कुबूल होती है न इबादत फ़र्ज़। एक हदीस में है जो मोमिन मदीने की मुहब्बत से वहां की तकलीफ़ों को सहन कर ले। मैं क़ियामत के दिन उसके हक़ में सिफ़ारिश करूंगा और उसके नेक होने की गवाही दूंगा।

सही बुखारी व मुस्लिम में है नबी सल्ल० फ़रमाते हैं कि काने दज्जाल का जिस समय आगमन होगा सारी दुनिया में वह ग़ालिब आकर लोगों को तरह-तरह की तकलीफ़ें देगा मगर मक्का व मदीने में दाखिल न हो सकेगा। मदीने तय्यिबा के इर्द-गिर्द शहर पनाह होगी और उसके सात दरवाज़े होंगे। हर दरवाज़े पर अल्लाह के फ़रिश्ते पहरा लगाए होंगे। मदीना में नबी सल्ल० की मस्जिद मुबारक है उसे मस्जिदे नबवी कहते हैं। इस मस्जिद की नीयत से इधर का सफ़र करना सवाब का काम है। मस्जिदे नबवी में एक रकअत का सवाब पचास हज़ार रकअतों के बराबर है। इसी से मिली हुई नबी सल्ल० की क़ब्र मुबारक है। क़ब्र के पास आप पर अधिक संख्या में दरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिए। आपके बराबर में आपके साथी हज़रत अबू बक्र रज़ि० और हज़रत उमर रज़ि० दफ़्न हैं इन दोनों के हक़ में खूब दुआ करनी चाहिए। क़ब्र की दीवारों या जालियों आदि का छूना या बोसा लेना जायज़ है। क़ब्र मुबारक की पूजा न की जाए। नबी सल्ल० ने अपनी आखिरी उम्र में अल्लाह से दुआ की है-

अल्लाहुम्मा ला तजअल क़बरी ईदन अल्लाहुम्मा ला तजअल क़बरी व स-नन०

"ऐ अल्लाह मेरी क़ब्र पर न कभी मेला लगे न उसकी पूजा पाठ की जाए।"

जिसकी हैसियत हो उसपर एक बार उम्र भर में हज करना फ़र्ज़ है। जो आदमी इसके बावजूद हज न करेगा और बिना हज के मरेगा उसकी मौत यहूदी व ईसाइयों की तरह होगी हां मदीने जाना फ़र्ज़ नहीं है। मस्जिदे नबवी की नीयत से मदीने जाना केवल सुन्नत है। हर सुन्नत की पैरवी मोमिन का शेवा है ईमानदारी की मौत मक्का या मदीना में खुश नसीबी व मग़फ़िरत का सबब है।

एक हदीस में है हुज़ूर सल्ल० फ़रमाते हैं कि क़ियामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी क़ब्र से उठूंगा इसके बाद मदीना शरीफ़ के मोमिन अपनी क़ब्रों से उठेंगे। फिर मक्का वाले अपनी क़ब्रों से निकल कर मदीने की ओर आएंगे। फिर हम सब मिलकर हश्र के मैदान में आएंगे।

अल्लाह हर मुसलमान को बैतुल्लाह के हज की सआदत और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करा दे और ईमान पर ख़ात्मा करे।

इस्लामी महीने

गुण और उनके एहकाम

1-मुहर्रम

हदीस शरीफ़ में है सबसे अफ़ज़ल रोज़ा रमज़ान के बाद मुहर्रम के महीने का है और अफ़ज़ल नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तहज्जुद की नमाज़ है (मुस्लिम)

एक रिवायत में है मुहर्रम में रोज़ा रखो। अल्लाह ने पिछली क़ौमों के गुनाह इस महीने में बखशे हैं और आगे भी अल्लाह कई क़ौमों के गुनाह बख्शेगाा। (मुसनद अहमद तिर्मिज़ी)

हज़रत मूसा अलैहि० और उनकी क़ाम को जिसकी संख्या छ लाख थी इसी मुबारक महीने की दसवीं तारीख़ को फ़िरऔन की गुलामी से नजात मिली थी और फ़िरऔन व उसकी लाखों सेना मिस्र के दरिया में इसी दिन डुबो दी गया थी। हज़रत मूसा अलैहि० ने इसी दिन शुक्राने का रोज़ा रखा था। नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया- हम भी हज़रत मूसा अलैहि० की इक़्तदा में रोज़ा रखेंगे (बुखारी) चुनांचे आप और सहाबा किराम 10 वीं मुहर्रम को बराबर रोज़ा रखा करते थे। एक रिवायत में है कि 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखो और 10 का भी ताकि यहूदियों के ख़िलाफ़ हो जाए।

10वीं मुहर्रम के दिन को आशूरा का रोज़ा कहते हैं इस दिन के रोज़े का इतना सवाब है कि उसकी वजह से एक साल के गुनाह माफ़ किए जाते

हैं अफ़सोस इस ज़माने के नाम के मुसलमान इस मुबारक महीने में रस्मे ताज़ियादारी करते हैं जो सरासर शिर्क व बुतपरस्ती है ताज़िए का सबूत न कुरआन में है न हदीस में और किसी इमाम ने भी इसके लिए कोई फ़तवा नहीं दिया है। यह खुली बुत परस्ती है अल्लाह इस प्रकार के नाम के मुसलमानों को समझ दे। (आमीन)

जो आदमी आशूरे के दिन अपने घर वालों पर खाने-पीने में खुले दिल से काम ले अर्थात अच्छा खिलाए पिलाए अल्लाह उसके घर साल भर रोज़ी में बरकत देगा (तर्ग़ीब) लेकिन यह रिवायत बड़ी ही कमज़ोर है।

2- सफ़र

इस महीने की कोई खास विशेषता कुरआन व हदीस में नहीं आयी है और न कोई खास इबादत इस महीने में है हां, नबी सल्ल० हर महीने की 13, 14, 15 तारीख़ों में रोज़ा रखते थे इस वजह से इन तारीख़ों का रोज़ा रखना मसनून है। आज कल बिदअती इस महीने तेरा तेजी मनाते हैं और शादी विवाह करने को अशुभ समझते हैं और आखिरी बुद्ध मनाते हैं और चने को उबाल कर खाने और बांटने को सवाब जानते हैं ये चीज़ें बिदअत हैं और नबी सल्ल० को बिदअत से बड़ी नफ़रत है इसलिए इनसे बचना ज़रूरी है।

3- रबीउल अव्वल

यह महीना नबी सल्ल० की विलादत शरीफ़ का है इस महीने की भी कोई खास विशेषता कुरआन व हदीस में नहीं आयी। आजकल मुसलमान इस महीने में मीलाद अधिक कराते हैं यद्यपि प्रचलित मीलाद के बारे में कुरआन व हदीस ख़ामोश हैं मीलाद में जो रिवायतें बयान की जाती हैं वे अधिकांश झूठी होती हैं। उलेमाए एहनाफ़ ने अपनी बहुत सी किताबों में इसे बिदअत बताया है। हदीस में हर नयी बात जो कि दीन में निकाली जाए वह बिदअत है और

बिदअती का ठिकाना जहन्नुम है। इसी महीने में हुज़ूर सल्ल० की विलादत हुई है और इसी महीने में आपकी वफ़ात हुई है।

4- रबी उस्सानी

इस महीने की प्रशंसा में कोई आयत या हदीस नहीं है। नबी सल्ल० हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ को नफ़्ली रोज़े रखते थे इस वजह से यदि इस महीने की इन तारीख़ों में रोज़े रखे जाएं तो अफ़ज़ल है।

5-जमादिल अव्वल व 6-जमादिस्सानी

इन दोनों महीनों के बारे में कोई खास रियायत व महानता किताब व सुन्नत में नहीं आयी हां हुज़ूर सल्ल० का दस्तूर था कि हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ को रोज़ा रखते थे इस ख्याल से हर दोनों महीनों की इन तारीख़ों में रोज़े रखना सवाब है

7- रजब

कुरआन में चार महीनों को शहरुल हराम कहा गया है-

क़ालल्लाहु तआला अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हराम०

वे चार महीने ये हैं 2-ज़ीकाअद 2-ज़िलहिज्जा 3-मुहर्रम 4-रजब

अज्ञानता के ज़माने में अरब के लोग इन महीनों की बड़ी महानता व सम्मान करते थे यहां तक कि उनके बाप दादा का क़ातिल भी इन दिनों मिल जाता तो उसे भी नहीं छेड़ते थे। कुरआन मजीद में इन महीनों की हुरमत को क़ायम रखा है। मुसलमान इन महीनों में बचाव की जंग कर सकते हैं यदि काफ़िर सुकून से हों तो इन महीनों में उन पर चढ़ाई नहीं की जा सकती।

रजब की 27वीं रात को हुज़ूर सल्ल० को मेराज हुई थी इसी रात

में आप पर और आपकी उम्मत पर पचास नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी लेकिन हज़रत मूसा अलैहि० के नेक मश्विरों और हुजूर सल्ल० की बार-बार दुआओं से पचास की बजाए केवल पांच नमाज़ें रह गयीं (बुखारी)

आजकल के रस्मी मुसलमान इस महीने में रजबी बड़ी धूमधाम से करते हैं यद्यपि हदीस में इसकी साफ़ हुरमत मौजूद है। (अबूदाऊद)

ला अतीरह अर्थात रजबी नहीं करनी चाहिए। अतीरह की टीका रजबियह हदीस में आयी है यद्यपि आजकल की रजबी और अज्ञानता की रजबी में थोड़ा फ़र्क़ है लेकिन मतलब दोनों का एक ही है।

इस महीने में लोग हज़ारी, लक्खी, करोड़ी रोज़ा रखते हैं। इन रोज़ों का पता व निशान कुरआन व हदीस व फ़िक्ह की किताब में नहीं पाया जाता। ये रोज़े केवल बन्दों के गढ़े हुए हैं ऐसे बिदअतियों से मुसलमानों को कोसों दूर भागना चाहिए।

बिदअतियों को हुजूर सल्ल० महशर के दिन देखकर फ़रमाएंगे... .."सु-हु-क़न- सुहुक़न" अर्थात बिदअतियों को मुझसे दूर रखो जहन्नुम में ले जाओ। (बुखारी)

8- शाअबान

इस मुबारक महीने में नबी करीम सल्ल० ज़्यादा तर रोज़े रखते थे सहाबा किराम ने आपसे इसकी वजह मालूम की आपने फ़रमाया कि इस महीने में बन्दों के अमल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं अत: मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल रोज़े की हालत में पेश हों। (नसई)

नबी सल्ल० किसी महीने में नफ़्ली रोज़े इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं रखते थे जितनी अधिकता से शाअबान में रखते थे। (बुखारी)

एक आदमी से नबी करीम सल्ल० रमज़ान शरीफ़ में पूछा क्या तुमने शाअबान के शुरु के या बीच में रोज़े रखे थे? उसने कहा- नहीं, आपने फ़रमाया रमज़ान शरीफ़ के बाद शाअबान के रोज़े की नीयत करके दो रोज़े रख लेना। (बुखारी)

हज़रत अली रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया-"शाअबान की पन्द्रहवीं रात को क़याम करो अर्थात तहज्जुद पढ़ो और दिन को रोज़ा रखो इस रात अल्लाह सूरज डूबते ही आसमाने दुनिया पर आ जाता है और कहता है कि कोई बन्दा है जो मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे? और मैं उसे माफ़ करूं कोई है जो मुझसे रिज़्क़ मांगे? और उसे मैं रिज़्क़ दूं कोई मुसीबत का शिकार है जो मुझसे मुसीबत के दूर करने की दरख्वास्त करे और मैं उसकी मुसीबत दूर करूं? (इब्ने माजा)

इस रात अल्लाह प्राय: गुनाहगारों को बख्शता है मगर कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि उनकी मग़फ़िरत इस रात में नहीं होती वे लोग हैं- 1-मुश्रिक 2-कीना रखने वाले 3-रिश्ते काटने वाले 4-पाजामा या तहमद जिसका टखने से नीचा हो 5-मां-बाप का अवज्ञाकारी 6- हमेशा शराब पीने वाला।

अफ़सोस ऐसे मुबारक महीने को मुसलमान खेल तमाशों और आतिश बाज़ी में गुज़ार देते हैं हलवे मांडे की बेकार रस्म में पड़ गए जिनका शरीअत में कोई सबूत नहीं है। बिदअतियों ने हलवा खाने के लिए फ़र्ज़ी तौर पर एक झूठा क़िस्सा गढ़ रखा है कि हज़रत हमज़ा रज़ि० के दांत शहीद हो गए थे इसलिए उनके वास्ते हलवा पकाया गया था।

9-रमज़ानुल मुबारक

कुरआन पाक और हदीसे नबवी में रमज़ानुलमुबारक के बड़े फ़ज़ाइल व एहकाम आए हैं जिन्हें इस किताब के पिछले पन्नों में किताबुस्सोम के तहत

पेश कर चुके हैं अल्लाह हम सबको इस महीने की रहमतों और बरकतों से लाभ उठाने की तौफ़ीक़ प्रदान करे।

10- शव्वाल

रमज़ान के रोज़ों व ईद से निमट कर इस महीने में छः रोज़े रखने मसनून हैं इन्हें 'छः ईद' के रोज़े कहते हैं जो आदमी ये रोज़े रखते हों वह गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुए हैं (तिबरानी)

एक रिवायत में है जिसने रमज़ान के बाद छः रोज़े रखे तो उसे सारे ज़मानों के रोज़ों का सवाब मिलता है (मुस्लिम)

अज्ञानता के ज़माने के लोग इस महीने में शादी विवाह करने को बुरा समझते थे नबी सल्ल० ने इस रस्म को तोड़ने के लिए हज़रत आयशा रज़ि० से इसी महीने में शादी की थी। हज़रत आयशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं सारी पत्नियों से भाग्यवान और नसीब वाली हूं। यदि शव्वाल के महीने में शादी व रुख़सती की जाए तो अफ़ज़ल है।

11- ज़ीक़ाअदा

शव्वाल व ज़ीक़ाअदा व ज़िलहिज्जा की दस तारीख़े हज के महीने कहलाते हैं। हज तो ज़िलहिज्जा की नवीं तारीख को होता है मगर हज का एहराम इन महीनों में बंध सकता है नबी करीम सल्ल० ने प्रायः उमरा ज़ीक़ाअदा के महीने में किया है आप का उमरा साल हुदैबिया का और उमरातुलक़ज़ा ज़ीकाअदा ही में हुआ था।

12- ज़िलहिज्जा

हज जैसी पवित्र व अहम इबादत अल्लाह ने इसी महीने में रखी है

इस महीने की खूबी हदीसों में बड़ी कसरत से आयी है पहले हिस्से की खूबियां तो हदीसों में बेहद हैं एक रिवायत में है कि जो नेक अमल भी इस हिस्से में किया जाएगा चाहे बड़ा हो या छोटा बड़ा ही प्यारा मालूम होता है और दिनों के अमल इन दिनों के बराबर नहीं हो सकते इस पर सहाबा ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इन दिनों के जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह (अल्लाह की राह में जिहाद) उनके अमल के बराबर नहीं हो सकते? फ़रमाया नहीं मगर वह मुजाहिद कि खुदा की राह में मारा गया और माल छिन गया।

(बुखारी)

एक रिवायत में है कि इस अशरे का रोज़ा इतनी महानता रखता है कि हर रोज़े पर एक साल के रोज़ों का सवाब मिलता है और रात की इबादत हज़ार रातों की इबादत की तरह है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

जिस दिन ज़िलहिज्जा का चांद हो तो उस दिन से 13 ज़िलहिज्जा तक अधिकता से तस्बीह आदि पढ़ना चाहिए। (बुखारी)

एक रिवायत में है कि इस अशरे में सुब्हानल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अधिकता से पढ़ा करो।

नवीं ज़िलहिज्जा के दिन को "यवमे अरफ़ा" कहते हैं अल्लाह इस दिन अपने बन्दों को इतना बख्शता है कि शैतान ज़लील होकर अपने सर पर खाक डालने लगता है। (तर्ग़ीब)

अरफ़े का दिन का रोज़ा रखना चाहिए अरफ़े के रोज़े का इतना सवाब मिलता है कि रोजे रखने वाले के एक साल पिछले और एक साल आगे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। (मुस्लिम)

किताबुन निकाह

1- निकाह का महत्व

निकाह करना सुन्नत है जो इसकी हैसियत रखने के बावजूद निकाह न करे वह नबी सल्ल० के तरीक़े पर नहीं है जो आदमी ज़िना से बचने के लिए निकाह करता है अल्लाह उसकी मदद करता है निकाह न करने से ज़मीन में दंगा फ़साद पैदा होता है निकाह करने से जितनी मियां-बीवी में मुहब्बत होती है और किसी में नहीं होंती। निकाह आधा दीन है मर्दो के लिए औरतों से बढ़कर कोई फ़ित्ना नहीं। (मिश्कात 268)

कुंवारी औरत से निकाह करना बेहतर है माल व सुन्दरता हसब नसब का ख्याल न करे बल्कि दीनदार औरत से निकाह करे। मुसलमान के लिए नेक औरत से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है जिस निकाह में कम खर्च हो उसमें बरकत ज़्यादा होती है। जिस औरत से निकाह करना चाहता है उसे एक बार देख ले क्योंकि एक बार देखने से मुहब्बत पैदा होगी। निकाह के समय औरत से इजाज़त लेना ज़रूरी है यदि कुंवारी है तो उसका चुप रहना काफ़ी है और विधवा को ज़बान से कहना चाहिए। बिना सरपरस्त के निकाह सही नहीं यदि कोई वली न हो तो हाकिम वली है एक आदमी के पैग़ाम के होते दूसरे को पैग़ाम देना मना है। (मिश्कात 262-266-269-268)

2- जिनसे निकाह जायज़ नहीं

निम्न औरतों से निकाह करना हराम है-

1-सौतेली मां, 2-सगी मां 3-बेटी 4-बहन 5-फूफी 6-खाला

7-भतीजी 8-भांजी 9-दूध वाली मां 10-सास 11-पत्नी की बेटी जो पहले पति से हो 12-सगे बेटे की पत्नी से और 13- दो सगी बहनों से एक साथ।

निकाह में बीवी और उसकी फूफी को जमा करना हराम है और इसी तरह बीवी व उसकी खाला का जमा करना भी हराम है। मुसलमान मर्द का निक़ाह मुश्रिका औरत से और मुसलमान औरत का मुश्रिक मर्द से हराम है। बेहतर है कि मुश्रिका के मुक़ाबले में मुसलमान लौंडी से निकाह करे इसी तरह ईमान वाली औरत गुलाम से निकाह करे मगर मुश्रिक मर्द से निकाह न करे। मगर मुसलमानों को यहूदियों व ईसाईयों की पाक दामन औरतों से निकाह करना जायज़ है। (मिश्कात, बुख़ारी, सूरः निसा)

3-मुताअ हराम है

निकाहे मुताअ एक प्रकार की ज़िना है। नबी सल्ल० ने इसके बारे में फ़रमाया है कि यह क़ियामत तक हराम है निकाह मुताअ यह है कि किसी औरत से निकाह करे एक निर्धारित रक़म पर निर्धारित अवधि तक। और हराम है हलाला अर्थात तलाक़ शुदा औरत का निकाह दूसरे आदमी से तलाक़ के इरादे से फिर अपने निकाह में लेना। और हराम है निकाह शग़ार का अर्थात किसी की बेटी या बहन से इस शर्त पर निकाह करना कि अपनी बेटी या बहन का बिना मेहर उसके साथ निकाह कर दे। उद्देश्य केवल शर्मगाह का तबादला हो। नेक आदमी का बदकार औरत से निकाह करना हराम है और नेक औरत का बदकार मर्द से निकाह हराम है।

4- खुतबए निकाह

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम०

अलहम्दु लिल्लाहि नहमदुहु व नसतओनुहु व नसतग़फ़िरूहु

व नूमिनु बिहि व न-तवक्कलु अलयहि व नऊजुबिल्लाहि मिन शुरुरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मय यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ला लहु वमय युज़लिलहु फ़ला हादिया लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अबदुहु वरसू-लुहु अरस-ल-हु बिलहक़्क़ि बशीरव व नज़ीरा॰ अम्मा बाअदु फ़इन्ना ख़यरल हदीसि किताबुल्लाहि व ख़यरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा व शर्रलउमूरि मोहदसातुहा व कुल्लू बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार॰

अऊजु बिल्लाहि मिनश्शयतानिर्रजीम॰ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम॰ या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लजी ख़-ल-क़-कुम मिन नफ़सिन वाहिदतिव व ख़-ल-क़ मिन्हा ज़वजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरव व निसाअन वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसा अलूना बिहि वलअरहामा॰ इन्नल्लाहा कान अलयकुम रक़ीबा॰ या अय्युहल्लज़ीना आमनूत्तकूल्लाहा व कूलू क़वलन शदीदा॰ युसलिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम जुनूबकुम व मय युतिअिल्लाहा व रसूलुहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़वज़न अज़ीमा॰ क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा अन्निकाहुमिन सुन्नति फ़मन रग़िबा अनसुन्नति फ़लयसा मिन्नी व क़ाला तज़ववजू अलवलूदल वदूदा फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उम-मा॰

5- निकाह का तरीक़ा और दुआएं

फिर जिसका निकाह करना है उसके सामने या बराबर में बैठकर पहले यह खुत्बा पढ़े इसके बाद उससे कहे कि अम्मा बाद फ़लां औरत फ़लां की बेटी का निकाह इतने मेहर में मैंने तुम्हारे साथ कर दिया तुमने क़ुबूल किया? वह जवाब देगा मैंने क़ुबूल किया। फिर दुआ करें और दुआ यह कहना

सुन्नत है-**बारकल्लाहु लकुमा व ज-म-आ बयना लिमा ख़ैर०**

निकाह के बाद जब बीवी घर में लाए तो उसकी पेशानी पकड़ कर यह दुआ पढ़े-

"अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन ख़यरिहा व खयरि मा जबलतहा अलयहि व आऊज़ुबिका मिन शर्रिहा व शर्रिमा जबलतहा अलयहि०"

और जब बिस्तर पर उसके साथ सम्भोग करे तो यह दुआ पढ़े..

बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निब्ना. अश्शयताना वजन्निबिश्शयताना मा रज़क़्तना०

और मेहर मुक़र्रर करना ज़रूरी है जहां तक हो सके मेहर कम हो और मेहर पहले अदा करना सुन्नत है।

6- जवान औलाद की शादी

जवान लड़के और लड़कियों का निकाह कर देना चाहिए। हदीस शरीफ़ में है यदि लड़की 12 बरस की हो गयी हो और उसका निकाह नहीं हुआ और उससे ज़िना हो गया तो उसका गुनाह बाप पर है इसी तरह जब लड़का बालिग़ हो जाए तो तुरन्त निकाह कर देना चाहिए वर्ना यदि ज़िना कर बैठा तो उसका गुनाह बाप पर होगा। (मिश्कात)

7-कई पत्नियों में न्याय

यदि एक से ज़्यादा पत्नियां हों तो उनके बीच न्याय व बारी मुक़र्रर करना वाजिब है। खिलाने पिलाने व रात गुज़ारने में इन्साफ़ करना वाजिब है मगर मुहब्बत की कमी ज़्यादती में कोई पकड़ नहीं है।

(मिश्कात 276)

यदि पहली पत्नी के होते हुए कुंवारी औरत से निकाह करे तो सात रात कुंवारी के पास रहे फिर बारी मुक़र्रर करे। और शादी शुदा औरत को कुंवारी पर करे तो तीन रात उसके पास रहकर बारी मुक़र्रर करे। यदि औरतों के साथ न्याय न करेगा तो क़ियामत के दिन इस हालत में अल्लाह के सामने लाया जाएगा कि उसका आधा धड़ गिरा होगा।

और औरत का मर्द पर यह हक़ है कि जो खाए वैसा ही खिलाए जैसा पहने वैसा ही पहनाए इसके मुंह पर न मारे बुरा न कहे नाराज़गी की सूरत में घर से बाहर न सोए यदि ज़रूरत पेश आए तो मामूली सी मार मारे। जबान दराज़ है तो तलाक़ दे दे। (तिर्मिज़ी मिश्कात 279)

औरत मर्द का लिबास न पहने और न मर्द औरत का लिबास पहने और न मर्द की समानता (मर्द जैसी) पैदा करे और न मर्द औरत जैसा बने। (मिश्कात 183)

8– तलाक़

बुरा हलाल अल्लाह के निकट तलाक़ है ज़मीन पर तलाक़ से अधिक कोई बुरी चीज़ नहीं। बे वजह तलाक़ देने से अल्लाह का अर्श हिल जाता है। मजबूरी की हालत में तलाक़ देना जायज़ है। तलाक़ देने का सुन्नत तरीक़ा यह है कि जब औरत मासिक धर्म से पाक हो जाए तो सोहबत (सम्भोग) से पहले एक तलाक़ दे। इसी तरह दूसरे तीसरे नम्बर पर जब इस तरह की तीन तलाक़ें दे दे तो वह औरत पति पर बिल्कुल हराम हो गयी मासिक धर्म की हालत में तलाक़ देनी जायज़ नहीं यदि दे दी तो पड़ जाएगी मगर लौटाना ज़रूरी होगा। (मिश्कात)

जब एक ही मज्लिस में तीन बार यों कहें कि मैंने तुझे तलाक़ दे दी तो एक ही तलाक़ पड़ेगी और दो तलाक़ें बेकार रहेंगी। जो लोग कहते हैं

कि एक साथ तीन तलाक़ें हो जाती हैं वे ग़लत कहते हैं फिर ऊपर से यह फ़तवा देते हैं कि वह औरत किसी और से निकाह करके एक रात उसको दे। फिर उससे तलाक़ लेकर पहले पति से निकाह करे..हुज़ूर ने ऐसे हलाला पर लानत फ़रमायी है। (मिश्कात 284)

ज़बरदस्ती तलाक़ दिलवाने से तलाक़ नहीं होती। पागल यदि तलाक़ दे तो उसकी तलाक़ पागलपन में नहीं पड़ेगी। इसी तरह नींद की हालत में तलाक़ देने से सही न होगी। (बुख़ारी)

यदि कोई बीवी को यों कहे तू मुझ पर हराम है तो इस कलिमे से तलाक़ नहीं पड़ेगी लेकिन कफ़्फ़ारा देना ज़रूरी होगा। कफ़्फ़ारा यह है कि दस मिसकीनों को खाना खिलाए या दस मिसकीनों को कपड़ा पहना दे या एक गुलाम दे या एक गुलाम आज़ाद कर दे जो इन तीनों में से किसी एक की ताक़त न रखता हो वह तीन रोज़ा रखे।

9- खुलअ

खुलअ अर्थात औरत मेहर माफ़ कर दे और इसके बदले पति से तलाक़ ले ले जो औरत किसी शरई कारण से अपने पति से तलाक़ लेना चाहे तो वह अपने पति का लिया हुआ माल वापस देकर तलाक़ ले सकती है उसका पति उसे एक तलाक़ दे दे और औरत एक महीने तक इद्दत गुज़ार कर दूसरे से निकाह करे। इसकी इद्दत कुछ लोगों के निकट तीन मासिक धर्म है और अहले हदीस के निकट एक मासिक धर्म है। जो औरत बिला ज़रूरत अपने पति से तलाक़ मांगेगी उसको जन्नत की हवा भी नसीब न होगी यद्यपि जन्नत की हवा चलीस साल की दूरी से महकती है अकारण तलाक़ देने वाली औरतें कपटाचारी हैं। (नसई मिश्कात 184)

10-तलाक़ के बाद वापसी

यदि एक तलाक़ या दो तलाक़ दी हैं तो इद्दत के अन्दर पलटना सही है। निकाह की ज़रूरत नहीं यदि इद्दत खत्म हो गयी है तो दोबारा निकाह करने की ज़रूरत पड़ेगी और तलाक़ देते समय और पलटते समय केवल दो गवाह बना लें और यदि तीन तलाक़ें तीन बार में दी गयी हैं तो फिर मियां-बीवी में पूरी जुदाई हो गयी और वापस होने का अवसर और निकाह दोनों खत्म हो गए। (अबूदाऊद)

11- वफ़ात के बाद की इद्दत

जिस औरत का पति मर जाए वह चार महीने दस दिन इद्दत में रहे जिस औरत को उसके पति ने तलाक़ दी हो वह तीन मासिक धर्म की अवधि तक इद्दत में रहे और जिसे मासिक धर्म न होता हो अर्थात बांझ हो या नाबालिग़ हो चाहे बड़ी उम्र की हो वह तीन महीने इद्दत में रहे। (सूर: बक़रा)

इद्दत में निकाह करना हराम है हमल वाली औरत बच्चा जनने तक इद्दत में रहे चाहे उसका पति मर गया हो या उसके पति ने उसे तलाक़ दे दी हो चाहे आज़ाद हो या लौंडी। जिस आदमी ने निकाह करके सोहबत से पहले अपनी औरत को तलाक़ दे दी तो उस औरत पर इद्दत नहीं है लेकिन उसका पति औरत को एक जोड़ा कपड़ों का ज़रूर दे।

(सूर: अहज़ाब, सूर: बक़रा)

जिसने लौंडी को तलाक़ दी वह लौंडी दो मासिक धर्म में रहे और जिस लौंडी को मासिक धर्म न आता हो उसकी इद्दत दो महीने है और जिस लौंडी का पति मर जाए वह दो महीने पांच दिन इद्दत में रहे।

(इब्ने माजा)

जिस औरत को तलाक़ दे दी गयी हो फिर उसे एक मासिक धर्म या दो आए फिर मासिक धर्म टल गया तो वह दो महीने ठहरे और उसके बाद यदि हमल ज़ाहिर हो गया तो बच्चा जनने के बाद निकाह करे यदि हमल ज़ाहिर न हुआ तो नो महीने इद्दत गुज़ारे इसके बाद निकाह करे।

(मोता मिश्कात)

जिस औरत का पति गुम हो जाए अर्थात न जाने मर गया या जीवित है तो वह औरत चार साल तक अपने पति का इन्तज़ार करे। चार साल के बाद चार महीने दस दिन इद्दत गुज़ारे फिर निकाह करे। यह फ़तवा हज़रत उमर रज़ि० का है। (मोता मालिक)

जिस औरत को उसके पति ने तलाक़ दी और उसे दो मासिक धर्म हो गए तीसरा मासिक धर्म शुरु होते ही उसका पति मर गया तो इस औरत की इद्दत तीन मासिक धर्म रहेगी और अपने पति के माल की वारिस न बनेगी और न उसका पति उसके माल का वारिस होगा।

(मोता मालिक मिश्कात)

जिस औरत का पति मर जाए वह चार महीने दस दिन तक रंगीन लिबास न पहने मगर जो कपड़ा रंगीन सूत से बना हो उसका पहनना जायज़ है और सुरमा न लगाए और न खुश्बू लगाए मगर जब मासिक धर्म से पाक हो तो थोड़ी खुश्बू गुस्ल के बाद शर्मगाह पर लगा ले। जिस औरत का पति मर जाए वह चेहरे पर एलवा न लगाए इसलिए कि इससे चेहरा चमकता है लेकिन रात को लगाकर सुबह को धो डाले तो कुछ हरज नहीं और खुश्बू न लगाए न मेंहदी ; बेरी के पत्तों से सर आदि धोना जायज़ है और न कपड़ा पहने रंगा हुआ और न गेरवा रंग का हो और न ज़ेवर पहने।

(इब्ने माजा, नसई मिश्कात)

पति के मरने के समय जो औरत जिस मकान में रहती हो उसी में

इद्दत गुज़ारे लेकिन तलाक़ शुदा औरत को यदि अपने मकान में अकेलेपन के कारण चोर आदि का डर हो तो उसे दूसरे मकान में जाना जायज़ है।

(इब्ने माजा)

तलाक़ वाली औरत जब तक उसकी इद्दत पूरी न हो तब तक उसका पति और उसके पति के निकटतम औरत को घर से न निकाले और वह स्वयं उस घर से निकले लेकिन यदि वह ज़िना कर बैठे तो फिर उसे निकाल दें। किसी औरत से निकाह के लिए उसकी इद्दत के अन्दर पैग़ाम देना जायज़ नहीं मगर यह कहना कि कोई नेक औरत मिल जाए तो मेरा इरादा निकाह करने का है इसमें कोई हरज नहीं।

12– बीवी बच्चों का भरण पोषण

तलाक शुदा औरत का उसकी इद्दत काटने तक उसके पति पर भरण पोषण वाजिब है जिस औरत को तीन तलाक़ें दी गयी हैं और जिसका पति मर गया हो तो इनका भरण पोषण वाजिब नहीं हां यदि ये दोनों गर्भवती हों तो बच्चा जनने तक भरण पोषण देना वाजिब है। मोहताज बेटे की ज़िम्मेदारी बाप पर है इसी प्रकार मोहताज बाप का मालदार बेटे पर भरण पोषण वाजिब है और लौंडी गुलाम का खर्च मालिक पर वाजिब है और रिश्तेदारों पर वाजिब नहीं यदि रिश्तेनाते के तौर पर दे दे तो जायज़ है जिसका भरण पोषण जिस पर वाजिब है उस पर कपड़ा और उसके रहने का मकान देना भी ज़रूरी है।

(सूर: तलाक़, बक़रा अहमद नसई, मुस्लिम)

13– दूध पिलाना

जो बच्चा किसी औरत का दूध पांच घूंट पिए बशर्ते कि इस बात का यक़ीन हो कि उसकी छाती में दूध था और बच्चे ने दो बरस के अन्दर दूध पिया हो तो वह औरत उस पर हराम हो जाती है यदि बड़ी उम्र वाला

दूध पिए तो इसमें मतभेद हैं कुछ के निकट बड़ी उम्र वाले पर दूध पिलाने वाली हराम हो जाती है और कुछ के निकट हराम नहीं होती और जो औरत यह कह दे कि मैंने फ़लां बच्चे को दूध पिलाया है तो उसकी बात मानी जाएगी यद्यपि किसी दूसरे का पता न हो। (बुखारी मिश्कात 473)

14- तलाक के बाद बच्चे का लालन-पालन

बच्चे के लालन-पालन के लिए सबसे बेहतर उसकी मां है। तब तक निकाह न करे। फिर बाप, फिर वह आदमी जिसे रिश्तेदारों में से नेक जानकर हाकिम मुक़र्रर कर दे और जब बच्चा समझदार हो जाए तो उसे हक़ है कि चाहे मां के पास रहे चाहे बाप के पास। और जिस बच्चे के मां-बाप और रिश्तेदार कोई न हों तो उसे वह आदमी पाले जो नेक हो। बच्चे का खर्च जब तक बालिग़ न हो बाप के ज़िम्मे है। (बुखारी मिश्कात 293)

15- यतीम की किफ़ालत

यतीम के पालने का बहुत बड़ा सवाब है नबी सल्ल० फ़रमाते हैं यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में जाएगा और फ़रमाते हैं कि जो अल्लाह की रज़ामन्दी व खुशी के लिए किसी यतीम के सर पर मुहब्बत का हाथ फेर दे तो उसके लिए हर उस बाल के बदले नेकियां लिखी जाती हैं जिस पर उसका हाथ फिरा हो और जो यतीम को जगह दे और खाने-पीने में शरीक करे तो अल्लाह निश्चय ही उसके वास्ते जन्नत वाजिब कर देता है बशर्ते कि शिर्क न किया हो।

यतीम के सर पर हाथ फेरने से दिल की सख्ती दूर हो जाती है एक आदमी ने नबी करीम सल्ल० से आकर शिकायत की कि हुजूर मेरा दिल सख्त हो गया है आपने फ़रमाया कि तू यतीम के सर पर हाथ फेरा कर और मिसकीन को खाना खिला। (मिश्कात 423-426)

16- ईला

जो आदमी यों क़सम खाए कि मैं चार महीने तक अपनी पत्नी के पास न जाऊंगा तो चार महीने गुज़र जाने के बाद उसे अधिकार है कि वह औरत के पास जाए या तलाक़ दे और यदि चार महीने से कम इद्दत ठहरी है तो अलग रहे उससे यहां तक कि अवधि मुक़र्रर की हुई गुज़र जाए।

(सूर: बक़रा)

17- लिआन

जब पति ने पत्नी को ज़िना की तोहमत लगाई और पति ने ज़िना का इक़रार न किया और पति तोहमत से न फिरा तो "लिआन" करे। लिआन यह है कि मर्द चार बार कहे कि मैं इस बात में सच्चा हूं और पांचवीं बार कहे कि यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर खुदा की लानत हो। फिर औरत गवाही दे चार बार कि मेरा पति झूठा है और पांचवीं बार कहे कि मेरे ऊपर खुदा का प्रकोप आ जाए यदि यह सच्चा है। इसके बाद हाकिम दोनों के बीच जुदाई करा दे और उस मर्द पर औरत हमेशा के लिए हराम हो गयी और बच्चा लिआन का मां को मिलेगा और जो आदमी किसी औरत को ज़िना की तोहमत लगा दे और चार गवाह पेश न कर सके तो वह बोहतान लगाने वाला है उसकी सज़ा अस्सी कोड़े लगाना है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, सूर: नूर)

18- ज़िहार

जो आदमी अपनी पत्नी को यों कहे कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह है या यों कहे कि मैंने तुझे अपनी मां की पीठ ठहराया या इसी तरह उसके किसी अंग से उपमा दे तो उसको बीवी से सोहबत करने से पहले कफ़्फ़ारा देना वाजिब है और कफ़्फ़ारा यह है कि एक गुलाम मोमिन आज़ाद करे जिसे

गुलाम आज़ाद करने की ताक़त न हो तो वह साठ मिसकीनों को खाना खिला दे यदि इसकी भी ताक़त न हो तो तीन महीने लगातार रोज़े रखे। हाकिम यदि कफ़्फ़ारा देने वाले की मदद करे तो जायज़ है और कफ़्फ़ारा देने वाला यदि मोहताज हो तो जो कुछ उसे किसी से मिला है वह अपनी जान पर और अपने बच्चों पर खर्च करे तो मना नहीं। और जो आदमी कफ़्फ़ारा देने से पहले अपनी औरत से सोहबत करे तो उसे कफ़्फ़ारा एक ही बार देना आया है मगर कफ़्फ़ारा देने से पहले सोहबत न करे। (सूर: मुजादला, तिर्मिज़ी)

19- ज़िना से पैदा होने वाली सन्तान

यदि किसी ने किसी औरत से ज़िना की और औरत के हमल ठहर गया। जब औरत बच्चा जनेगी तो बच्चा उसी का होगा वही पाएगी। ज़ानी (मर्द) को न बच्चा दिया जाएगा न उसके ज़िम्मे बच्चे का खर्च आदि होगा। (बुखारी मुस्लिम)

यदि किसी लौंडी के कई मालिक हों और सबने उसके साथ एक पाकी में सोहबत की और लौंडी के हमल रह गया फिर बच्चा पैदा हो गया फिर हरेक दावा करता है कि बच्चा मुझे मिले तो कुरआ डाला जाएगा जिसका नाम निकलेगा वही बच्चा पाएगा। (बुखारी मुस्लिम)

20- सन्तान के साथ मुहब्बत

अपने छोटे बच्चों का बोसा लेना अल्लाह की रहमत की निशानी है लड़कियों का लालन पालन और उनके सबब जो तकलीफ़ पहुंचे उस पर सब्र करना जहन्नुम की आग से बचने का सामान है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है जिस आदमी ने अपनी दो लड़कियों की या दो बहनों की उनके बालिग़ होने तक परवरिश की, कियामत के दिन वह आदमी और मैं जन्नत में इस तरह होंगे जैसे दो उंगलियां। और जिसने उनको पढ़ाया उसने एहसान किया और

उनकी शादी कर दी तो वह जन्नत में जाएगा।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात)

आपने यह भी फ़रमाया कि जिस आदमी ने अपनी लड़की को जिन्दा न गाड़ा उसे तुच्छ न समझा और बेटे की तरह उससे मुहब्बत की तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। (इस्लाह)

यह भी आपने फ़रमाया कि जिसकी तीन बेटियां हों और उनके लालन पालन में वह हर कष्ट सहन करे तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और जिसकी दो लड़कियां हों उसके लिए भी यही बशारत है बल्कि जिसकी एक लड़की है उसकी भी यही बशारत है। (इस्लाह)

21- सन्तान का नाम

बहुत प्यारे नाम अल्लाह के निकट अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान हैं। फ़रमाया नबी सल्ल॰ ने अपनी सन्तान के नाम पैग़म्बरों के नाम पर रखो। बहुत बुरा नाम शंहशाह है हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ की लड़की का नाम बर्रह था नबी सल्ल॰ ने उसका नाम ज़ैनब रखा। नबी सल्ल॰ की एक पत्नी का नाम बर्रह था उनका नाम आपने जवरयह रखा। हज़रत उमर रज़ि॰ की बेटी का नाम आसिया था नबी सल्ल॰ ने उनका नाम जमीला रखा।

(हाकिम, मुस्लिम, अबूदाऊद, बुखारी मिश्कात)

एक आदमी का नाम असरम था नबी सल्ल॰ ने उसका नाम ज़रअह रखा। एक आदमी का नाम हज़न था आपने उसका नाम सहल रखा इसी तरह जिसका नाम बुरा होता था उसे आप बदल देते थे। (अबूदाऊद)

22- सन्तान की शिक्षा दीक्षा

आलिम व जाहिल बराबर नहीं हो सकते। बाप की अपने बेटे के

हक में बड़ी मुहब्बत यह है कि वह उसे दीन का इल्म सिखा दे। मरने के बाद आदमी का अमल खत्म हो जाता है लेकिन यदि जारी रहने वाला सदका कर गया या किसी को इल्म सिखा गया या नेक सन्तान छोड़ गया और वह उसके लिए दुआ करती रहे तो उनका सवाब उसे बराबर मिलता रहेगा। दुनिया कमाने के लिए दीन का इल्म सीखना अपने आपको जहन्नुम में डालना है। (मुस्लिम)

23- मां-बाप के साथ बेहतर सुलूक

रिश्तेदारों के मामले में सबसे बड़ा हक मां का है उसके बाद बाप का उसके बाद उन लोगों का है जो ज़्यादा करीब हों। मां-बाप यदि काफिर हों तब भी उनसे दुनिया के मामले में सुलूक करे। हज़रत उमर रज़ि० ने अपने काफ़िर भाई को एक रेशमी कपड़ा भेजा था। (बुखारी मुस्लिम)

जिसने मां-बाप को या दोनों में से एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी सेवा न की वह जन्नत में न जाएगा। मुश्रिक रिश्तेदार के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म है। मां-बाप का आक़ बनना गुनाह कबीरा है मां-बाप को गाली देना गुनाह कबीरा है अपने बाप के दोस्तों के साथ सुलूक करना बहुत बड़ा हक अदा करना है। अच्छा सुलूक करने वालों की रोज़ी में बरकत होती है और उसकी उम्र में ज़्यादती होती है। रिश्ते का काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। (बुखारी, मुस्लिम, मुस्लिम)

सुलूक करने वालों से सुलूक करना सुलूक नहीं है (बल्कि यह बदला उतारना है) सुलूक करने वाला वह आदमी है जो रिश्तों को तोड़ने वाले से सुलूक करे। जो आदमी किसी के साथ बुराई करे उसके साथ भलाई अद्ब की बात है। जिस बेटे से उसका बाप राजी होता है उससे खुदा भी राजी होता है और जिस बेटे पर उसका बाप नाराज होता है अल्लाह भी उससे नाराज

होता है। मां यदि बेटे को उसकी पत्नी को तलाक़ देने का हुक्म करे तो वह उसे तलाक़ दे दे इसी तरह बाप यदि बेटे को कहे कि अपनी पत्नी को तलाक़ दे दे तो उसे तलाक़ दे देनी चाहिए। इन्कार के इरादे से मां-बाप को उफ़ अर्थात हूं कहना भी जायज़ नहीं।

(अबूदाऊद, इब्ने माजा, सूर: बनी इस्राईल)

एक आदमी के रिश्ते काटने वाले के कारण उसका सारा परिवार अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है जो आदमी अमीर की बग़ावत करे और रिश्तों को काटे तो अल्लाह उस पर दुनिया में भी अज़ाब नाज़िल करता है और आख़िरत में भी बदनामी होगी। रिश्तेदार की मदद में दूध पिलाने वाली मां का हक़ भी सगी मां के बराबर है। (तिर्मिजी अबूदाऊद)

जो आदमी मां-बाप का आक़ हो वह मां-बाप के मरने के बाद उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है तो वह आक़ नहीं रहता और मां-बाप के साथ नेकी करने वाला लिखा जाता है। मां-बाप बेटे पर चाहे कैसा ही जुल्म करें बेटे को चाहिए कि वह उनकी आज्ञा का पालन करता रहे। मां-बाप की ओर एक प्यार भरी निगाह डालने से उसके आमालनामे में एक हज मक़बूल का सवाब लिखा जाता है। इसी तरह जितनी बार वह मुहब्बत की नज़र डालेगा उतना ही हज का सवाब लिखा जाता है। बड़े भाई का हक़ बाप के जैसा है। (मिश्कात, अबूदाऊद)

24- विधवा औरतों का निकाह

अल्लाह का इर्शाद है

व अनकिहुल अयामा मिन्कु वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम अय्यकूनू फु क़-रा आ युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम० (सूर: नूर)

"ब्याह दो औरतों को जो नेक हों तुम्हारे गुलाम और लौंडी यदि वे ग़रीब होंगे अल्लाह उन्हें मालदार कर देगा अपने फ़ज़्ल से और अल्लाह खुले इल्म वाला है सब जानता है।

नबी सल्ल० ने हज़रत अली रज़ि० से फ़रमाया जब जवान औरत के जोड़ का आदमी मिल जाए तो उसके निकाह में देर न करना। नबी सल्ल० की बेटी रुक़य्या का निकाह अबूलहब के बेटे से हुआ था इसके बाद हज़रत उसमान रज़ि० से उनका निकाह हुआ और नबी सल्ल० की दूसरी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह पहले अबू लहब के दूसरे बेटे से हुआ था फिर दूसरा निकाह उनका भी हजरत उसमान रज़ि० से हुआ। (तिर्मिज़ी मिश्कात)

हज़रत फ़ातिमा रज़ि० की बेटी उम्मे कलसूम का निकाह पहले हज़रत उमर रज़ि० से हुआ था इसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ि० के बेटे औन के साथ उनका निकाह हुआ। जब औन मरे तो जाफ़र के दूसरे बेटे मुहम्मद के साथ उनका निकाह हुआ जब वे भी मर गये तो जाफ़र के तीसरे बेटे अब्दुल्लाह से उनका निकाह हुआ। (तक़वियतुल ईमान)

हज़रत उसमान रज़ि की मादरी बहन उम्मे कलसूम रज़ि० पहले ज़ैद बिन हारिसा के निकाह में थी जब वे शहीद हो गए तो ज़ुबैर बिन अवाम से उनका निकाह हुआ। जब वे मर गए तो तीसरी बार अम्र बिन आस बिन औफ़ के साथ उनका निकाह हुआ वे मर गए तो चौथी बार उमर बिन आस से उनका निकाह हुआ। सिवाए हज़रत आयशा रज़ि० के हुज़ूर सल्ल० की सारी पत्नियां ऐसी थीं कि किसी का एक पति मर चुका था किसी के दो और किसी के तीन और कुछ तलाक शुदा थी। तो जो आदमी विधवा के लिए दूसरे निकाह को अपमान समझे और विधवा के साथ निकाह न करे वह मुसलमान नहीं काफ़िर है।

25- खत्ना

खत्ना करना नबियों की सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहि० ने अपनी खत्ना अस्सी साल की उम्र में की थी अपने बेटे हज़रत इसहाक़ की खत्ना सातवें दिन और हज़रत इस्माईल की खत्ना 13 साल की उम्र में की। नबी सल्ल० ने हज़रत हसन और हुसैन की खत्ना सातवें दिन की सहाबा ने अपने बच्चों की खत्ना बालिग़ होने से पहले की। (बुखारी)

26- पड़ौसियों के हक़

अल्लाह ने फ़रमाया- वल जारिज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि० "एहसान करो पड़ौसी और अजनबी के साथ।"

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है पड़ौस 40 घर तक है पड़ौस की एक औरत से ज़िना करने का गुनाह ग़ैर पड़ौस की 10 औरतों से ज़िना करने के बराबर है। पड़ौस के एक घर की चोरी करने का गुनाह ग़ैर पड़ौस के दस घर की चोरी करने के गुनाह से ज़्यादा है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि जिसने पड़ौसी को सताया उसने मुझे सताया जिसने मुझे सताया उसने अल्लाह को सताया (तिबरानी अहमद)

जिसनें पेट भर कर खाया और उसका पड़ौसी भूखा रहा वह मुसलमान नहीं। जिसकी शरारत से पड़ौसी अम्न में नहीं वह जन्नत में नहीं जाएगा। जिसकी यातना से पड़ौसी निडर नहीं वह मुसलमान नहीं क़ियामत के दिन दो झगड़ने वाले पड़ौसी होंगे।

नबी सल्ल० के पास एक औरत का ज़िक्र किया गया कि बड़ी नमाज़ पढ़ती बहुत सदक़ा करती और अधिक रोज़े रखती है मगर पड़ौसियों को अपनी ज़बान से सताती है आपने फ़रमाया जहन्नुम में जाएगी। फिर दूसरी औरत

का ज़िक्र किया गया कि उसका रोजा नमाज़ कम है सदक़े में पनीर देती है मगर पड़ौसियों को नहीं सताती, फ़रमाया वह जन्नत में जाएगी। खुदा के निकट वे लोग बेहतर हैं जो अपने पड़ौसियों से भलाई करते हैं।

जिसे पड़ौसी नेक कहें वह नेक है और जिसको पड़ौसी बुरा कहें वह बुरा है। जो आदमी बात करने में सच्चा हो तथा अमानत में खयानत न करे और पड़ौसियों से भलाई करे वो अल्लाह और उसके रसूल का दोस्त है।

(मिश्कात, इब्ने माजा)

दावतें

उनकी किस्में और एहकाम

1–अक़ीक़ा

अन सलमानब्नि आमिरिज़्ज़ बिय्यि क़ाला समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा यक़ूलु मअल गुलामि अक़ीक़तुन व फ़-हरिक़ू अन्हु दमन व अमीतु अन्हुल अज़ा०

"सलमान बिन आमिर ज़बी से रिवायत है कहते हैं कि मैंने सुना है नबी सल्ल० फ़रमातें थे कि बच्चे के साथ अक़ीक़ा है तो इसकी ओर से खून को बहाओ और यातना को दूर करो। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात)

नबी सल्ल० फ़रमाते हैं कि बच्चा गिरवी होता है जब तक कि उसका अक़ीक़ा न किया जाए। (तिर्मिज़ी, मिश्कात)

चाहिए कि जब बच्चा पैदा हो तो तो उसके दाएं कान में नमाज़ की अज़ान कहें और बाएं कान में इक़ामत कहें। इससे बच्चे को उम्मुस्सुबयान की बीमारी नहीं होती। किसी अच्छे बुज़ुर्ग के पास उसे ले जाएं ताकि वह खजूर या छुहारा चबाकर थोड़ा सा बच्चे के मुंह में डाल दे और बच्चे के हक़ में दुआ करे। (तिर्मिज़ी मिश्कात 355)

यदि बच्चा लड़का है तो उसके अक़ीक़े में दो मेंढे या बकरे चाहे नर हों या मादा हों। यदि दो की ताक़त न हो तो एक ही जानवर चाहे नर

हो या मादा कुरबानी करें और इसी दिन बच्चे का नाम रखें और उसके बाल उतरवाकर उसके वज़न के बराबर सोना या चांदी अल्लाह की राह में सदक़ा दें। अक़ीक़े का गोश्त अपने पराए सबको खिलाएं। सातवें दिन अक़ीक़ा करना सही हदीसों से साबित है सातवें दिन न हो सका तो चौदहवीं, इक्कीसवीं दिन करना होगा। बच्चों का मैल कुचेल उतारना, बला मुंडवाना, अक़ीक़ा करना सुन्नत है। बच्चों के सरों पर अक़ीक़े के बाद ज़ाफ़रान मली जाए।

कर्ज़ लेकर अक़ीक़ा करने की ज़रूरत नहीं है अक़ोक़े में यदि क़र्ज़ लेकर गर्व व नाम या बदला उतारने के लिए दावत की जाए तो सच्चे मुसलमानों को ऐसी दावत को कुबूल न करना चाहिए बल्कि इस तरह की तमाम दावतों का यही हुक्म है यदि कर्ज़ सूदी लिया गया है तो ऐसा करना और उसका खाना हराम हो जाता है।

2-दावते वलीमा

अन अबदिल्लाहिब्नि उमर अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा क़ाला इज़ा दुअिया अ-ह-दुकुम इलल वलीमति फ़ल यसतजिब॰ (अबूदाऊद मिश्कात)

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि बेशक नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया जब बुलाया जाए तुम्हें वलीमे की ओर तो चाहिए कि वहां चला जाए।"

वलीमा शादी के खाने को कहते हैं जो शादी के बाद दुल्हा की ओर से किया जाता है। यह खाना सुन्नते सहीहा से साबित है नबी सल्ल॰ ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को फ़रमाया कि वलीमा कर। यद्यपि एक ही बकरी की ताक़त न हो तो मलीदा, सत्तू और मिठाई से भी वलीमा करना सही है। हैसियत से अधिक न बढ़ना चाहिए जितनी अल्लाह ताक़त दे बे तकल्लुफ़ अपने

यार दोस्तों और ग़रीब व फ़क़ीरों को शामिल करके खिला दें।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात-270)

जिस वलीमे के खाने में फ़क़ीर मोहताज शामिल न हों उसे नबी सल्ल० ने सब खानों से बुरा खाना फ़रमाया है ऐसे वलीमे की दावत को मन्जूर न किया जाए और जो वलीमा नबी सल्ल० के हुक्म के अनुसार किया जाए मुसलमानों को उस दावत को कुबूल करना वाजिब है। जो मुसलमान कुबूल न करे और वलीमे की दावत छोड़ दे तो वह अल्लाह का अवज्ञाकारी है। यदि बीमारी आड़े आती है तो उसके मकान पर जाकर क्षमा याचना कर आए। खाना चाहे न खाए यह स्वयं उसकी बात है फिर साहिबे दावत के हक़ में दुआ करे। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 270)

शादी से पहले खाना खिलाना बिदअत है इसी तरह से दुल्हन की ओर से निकाह से पहले खाना खिलाना इस्लाम में साबित नहीं जब तक उस खाने का सबूत न हो सच्चे मुसलमानों को ऐसा करना और खाना न चाहिए। क़र्ज़ लेकर वलीमा न करें जो कुछ हाज़िर हो या कोई यार दोस्त वलीमे का सामान इकट्ठा कर दे तो कोई बात नहीं। जो मुसलमान सूदी रुपए लेकर वलीमा करते हैं वे अपने ईमान को ख़राब करते हैं और जो लोग नाम के लिए और घमंड के साथ वलीमा करते हैं नबी सल्ल० ने ऐसे लोगों के साथ खाने से मना फ़रमाया है। (बुखारी मिश्कात)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया, वलीमे का सबसे बुरा खाना वह है कि जो आदमी उसमें आए वह रोका जाए और जो नहीं आता उसको मनाया जाए।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात)

ऐसे खानों का उद्देश्य कुछ बड़े लोगों की चापलूसी व खुशामद करना होता है इसलिए ऐसे खानों से सच्चे मुसलमानों को बचना चाहिए। हमारे ज़माने के नाम के मुसलमानों में प्रायः दावतें इसी प्रकार की होती हैं जो केवल दिखावा,

मान व बड़ाई के लिए की जाती हैं दिखाने को तो खत्ना, अक़ीक़ा या वलीमे का नाम लिया जाता है लेकिन नीयत कुछ और ही होती है क्या नबी सल्ल० ऐसे धूम-धाम के खाने नहीं कर सकते थे? या सारे सहाबा मोहताज थे? हज़रत उसमान रज़ि० तो बड़े मालदार थे उन्होंने पूरे दौरे रिसालत में और अपने दौरे खिलाफ़त तक कभी ऐसे खाने या धूम धाम की दावत नहीं की। हां अल्लाह के कामों में लाखों रुपया खर्च किया जाता था बेकार के कामों में कभी कौड़ी तक ख़र्च न की गयी। फिर कर्ज़ लेकर इस तरह की दावतों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। आज तो खानों पर रूठा मनाई होती है जो खाने में शरीक नहीं होते कहा जाता है कि उसने हमारा खाना बिगाड़ दिया तो ऐसे खाने दिखावा, घमंड के नहीं तो और क्या हैं?

3- आपस में तोहफ़े व मेहमानदारी

अन अबी हुरयरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा इज़ा द-ख़-ल अ-ह-दुकुम अला अख़ीहिल मुस्लिमि फ़लयाकुल मिन त आमिहि वला यस अलु व यशरबु मिन शराबिहि वला यस अलु। (बहीक़ी मिश्कात 471)

"जब तुम में से कोई अपने मुसलमान भाई के घर में दाखिल हो तो चाहिए कि उसका खाना खाले ओर शराब पी ले और पूछे नहीं।

नबी सल्ल० के ज़माने में दस्तूर था कि आपस में एक दूसरे के घर तोहफ़े भेजते थे और इसे प्यार मुहब्बत के पढ़ने का ज़रिया समझते थे स्वयं नबी सल्ल० लोगों के तोहफे कुबूल फ़रमाते थे और मुसलमानों को इस काम पर उकसाते थे। (बुखारी मिश्कात 153)

नए मुसलमानों की मदद करना, इस्लाम की ओर बुलाने के लिए लालच देना, ऐसे लोगों को देना जो मुसलमानों से मुश्रिकों की शरारतों को

खत्म कर दें या शरबत या चाय या मिठाई आदि ऐसे प्रोग्रामों में बांटना ताकि लोग इनके लिए अल्लाह व रसूल के हुक्म को सुनें, सही है। नबी सल्ल० के सहाबा किसी ऊंची चीज़ पर गर्व न करते थे न दिखावा व नाम करते थे यदि तोहफ़ों में अधिक बदला उतारने की नीयत हो तो सख्त मना है यदि ख़ालिस अल्लाह वास्ते खुदा के हुक्म के मुताबिक तोहफ़ा दिया जाए और उससे मुहब्बत बढ़ाना मक़सद हो, एहसान जताने, ताने देने की नीयत न हो तो यह बड़ा अच्छा काम है।

नुबुव्वत के ज़माने में प्राय: दावत इस तरह होती थी कि गरीब मुसलमानों को सहाबा घर पर ले जाकर जो कुछ होता खिलाते थे। जब मेहमान आते नबी सल्ल० सहाबा पर मेहमानों को बांट देते थे और फ़रमाते थे जो अल्लाह व आखिरत पर ईमान रखता है वह मेहमान की आवभगत करता है।

(बुखारी मिश्कात 532)

यदि हैसियत अच्छी हो तो पहले दिन मेहमान को अच्छा खाना खिलाए और दो दिन मामूली खाना दे जो आप हर दिन खाते हैं। फ़रमाया कि मेहमान को तीन दिन से अधिक ठहरना न चाहिए। फ़रमाया जिस मेहमान को खाना न दिया जाए वह घर वाले की बिना इजाज़त अपनी दावत की हद तक खा सकता है। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 360)

नबी सल्ल० अमीर व ग़रीब सबकी दावत कुबूल करते थे यदि कोई गुलाम भी दावत करता था तो उसकी दावत भी खाते थे और फ़रमाते थे कि यदि मैं दावत में बकरी के पाए खाने के लिए बुलाया जाऊं तब भी कुबूल कर लूंगा।

नबी सल्ल० ने कभी मैदे की चपाती नहीं देखी यहां तक कि अल्लाह से जा मिले। न कभी आपने छने हुए आटे की रोटी खायी और न कभी ख़्वान में खाना खाया बल्कि दस्तरख्वान पर खाना खाते थे न कभी दो दिन बराबर

नबी सल्ल० के घर वालों ने पेट भर कर रोटी खायी।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात)

यदि नफ़ली रोज़ा रखे और कोई मुसलमान दावत खाने को कहे तो उसके घर चला जाना चाहिए फिर मर्जी है रोज़ा तोड़ दे चाहे रहने दे और दावत करने वाले के हक़ में दुआ करे। यदि एक ही समय में दो दावतें आएं तो पहली को कबूल करें। (अहमद अबूदाऊद मिश्कात)

जो आदमी दावत में बिन बुलाए चला जाए उसे नबी सल्ल० ने लुटेरा व चोर फ़रमाया है जिस मुसलमान का हाल मालूम न हो उसकी दावत कुबूल कर लेनी चाहिए। मुसलमान से यह पूछना मना है कि तेरा खाना हराम का या हलाल का..? (बहीक़ी मिश्कात 471)

नबी सल्ल० ने गुनाहगारों की दावत कुबूल करने से मना फरमाया है आपने फ़रमाया है तू खाना मत खा मगर नेक का और तेरा खाना खाए मगर अल्लाह के नेक बन्दे का जो उससे डरता है। बड़े गुनाहों से बचता है यदि छोटे गुनाह उससे होते हों तो वह उनपर लज्जित हो सरकश न हो। जो खुले तौर पर दाढ़ी मुंडाएं या कटवाएं या टखने से नीचे पाजामे पहने, ज़िना करे, रंडियों के नाच गाने सुने, महफ़िलों में शरीक हों, मेलों की सैर करें, नज़र नियाज़ को अच्छा समझे, अहले हदीस को बुरा कहे और उनके मुक़ाबले में बिदअतियों को अच्छा समझकर उनकी प्रशंसा करे, ऐसे लोग काफ़िर, मुश्रिक, बिदअती व बदकार होते हैं ऐसे लोगों की दावत कभी कुबूल नहीं करनी चाहिए चाहे ये लोग देखने में मुसलमान ही क्यों न लगें कलिमा पढ़ें। ये लोग जब तक बुरे कामों से तौबा न करें, सही रास्ता न अपनाएं नजात की उम्मीद न रखें। कुरआन ऐसे मुसलमानों के इस्लाम का इन्कार करता है चूंकि ऐसे मुसलमानों का पेशा हराम होता है सूद आदि हराम की आमदनी से बहुत कम पाक होता है। सच्चे मुसलमानों को यह खाना हराम है।

(अबूदाऊद मिश्कात-270)

प्राय: मुसलमान इस मसले में चाहे हनफ़ी हों चाहे मुहम्मदी फिसल गए हैं। खाना किसी के घर का हो, हराम हो या हलाल चाहे कैसा ही नापाक क्यों न हो बेतकल्लुफ़ खाने उड़ाने को मौजूद होते हैं न हलाल से मतलब न हराम से वास्ता उनके शरीक क्यों न हों ये लोग उन्हें खुदा और रसूल से अधिक प्रिय हैं इनका खुश रखना ज़रूरी समझा हुआ है। खुदा व रसूल नाराज़ हों तो हुआ करें।

जब इस्लाम का इस तरह मज़ाक उड़ाया गया तो अब मुसलमान होने का दावा बेकार है इसलिए कि जो काम तुम करते हो सारे यहूदियों व ईसाईयों के यहां शादी विवाह में होते हैं। अब तो यह बड़े अन्याय की बात है कि तुम अच्छे रहो और वे बुरे ठहरें।

4- अल्लाह वास्ते की दावत

अन अबिल अहवसिल ह-श-मिय्यि अन अबीहि क़ाला .कुलतु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा अरयता इन मररतू बिरुजुलिन फ़लम यक़िरनी वलम युज़िफ़नी सुम्मा मरब्बी बाअदा ज़ालिका अक़रीहि अम अजज़ीहि क़ाला बल अक़रिहु०

"अबी अहवस हशमी ने अपने बाप से रिवायत की है उन्होंने कहा है कि मैंने नबी सल्ल० से अर्ज़ किया कि यदि किसी आदमी के पास गुज़रूं और वह मेरी दावत न करे फिर उसका मेरे पास से गुजर हो तो क्या मैं उसकी दावत करुं या नहीं? आपने फ़रमाया, बल्कि दावत करो।

(तिर्मिज़ी मिश्कात 361)

सही बुखारी में है कि नबी सल्ल० के ज़माने में एक औरत हर जुमे को चुक़न्दर की जड़ें जौ के आटे में मिलाकर पकाया करती थी और हज़रत के असहाब को खिलाती थी सहाबा रज़ि० हर जुमे को उसके खाने को बड़े प्यार

से खाते और इन्तज़ार करते रहते थे और हमेशा जुमे की नमाज़ के बाद उसके मकान पर सलाम अलैक करके जा बैठते वह सबको खाना खिलाती। सहाबा शौक से खाते थे।

सही बुखारी में है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि० उन लोगों को जो उनके पास रहते थे इफ़तारी बांटा करते थे और जब नबी सल्ल० मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने एक ऊंटनी ज़िब्ह की जिसका गोश्त सहाबा में बांटा गया। सबने उसे खाया। (बुखारी अरबी बम्बई 432)

और इसी तरह एक बार सफ़र में एक गाय खरीदी गयी और ज़िब्ह करके सहाबा पर बांटी गयी।

फ़ायदा– जुमे के दिन कोई खास खाना पकाकर अल्लाह के नाम देना और नेक मुसलमानों को रोज़ा इफ़तार कराना और जब सफ़र में हो तो मुसलमानों के लिए जानवर कुरबान करना या जब सफ़र से घर वापस आएं तो मुसलमानों की दावत करना या हैसियत के अनुसार कुछ भी बांट देना सही हदीसों से साबित है। इसी तरह किसी नेक काम की खुशी में मुबारकबाद देना या तोहफ़े या इनाम मुसलमानों में बांटना सही है।

एक सफ़र में नबी सल्ल० ने सहाबा से फ़रमाया कि आज एक बकरे के कबाब तैयार करने चाहिए। सब सहाबा ने एक-एक काम अपने-अपने ज़िम्मे ले लिए। किसी ने गोश्त काटने का, किसी ने पीसने का, किसी ने पकाने, किसी ने काटने का। नबी सल्ल० चुपके से निकलकर जंगल से लकड़ियां चुन लाए। जब खाना तैयार हो गया आपने और सारे सहाबा ने खाया। इस हदीस से गोश्त खाने का सबूत पाया गया।

सही बुखारी में है हज़रत आयशा रज़ि० से कि जब उनके कुन्बे में कोई मर जाता तो उसके घर एक खास तरह का खाना (जिसे तलबीना कहते हैं और आटे को दूध में मिलाकर बनता है) भिजवाती थी और जब बाहर के लोग

चले जाते थे और घर के खास-खास मर्द व औरतें रह जातीं तब मिलकर खाते।

फ़ायदा– इन खानों के सिवा इस्लामी शरीअत में और भी कई तरह के खानें साबित हैं। जो लोग मिलने आएं उन्हें खिलाना, भूखे को खिलाना चाहिए। अमीरों को ऐसे खानों में शरीक नहीं होना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हर काम दीन का हो या दुनिया का उसमें नीयत का होना ज़रूरी है जैसे कोई कहे मैंने अल्लाह के वास्ते खाना किया है और वह कहे कि उसने ग्यारहवीं का खाना पकाया है तो उसका कथन कुबूल और दूसरे का मरदूद समझा जाएगा।

एक आदमी ने ग्यारहवीं का खाना पकाया। जब उसे कुरआन व हदीस से समझाया और उसके समझ में आ गया तब उसने तौबा की और ग़लत अक़ीदे को बदला और उस खाने को अल्लाह की नज़र करने की नीयत की तभी वह खाना जो कि ग़लत नीयत के साथ मुरदार हो गया था नेक नीयती के साथ हलाल हो गया।

नबी सल्ल० का कथन है कि सारे कामों का आधार नीयतों पर है जैसी नीयत करेगा वैसा ही फल पाएगा क्योंकि अल्लाह नीयतों का हाल जानने वाला है। (बुखारी मुस्लिम 33)

किताबुल जनाइज़

1–तीमारदार व इयादत

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि अल्लाह क़ियामत के दिन फ़रमाएगा कि ऐ बनी आदम मैं बीमार हुआ और तू मेरी इयादत को न आया। मैंने तुझसे खाना और पानी मांगा मगर तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। बन्दा कहेगा कि ऐ अल्लाह! तू बीमारियों से पाक और मोहताजी से परे है मैं तेरी तीमारदारी कैसे करता। अल्लाह फ़रमाएगा कि मेरा फ़लां बन्दा बीमार पड़ा तू उसकी तीमारदारी के लिए नहीं गया मेरे फ़लां बन्दे ने खाना–पानी मांगा तूने उसे खाना पानी नहीं दिया क्या तुझे मालूम न था कि यदि तू मेरे बन्दे की इयादत करता तो मुझे उसके पास पाता। यदि उसे खिलाता–पिलाता तो मेरी जनाब से बहुत बड़ा दर्जा पाता।

नबी सल्ल० ने यह भी फ़रमाया कि जो बीमार को पूछने जाता है आसमान से एक फ़रिश्ता आवाज़ देता है कि तुझे दुनिया व आखिरत में खुशी हो। तेरा चलना अच्छा हो और तूने जन्नत में बड़ा दर्जा हासिल किया। यह भी फ़रमाता है कि जो आदमी किसी बीमार की इयादत को सुबह के समय जाता है उसके लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते शाम तक बख्शिश की दुआ मांगते हैं जो आखिर दिन में जाता है तो सुबह तक दुआ मांगते रहते हैं।

(तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, मुस्लिम मिश्कात 125)

यह भी फ़रमाया कि जो आदमी वुज़ू करके रोगी की इयादत करता है वह साठ बरस की दूरी तक जहन्नुम से दूर रखा जाएगा और जब तक

बीमार के पास रहता है अल्लाह की रहमत में डूबा रहता है। काफ़िर की भी इयादत करना सही है नबी सल्ल० ने अपने काफ़िर चचा अबू तालिब और दूसरे काफ़िरों की इयादत की है। आप ग़रीब और कमज़ोर लोगों की इयादत को भी जाते थे और फ़रमाते थे कि जब तक आदमी बीमार के पास रहता है जन्नत की हवा खाने में व्यस्त रहता है। (मुस्लिम मिश्कात-125)

नबी सल्ल० के पास जब कोई बीमार लाया जाता तो आप उसके शरीर पर हाथ फेरते और शिफ़ा के लिए दुआ मांगते और जब स्वयं बीमार होते तो सूर: फ़लक़ और सूर: नास पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और उन्हें बदन मुबारक पर फेरते। आप दर्द वाले को फ़रमाया करते। दर्द की जगह हाथ रखकर तीन बार बिस्मिल्लाह पढ़कर यह दुआ सात बार पढ़ते **अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदू व उहाज़िरु०**

(मुस्लिम मिश्कात 126- सहीहीन मिश्कात 126)

2- मौत और बीमारियां

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि मुसलमान तौहीद परस्त को जो तकलीफ़ व मुसीबत और दुख दर्द या चिंता पहुंचती है या किसी प्रकार का कोई कांटा लगता है तो इसकी वजह से अल्लाह उसके गुनाह दूर कर देता है और जो सब्र करता है और शुक्र अदा करता है बीमारी में गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ हो जाता है जैसा कि मां के पेट से बेगुनाह पैदा हुआ था।

(मूसनद अहमद मिश्कात 130)

जो रोगी मरने के निकट हो वह खाने की कोई चीज़ मांगे तो उसे दे दी जाए। सालेह (निक) मुसलमान बीमार पड़कर इबरत हासिल करता है और बाद को गुनाहों से बचता है और कपटाचारी बीमारी से इबरत पकड़ता है न गुनाहों से बचता है। (इब्ने माजा-130)

अल्लाह फ़रमाता है मुझे जिस बन्दे को नजात देनी मन्जूर होती है उसके माल व औलाद पर मुसीबत डाल देता हूं दुनिया में तंग रोज़ी करके बीमारी का शिकार करके गुनाहों से पाक साफ़ करके उठाता हूं। नबी सल्ल० ने फ़रमाया जो तौहीद परस्त मुसलमान बीमार होकर वफ़ात पा जाता है वह क़ब्र के अज़ाब से बचता और शहीदों के दर्जे में मरता है। महामारी से भागने में इतना ही गुनाह है जितना जिहाद से भागने में। जहां महामारी फैले उस जगह सब्र करने से शहीदों जैसा सवाब मिलता है जो तौहीद परस्त मुसलमान मिरगी पर सब्र करे उसकी निसबत नबी सल्ल० ने जन्नत की खुशखबरी दी है। (इब्ने माजा 126)

मुसलमान तौहीद परस्त का सफ़र में मरना शहादत है इसी तरह महामारी और दस्तों और जलन्धरों के रोग या अचानक पानी में डूबकर या ऊंची दीवार से गिरकर या दर्द पसली का शिकार होकर या जिहाद में शरीक होकर या आग में जलकर और गर्भवती गर्भ की हालत में या बच्चा जनते समय या बच्चे को दूध पिलाने की उम्र में मर जाए या कोई आदमी टी बी से मर जाए या माल की हिफ़ाज़त में जान दे दे, या घर पर ही हत्यारों द्वारा शहीद हो जाए या जिसे शेर फ़ाड़ दे या सांप डस ले या कोई खतरनाक कीड़ा काट ले इन सब किस्म के लोगों का यदि तौहीद पर खात्मा हो तो शहीद के हुक्म में है अर्थात शहीदों जैसा सवाब पाएंगे।

खाश कर इस अशान्ति व खराब दौर में हदीसों पर चलने वालों को सौ शहीदों का सवाब मिलेगा जैसा कि नबी सल्ल० ने फ़रमाया है-

मन तमस्सका बिसुन्नति इन्दा फ़सादि उम्मति फ़-ल-हु अजरु मिअति शहीद०

जो लोग हदीस के इन्कारी हैं वे हमेशा इस महान सवाब से महरूम हैं। (इब्ने माजा-सहीहीन मिश्कात 12)

जो लोग सही तौर पर शहीद हैं उन्हें मरने के बाद गुस्ल देना, कफ़्नाना और उनके जनाज़े की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है जैसा कि हज़रत उमर रज़ि० शहीद होने के बावजूद गुस्ल दिए गए, कफ़्नाए गए और सहाबा ने उनके जनाज़े की नमाज़ भी पढ़ी।

3– वसीयत

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जिस मुसलमान के पास कुछ वसीयत के क़ाबिल माल हो उसे शोभा नहीं देता कि बिना वसीयत के उस पर दो या तीन रातें गुज़ारे। सख़्त बीमारी की हालत में एक तिहाई माल से ज्यादा वसीयत व ख़ैरात करना जायज़ नहीं। ऐसी हालत में वसीयत का माल ग़रीबों को सवाब की नीयत से सदक़ा देना उचित है। चाहे रिश्तेदार हों या ग़ैर लेकिन वारिस के लिए किसी प्रकार के माल की वसीयत जायज़ नहीं उनका हक़ अल्लाह ने पहले ही मुक़र्रर कर दिया है जब आदमी बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा भला हो उसे अख़्तियार है चाहे अपना सारा माल एक आदमी को दे दे लेकिन बीमारी की हालत में ऐसा नहीं कर सकता।

4– मरने वालों को नसीहत

जिस समय कोई मुसलमान मरने के क़रीब हो उसे क़िब्ले रुख़ लिटा दें और सूर: यासीन सुनाएं और पास बैठ कर ऊंची आवाज़ से कलिमा पढ़ें लेकिन मरने वाले को मजबूर न करें कि वह भी कलिमा पढ़े।

नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जिसका खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह पर होता है वह जन्नती है। जब यह आदमी मर जाए तो पास बैठने वाले उसकी आंखे बन्द कर दें और लाश को कपड़े से ढांक दे। हामला औरत मर जाए और पूरे विश्वास के साथ मालूम हो कि बच्चा पेट में ज़िन्दा है तो मय्यत का पेट चीरकर बच्चे को निकाल लेना सही है।

5- मय्यत पर मातम करने की मनाही

नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि जो आदमी मरने वाले के ग़म में बयान करके रोएगा, गाल पीटेगा, गरेबान चाक करेगा या ऐसी बातें मुंह से निकालेगा जिनसे अल्लाह की नाशुक्री पायी जाए तो वह हम में से नहीं। (सहीहीन मिश्कात 140)

इसी तरह रोने और शिकायतें करने को नबी सल्ल० ने कुफ्र की निशानी बतायी है फिर यदि मरने वाला इस प्रकार के रोने को बुरा नहीं समझता था तो वह भी अज़ाब का शिकार होगा। नबी सल्ल० ने फ़रमाया कि जो चिल्लाकर और बयान करके रोए मैं उससे सख्त नफ़रत करता हूं और बेहतर सब्र वह है जो सदमा पहुंचने के समय किया जाए मुसलमान को चाहिए कि मुंह से कोई ऐसी बात न निकाले कि जिससे शिकवा व शिकायत मालूम हो। (सहीहीन मिश्कात 142)

एक सहाबी बीमार थे नबी सल्ल० उनकी इयादत को तशरीफ़ ले गए। इत्तिफ़ाक़ से उसी समय उनकी रूह शरीर से निकल गयी। उनकी आंखे खुली हुई थीं और शरीर अभी तक गर्म था। आपने आंखे बन्द कीं और फ़रमाया कि जब आदमी की रूह निकलती है तो उसकी आंखे पीछे लगी रहती है। घर वालों ने चिल्लाकर कर रोना शुरु किया आपने फ़रमाया अपने लिए नेक दुआ करो क्योंकि फ़रिश्ते तुम्हारी बातों पर आमीन कहते हैं।

(मुस्लिम-916)

इससे स्पष्ट हो गया कि रोने वाले को इस बात पर ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि कोई बेजा और ग़लत कलिमात ज़बान से न निकलने पाए हां यदि बे अख्तियार रोने की आवाज़ निकल आए तो कोई बात नहीं और यदि जान बूझकर चिल्लाकर रोएंगे तो शैतान अपना दख़ल करेगा। नबी सल्ल० ने मातम करने वालियों पर लानत फ़रमायी हैं। (सहीहीन मिश्कात 242)

6– आंसुओं से रोने की अनुमति

नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया कि आंसुओं से धीरे-धीरे रोना खुदा की रहमत है जब आपके बेटे इब्राहीम की वफ़ात हुई तो आपने रोकर ज़बान से फ़रमाया कि ऐ इब्राहीम! हम तेरी जुदाई से सख़्त दुखी हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि यदि कोई आदमी दुखी स्थिति में ग़म व हसरत का बयान ज़बान से निकाल बैठे तो जायज़ है। कुरआन मजीद में आया है कि जब मुसलमान सुन्नत पर अमल करते हुए मर जाता है तो उसके ग़म में आसमान व ज़मीन रोते हैं और काफ़िर व इन्कारी के मरने से खुश होते हैं। (सूर: दुखान)

7– बच्चों की मौत पर सब्र व शुक्र

जब किसी का बच्चा मर जाए और मां-बाप सब्र शुक्र करें तो उनके लिए जन्नत में एक महान महल बनाया जाता है और बैतुलहम्द के साथ उसे मशहूर किया जाता है जिस नेक मुसलमान के तीन बालिग़ बच्चे मर जाएंगे तो वह जहन्नुम में दाखिल न होगा बल्कि जन्नत में जाएगा। पुल सिरात से तुरन्त गुज़र जाएगा और जिसके दो बच्चे मरे हों उसके लिए भी यही बशारत है बशर्ते कि मातम न किया जाए। बेसब्री जाहिर न की जाए। नबी सल्ल॰ ने नेक औरतों के हक़ में फ़रमाया कि जिसके दो-तीन ना बालिग़ बच्चे मर जाएं और वह सवाब आखिरत में चाहें तो उन्हें अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा।

8– मय्यत को गुस्ल देना व कफ़नाना

मय्यत को गुस्ल देना वाजिब है। गुस्ल देते समय उसका सतर न खोलें बल्कि सतर पर एक मोटा कपड़ा डालकर गुस्ल कराएं। पहले अच्छी तरह पाक कराएं फिर कुल्ली व नाक में पानी देने के अलावा सारा वुज़ू ऐसे

ही कराएं जैसे नमाज़ का वुज़ू होता है लेकिन वुज़ू की शुरुआत दायीं ओर से हो। इसके बाद सर व दाढ़ी साबुन से अच्छी तरह मलकर धोएं और सीधी करवट पर लिटाकर सारा शरीर नरमी से धोएं और जब इस ओर धो लें तो दूसरी ओर की करवट से लिटाकर उस ओर का शरीर साफ़ करें। सारे शरीर पर हाथ पहुंचाएं और एक-एक जोड़ को तीन-तीन या पांच-पांच बार धोएं। यदि ज़रूरत हो तो इससे ज़्यादा बार धोएं लेकिन ताक़ अंक का ख्याल रहे। पानी गर्म करते समय बेरी के पत्ते या कोई और खुश्बूदार पत्ते डाल लें और सबसे अन्त में वह पानी बहाएं जिसमें काफ़ूर की खुश्बू मिली हो।

औरत के बालों के तीन हिस्से करें और चोटियां गूंध कर नीचे डाल दें। गुस्ल देने के बाद मय्यत के उन स्थानों (अंगों पर) काफ़ूर मलें जो कि वुज़ू के समय धोए जाते हैं। इसके अलावा पांव के पंजे पर भी मलें। औरत की चोटी सीने पर डालना सख़्त मना है और सुन्नत के खिलाफ़ है। जो लोग लड़ाई (जंग) में शहीद हों उन्हें गुस्ल न देना चाहिए बल्कि जिस हालत में शहीद हों उसी हालत में उन्हीं कपड़ों के साथ दफ़्न कर देना चाहिए। इनके अलावा और तमाम शहीदों को गुस्ल भी देना कफ़्न भी देना और नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ना चाहिए।

(सहीहीन मिश्कता 135, अबूदाऊद इब्ने माजा)

यदि कोई मुर्दा बिना गुस्ल दिए दफ़्न किया गया और अन्दाज़ा है कि अभी लाश गली सड़ी न होगी तो क़ब्र से निकाल कर गुस्ल दें फिर दफ़्न करें। मय्यत के नहलाने वाले को गुस्ल करना और जनाज़ा उठाने वालों को वुज़ू करना मुस्तहब है। फ़र्ज़ व वाजिब नहीं। जो लोग मय्यत को नहलाते समय कुछ पढ़ते हैं वह नबी सल्ल० से साबित नहीं। मर्द अपनी औरत को और औरत अपने मर्द को गुस्ल दे सकते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ि० को हज़रत अली रज़ि० ने गुस्ल दिया था और जनाब अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि० को उनकी पत्नी असमा रज़ि० ने नहलाया था और यही बात अफ़ज़ल व बेहतर है। आजकल

जाहिलों में मशहूर है कि यदि पत्नी मर जाए तो पति न उसका मुंह देख सकता है न उसके जनाज़े को हाथ लगा सकता है। यह ग़लत व जिहालत की बातें हैं। (अबूदाऊद तिर्मिज़ी इब्ने माजा 126)

मर्दों को तीन सफ़ेद कपड़ों में कफ़नाना चाहिए जैसे भी मिल सकें यदि तीन न हों तो दो या एक ही कपड़े में कफ़नानाया जा सकता है। औरतों के लिए चाहें तो पांच कपड़े लेकिन यदि पाच न मिलें तो जितने भी हो सकें सही है लेकिन पांच से ज़्यादा ठीक नहीं हैं।

पांच कपड़े इस तरह से हों- 1-रूमाल जिससे पूरा सर लिपट सके 2-सीना बन्द जो कफ़नी के नीचे रख कर सीने से घुटनों तक लपेट दिया जाए। 3-4, दो चादरें 5-एक मामूली कफ़नी जिससे सारा शरीर छिप जाए। मय्यत को जहां तक हो सके क़ीमती कपड़े का कफ़्न देना सही नहीं। यदि हाजी एहराम की हालत में मर जाए तो इसी हालत में बिना नंगे सर दफ़्न कर दें क्योंकि क़ियामत के दिन ये लोग इसी हुलिए पर लब्बैक के नारे बुलन्द करते हुए मैदाने हश्र में आएंगे। (बुखारी मिश्कता 136)

मय्यत को नए कपड़े का कफ़न देना मुस्तहब है और बेहतर कफ़्न लुंगी या चादर है यदि कपड़े की तंगी हो तो दो-दो शहीदों को एक-एक कपड़े में कफ़नाना सही है। नबी सल्ल० तीन सूती कपड़ों में कफ़नाए गए। आपके सर मुबारक पर न अमामा बांधा गया न आपको कुर्ता पहनाया गया। इसके अलावा और जो कपड़े प्रचलित हैं उनका सही हदीसों में सबूत नहीं मिलता। इसलिए यह खुली बिदअत है। (सहीहीन मिश्कात 135)

9- जनाज़ा उठाना और ले जाना

जब जनाज़ा तैयार हो जाए तो मुसलमान उसे कांधों पर जल्द उठा लें और मामूली चाल से ज़रा तेज़ चलें और क़ब्रिस्तान में ले जाकर दफ़्न करें।

आपने फ़रमाया मय्यत को तेज़ ले चलो क्योंकि यदि नेक हैं तो अपनी मुराद पर जल्द कामयाब होगा और यदि बुरा है तो तुम्हारी गरदनें उसके बोझ से जल्द हल्की होंगी। जनाज़े के साथ बिना किसी ज़रूरत व वजह के सवार होकर न चलना चाहिए और यदि किसी शरअी वजह से सवार होकर चले तो जनाज़े से पीछे थोड़ी दूरी पर रहे। पैदल आदमी जिस तरह चाहें दायीं बायीं आगे पीछे चलें मगर जनाज़े से क़रीब रहें।

(बुखारी मिश्कात 126 अबूदाऊद मिश्कात)

जिसने तीन बार जनाज़े को उठाया उसने उसका हक़ दिया फिर जितना उसे उठाया जाएगा अधिक सवाब पाएगा। जनाज़ा किसी का भी हो उसे देखकर खड़ा हो जाना मुस्तहब है। जो केवल नमाज़ जनाज़ा पढ़ने तक मय्यत के साथ रहेगा वह उहद पहाड़ के बराबर सवाब पाएगा और जो दफ़्न होने तक साथ रहेगा वह नेकियों के दो पहाड़ के बराबर नेकियां कमाएगा। औरतों को जनाज़े के साथ जाना सही नहीं है।

(तिर्मिज़ी मिश्कात 138, बुखारी 140)

मरे हुए की प्रशंसा करे उसे बुरा कहना मना है। तौहीद परस्त मुसलमान जिस मय्यत के हक़ में कहेंगे यह अच्छा था वह जन्नती होगा। इन्शाअल्लाह और जिस आदमी के हक़ में मुसलमान बुरी भावना रखेंगे उस पर जहन्नुम वाजिब होगी। यदि अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा क्योंकि हुज़ूर सल्ल० का फ़रमाना ग़लत नहीं हो सकता। आपने फ़रमाया है जिस तौहीद परस्त मुसलमान के हक़ में चार या तीन या दो ही तौहीद परस्त भलाई की गवाही देंगे अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जब तक जनाज़ा ज़मीन पर रखा न जाए बैठना सख़्त मना है। (सहीहीन मिश्कात 130)

10- जनाज़े की नमाज़ की फ़ज़ीलत व एहकाम

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है जिस जनाज़े पर चालीस तौहीद परस्त

मुसलमान नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह उस मय्यत की बख्शिश कर देगा। और फ़रमाया जिसके जनाज़े पर तीन पंक्तियां सच्चे मुसलमानों की नमाज़ पढ़ें अल्लाह उसके वास्ते जन्नत वाजिब कर देगा। जनाज़े की नमाज़ मुसलमानों पर वाजिब है। यदि मुर्दा दफ़्न हो चुका हो तो जनाज़े की नमाज़ क़ब्र पर पढ़ ली जाए। जनाज़ा यदि मर्द का है तो इमाम मय्यत के सर के सामने खड़ा हो और यदि औरत का है तो नाफ़ के सामने खड़ा हो। (सहीहीन मिश्कात 136 तिर्मिज़ी इब्ने माजा)

नबी सल्ल० ने बैज़ा के दोनों बेटों पर नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ी थी तो जनाज़े की नमाज़ चाहे मस्जिद में पढ़े चाहे जंगल में। जहां भी पढ़े ठीक है। औरतें भी जनाज़े की नमाज़ मस्जिद में पढ़ें तो सही है दूसरे शहरों से किसी के मरने की खबर यदि पहुंचे तो उस दिन लोग उसका जनाज़ा पढ़ें तो सुन्नत है। (सहीहीन मिश्कात 136)

जो आदमी आत्म हत्या करता तो नबी सल्ल० उसका जनाज़ा न पढ़ते न आप क़र्ज़दार के जनाज़े की नमाज़ पढ़ते थे जब तक उसका क़र्ज़ा अदा न किया जाता था या उसके कर्ज़े की कोई ज़मानत न लेता था और फ़रमाते थे कि मुसलमान की रूह उसके कर्ज़े की वजह से अटकी रहती है जब तक उसका क़र्ज़ अदा नहीं किया जाता। लेकिन सहाबा आपके हुक्म से ऐसे लोगों पर नमाज़ पढ़ते थे आप ही स्वयं न पढ़ते थे। (मुस्लिम, बुखारी मिश्कात)

मासिक धर्म व निफ़ास की हालत में जो औरत मर जाए या जो संगसार की जाए सबकी जनाज़े की नमाज़ पढ़नी चाहिए मगर काफ़िर, कपटाचारी, मुरतद, मुश्रिक और हदीस के इन्कारी के जनाज़े की नमाज़ पढ़ना सही नहीं है। न इन लोगों पर जनाज़ा पढ़ना साबित है। (सहीहीन मिश्कता 137)

यदि कई मय्यतें जमा हो जाएं तो सबकी एक ही नमाज़ पढ़ें। एक नमाज़ काफ़ी हो सकती है। जो बच्चा कच्चा हो जिसमें रूह न पड़ी हो और

वैसे ही यदि मरा हुआ पैदा हो तो उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ने में मतभेद है पढ़े या न पढ़े। (तिर्मिज़ी)

जनाज़े की नमाज़ में चाहे चार तकबीरें कहे या पांच। दोनों साबित हैं। बल्कि चार तकबीरों की रिवायतें अधिक मज़बूत हैं और कुछ सहाबा से छ: तकबीरें भी आयी हैं जनाज़े में सूर: फ़ातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है। धीरे पढ़े या पुकार कर। सूर: फ़ातिहा के साथ और सूर: का पढ़ना भी आया है। जो आदमी जनाज़े की नमाज़ में पीछे आकर शरीक हुआ हो वह इमाम के साथ तकबीरें कहें और सलाम फेरने के बाद बाक़ी जो तकबीरें रह गयी हों उनको पूरा करे। (मुस्लिम, मिश्कात 126, सहीहीन मिश्कात 126)

यदि इमाम भूलकर तीन तकबीरों पर सलाम फेर दे और फिर स्वयं या किसी के याद दिलाने से याद आए तो उसी समय चौथी तकबीर भी कह ले और दुआ पढ़कर सलाम फेर ले। और फ़रमाया जनाज़े की नमाज़ में न रुकू है न सज्दा। इस नमाज़ में खड़े होकर रफ़अयदैन के साथ केवल तकबीरें कही जाती हैं और क़िरअत और दुआ है। इसके बाद खड़े-खड़े सलाम फेरना है। मय्यत के वली (सरपरस्त) का जनाज़े की नमाज़ पढ़ाना बेहतर है या जिसे वह इजाज़त दे दे। यदि मुर्दों की अनेक लाशें जंगल में पायी जाएं और उनमें से कुछ का मुसलमान होना मालूम न हो तो सबको सामने करके जनाज़े की नमाज़ अदा करें।

11- जनाज़े की नमाज़ का तरीक़ा और दुआ

अनअबी हुरयरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा इज़ा सल्लयतुम अलल मय्यिति फ़ अख़लिसू लहुद दुआआ

नबी सल्ल० ने फ़रमाया जब तुम मुर्दे पर नमाज़ पढ़ो तो खालिस उसके वास्ते दुआ करो। (अबूदाऊद इब्ने माजा)

जनाज़े की नमाज़ इस तरह पढ़नी चाहिए कि पहले इमाम व मुक़तदी तकबीरे तहरीमा कहकर धीरे से वह दुआ पढ़ें जो हर नमाज़ में तहरीमा के बाद पढ़ते हैं फिर आऊज़ुबिल्लाह व बिस्मिस्मिल्लाह पढ़ें। इसके बाद पुकार कर या धीरे से सूर: फ़ातिहा पढ़े चाहें तो और सूर: भी मिला लें जब क़िरअत से निमट जाएं तो रफ़अ यदैन करके दूसरी तकबीर कह कर वही दरूद शरीफ़ पढ़ें जो हर नमाज़ में पढ़ते हैं और रफ़अ यदैन करके फिर तीसरी तकबीर के बाद वह दुआ पढ़ें जो मुर्दों के हक़ में सब दुआओं से बेहतर है नबी सल्ल० ने एक जनाज़े पर इस दुआ को पुकार कर पढ़ा है और हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि मैंने नबी सल्ल० के पुकार कर पढ़ने से इस दुआ को याद कर लिया और कहा काश यह जनाज़ा मेरा होता क्या अच्छा होता।

(बुख़ारी मिश्कात, नसई)

वह दुआ यह है-

अल्लाहुम्मग़्फ़िर लहु वरहमहु व आफ़िहि वाअफु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मदख-ल-हु व अग़सिलहु बिलमाई वस्सलजि वल ब-र-दि व नक़्क़िहि मिनल ख़ताया कमा नुक़्क़ीतुस्सवबा अबयज़ु मि-नद द-ज़्न-सि व अबदिलहु दारन ख़यरम मिन दारिहि व अहलन ख़यरम मिन अहलिहि व ज़वजन ख़यरम मिन ज़वजिहि व अदख़िलहुल जन्नता व आजिज़हु मिन अज़ाबिल क़बरि व मिन अज़ाबिन्नार०

"ऐ अल्लाह इसके गुनाह बख़्श दे और इस पर रहमत कर और बख़्श इसे और इसकी ख़ता माफ़ कर और इसका ठिकाना अच्छा कर, और इसकी क़ब्र को बड़ा कर दे और इसे पानी, बर्फ़ व ओले से पाक कर दे, जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से साफ़ किया जाता है और बदले में इसे घर (जन्नत में) इसके (दुनिया के) घर से बेहतर और इसके घर वाले इसके घर वालों से बेहतर और पत्नी इसकी पत्नी से बेहतर और दाखिल कर इसे जन्नत में और

क़ब्र व जहन्नुम के अज़ाब से पनाह दे।

(अहमद, अबदाऊद, तिर्मिज़ी)

अल्लाहुम्मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़क-रिना व उनसाना

"ऐ अल्लाह बख़्श दे हमारे ज़िन्दों और मुर्दों के गुनाह और हमारे हाज़िर व ग़ायब के गुनाह और हमारे छोटों व बड़ों के गुनाह और हमारे मर्दों व औरतों के गुनाह।"

अल्लाहुम्मा मन अहययतहु मिन्ना फ़ अहयिहि अलल इस्लामि वमन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़ त वफ़्फ़हु अलल ईमान॰

"ऐ अल्लाह जिसे ज़िन्दा रखे तू हम में से तो इस्लाम पर ज़िन्दा रख और जिसे मारे तू हममे से उसे ईमान पर मार।"

अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ़तिन्ना बाअदहु॰

(अबू दाऊद मिश्कात 1395)

"ऐ अल्लाह हमको इस सवाब से महरूम न रख और इसके पीछे हमको फ़ित्ने में न डाल"

और चाहे तो यह दुआ पढ़े-

अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बुहा व अन्ता ख़लक़तहा व अन्ता हदयतहा इलल इस्लामि व अन्ता क़बज़ता रूह-हा व अन्ता आलमु बिसिर्रिहा व अला-नियतिहा जिऊना शुफ़-आ आ बिका फ़अग़फ़िर लहु॰ **(बुखारी मिश्कात)**

"ऐ अल्लाह तू इसका रब है तूने इसे पैदा किया है और तूने ही इसे इस्लाम की हिदायत दी है और तूने ही इसकी जान ली है और तू ही सब कुछ जानने वाला है इसके खुले व छिपे को। हम तेरे पास इसकी शिफ़ाअत करने

आए हैं तो तू इसे बख़्श दे।"

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० आदि कुछ बच्चों की नमाज़ जनाज़ा में दुआ के बाद यह भी पढ़ते थे-

अल्लाहुम्मज अलहु लना सलफ़न व फ़रतन व ज़ुख़ुरन व अजरन व आअिज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र॰ (मालिक मिश्कात)

"ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारे वास्ते गवाह और पेशवा और सवाब का कारण बना दे। ऐ अल्लाह इसे क़ब्र के अज़ाब से बचा।"

हर तकबीर के साथ रफ़अयदैन करें। इमाम यदि जनाज़े की दुआएं पुकार कर पढ़े तो यह भी जायज़ है फिर इमाम पुकार कर दोनों ओर सलाम फेरे। मुक़्तदी भी धीरे से सलाम कहें। नमाज़ के बाद जनाज़े के पास कुछ सूरतें या दुआएं पढ़ना साबित नहीं इसलिए ऐसा करना बिदअत है। यदि ऐसे मुर्दे पर जनाज़े की नमाज़ पढ़ने की नौबत आ जाए जिसका कपट और बुराई मालूम हो तो नमाज़ में अपने और मुसलमानों के वास्ते मग़फ़िरत की दुआ करें। ऐसी मय्यत के वास्ते मग़फ़िरत की दुआ की नीयत भी न करें क्योंकि इससे कुरआन शरीफ़ में अल्लाह ने मना फ़रमाया है। (मालिक मिश्कात 139)

स्वयं नबी सल्ल॰ ने अपनी मां की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से इजाज़त मांगी थी मगर इजाज़त न मिली और यह हुक्म आया कि किसी नबी का और किसी सच्चे मुसलमान का यह काम नहीं हैं कि मुश्रिकों के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करे यद्यपि उनके रिश्तेदार ही क्यों न हों।

(मुस्लिम मिश्कात 146, सूर: तोबा)

12- मय्यत को क़ब्र में उतारना

अनबदिल्लाहिब्नि उम-र क़ाला समिअतुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा यकूलू इज़ा माता अ-ह-दुकुम फ़ला तहसिबूहु व

असरिअू बिहि इला क़बरिहि वल यक़रऊ इन्दा रासिहि फ़ातिहल ब-क़-रति व इन्दा रिजलयहि बिख़ातिमतिल ब-क़-रति॰

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ कहते हैं मैंने नबी सल्ल॰ से सुना है फ़रमाते थे जब तुम में से कोई मर जाए तो उसे रोक न रखे बल्कि जल्दी उसे क़ब्रिस्तान ले जाओ। दफ़्न करने के बाद क़ब्र पर सरहाने सूर: बक़रा की शुरु की आयतें और पांव के पास सूर: बक़रा की अन्तिम आयतें पढ़ना चाहिए।" (बहीक़ी फ़ी शोबुल ईमान)

इससे पता चला कि जनाज़े की नमाज़ से निमट कर मय्यत को जल्द दफ़्न कर देना चाहिए। क्योंकि यदि मुर्दा नेक होता है तो उसकी रूह पुकारती है कि मुझे जल्द मेरे ठिकाने पर ले चलो और यदि मुर्दा बुरा होता है तो उसकी रूह मिन्नत करतीं है कि कहां विनाश की जगह मुझे लिए जाते हो और इतना चीख़ता है कि उसकी आवाज़ को सिवाए जिन्न व इन्सान के अल्लाह की हर मख़लूक़ सुनती है। (बुख़ारी मिश्कात-136)

नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया है कि मुर्दा यदि जन्नती है तो जन्नत में और यदि जहन्नुमी है तो जहन्नुम में जहां उसकी जगह अल्लाह ने मुक़र्रर कर दी है। वह हर दिन सुबह व शाम दिखायी देती है।

(बुखारी मिश्कात 136)

सूरज उदय होते व अस्त होते और ज़वाल (दोपहर) के समय मुर्दे की नमाज़ पढ़नी या उसे दफ़्न करना मना है। जब सूरज निकल कर ऊंचा हो जाए या शाम को अस्त हो जाए उस समय दफ़्न करें या नमाज़ पढ़ें। धूप के ज़र्द होने के बाद नमाज़ पढ़ना या दफ़्न न करना चाहिए। बेहतर यही है कि मय्यत दिन को दफ़्न की जाए। ज़रूरत पर रात को भी दफ़्न करने में कोई हरज नहीं। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ रात ही को दफ़्न हुए हैं। क़ब्र गहरी, साफ़ और चौढ़ी होनी चाहिए। बग़ली क़ब्र सुन्नत है। नबी सल्ल॰

भी बग़ली ही क़ब्र में दाखिल हुए हैं। सन्दूकची क़ब्र भी साबित है। क़ब्र की पाएंती से पहले मय्यत का सर दाखिल करें। पश्चिम की ओर से दाखिल करना साबित नहीं। यदि क़ब्र की पाएंती की ओर जनाज़ा रखने की जगह न मिले और क़िब्ले की ओर से आसानी हो तो उसी ओर से मय्यत को उतारे। दफ़्न करते समय यह दुआ पढ़नी चाहिए।

(बुखारी मिश्कात 136, मुस्लिम मिश्कात 86
अहमद तिर्मिज़ी, अबूदाऊद)

बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा०

"अल्लाह के नाम से और नबी सल्ल० के मज़हब पर इसे क़ब्र में रख रहे हैं।"

फिर क़ब्र को बन्द करके तीन-तीन लपें सब मुसलमान मिट्टी क़ब्र पर डालें और क़ब्र को ऊंट के कोहान की तरह बना दे और एक बालिश्त से अधिक ऊंचा न करें और ऊपर पानी छिड़क दें। फिर सब मुसलमान मिलकर मय्यत के वास्ते हाथ उठाकर दुआए मग़फ़िरत करें कि ऐ अल्लाह इस समय आसानी कर इस पर और साबित क़दम रख इसे और मदद कर इस बेचारे की और रहम फ़रमा इस पर ताकि मुन्किर नकीर के सवाल का जवाब इस पर आसान हो। इसी तरह से बहुत देर तक बड़ी हमदर्दी से उसके हक़ में दुआ करनी चाहिए क्योंकि क़ब्र इम्तिहान की पहली घाटी है और बड़ी सख़्त घाटी है अल्लाह इस पहले इम्तिहान में पूरा उतार दे तो बस बेड़ा पार है और आगे फिर खैरियत है इन्शाअल्लाह और जो यहां पूरा न उतरा तो फिर पूरी कमबख़्ती, बदनामी और परेशानी है। (अबूदाऊद मिश्कात)

13- क़ब्र के मसाइल व एहकाम

क़ब्र को पक्की बनाना, या उस पर चराग़ जलाना या चादर चढ़ाना

या फूल चढ़ाना या क़ब्र पर नाच गाना आदि बिल्कुल हराम है और यह बेदीनी की बातें हैं क़ब्र के पास बैठकर कुरआन पढ़ना या पढ़वाना मना है क़ब्र पर कलिमा या मुर्दे का नाम आदि लिखना हराम है। मुर्दे की हड्डी तोड़ना गुनाह है लाश को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक शहर से दूसरे शहर में न लें जाएं बल्कि जिस जगह वह मरा हो वहीं दफ़न कर दें।

(तिर्मिज़ी मिश्कात-62-141)

नबी सल्ल० ने क़ब्र की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है और फ़रमाया कि आग पर बैठना क़ब्र पर बैठने से बेहतर है। क़ब्र पर सरहाने की ओर निशान के वास्ते पत्थर खड़ा करना सुन्नत है अच्छे आदमी के पास मय्यत को दफ़्न करना बेहतर है। क़ब्र पर बैठना या उसका तकिया बनाना या उसपर रास्ता चलना मना है। (अबूदाऊद मिश्कात)

ग़ैर मर्द ग़ैर औरत का जनाज़ा क़ब्र में उतारे तो सही है यद्यपि उसका बाप, पति मौजूद हो। जिनके घर में मौत हो जाती थी नबी सल्ल० सहाबा को हुक्म फ़रमाते थे कि उनके घर में खाना पहुंचाओ और उनको खाना खिलाओ। फ़रमाया कि मय्यत जूतों की आवाज़ सुनती है जब लोग उल्टे फिरते हैं इसलिए कि उसमें उस समय रूह डाली जाती है और बिठलाकर सवाल किया जाता है। थोडी देर के बाद फिर रूह को उसके ठिकाने पर पहुंचा देते हैं फिर वह मुर्दा क़ियामत तक नहीं सुन सकता। इस हदीस से पता चला कि जूता पहन कर क़ब्रिस्तान में जाना जायज़ है। (बुखारी मिश्कात 16)

नेक आदमी क़ब्र के सवाल व जवाब में ठीक उतरता है तो उसे जहन्नुम दिखायी जाती है और कहा जाता है कि देख अल्लाह ने इसके बदले में तुझे जन्नत दी है और फिर उसे जन्नत दिखायी जाती है और वह उसे देखता रहता है इसी तरह काफ़िर को जन्नत दिखाकर जहन्नुम का वायदा किया जाता है और वह अज़ाब का शिकार रहता है। मुर्दे को क़ब्र में रखकर कुल के ढेले

डालना और चादर चढ़ाना और रोटी व मिठाई रखना, अगर बत्ती जलाना और क़ब्र पर या उससे हट कर मुर्दे की भलाई की नीयत से अज़ान देना और 40 क़दम हटकर दुआ मांगना बिदअत है। कुछ मुल्कों में बिदअती दफ़न से पहले क़ब्रिस्तान में मिठाई, पैसे, अनाज व शर्बत बांटा करते हैं ये सारे काम बिदअत व नाजायज़ हैं।

14- क़ब्रों की ज़ियारत

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि मैंने तुमको क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था मगर अब ज़ियारत किया करो कि क़ब्रों की ज़ियारत में बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मौत का याद आना, दुनिया को खत्म होने वाली समझना, आखिरत का ध्यान दिल में जमाना। खास कर टूटी-फूटी क़ब्रों से ऐसे फ़ायदे हासिल होने की उम्मीद हो सकती है लेकिन इन क़ब्रों की ज़ियारत से जो अच्छी भली नुमाइश गाहें बनी हुई हैं उनसे किसी लाभ की कभी उम्मीद नहीं हो सकती। (मुस्लिम मिश्कात 146)

फिर दूर-दूर के देशों से खास-खास दिनों में ऐसी क़ब्रों की ज़ियारत के वास्ते सफ़र करना और वहां जाकर नफ़ा व नुक़सान के लिए मदद मांगना और अपनी हाजित के लिए उनको वसीला बनाना और उनके ज़रिए दुआ कराना और जैसी कुछ खराफ़ातें वहां होती हैं उनका बजा लाना, वहां के चढ़ावे को बजाए नापाक समझने के हलाल समझकर बरकत वाला ख्याल करना ईमान खोने के सिवा और कुछ नहीं।

बाक़ी रही शरअी ज़ियारत, उसका तरीक़ा यह है जब क़ब्रों के पास पहुंचे पुकार कर या धीरे से कहें-

अस्सलामु अलयकुम या अहलद दियारि मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इन्शाअल्लाहु बिकुम ल लाहिक़ूना० नसा

अलुल्लाहा लना व लकुमुल आफ़ियता०

"सलाम है तुम पर ऐ ईमानदार और मुसलमान क़ब्र वालो। इन्शा अल्लाह हम तुमसे मिलने वाले हैं हम अपने और तुम्हारे वास्ते अल्लाह से आफ़ियत मांगते हैं। (मुस्लिम मिश्कात 146)

और जब तक क़ब्रिस्तान में रहे मुर्दों के वास्ते मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहें ओर अपनी मौत को याद करें। प्रायः इस ज़माने की कम समझ औरतें नबी सल्ल० के तरीके के खिलाफ़ मातम करती हैं और रोती पीटती हैं इस तौर से ज़ियारत करने वालियों पर नबी सल्ल० ने लानत की है। ऐसी औरतों को क़ब्रिस्तान जाने की इजाज़त देना स्वयं लानत वाला बनना और उन्हें बनाना है और औरतों को मेले तमाशे में जाना जहन्नुम मोल लेना है।

खाना काबा, मस्जिदे नबवी, बैतुल मुक़द्दस के सिवा और ज़ियारतों के लिए सफ़र करके जाने को नबी सल्ल० ने मना फ़रमाया है। जब मदीना पहुंचे तो नबी सल्ल० की क़ब्र शरीफ़ और वहां के क़ब्रिस्तान की जियारत मर्द-औरतें सुन्नत के अनुसार करे।

नबी सल्ल० ने अपनी वफ़ात के क़रीब फ़रमाया था लानत करे अल्लाह यहूदियों व ईसाइयों पर कि उन्होंने नबियों की क़ब्रों को सज्दागाह बना लिया। तुम खबरदार क़ब्रों को सज्दागाह न बनाना मैं तुमको मना करता हू और दुआ की कि ऐ अल्लाह! मेरी क़ब्र को बुत न बनाइयो कि पूजी जाए।

अल्लाह का उस क़ौम पर बड़ा गुस्सा होता है जो अपने पेशवाओं की क़ब्रों को सज्दे करती हैं तो अल्लाह ने नबी सल्ल० की दुआ कुबूल की और आपके रोज़ा मुबारक को बुत बनने से बचा लिया। अपने रिश्तेदार यद्यपि काफ़िर हों उनकी क़ब्रों की ज़ियारत जायज़ है मगर उनके वास्ते मग़फ़िरत की दुआ न करें क्योंकि नबी सल्ल० ने अपनी मां के वास्ते मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाज़त मांगी तो हुक्म हुआ बस केवल क़ब्र की ज़ियारत कर सकते

हो।

15- नेक व बुरे लोगों की रूहें

अन अबदिर्रहमानिब्नि काअबिन अन अबीहि अन्नहु काना युहदिसु अन्नारसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमा क़ाला इन्नमा नसमतुल मोमिन तयरून तअल्लुकु फ़ी श-जरिल जन्नाते हत्त यरजिअहुल्लाहु फ़ी ज-स-दिहि यवमा यबअसुहु॰

"अब्दुर्रहमान बिन काअब ने अपने बाप से रिवायत की है कि नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया मोमिन की जान परिन्दे की तरह जन्नत के पेड़ पर रहेगी यहां तक कि अल्लाह फिर उसको क़ियामत के दिन उसके बदन में पहुंचाएगा।

मुसलमान जब मरने के क़रीब होता है तो कई फ़रिश्ते रोशन चेहरे वाले जन्नत से उसके वास्ते कफ़न व ख़ुश्बू मुश्क आदि लाकर उसके सामने? अदब से बैठ जाते हैं फिर मलकुल मौत वहां आकर नर्म आवाज़ से कहते हैं "ऐ जाने पाक निकल" तो उसकी रूह बड़ी आसानी से निकल कर? मल-कुल मौत के हाथ आ जाती है।

फिर वह जन्नती फ़रिश्ता उसे लेकर जन्नती कफ़न पहनाकर और ख़ुश्बू लगाकर आसमान की ओर ले जाता है जो फ़रिश्ते कि आसमान व ज़मीन में सैर करते फिरते हैं वे उनसे पूछते हैं यह पाक रूह किसकी है? वे फ़रिश्ते उनके सामने उसका प्रशंसा करते हैं फिर आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और पहले आसमान के फ़रिश्ते उसके साथ हो लेते हैं दूसरे आसमान तक और दूसरे आसमान के फ़रिश्ते तीसरे आसमान तक। यहां तक कि सातवें आसमान तक उसको ले जाते हैं।

(अहमद मिश्कात 135)

अल्लाह फ़रमाता है रख दो मेरे बन्दे का आमालनामा अिल्लीय्यीन में और उसकी रूह ज़मीन पर ले जाओ जहां उसका शरीर दफ़न होने वाला

है और फिर उसके शरीर में उसे डाल दो (क्योंकि इससे अल्लाह के कानून के अनुसार सवाल होने वाला हैं)

अतएव जब लाश दफ़न हो जाती है तब उस रूह को उसके शरीर में डाल देते हैं फिर दो फ़रिश्ते मुन्किर नकीर नाम के आते हैं और उसे क़ब्र में बिठलाकर पूछते हैं।

मन रब्बुका? "तेरा रब कौन है?"
मुर्दा जवाब देता है...
रब्बियल्लाहु "मेरा रब अल्लाह है"

फिर फ़रिश्ते पूछते हैं-
मा दीनुका? "तेरा दीन क्या है?"
यह जवाब देता है
दीनियल इस्लामु? "मेरा दीन इस्लाम है"

फिर पूछते हैं..

मा तकूलु फ़ी हाज़र्रजुलिल्लज़ी बुअिसा फ़ीकुम
"वह कौन आदमी है जिनको तुम्हारे पास ख़ुदा ने भेजा था?"
वह कहता है..
हुवा रसूलुल्लाहि..वह अल्लाह के पैग़म्बर हैं

फ़रिश्ते पूछते हैं-तूने क्यों कर जाना कि यह ख़ुदा के सच्चे पैग़म्बर हैं?

वह जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है (और उसका मतलब समझा है) और मैं उस पर ईमान लाया हूं और मैंने उसे सच्चा जाना है।

इस समय अल्लाह की ओर से निदा आती है सच्चा है मेरा बन्दा बिछा दो इसके वास्ते उसकी कब्र में जन्नत का बिछौना और पहना दो उसे

जन्नत का लिबास और खोल दो उसके वास्ते जन्नत का रास्ता।

फिर उसे जन्नत की खुश्बूदार हवा आने लगती है और उसकी क़ब्र बड़ी कर दी जाती है जहां तक उसकी निगाह जाती है फिर एक सुन्दर आदमी अच्छे खुश्बूदार कपड़े पहने हुए आता है और कहता है कि मैं तेरा नेक अमल हूं। उस समय यह आदमी कहता है.. ऐ अल्लाह! जल्दी से क़ियामत क़ायम कर दे ताकि मैं अपनी मुराद को पहुंचूं।

जब काफ़िर व मुश्रिक व अवज्ञाकारी आदमी मरने लगता है तो उसके पास जहन्नुम के फ़रिश्ते जिनके मुंह काले और डरावनी शक्ल होती है आते हैं और उनके साथ टाट के बदबूदार थैले जहन्नुम के होते हैं और वे फ़रिश्ते मरने वाले के सामने बैठ जाते हैं फिर हज़रत मलकुलमौत आकर कहते हैं "निकल आ ऐ जाने नापाक खराबी व ज़िल्लत के साथ!" तब वह रूह छिपने लगती है और अल्लाह के अज़ाब से घबराती है।

फिर मलकुल मौत उसकी जान को बड़ी तकलीफ़ के साथ निकालते हैं और वह जहन्नुमी फ़रिश्ते उसे उनसे ले लेते हैं और इस बदबूदार टाट में लपेट कर आसमान की ओर ले जाते हैं और उस ख़बीस रूह की बदबू चारों ओर फैल जाती है और फ़रिश्ते पूछते हैं यह रूह नापाक किसकी है? फ़रिश्ते उसका नाम बुराई से लेकर कहते हैं यह फ़लां बदबख़्त, फ़लां का बेटा, या बेटी है। जब आसमान के पास पहुंचते हैं तो उसके वास्ते आसमान के दरवाज़े नहीं खुलते फिर हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने यह आयत इसके सबूत में पढ़ी-

इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना वसतकबरु अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस्समाई वला यदखुलूना जन्नता हत्ता यलिजल ज-म-लु फ़ी सम्मिल ख़ियात० व कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीना लहुम मिन जहन्नमा मिहादुन व मिन फ़वक़िहिम ग़वाश० व कज़ा लिका नजज़िज़्ज़ालिमीन० (सूरः आराफ़ रुकू 5)

"बे शक जिन लोगों ने झुठलाया हमारी आयतों को और उनसे बे परवाही की, न खोले जाएंगे उनके वास्ते दरवाज़े आसमान के और न दाखिल होंगे वे जन्नत में यहां तक कि ऊंट दाखिल हो सूई के नाके में और इसी तरह बदला देते हैं हम अवज्ञाकारियों को, उनके वास्ते बिछौना जहन्नुम का और उनके ऊपर ओढ़ना (जहन्नुम का) इसी तरह बदला देते हैं हम ज़ालिमों को।

फिर अल्लाह फ़रमाएगा कि उसका आमालनामा सिज्जिय्यीन में लिखो। सिज्जिय्यीन उस जगह का नाम है जहां अवज्ञाकारियों की रूहें रहती हैं और वे सातवीं ज़मीन के नीचे है। उस समय फ़रिश्ते उसे ज़मीन की ओर फैंक देते हैं और ये अज़ाब के फ़रिश्ते उसे उचक लेते हैं और क़ब्र पर ले आते हैं। क़ब्र में दफ़न करने के बाद मुर्दे में रूह डाली जाती है और बिठाया जाता है फिर सवाल किया जाता है-

तेरा रब कौन है-?
वह कहता है- 'हाय हाय मैं नहीं जानता।"

फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है?
वह कहता है 'हाय हाय मैं नहीं जानता।'

फिर पूछते हैं वह कौन आदमी हैं जो तुम्हारी ओर भेजे गए थे?
वह कहता है 'हाय हाय मैं नहीं जानता।'

फिर आवाज़ आती है झूठा है यह बिछादो इसके लिए आग का बिछौना और खोल दो जहन्नुम की खिड़की। अतएव ऐसा ही किया जाता है और उसे जहन्नुम की आग की लपटें पहुंचती रहती हैं और सांप बिच्छू काटते हैं फिर फ़रिश्ते उसे लोहे के भालों से मारते हैं जिसके सदमे से मुर्दा चिल्लाता है कि जिन्न व इन्सान के सिवा अल्लाह की हर मख़लूक़ सुनती है फ़रमाया कि यदि तुम पर उनका अज़ाब ज़ाहिर हो जाए तो तुम मुर्दों को दफ़न करना छोड़ दो।

(अहमद अबूदाऊद मिश्कात 18, दारमी मिश्कात)

फिर मुर्दे को हर ओर से क़ब्र भींचती है इतना कि उसकी पसलियां इधर से उधर निकल जाती हैं फिर उसके पास उसका अमल बड़ी बुरी शक्ल बनकर आता है और अपनी बदबू से सड़ा देता है और क़ियामत के बड़े दिन से डराता है। मुर्दा उससे कहता है.. 'दूर हो तू कौन है?'

वह कहता है मैं तेरा वही अमल हूं जो तूने किया था मैं दूर कैसे हो सकता हूं। उस समय मुर्दा घबराता है और कहता है ऐ रब! क़ियामत को कदापि क़ायम न कीजिए।

फ़ायदा- रूहें नेक या बुरी, क़ब्रों से उनका एक खास प्रकार का ताल्लुक़ रहता है जिसे हम नहीं समझ सकते। खास ताल्लुक़ के कारण नेक रूह वाला अपने शरीर की राहत मालूम करके खुश रहता है और गुनह गार अपने शरीर की नापाकी व सख्ती और अज़ाब का बोझ उठाता रहता है। किसी हदीस से साबित नहीं हुआ कि लोगों की रूहें जुमरात या शबे बराअत आदि के दिनों में आती हों और सदक़ा व ख़ैरात मांगती हों। ये सारी रस्में व बातें पेटू मुल्लाओं ने निकाल रखी हैं।

16- मुर्दों को सवाब पहुंचाना

इस ज़माने में मुसलमानों में मय्यत को सवाब पहुंचाने का नया तरीक़ा निकला हुआ है जिससे मुर्दों को तो कभी सवाब नहीं मिलता और करने वाले को नुक़्सान यह है कि अल्लाह और रसूल के विरोधी बनते हैं पैसा बर्बाद होता है और शैतान खुश होता है विधवाओं व यतीमों के हक़ खत्म होते है। हक़दार के हक़ों का हनन होता है मय्यत यदि क़र्ज़दार मरी है तो आखिरत के अज़ाब का शिकार हो जाती है।

इस ज़माने के जाहिल मुसलमानों को जहां देखिए प्रायः इस बला का शिकार हैं जहां उनके यहां कोई मरा और उन्होंने बाप-दादा की पैरवी की।

मुर्दे के साथ अनाज आदि क़ब्रों पर बांटते हैं पैसे बांटते हैं तीसरे दिन तीजा, दसवां, बीसवां, चालीसवां, छ: माही बरसी करते हैं फिर अच्छे खाने, पुलाव, ज़र्दा, बिरयानी, मिठाई और बिरादरी को खाना खिलाते हैं और आपस के बदले उतारे जाते हैं।

कितना ही ग़रीब हो खाना अवश्य देगा। खाना न दे तीजा न करे या कोई बिरादरी वाला न बुलाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे मौत के खानों में शादी की तरह बिरादरी के अमीर व ग़रीब सब शरीक होते हैं यदि सदक़ा व ख़ैरात का नाम लेकर बुलाया जाए तो कोई न आए।

यदि इनसे पूछिए आप किस धर्म व दीन के हैं तो जवाब में इर्शाद होता है एहले सुन्नत वल जमाअत पक्के हनफ़ी। यदि पूछा जाए कि हनफ़ी मसलक की किस फ़िक़्हा की किताब में या चारों मसलकों में से किसी मसलक की किताब में इन रस्मों को लिखा हुआ बता सकते हो? तो जवाब नहीं दे सकते यदि इनके पास कोई जवाब है तो केवल इतना कि हमने तो अपने बाप दादा को ऐसे ही करते देखा है। कुछ कहते हैं हम तो जाहिल हैं कितने ही पढ़े लिखे जो रस्मे करते हैं क्या वे कुरआन व हदीस नहीं समझते? और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं वे फ़रमाते हैं मियां इसमें नुकसान क्या है बुराई तो सदक़ा ख़ैरात में है और क़र्ज़ लेकर खैरात क़रना भी अच्छा ही है इसमें बुराई कौन सी है।

इस जवाब को काफ़ी समझकर असल मतलब को छोड़ देते हैं और वह नहीं जानते कि अल्लाह व रसूल ने हक़दारों के हक़ अदा करने का क्या तरीका फ़रमाया है? यतीमों के माल की हिफ़ाज़त को कुरआन मजीद क्या कहता है? अल्लाह मुसलमानों को समझ दे।

17- सवाब पहुंचाने का सही तरीक़ा

मय्यत को सवाब पहुंचाने का ठीक और सही तरीक़ा यह है कि अल्लाह के वास्ते अपने खास माल से जिसमें किसी यतीम व विधवा और दूसरे रिश्तेदार का कुछ हक़ न हो। उससे ग़रीब मिसकीन और रिश्तेदारों की सेवा करें उन्हें खाना खिला दे कपड़े बना दें, नक़द रक़म से मदद करें।

यदि ताक़त हो तो मय्यत के सवाब की नीयत से कुवां खुदवा दें, मदरसा बनवा दें, यतीम व ग़रीब बच्चों को मदरसा भिजवा दें। यदि मय्यत क़र्ज़दार मरी हो तो पहले उसका कर्ज़ा चुका दें फिर कहीं खैरात का नाम लें।
(अबूदाऊद, नसई मिश्कात 161)

मय्यत की ओर से खाना काबा का हज करें रमज़ान के रोज़े रखें जो उस पर वाजिब हों। जो रोज़े मय्यत छोड़ मरी है उनकी क़ज़ा क़रा दें या नज़र के रोज़े हों तो उनको पूरा करा दें।
(तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, नसई मिश्कात)

यदि माल अधिक है और कोई हक़दार नहीं है तो मोहताजों का वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर दें और किसी काम में दिखावा न हो न दिखावे व नाम की नीयत हो। यदि इस प्रकार सवाब पहुंचाएंगे तो कुरआन के अनुसार मुर्दे को अल्लाह सवाब देगा।

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि जब इन्सान मर जाता है तो उसके सारे अमल खत्म हो जाते हैं। मगर तीन चीज़ें मौत के बाद भी लाभ देती हैं- 1-सदक़ा व खैरात उसका लाभ जारी रहता है 2-दीन का इल्म जिससे लोग लाभ उठाएं 3-नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। यदि सदक़ा खैरात करने की ताक़त न हो तो कर्ज़ लेकर यह काम न करना चाहिए। मय्यत के

हक़ में केवल दुआ ही करना काफ़ी है।

इस तरह ख़ैरात करके दुआ करें कि "ऐ अल्लाह यह मेरा सदक़ा तेरी जनाब में मक़बूल हो तो मेरे मां-बाप या फ़लां आदमी को पहुंचा दे" तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से वह सवाब उसे पहुंचा देगा पैसा भी आपका ठिकाने लगेगा और मुर्दा भी खुश होगा अल्लाह व रसूल तुम से राज़ी होंगे तुम सवाब से महरूम न रहोगे। (मुस्लिम मिश्कात)

जन्नत

और उसके ऐशो आराम

1- जन्नत की विशेषता

बेशक अल्लाह दाखिल करेगा जन्नत में उन लोगों को जो ईमान ले आए और जो सच्चे मुसलमान बने और जिन्होंने नेक अमल किए (आर पैग़म्बर के तरीक़े पर चले) वह जन्नत ऐसी है कि जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। यह हाल उस जन्नत का है जिसका वायदा किया गया है अल्लाह की ओर से डरने वाले मुसलमानों से। (सूरः तलाक़, सूरः मुहम्मद)

इस जन्नत में कई तरह की नहरें हैं कोई दूध की है जिसका मज़ा नहीं बदलता। कोई साफ़ पानी की है जिसकी बू नहीं पलटती। कोई शराब की है जो पीने वालों को स्वाद देती है कोई शहद की है जिस पर झाग नहीं होते अत्यन्त साफ़ और मीठी, स्वादिष्ट। (सूरः मुहम्मद)

और उनके लिए वहा मेवे हैं हर प्रकार के स्वादिष्ट और खुदा की ओर से इन लोगों को वहां माफ़ी है और फ़रमाया कि तुम्हारे वास्ते वहां जो तुम चाहोगे मौजूद है और मेहमानी है हमारी सरकार से।

(सूरः मुहम्मद, हामीम सज्दा)

जन्नतें और उनके नाम

जन्नतें आठ हैं और उनके नाम ये हैं-

1- जन्नते अदन 2-जन्नतुल फ़िरदौस 3-जन्नतुल खुल्द 4-जन्नतुल नईम 5-जन्नतुल मावा 6-जन्नतुल कुरा 7-दारुस्सलाम

४-दारुल मक़ाम

ये बड़ी सफ़ाई व सुन्दरता के साथ बनाए गए हैं। जन्नत की दीवारें एक ईंट सोने की और ईंट चांदी से बनायी गयी हैं और उनमें मुश्क का गारा लगाया गया है जन्नत की कंकरिया मोती व याक़ूत की हैं खाक वहां की ज़ाफ़रान व मुश्क की है। (तिर्मिज़ी दारमी मिश्कात 486-489)

जन्नत के महल व बाग़

जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वह सुख चैन से रहेंगे और हमेशा ज़िन्दा रहेंगे। न उनकी जवानी तबाह होगी और न उनके कपड़े मैले होंगे। हर जन्नती को जन्नत में सौ-सौ दर्जे इतने बड़े मिलेंगे कि जैसे आसमान व ज़मीन और हर मुसलमान के वास्ते दो बाग़ होंगे सोने के। जिसका हर सामान सोने का होगा और दो चांदी के बाग होंगे जिनका हर समान चांदी का होगा। इनके अलावा एक-एक मोती का महल मिलेगा जिसकी लम्बाई-चौड़ाई साठ-साठ मील की होगी। हर महल में परदे वाली औरतें (पत्नियां) रहेंगी जिन्हें न कोई देखेगा और न उनसे उनके पतियों के अलावा कोई बातचीत कर सकेगा। (अहमद तिर्मिज़ी मिश्कात 489)

नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया है जन्नत नूर की तरह चमकदार है और उसमें कोई खतरा नहीं जन्नत में सुखद हवाएं चलती हैं जन्नत के महल बड़े मज़बूत हैं हर महल में नहरें जारी हैं मेवे पके हुए हैं। औरतें कुंवारी जिनपर किसी आदमी या जिन्न ने हाथ नहीं डाला। चेहरे उनके याक़ूत व मूंगे से अधिक उज्जवल व बनाव सिंगार किए हुए हैं हर महल में मौजूद हैं क्योंकि जन्नत हमेशा रहने की जगह है। (सूर: वाक़िआ)

जन्नत वालों के ऐशो आराम

नबी सल्ल॰ ने फ़रमाया है जन्नत में एक कोड़ी के बराबर जगह दुनिया की हर रंगीनी से बेहतर है और फ़रमाया.. जन्नत वाले ऊंचे महलों को इस तरह देखते होंगे जैसे तुम रोशन सितारों को आसमान के किनारों में देखते हो पश्चिम व पूरब की ओर। (बुखारी मुस्लिम मिश्कात 488)

सहाबा ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल॰ ऐसे बढ़िया महल तो खास पैग़म्बरों के वास्ते होंगे? फ़रमाया नहीं, क़सम है अल्लाह की उनको मेरी उम्मत के मुसलमान पाएंगे। और फ़रमाया, खुदा से जन्नतुल फ़िरदौस मांगो और देखेंगे जन्नती लोग जन्नत के झरोकों में से बैठे हुए एक दूसरे को। पर न देख सकेंगे एक दूसरे की पत्नियों को और उनकी पत्नियां एक दूसरे को न देख सकेंगी। (तिर्मिज़ी)

जन्नत में छाया वाले इस प्रकार के तख्त हैं जिनपर (स्वादिष्ट, खुश्बूदार, शहद, शराब, शरबत और दूध के) प्याले भरे हुए रखे हैं और उनपर तकिए बराबर लगे हुए हैं क़ालीन और ऊंची मसनदें उनपर बिछाई हुई हैं। (कुरआन-पारा-30)

और फ़रमाया नेक लोग नेमतों के अन्दर तख्तों पर बैठे हुए हर तरफ के तमाशे देखते होंगे। उनके चेहरों पर जन्नत की नेमतों की हरियाली पायी जाएगी। पिएंगे वे खालिस शराब जिस पर मुश्क की मोहरें लगी होंगी। चाहिए कि उसे पसन्द करने वाले उसे हासिल करने के लिए प्रयास करें। मिलावट उसमें एक चश्मे से होगी जिसमें से खास ही बन्दे पिएंगे। (सूरः मुतफ़्फ़ीफ़ीन)

जन्नत का फैलाव

फ़रमाया जन्नती बन्दे जन्नत में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे हुए अपनी पत्नियों को साथ लिए जन्नती की नेमतें खाते पीते, सैर सपाटे में व्यस्त रहेंगे। हर जन्नत को जन्नती में बड़ा मुल्क प्रदान किया जाएगा चाहे वह कैसा

ही कम हैसियत वाला है दुनिया से दस हिस्से अधिक जिनमें से एक पेड़ के नीचे होकर तेज़ घोड़े का सवार सौ बरस तक चले तो उसे पूरा पार न कर सके। (बुखारी मिश्कात 487)

जन्नत की चौड़ाई और फैलाव अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। जन्नत के दरवाज़े इतने चौड़े हैं कि एक चौखट से दूसरी चौखट तक 40 साल की दूरी है इतने फैलाव के बावजूद नबी सल्ल० की उम्मत के कंधे से कंधा छिलेगा। जन्नत में जाने के बाद जब जन्नतियों का सैर करने को दिल करेगा अपने तख्तों पर सवार होकर अपनी पत्नियों को साथ लेकर सैर करने को निकला करेंगे जहां तक उनका जी चाहेगा। वह तख्त उनके इशारे के साथ सैर करा लाएगा। (तिर्मिज़ी मिश्कात)

दुनिया के पति-पत्नी

फ़रमाया कि हर जन्नती को जन्नत में दो-दो हूरें और 70-70 कुंवारी पत्नियां मिलेंगी। यदि इनका पति शिर्क व कुफ्र के कारण जहन्नुमी होगा तो अल्लाह उन नेक बीवियों की शादी जन्नती मर्दों से कर देगा जो उन्हें बहुत खुश रखेंगे उनकी सुन्दरता जन्नत वाली औरतों से उनको अधिक मालूम होगी। वे अपने दुनिया के पतियों का ख्याल तक भुला देंगी।
(बुखारी मुस्लिम मिश्कात 488)

जिस औरत ने दुनिया में कई निकाह किए थे यदि वह जन्नत में जाएगी तो वह उस पति को मिलेगी जिसने उसे दुनिया में खुश रखा था या जिसे वह चाहेगी उसके हवाले कर दी जाएगी। हर मर्द को जन्नत में सौ-सौ औरतों से सम्भोग करने की ताक़त होगी और उसे थकान मालूम न होगी बल्कि ताक़त और बढ़ती रहेगी। (तिर्मिज़ी मिश्कात 488)

जन्नत की औरतें

जन्नत की औरतों की आंखे बड़ी-बड़ी, दिल लुभाने वाली, रसीली और नशीली होंगी। दिन में सत्तर-सत्तर जोड़े कपड़ों के हर तरह के दिल पसन्द पहनेंगी। उनकी ओढ़नी दुनिया के क़ीमती से कीमती कपड़े से बढ़िया होगी। यदि जन्नत की एक औरत दुनिया में झांके तो पूरब से लेकर पश्चिम तक सारा जहान रोशन हो जाए और चांद सूरज फीके पड़ जाएं और सारी दुनिया के बासी बेहोश हो जाएं। दुनिया की औरतें जब अपने पतियों को नाराज़ करती हैं तो जन्नती औरतें दुखी होती हैं और कहती हैं कि हमारे पतियों को दुख मत दो और बददुआ करती हैं। (बुखारी मिश्कात 488)

जन्नत वालों का क़द

जन्नत के मर्द व औरत का क़द हज़रत आदम अलैहि० के बराबर साठ-साठ हाथ का होगा। बड़ा खुशनुमा और डील डौल का होगा। उम्र मर्दों की 30 या 35 साल की, औरतों की उम्र 16 या 17 साल के बराबर होंगी और हमेशा यही उम्रें क़ायम रहेंगी। उनकी उम्र व ताक़त में कभी कमी न आएगी बल्कि ताक़त व सुन्दरता हमेशा बढ़ती जाएगी।

(बुखारी मुस्लिम मिश्कात)

जन्नत वालों की औरतें उनके सामने बड़ी प्यारी आवाज़ से गाएंगी और बढ़िया बाजे बजाएंगी जिससे जन्नती बड़े खुश होंगे। जन्नती लोग इसी तरह जन्नत में राग व रंग की महफ़िलें क़ायम रखेंगे और कभी दुखी न होंगे।

(तिर्मिज़ी मिश्कात 492)

हर झंझट से छुटकारा

न उनको किसी से नफ़रत, जलन, दुश्मनी व किसी तरह की शिकायत होगी। वहां न चुग़ली, न ग़ीबत न झूठ न बेकार की बकवास बकना,

न वहां कभी सर दुखेगा न बीमारी होगी, न पाखाने पेशाब की हाजित होगी और न कभी उनका पेट दुखेगा। खाने पीने आदि से, न थूक होगा न नाक बहेगी न अन्य किसी तरह का मैल कुचैल न नींद होगी न किसी प्रकार की बेहोशी वहां पर होगी। मर्दों और औरतों के शरीर में कहीं बाल न होंगे, केवल सर पर बाल होंगे जो खूबसूरती के लिए हैं और जिसे जन्नती लोग पसन्द करेंगे उसे वे पा लेंगे। (तिर्मिज़ी मिश्कात 488)

जन्नत में सबसे पहले जाने वाले

सबसे पहले नबी सल्ल० की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। जो गिरोह सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमकते होंगे और जो उनके बाद दाखिल होंगे उनके चेहरे रोशन सितारों की तरह चमकेंगे और इसी तरह उनका दिल चमकता होगा। हूरों की पिंडलियों में से गूदा नज़र आएगा और उनकी कंघियां सोने की होंगी।

(तिर्मिज़ी मिश्कात 489)

अल्लाह की कृपा की बारिश

अल्लाह फ़रमाता है ऐ मेरे बन्दो! न कोई तुम पर डर है आज के दिन और न तुम दुखी होगे। जो लोग ईमान लाए हमारी आयतों पर और मुसलमान रहे मर्द हो या औरत दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी पत्नियां जो कि तुम्हारी इज़्ज़त करेंगी। और लिए फिरते हैं (जन्नती लड़के) उनके पास रकाबियां सोने की उनमें शर्बत और दूध मौजूद होगा। जन्नत में जिस चीज़ को दिल चाहे पा लेगा। और जिससे आंखों को आराम मिले और तुमको जन्नत में हमेशा रहना है। (सूर: ज़ुखरफ़)

यह वही जन्नत है जो तुमने विरासत में पायी और नेक कामों के

बदले तुम करते थे दुनिया में तुम्हारे वास्ते जन्नत में बड़ी मात्रा में मेवे हैं और नहरें हैं । वहां रेशमी पोशाक पहनते हैं बारीक एक दूसरे क सामने। और हमने उनकी शादी कर दी हूरों से। बड़ी आंखों वालियों से। मंगवाते हैं हर प्रकार के मेवे जन्नत के अच्छी तरह हज़म होने वाले और खाते हैं चैन से, न चखेंगे वहां पर मौत का मज़ा जैसा कि पहले चख चुके हैं और बचाया अल्लाह ने उन्हें जहन्नुम की मार से। यह अल्लाह की कृपा है और बड़ी मुराद मुसलमानों की। (सूर: ज़ुखरफ़)

सारी नेमतें मिलेंगी

फ़रमाया कि जन्नती लोग जन्नत में खाया करेंगे हर प्रकार की नेमतें और हर प्रकार के पानी पिया करेंगे उन्हें हज़म होता रहेगा न डकार आएगी न पेशाब-पाखाना की ज़रूरत होगी और पसीने की तरावट से शरीर में खुश्बू रहेगी और मुश्क की सांस की जगह मुंह से तस्बीह जारी रहेगी। हर मेवे से सैंकड़ों प्रकार के स्वाद पाएंगे तख्तों पर लेटे बैठे रहेंगे और जब किसी मेवे को जी चाहेगा स्वय उसकी टहनी झुक आएगी और जब खा चुकेंगे फिर अपनी जगह पर चली जाएगी। (मुस्लिम मिश्कात 418, सूर: रहमान)

हर इच्छा पूरी होगी

किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या जन्नत में घोड़े होंगे? फ़रमाया हां यदि तू जन्नत में गया और तूने वहां घोड़ा मांगा तो खुदा तुझे घोड़ा देगा, सुर्ख याकूत का कि वह तुझे उड़ा ले जाएगा जहां तक तू चाहेगा जन्नत में तू जो चाहेगा वही मिलेगा यहां तक कि जन्नती औलाद की इच्छा करेगा तो उसकी पत्नी हामला होगी और बच्चा देगी उसी समय और वह उसी समय बड़ा हो जाएगा। (तिर्मिज़ी मिश्कात 490)

हौज़े कौसर

जन्नत में एक हौज़ है जिसे हौज़े कौसर कहते हैं नबी सल्ल० को अल्लाह ने वह हौज़ बख़्शा है जिसकी लम्बाई चौड़ाई एक महीने का रास्ता है और उसके दोनों किनारों पर मोतियों के गुम्बद हैं उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और मुश्क से ज़्यादा ख़ुश्बूदार और शहद से ज़्यादा मीठा है खालिस चांदी के कटोरे उसमें तैरते फिरतें हैं गिनती में इतने हैं कि जितने आसमान के तारे जो एक बार उसका पानी पी लेंगे वे कभी प्यासे न रहेंगे। हमेशा हौज़े कौसर के किनारों पर हरे रंग के परिंदे फिरते होंगे बड़े ख़ूबसूरत लम्बी गर्दन वाले जन्नती लोग उनके कबाब खाएंगे और पेड़ों पर बैठे हुए बड़े मीठे स्वर से चहचहा कर खुश होते हैं जिस चिड़िया के कबाब को जी चाहेगा वह कबाब बनकर सामने मौजूद हो जाएगी। जब खा चुकेंगे तो उड़कर जा बैठेगी।

अल्लाह के इनाम

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है क़सम है खुदा की मुसलमान जब क़ब्रों से निकलेंगे तो उनके पास जन्नत की ऊंटनियां लायी जाएंगी जिन पर सोने की काठियां होंगी और नूर की ख्वाबी चमकती होंगी। सवारी का क़दम वहां पड़ेगा जहां पर निगाह पहुंचेगी। जन्नत के दरवाज़े के पास एक पेड़ मिलेगा जिसकी जड़ से दो चश्मे जारी होंगे। जब पहले चश्मे का पानी पिएंगे तो उनके चेहरे तरो ताज़ा हो जाएंगे फिर दूसरे चश्मे से वुज़ू करेंगे कि जिससे उनके सर के बाल रोशन हो जाएंगे और कभी धूल मिट्टी में न अटेंगे।

(तिर्मिज़ी इब्ने माजा मिश्कात 291)

फिर जन्नत के दरवाजे को सुर्ख याकूत के कुंडे से खट खटाएंगे

जिसकी आवाज़ जन्नत की हूरों को पहुंच जाएगी और वे पहचान लेंगी कि हमारे पति आए हैं जल्दी से दौड़ेंगी उनके सेवक महल के दरवाज़े खोल देंगे। यदि खुदा जन्नती को नूर न देता तो सेवक चमक से चुंधिया कर सज्दे में गिर पड़ता। सेवक कहेगा- मैं तो सेवक हूं आपके स्वागत के वास्ते हाज़िर हुआ हूं जन्नती उसके साथ मोती महल में आएगा।

उसकी पत्नी खेमे से बाहर निकल कर उससे गले लग कर मिलेगी और कहेगी कि तू मेरा प्यारा है और मैं तेरी प्यारी हूं मैं तेवरी चढ़ाने वाली नहीं हूं मैं नेमत से पली हूं बीमार होने वाली नहीं हूं मैं तेरे पास ज़िन्दा रहूंगी। जन्नती ऐसे महल में दाखिल होंगे। जिसकी छत एक लाख गज़ ऊंची होगी वह मोती महल और याकूत का होगा उसके दरवाज़े सुर्ख व हरे होंगे और हर दरवाज़े का रंग अलग रंगत का होगा।

फिर जन्नती अपनी पत्नियों की ओर निगाह करेगा और देखेगा वहां पर प्याले रखे हुए हैं गदीले और नर्म क़ालीन बिछे हुए हैं उस समय जन्नती (शुक्र के तौर पर) कहेगा- प्रशंसा है उस खुदा की जिसने हम पर ये सारे इनाम भेंट किए अल्लाह हमें हिदायत न करता तो हम कभी ये पाने योग्य न होते। (तिर्मिज़ी मिश्कात 491)

जन्नती बड़े खुश होंगे

जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो उसकी सूरत हज़रत यूसुफ़ अलै० की तरह खूबसूरत हो जाएगी और उनको लिबास जन्नती व मर्दाना ज़ेवर प्रदान किया जाएगा। सोने के कंगन पहनेगा अपनी पत्नियों व सेवकों को देखकर इतना खुश होगा कि यदि जन्नतम में मौत होती तो मारे खुशी के मर जाता। (दरजातुन नईम 66)

जन्नत में स्वागत होगा

और फ़रमाया, जब मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका स्वागत उनके 80 हज़ार सेवक करेंगे जिनके चेहरे मोती की तरह चमकते होंगे और उससे कम उम्र लड़के दोनों ओर पंक्तियां बनाए खड़े होंगे और सोने-चांदी की तश्तरियों में मेवे व कबाब खिलाते रहेंगे। एक खुदा का फ़रिश्ता हर जन्नती को जन्नत के महल जो सोने व चांदी के होंगे दिखलाएगा और कहेगा कि यह सब तेरे वास्ते हैं। जब यह जन्नती उनके पास जाएगा तो वह उसका स्वागत और पेशवाई करेंगे और सलाम करके कहेंगे-हम सब तुम्हारे वास्ते हैं (दर्जातुन्नईम 68)

जन्नत का बाज़ार

जन्नत में एक बड़ा बाज़ार है जिसमें जन्नती लोग हर जुमे को जमा हुआ करेंगे फिर एक हवा चलेगी जिससे मुश्क व ज़ाफ़रान के कण जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर पड़ेंगे। जब वहां से वापस होकर घरों में आएंगे तो पत्नियां कहेंगी कि क़सम है खुदा की यह हम से अलग होकर तुम्हारा हुस्न क्यों बढ़ गया? वे जवाब देंगे कसम है खुदा की तुम्हारा हुस्न भी पहले से कहीं ज़्यादा है। (तिर्मिज़ी इब्ने माजा मिश्कात 291)

अल्लाह का दीदार

अल्लाह का दीदार जन्नती आम तरीक़े से करेंगे अल्लाह एक बड़े बाग़ में ज़ाहिर होगा जन्नतियों के वास्ते वहां सोने चांदी के मिम्बर रखे जाएंगे। और हर जुमे को जो बड़े दर्जे वाले हैं उनके वास्ते नूर व मुश्क मोती व याक़ूत व जमर्रुद के होंगे कम दर्जे वाले जन्नती मुश्क व काफ़ूर के टीलों पर बैठेंगे

यद्यपि कोई जन्नती अपने को दूसरों से छोटा न जानेगा। फिर सबके सब अल्लाह की ज़ियारत (दीदार) करेंगे और अल्लाह उनसे बातें करेगा। कहने का मतलब यह है कि जन्नत में कोई महरूम न रहेगा।

(तिर्मिज़ी मिश्कात)

अल्लाह से बातें

फिर अल्लाह एक जन्नती से फ़रमाएगा- ऐ फ़लां क्या तूने दुनिया में ये गुनाह नहीं किए? वह जवाब देगा, हां ऐ खुदा क्या तूने मुझे बख्शा नहीं? अल्लाह कहेगा-हां मैंने तेरे गुनाह अपनी कृपा से बख्श दिए ताकि तुझे तेरी मुराद तक पहुंचाऊं।

सबको रहमत का बादल ढांक लेगा और उसमें से ऐसी खुश्बू बरसेगी जो किसी ने कभी सूंघी न होगी। फिर अल्लाह फ़रमाएगा कि अब उस नेमत के पास आओ जो अच्छी चीज़ों में से है। मैंने तुम्हारे वास्ते तैयार कर रखी है इनमें से जो भी तुम्हारा जी चाहे ले लो। फिर जन्नती उस बाज़ार में से जिसे फ़रिश्ते घेरे होंगे अजीब अजीब नेमतें जो उन्हें पसन्द आएंगी मुफ़्त में ले लेंगे।

छोटे बड़े का फ़र्क़ न होगा

जन्नत के बाज़ारों में जन्नती एक दूसरे से मुलाक़ात करेंगे और बड़े दर्जे वाले छोटे दर्जे वालों से मुलाक़ात किया करेंगे और किसी को कम ज़्यादा दर्जे का ख्याल न होगा। सारे जन्नती अपने ऐशो आराम में मस्त होंगे। जब बड़े दर्जे वाला अपना लिबास छोटे दर्जे वाले के लिबास से अच्छा देखेगा और फिर उसके लिबास पर नज़र डालेगा तो वही लिबास उसे भी अच्छा मालूम होगा क्योंकि जन्नत में किसी को दुख नहीं है।

अल्लाह के वायदे का पूरा होना

फ़रमाया, जन्नती सत्तर तकियों पर तकिया लगाए एक क़रवट से बैठा होगा इसी तरह दूसरी करवट सत्तर तकियों पर बदलेगा फिर इसी हालत में जन्नती के पास एक औरत आएगी बड़ी हसीन सुन्दर। वह अपना हाथ उसके कंधे पर रख देगी और बड़े प्यार व अपनाइयत के अन्दज़ा में अपना हुस्न व अदाएं उसे दिखएगी। जब जन्नती उसके चेहरे की ओर देखेगा तो अपना फोटो उसके गालों में देख लेगा और उसके चेहरे की चमक़ ऐसी रोशन होगी जैसे आइना और उसके मोती ऐसे रोशन होंगे कि जिनमें से एक मोती पूरब से पश्चिम तक को रोशन कर दे। वह औरत जन्नती को सलाम करेगी। जन्नती सलाम का जवाब देकर पूछेगा-"ऐ औरत तू कौन है? वह कहेगी मैं खुदा का फ़ज़्ल हूं जिसका जन्नतियों के वास्ते अल्लाह ने कुरआन में वायदा फ़रमाया था-

"व लदयना यजीदुन (कुरआन मजीद)

"अलबत्ता हम अपने फ़ज़्ल व करम से और अधिक देंगे।"

इस औरत के शरीर पर 70 प्रकार के बढ़िया लिबास होंगे और वह उसके लिबास को देखकर खुदा की शान को याद करेगा और उन सब लिबासों के अन्दर से उसकी पिंडलियों का गोश्त देख लेगा। उसके चेहरे पर एक ताज होगा जिसका मामूली सा मोती पूरब से पश्चिम तक रोशन होगा।

(मुस्लिम)

सबसे कम दर्जे वाला जन्नती

हज़रत मूसा अलैहि० ने अर्ज़ किया था कि ऐ मेरे रब! जन्नतियों में सबसे कम दर्जे वाला कौन होगा?

जवाब मिला कि सबसे कम दर्जे वाला वह है जो सबके बाद जन्नत में दाखिल होगा और देखेगा जन्नत की ओर और अर्ज़ करेगा कि ऐ अल्लाह मैं कहां जाऊं? वहां तो सबने जगह घेर ली है।

तब उससे अल्लाह फ़रमाएगा कि क्या तू इस बात पर राज़ी है कि मैं तुझे इतना मुल्क दूं कि जितना दुनिया के एक बादशाह को दिया था?

वह कहेगा-हां मेरे परवरदिगार मैं इस पर राज़ी हूं। हुक्म होगा, जा हमने तुझे इतना और इतना और इतना मुल्क दिया। वह कहेगा पांचवीं बार- ऐ मेरे रब मैं राज़ी हूं तुझसे। अल्लाह फ़रमाएगा- यह ले और इससे दस हिस्से ज्यादा और भी ले ले जो तुझे पसन्द हो।

वह कहेगा- ऐ मरे रब! मैं तुझसे राज़ी हो गया।

फ़ायदा- सुबहानल्लाह! थक जाएगा बन्दा मांगते-मांगते और मालिक देते-देते न थकेगा। (मुस्लिम)

सबसे बड़े दर्जे वाला जन्नती

फिर हज़रत मूसा अलैहि० ने पूछा- ऐ अल्लाह! सबसे बड़े दर्जे वाला जन्नती कौन होगा?

फ़रमाया- ऐ मूसा सबसे बड़े रुतबे वाले वे लोग होंगे जिनको मैंने चुन लिया है और अपनी बड़ी-बड़ी नेमतें उनके वास्ते तैयार कर रखी हैं अपने हाथों से और उन पर मुहर लगा रखी है और वे नेमतें वह हैं जो न किसी आंख ने देखी न किसी कान ने सुनी न किसी के दिल में खतरा गुज़रा।

अल्लाह की रहमत की एक मिसाल

नबी सल्ल० ने फ़रमाया है कि एक आदमी जहन्नुम से गिरता पड़ता

मुसीबत का मारा पार होगा। जब जहन्नुम से बाहर आ जाएगा (जहन्नुम की ओर मुड़ कर देखेगा और कहेगा) बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जिसने मुझे तुझसे नजात दी। यह अल्लाह का मेरे ऊपर इतना बड़ा इनाम है कि किसी पर अगलों व पिछलों से न हुआ होगा। फिर उसे जन्नत की ओर एक पेड़ दिखाई देगा और वह कहेगा कि ऐ मेरे रब! मुझे इस पेड़ की छाया में पहुंचा दे ताकि मैं वहां आराम पाऊं।

अल्लाह फ़रमाएगा कि ऐ आदम के बेटे! यदि मैं तेरा सवाल पूरा कर दूंगा तो तू मुझसे कुछ और मांगेगा। वह वचन देगा कि मैं तुझ से कुछ और न मांगूंगा। तब अल्लाह उसे वहां पहुंचा देगा।

जब वह उसकी छाया में आराम पाएगा और पानी पिएगा तो उस पेड़ के आगे उसे एक और पेड़ दिखाई देगा। अर्ज़ करेगा कि ऐ मेरे रब मुझे तो तू इस पेड़ के पास पहुंचा दे। अल्लाह फ़रमाएगा कि क्या तूने क्चन नहीं दिया था किं अब कोई सवाल न करूंगा। वह कहेगा- ऐ अल्लाह- अबकी बार तू पहुंचा दे फिर और सवाल न करूंगा।

जब अल्लाह उसे वहां पहुंचा देगा और यह वहां राहत पाएगा तब वहां उसे एक तीसरा पेड़ जन्नत के दरवाज़े के पास मालूम होगा और वह इन दोनों पेड़ों से अधिक खुशनुमा व भला होगा जिसको देखने से वह ऐसा व्यकुल हो जाएगा किं अपना वचन भूल जाएगा और बेक़रारी से कहेगा-

ऐ मेरे रब! मुझे तू उस पेड़ के नीचे और पहुंचा दे अल्लाह इर्शाद फ़रमाएगा, ऐ इब्ने आदम तू तो इक़रार कर चुका था कि अब मैं सवाल न करूंगा।

वह कहेगा कि ऐ अल्लाह! बे शक सच है कि मैं इक़रार कर चुका था मगर अब की बार तू और पहुंचा दे।

अल्लाह कहेगा फिर कोई सवाल न करना और उसे वहां पहुंचा देगा।

जब जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचेगा और वहां का हाल देखेगा और जन्नतियों की आवाज़ें सुनेगा तो अर्ज़ करेगा ऐ रब अब तो तू मुझे जन्नत ही में पहुंचा दे।

हुक्म होगा कि ऐ आदम के बेटे! तेरा सवाल करने का सिलसिला कब खत्म होगा? और बतला तो सही क्या तू राज़ी न होगा यदि मैं तुझे अपनी जन्नत की नेमतें बख्शूं दुनिया के बराबर और फिर उतना ही और दूं?

वह कहेगा ऐ मेरे रब! क्या तू मुझसे हंसी करता है मेरा मालिक होकर?

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० इस हदीस को ब्यान करके हंसे और कहा कि नबी सल्ल० भी हंसे थे जब यह हदीस बयान की थी। हमने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० आपके हंसने का क्या कारण है?

आपने फ़रमाया- मैं अल्लाह के हंसने की वजह से हंसा जो उसने कहा कि तू सारे जहान का मालिक होकर मुझसे हंसी करता है।

अल्लाह फ़रमाएगा- ऐ बन्दे मैं तुझसे हंसी नहीं करता और न मुझे यह शोभा देता है कि मैं तुझसे हंसी करूं बल्कि मैं क़ादिर हूं जो चाहता हूं कर सकता हूं। फिर अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा।

अल्लाह की रज़ामन्दी

जब सारे जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे तो अल्लाह इर्शाद फ़रमाएगा-

"ऐ जन्नत वालो!"

वे कहेंगे–"हम हाज़िर हैं हम सब तेरी सेवा में हाज़िर हैं ऐ अल्लाह" अल्लाह फ़रमाएगा क्या तुम मुझसे राज़ी हो?

बन्दे अर्ज़ करेंगे ऐ अल्लाह हम को क्या है? और राज़ी किस तरह न हों हम तुझसे तूने हमें वे नेमतें प्रदान की हैं कि वे नेमतें तूने अपनी किसी मख़लूक़ को प्रदान नहीं की।

अल्लाह फ़रमाएगा–क्या न दूं तुम्हें एक चीज़ उन चीज़ों से बेहतर जो मैंने तुम को दी हैं?

बन्दे कहेंगे– ऐ रब! वह कौन सी नेमत है सब नेमतों से बेहतर?'

अल्लाह इर्शाद फ़रमाएगा 'वह मेरी रज़ामन्दी है अब मैं तुम से कभी नाराज़ नहीं हूंगा।

अल्लाह का दीदार

फ़िर पर्दा उठाया जाएगा और अल्लाह ज़ाहिर होगा सबके सामने। फिर जन्नती देखेंगे अपने रब को और यक़ीन कर लेंगे कि जन्नत की कोई भी नेमत अल्लाह के दीदार से बेहतर नहीं है फिर अल्लाह के दरबार से उनकी मेहमानी हमेशा होती रहेगी। वे अल्लाह से राज़ी होंगे अल्लाह उनसे राज़ी होगा। जन्नत वाले सब नेमतों से ज़्यादा अल्लाह के दीदार का आनन्द उठाएंगे। किसी को जुमे के दिन, किसी को हफ़्ते के दिन, किसी को हफ़्ते में दो बार और किसी को चार बार और किसी को रोज़ाना यह दौलत नसीब होती रहेगी।

(मुस्लिम मिश्कात 492)

दुआ

ऐ अल्लाह! अपना दीदार नसीब कर और अपने हबीब हज़रत मुहम्मद सल्ल० का हमको और हमारे घर वालों को और हमारे दोस्त मुसलमान मर्दों

व औरतों और बड़ों और छोटों को।

ऐ अल्लाह! हम बड़े गुनाहगार हैं तुझसे प्रार्थना और तौबा करते हैं और सवाल तेरी जन्नत का है मगर हमारे पास इसके लायक़ कोई अमल नहीं है लेकिन तेरी रहमत व मेहरबानी बहुत बड़ी है अतः अपने फ़ज़्ल से और केवल दया से हमें जन्नत में दाखिल कर। केवल तेरे फ़ज़्ल को देखते हुए तेरी जन्नत का सवाल है तेरे प्रकोप और जहन्नुम से पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह अपने प्रकोप और जहन्नुम और अज़ाब से बचा-आमीन

अलहम्दु लिल्लाहिल्लज़ी ततिम्मुस्सालिहातु बिहि व सल्लल्लाहु तआला अला ख़यरि ख़लक़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व अतबाअिहि अजमओन॰ बिरहमतिका या अरहमर्राहिमीन॰ आमीन॰

हिन्दी प्रकाशन

1. सलातुर्ररसूल
2. नमाज़ जनाज़ा
3. मां बाप का दर्जा
4. मसनून नमाज़
5. कुरान ख़्वानी
6. मुहरे नुबुव्वत
7. दस्तूरूल मुत्तक़ी
8. हमारी दुआएं
9. सबीलुर्रसुल
10. तक़्वीयतुल ईमान
11. दुल्हन का तोहफ़ा

प्रकाशक

एस० एन० पब्लिशर्स